राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४ विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सोलहवाँ दिवस संख्या १०

मंगलवार,

दिनांक ११ मार्च, १९६९.

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. २ बजे विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरञ्जनाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, अकाल सहायता, वित्त, विद्युत, समाज कल्याण, वन, पंचायत, आबकारी, चिकित्सा, खाद्य, उपनिवेशन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री दौलतराम सारण।

छानी बड़ी ग्राम में अमरसिंह शाखा नहर के मोघे से सिंचाई

२२५. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) तहसील भादरा के छानी बड़ी ग्राम के चक नं० ३ अमरसिंह शाखा नहर के मोघे से कितनी सिंचाई होती थी ?

(२) क्या इस मोघे से पानी लेने वाले अधिकांश किसान सन्तुष्ट थे, और क्या अधिकांश किसान लगभग ९३ परिवार हरिजन हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस मोघे को दूसरे स्थान पर बदलने के लिए एस० ई० सिंचाई, गंगानगर के पास कोई प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति गये और उनका उल्लेख करते हुए एस० ई० ने स्थानीय सिंचाई अधिकारी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा ? यदि हां तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या इस प्रकार राजनैतिक दबाव से मोघा बदलने का उससे पानी लेने वाले परिवारों ने विरोध किया ?

(५) क्या यह भी सही है कि इतने विरोध के उपरान्त भी कई माह की कोशिश के बाद १६-७-६८ को यह मोघा पुलिस के सहयोग से बलपूर्वक उखाड़ दिया गया ?

(६) क्या यह भी सही है कि शान्तिपूर्वक ९३ हरिजन परिवारों ने इसके उखाड़ने का मौके पर विरोध किया ? फलस्वरूप शान्त ढंग से विरोध प्रदर्शन करने वाले

(श्री दौलतराम सारण)

हरिजन स्त्री पुरुष और बालकों को पुलिस ने लाठियों से पीटा और ६ व्यक्तियों को ३०९ । ३५३ में गिरफ्तार कर बन्दी बना लिया ?

(७) क्या चक नं० १ छानी में जहां अब मोघा लगाया है, वहां से मौके पर हरिजनों के खेतों को पानी लगना सम्भव नहीं है ?

(८) इतने विरोध के बावजूद यह मोघा क्यों बदला गया ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, This quection is pending before the High COurt,

श्री अध्यक्ष : Pending before the High Court.

श्री दौलतराम सारण : क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह है कि यह प्रश्न हाई कोर्ट के सम्मुख सब-जुडिस है।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न का आप अवलोकन करेंगे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हाई कोर्ट के विचाराधीन मुद्दे पर प्रकाश डालने वाली या उसमें हस्तक्षेप करने वाली हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष जी, मामला इसमें उठाया गया है और जो जानकारी इसमें चाही गई है कि जो अधिकार दिया था वह उचित था या नहीं था, जो मोघा लगाया वह उचित था या नहीं था। यह सब्जेक्ट मैटर है यह वही उठाया गया है जो सब जुडिस है। इसलिए इसका जवाब देना केस के इन्ट्रेस्ट में नहीं होता।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसमें उचित या अनुचित का सवाल नहीं है। मैंने सूचना चाही है उस सूचना में ओपिनियन का सवाल नहीं है, न मैं अपोनियन मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कौन कौन पार्टी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पार्टी वह है जिसके पक्ष में सवाल उठाया गया है, जिसके खिलाफ में सवाल है। यह पार्टी है हाई कोर्ट में। बाई चान्स मुझे भी पार्टी बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : खर, यह स्थगित किया गया !

श्री वृद्धिचन्द्र !

बायतू पंचायत समिति के ग्रामों में पानी की समस्या

२२६. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बायतू पंचायत समिति के ग्राम बायतू, रतेऊ, शहर खींवसर, कानोड में जल कष्ट की भयंकर समस्या है ?

Page No 3

(श्री वृद्धिचंन्द्र जैन)

(२) क्या सरकार उक्त ग्रामों में उड़ू ट्यूब वैल्स से पाइप लाइन द्वारा पानी पहुँचाने की योजना को इस साल अकाल में प्रावधान कर जल-कष्ट की समस्या हल करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां। बायतू पंचायत समिति के ग्राम बायतू, रतेऊ आदि में पेयजल की समस्या है।

(२) उड़ू ट्यूब वैल्स से पाइप लाइन द्वारा पानी दिये जाने में बहुत खर्चीली और बड़ी योजना बनवाने के कारण निकटतम क्षेत्र में ग्राम भीमड़ा में नलकूप लगवाये जाने की व्यवस्था की जा रही हैं। नलकूप के सफल हो जाने पर वहां से पेयजल के लिये योजना पर विचार किया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि बायतू के निकटतम ग्राम भीमड़ा में ट्यूब वैल्स से पानी सप्लाई होने से रतेऊ, शहर खींवसर की जल समस्या हल हो सकेगी ? जिन ग्रामों के बारे में प्रश्न उठाया था उनमें भयंकर जल-संकट है, जिसको दूर करने के लिए मांग करते हैं। उसके लिए क्या कदम उठाया ?

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा निवेदन किया यह उड़ू में ट्यूब वैल्स से पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव है यह लम्बी पाइप लाइन है और खर्चीली है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने मोटे रूप से हालांकि उसकी सर्वे की है लेकिन उनकी राय है कि बायतू के निकटतम क्षेत्र में ट्यूब वैल्स हैं तो बायतू ग्राम के लिए पानी की व्यवस्था उन ट्यूब वैल्स के जरिये हो सकती है। जहां तक प्रश्न उठता है दूसरे गांवों का, उनके लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने विशेष रूप से सुझाव दिया है। सुझाव आने पर उन पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री गंगासहाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने उड़ू से बायतू की योजना के बारे में अपनी रिकमन्डेशन पेश की है तो उसमें यह शहर भी आ जाता है, खींवसर भी आता है, रतेऊ भी आ जाता है। भीमड़ा की योजना बनाई है बायतू के लिए उससे रतेऊ, शहर खींवसर और कानोड के गांवों के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती। इनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे ?

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : उड़ू से पाइप लाइन खींचने का प्रश्न नहीं है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ इन्जीनियर ने हमारे पास एक तजवीज भेजी थी उसको हमने डिटेल्ड सर्वे के लिए भेज दिया है। जो रीजनल पाइप लाइन लाने का प्रश्न है, तो फेमिन के बजट में जो भारत सरकार से धनराशि आती है, जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिलती है, जो यह पाइप लाइन का आइटम है यह सेन्ट्रल असिस्टेन्स के अन्दर क्वालिफाई नहीं करता है इसलिए एक लार्ज स्केल पर नहीं ले सकते। अगर पानी की बहुत किल्लत है तो वह एज ए स्पेशल केस ले सकते हैं, जैसा कि माननीय

Page No 4

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य चाहते हैं। जहां तक इसको लेने का सवाल है, एक २२ हजार की योजना का मोटे तौर पर एक एस्टीमेट बना कर हमें दिया था, उसमें टेक्निकल रिपोर्ट आनी चाहिए, तो उसमें डिटेल्ड टेक्निकल रिपोर्ट आनी चाहिए ऐसा आदेश पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट ! श्री गंगा सहाय।

पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों की सुविधाएं

२२७, **श्री गंगासहाय :** (कठूमर सु.) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) दिसम्बर, १९६८ तक राजस्थान में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनको पेन्शन मिल रही है? इनमें राजपत्रित कितने हैं और अराजपत्रित कितने हैं? इनमें ऐसे कर्मचारी कितने हैं जिनको पेन्शन ५० रु० प्रति माह से कम मिलती है?

(२) क्या यह सही है कि पचास रुपये से कम पेन्शन पाने वाले कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता केवल १० रु० प्रति माह दिया जाता है?

(३) क्या राज्य सरकार अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को विशेष कर ५० रु० से कम पेन्शन पाने वालों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें देने का विचार रखती है?

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री वित्त) :

(१) दिसम्बर, १९६८ तक राजस्थान पेन्शनर्स की कुल संख्या २८,५९७ है, जिसमें से राजपत्रित पेन्शनर्स की संख्या १८११ है व अराजपत्रित की कुल संख्या २६,७८६ है। उपरोक्त संख्या में फेमिली पेन्सनर्स की संख्या भी शामिल है, किन्तु स्पेशल पेन्शन जैसे जागीर पोलिटीकल आदि प्राप्त-कर्ताओं की संख्या शामिल नहीं है। ५० रु० प्रति माह से कम पेन्शन प्राप्त-कर्ताओं की संख्या दिसम्बर १९६८ तक २२,३०९ है।

(२) जी हां। ऐसे पेन्सनर्स जिनको ३० रु० या इससे अधिक किन्तु ६० रु० से कम पेन्शन मिलती है और जो संशोधित वेतन शृंखलाओं १-९-६१ के पूर्व के वेतन शृंखलाओं में वेतन प्राप्त करते हुए एवं मंहगाई वेतन (डियरनैस पे) का लाभ न लेते हुए सेवा निवृत्त हुए, उन्हें १० रु० माहवार पेन्शन पर मंहगाई भत्ता मिलता है। जो पेन्शनर्स ३० रु० से कम पेन्शन व मंहगाई भत्ता पाते है, इन्हें न्यूनतम पेन्शन ३० रु० ही मिलती है। जो कर्मचारी संशोधित वेतन शृंखलाओं में वेतन प्राप्त करते हुये सेवा निवृत्त हुए हैं उन्हें मंहगाई भत्ता नहीं मिलता किन्तु न्यूनतम पेन्शन की दर उनके लिए ३० रु० माहवार है।

(३) जी नहीं।

श्री गंगासहाय : क्या सरकार ३० रु० से पचास रुपये पेन्शन पाने वालों को जो दस रुपये मंहगाई भत्ता दिया जाता है, उसको उचित समझती है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने साफ कहा कि दस रुपये माहवार उनको दिया जाता है, जिनकी डियरनेस पे सम्मिलित नहीं हुई है और जो १-९-६१ के पहले जो वेतन श्रृंखलायें थीं उनका जिसको लाभ नहीं हुआ ?

श्री गंगासहाय : क्या सरकार की मान्यता नहीं है कि उनका भी मंहगाई भत्ता बढ़ाया जाय, जबकि मंहगाई बढ़ती जा रही है।

श्री जयप्रकाश शर्मा : पेन्शन प्राप्त करने के बाद हर एक आदमी नागरिक की हैसियत में आता है इसलिएं उसके लिए और कोई प्रावीजन करना सरकार के लिए नामुमकिन है।

श्री गंगासहाय : सरकार इन कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देना उचित क्यों नहीं समझती ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: क्या कहा ?

श्री गंगासहाय : सरकार इन कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा निःशुल्क देना उचित नहीं समझती ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य जैसा जानते हैं। कोई भी सर्विस से रिटायर होने के बाद नागरिक की हैसियत में आ जाता है। इसलिए जो नागरिक के अधिकार होते हैं वह उसे भी प्राप्त होते हैं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या यह कानून हाई कोर्ट के जजेज वगैरह हैं उन पर भी लागू है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसा कोई कानून किसी प्रान्त में जहां तक मुझे मालूम है, लागू नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२८

श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा।

जैसलमेर जिले के छात्रावास

२२९. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जैसलमेर जिले में समाज-कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जाति व पिछड़े वर्ग के लिये कितने छात्रावास चलाये जा रहे हैं और प्रत्येक छात्रावास में कितने कितने छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) एक छात्र पर प्रतिवर्ष क्या खर्च आता है ?

(३) छात्रावास में प्रवेश के क्या नियम हैं ? किस आधार पर प्रवेश किया जाता है और किसके द्वारा ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(४) क्या यह सही है कि छात्रावास में प्रवेश के लिए एक समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो कौन उसका अध्यक्ष है और कौन-कौन सदस्य है सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्यमन्त्री समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को एडजोर्न करवायें क्योंकि हमारे समाज-कल्याण अधिकारी स्तीफा देकर चले गये हैं, इसलिए मुकम्मिल सूचना नहीं आने के कारण नामुकम्मिल सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री बालसिंह सोढ़ा : समाज-कल्याण अधिकारी ने तो स्तीफा दे दिया पर विभाग तो समाप्त नहीं हुआ है ?

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : वह तो इन मन्त्री महोदय के आने से ही समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

रेन्ज छीपा बड़ोद में जंगलात की भूमि पर नाजायज काश्त

२३०. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है की छीपा बड़ोद जिला कोटा की रेन्ज छीपाबड़ोद के अन्दर महकमा जंगलात की काफी जमीनें लोगों ने नाजायज काश्त कर रखी हैं।

(२) यदि हां तो इस रेन्ज के किस ब्लाक में कितनी कितनी जमीनें लोगों ने नाजायज काश्त कर रखी हैं और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

(३) जिन लोगों के खिलाफ इस प्रकार के मामलों में केसेज चल रहे हैं उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

वन मन्त्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। नाजायज काश्त करने वालों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम १९५३ भारतीय दंड विधान एवं भू राजस्व के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(३) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखदी गई)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि जो सूची हमें दी गई है उसमें सिर्फ दो तीन साल पहले का ही जिक्र है जबकि छीपा बड़ोद की रेंज में जंगलात की काफी जमीनों पर पन्द्रह सोलह साल पहले से इस प्रकार के ट्रेस पास करके लोग बैठे हैं। बारह-तेरह साल के अर्से से फोरेस्ट ऑफिसर हर काश्तकार को बुरी तरह से लूट रहे हैं, खा रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रखा है ?

Page No 7

श्री नारायणसिंह : यह सही है कि नाजायज तौर पर अतिक्रमण हुए हैं, उसके कई कारण हैं।

श्री अध्यक्ष : कारण नहीं पूछे हैं, यह पूछा है कि क्या सूची अपर्याप्त है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो सूची दी है वह दो तीन साल की ही सूची है।

श्री नारायणसिंह : इस वक्त मेरे पास यह सूची उपलब्ध है, इसके बारे में बतला रहा हूँ नाजायज काश्त काफी अर्से से है, उसको मैं मानता हूँ, पर उसके कारण हैं,…………

श्री अध्यक्ष : कारण नहीं पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : पहले यह बतलाइये कि जो सूची दी है उसमें क्या उन सब आदमियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने फॉरेस्ट विभाग की जमीनों पर अनधिकृत कब्जा किया है ?

श्री नारायणसिंह : मेरे पास सूची है उसके अनुसार में यह नहीं बता सकता कि गत वर्ष के कितने ट्रेसपासर्स हैं और पहले के कितने ट्रेसपासर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं पूछा है, यह पूछा है कि जो सूची दी है क्या वह सूची पर्याप्त है, पूर्ण है ?

श्री नारायणसिंह : मेरे पास यह सूची उपलब्ध है।

श्री भैरोंसिंह : उपलब्ध का सवाल नहीं। सवाल यह है कि क्या जो नाम इस सूची में दर्ज किये गये हैं उनके अलावा और ट्रेसपासर्स नहीं हैं ?

श्री नारायणसिंह : यह सूची कोर्ट में जो केसेज चल रहे हैं, उनकी है।

श्री भैरोंसिंह : जिनके केस कोर्ट में नहीं चल रहे हैं, जिन्होंने जंगलात की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है, उनका नाम इस सूची में नहीं है, प्रश्न में तो अतिक्रमण करने वालों की सूची मांगी गई हैं, उन सबके नाम सूची में देने चाहियें।

श्री नारायणसिंह : काफी अतिक्रमण वहां हुए हैं, यह नोटिस में आया है, उसके कारण मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि कई कारण हैं। कुछ तो टेम्परेरी काश्त कोटा राज्य के समय में होती थी, उस वक्त काश्त करते थे, वन विभाग का सीमांकन किया गया, उसमें जो भूमि वन विभाग में आ गई उसको वे लोग अपनी ही काश्त की भूमि मान कर काश्त करने लगे, कुछ लोग जो अपने आपको भूमिहीन समझते थे, उन्होंने अतिक्रमण किया।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन यह है कि उत्तर में उनको क्यों नहीं शामिल किया गया ?

श्री नारायणसिंह : कुल ट्रेसपासर्स की आवश्यकता होगी तो एक सूची और दे दूंगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि जिन ऑफिसर्स की मौजूदगी में

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

जंगलात की भूमि इस तरह नौतोड़ की गई, और पन्द्रह, पन्द्रह, बीस-बीस रुपया फी बीघा रिश्वत का खाकर उन्होंने अपना पेट भरा है ! इस तरह लोगों ने अनधिकृत रूप से १५००० बीघा भूमि पर अतिक्रमण करके नाजायज कब्जा किया है।

श्री नारायणसिंह : जमीन काफी अतिक्रमित हुई है, कई कारणों से, उनकी शिकायतें भी आई हैं, मुकदमें भी दायर किये गये हैं। जिस समय मैंने उस एरिया का दौरा किया तो कई लोगों ने शिकायतें की कि हमारा हक होते हुए भी, भूमि हमें एलॉटेड होते हुए भी. तहसीलदार द्वारा भूमि हमें एलॉट कर दी गई फिर भी हम पर अतिक्रमण के मुकदमें चलाये जा रहे हैं। उनकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने यह आज्ञा दी कि जो लोग बोनाफाइड एलॉटीज हैं, मैंने बोनाफाइड एलॉटीज इसलिये रखा कि जो जमीनें तहसीलदार द्वारा एलॉट करदी गई हैं, किसी कारण से इस कारण से कि उस भूमि को राजस्व की भूमि माना, फोरेस्ट विभाग की नहीं माना है, उसकी दुरुस्ती कराई जा रही है, फॉरेस्ट का सेटलमेंट हुआ तो उस जमीन को फॉरेस्ट वालों ने फॉरेस्ट की माना और राजस्व विभागवालों ने उस भूमि को राजस्व की भूमि मान कर उस भूमि का एलॉटमेंट कर दिया। इस प्रकार की दिक्कतें हैं, इसमें एलॉटीज का कोई कसूर नहीं, लीगल ऑथेरिटीज ने उनको एलॉटमेंट किया है, केवल यह विवादास्पद है कि यह भूमि राजस्व की है या फॉरेस्ट की है। दिसम्बर में मैंने इसके लिये आज्ञा जारी की कि राजस्व अधिकारी और फॉरेस्ट अधिकारी बैठ कर जांच करें और जिनमें काफी असें का कब्जा पाया जाय....

श्री अध्यक्ष : सारांश इस सब का यह है कि जांच हो रही है ?

श्री नारायणसिंह : जांच हो रही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो एलॉटमेंट कमेटी होती है उसमें फॉरेस्ट का रिप्रेजेन्टेटिव आता है, वह क्या वहां चुप बैठा रहता है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

नेक्स्ट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। इस सूची में बताया गया है कि मेम्बरान पंचायत समिति और बी. डी. ओ. छीपाबड़ोद को ५० बीघा काश्त के लिये दी गई। मैं साबित करने को तैयार हूं कि बी. डी. ओ. और प्रधान ने ५०० बीघा जमीन काश्त की है, वे अपना पेट इस तरह दूसरों के नाम से भरना चाहते थे....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : (सवाई माधोपुर) : एक प्रश्न और रह गया, आपने अभी आदेश भेजने का फरमाया तो वे आदेश सारी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे हैं या कोटा में ही भेजे गये हैं ?

श्री नारायणसिंह : सभी डिस्ट्रिक्स में भेजे हैं। मैंने जहाजपुर और कोटा का दौरा किया तो वहां पर ऐसी समस्या मालूम हुई उनके लिये खास आज्ञा जारी की।

देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मंत्री महोदय ने बताया कि जंगलात की भूमि के सम्बन्ध में फॉरेस्ट कन्जर्वेटर और लोगों की कमेटी बनाई, तो उसने कब बैठ कर निर्णय किया ?

श्री नारायणसिंह : यह गलत समझ गये। मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य रेफर कर रहे हैं ब्रॉड लेंड सर्वे कमेटी को यह ब्रॉड लेंड सर्वे कमेटी से सम्बन्धित नहीं है। जिनको लीगल ऑथरिटी से एलॉटमेंट हुआ है और केवल टेक्निकल डिफ्फिकल्टी है, उनके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था।

प्रश्न संख्या २३१

श्री अध्यक्ष : श्री सुमेरसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री खेतसिंह : प्रश्न कर्त्ता उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

चौकी में अनुसूचित जाति के परिवारों की नई बस्ती

२३२. **श्री देवीदत्त गाड़िया**: (बारां) क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि बारां पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बोरखा चौकी में अनुसूचित जाति के परिवारों की नई बस्ती बसाने की स्वीकृति आज के कुछ वर्षों पूर्व की गई थी ? यदि हां, तो कितने परिवारों की एवं कितने रुपयों की लागत से बनबाई जानी थी तथा किस तारीख को आदेश जारी हुए थे ?

(२) क्या यह सही है कि इस कालोनी का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है? यदि, हां तो क्यों ?

(उपमन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभामिश्रा)

(१) जी हां, ५२ परिवारों को १६०००) रु० सन् १९६०–६१ व ६१-६२ में ऋण के रूप में दिए गए।

(२) १८-१९ व्यक्तियों ने मकान बनाने का काम आरम्भ कर दिया है निर्माण कार्य में देरी होने के कारण यह है कि जिस भूमि पर कोलोनी बसाई जानी थी उसके अवाप्त (एक्वीजिशन) किए जाने में काफी समय लग गया और उसके बाद अकाल के कारण भी कार्य आरम्भ नहीं हो सका।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह भूमि कब अवाप्त की है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी एग्जेक्ट डेट मेरे पास नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न ही यही है।

श्री अध्यक्ष : कोई समय बता दीजिये, कितने साल पहले कितने महीने पहले।

पंचायत मन्त्री : (श्री परसराम मदेरणा) एक्वायर कब की है, यह तारीख नहीं है पर एक्विजिशन किए जाने के सम्बन्ध में ले आउट लिवाया है १४ :४ : ६६ को, क्योंकि ६६ में अकाल था इसलिए दुबारा ले आउट फरवरी ६८ में किया गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ६६ में क्या उस समय क्षेत्र में अकाल था ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह जानकारी मिली है कि ६६ में ले आउट किया गया,उस समय वहां अकाल की स्थिति थी इसलिए वह काम नहीं हो सकता था, वहां के लोग बाहर चले गए। फिर ६८ में ले आउट किया, वहां मकान बनने शुरू हो गए, १५ मकानों के लिए रोड़ी वगैरह डाल दी गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं दावे के साथ कहता हूं कि न तो वहां राज्य सरकार ने अकाल घोषित किया था, न उस क्षेत्र में अकाल राहत का कार्य करवाया था, न मजदूरों ने इंकार किया। वस्तुस्थिति यह है कि न तो उनको पैसा दिया, न भूमि दी और उनको दबाने के लिए यह आधार दिया जाता है कि वहां अकाल था, यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट

श्री देवीदत्त गाड़िया : अब बतायें कि बाकी के लोगों को कब पैसा दे दिया जायगा और कब तक उनको भूमि कब्जे में दी जायगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक तो जिनको भूमि दी गई है उनके मकान ही पूरे नहीं हुए हैं, बाद में इनको देखेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बाद में कहां से देखोगे ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है। अगर बजट में प्रावधान है तो दिया जायगा नहीं तो नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बजट में ५२ व्यक्तियों की कालोनी बनाने का निर्णय किया है और उस आधार पर रुपया दिया गया। केवल १८-१९ को दिया बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अलग से प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि ५२ परिवारों को ११ हजार रुपये दिए गये। इनमें से १८-१९ व्यक्तियों को कुछ पैसा दिया है न कि पूरा रुपया दिया। बाकी लोगों को तो भूमि भी नहीं दी गई। सारे के सारे ५२ परिवार अनुसूचित जाति के लोग हैं। कब पैसा दे दिया जायगा और कब तक भूमि दी जायगी मकान बनाने के लिए ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग से प्रश्न है ?

श्री देवीदत्त गाडिया; अलग से प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष : उनके पास सूचना नहीं है।

Page No 11

श्री देवीदत गाड़िया : यूं कहो ना। मदेरणा साहब, मुझे अफसोस है कि आप जैसे व्यक्ति जो केबीनेट के अन्दर है, चतुर और होशियार हैं, कार्यकुशल हैं वह इस प्रकार का जवाब दें....

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़िया। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछना चाहता हूँ, मन्त्री महोदय आश्वासन दें....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि इन जो ५२ व्यक्तियों को कालोनी बनाने के लिए ऋण देने का सरकार ने तय किया उन सब को कब तक पैसा दे दिया जायगा और कब तक बाकी लोगों को भी पैसा दिया जायगा?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न अलग से है। अब कितने आदमियों को दिया जायगा, प्रावधान है या नहीं। पी० डी० की फर्स्टएन्ट्री करदी है या नहीं। यह सवाल माननीय सदस्य ने नहीं पूछा था, जितनी सूचना आपने मांगी है, वैसी सूचना ही मैंने मंगाई है। अगर आप यह भी पूछ लेते कि प्रावधान है या नहीं धनराशि है या नहीं, कब तक दे सकेंगे तो मैं वह जानकारी भी आपको दे देता।

श्री अध्यक्ष : (श्री गाड़िया के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अनुसूचित जाति के लोगों का है।

श्री अध्यक्ष : वह तो है।

श्री देवीदत्त गाडिया : फिर कहते हैं कि हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं। अगर पहले प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़ियाजी।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं दो शब्दों में निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष (मन्त्री महोदय से) : माननीय सदस्य की उद्विग्नता को देखते हुए मन्त्री महोदय आपसे मिलें और स्पष्टीकरण कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (छबड़ा) झगड़ा करने वाले को ही फायदा मिलता है।

प्रश्न संख्या २३३

श्रीमती शिवकुमारी—

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

शराब के ठेकेदारों पर बकाया

२३४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नवीनतम स्थिति के अनुसार

Page No 12

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शराब के ठेकेदारों से कुल कितनी बकाया निकलती है ? जिलेवार सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली गई, उसका भी विवरण जिलेवार मय नाम सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) शराब के ठेकेदारों में गरन्टी सिस्टम की बकाया धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित मुकर्जी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(४) उपरोक्त बकाया में से कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली जा चुकी है व कितनी वसूल की जानी शेष है ?

उपमन्त्री आबकारी (श्री शिवचरण सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम ४३ की ओर दिलाना चाहता हूँ। और व्यवस्था चाहता हूँ कि चैप्टर ७ है क्वेश्चन्स एण्ड शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स। इसमें प्रश्न दिए जाने के सम्बन्ध में, उनकी एडमिसिबल्टी के सम्बन्ध में पूछे जाने के सम्बन्ध में। सब व्यवस्थायें दी गई हैं, नियम ४३ में लिखा है।

विथड्राइवल ओर पोनबमेंट आफ क्वेसचन्स। पोस्पोनमेंट के बारे में नियम केवल यही है जिसमें व्यवस्था की गई है—

Withdrawl or postponement of questions. A member may, by notice given at any time before the stting for which his questin has deen placee on the list, withdraw his question or postpone it to later day to de specifid in the notice and such later day the question shall, subject to the provisions of rule 34 be placed on the list after all questions which have not been so postponed.

इसमें पोस्पोनमेंट के लिए सदस्य को अधिकार दिया गया है कि वह सेक्रेटरी को राइटिंग में नोटिस दे और वह इस बात का निवेदन कर सकता है कि सवाल पोस्पोन कर दिया जाय। एक बार प्रश्न अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाय, लिस्ट में प्रिन्ट हो जाय और उस प्रश्न को पूछने की दृष्टि से माननीय सदस्य यहां पर सदन में उपस्थित हों और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में पहले कोई सूचना नहीं दी जाय और आये दिन खड़े होकर इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाय, नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लिस्ट में छप जाने के बाद मन्त्रियों को अधिकार नहीं है पोसपोन कराने का यह इंडल्जेंस चेयर की ओर से ग्रांट की जा रही है। मुझे बड़ा खेद है कि

Page No 13

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सरकार की ओर से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पिछली बार मेरा सवाल था कि राजस्थान में कितनी बार गोलियां चली, कहां कहां चली। सवाल पोस्पोन किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात को समझ गया..................

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में शराब के ठेकेदारों में कितनी बकाया है, कबसे चल रही है। सरकार नहीं बता सकती। यह सवाल मैंने आज नहीं भेजा है....

श्री अध्यक्ष : मैं सारी स्थिति से अवगत हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल मैंने १३-८-६८ को भेजा है। उसके बाद एक सत्र प्रारम्भ हुआ, वह निकल गया, उसके बाद ६ महीने और निकल गए। इस सत्र को भी १२ दिन होगए। अब बजट सेशन प्रारम्भ होगया, डिबेट होने वाली है, बजट पर, आप बकाया नहीं बता सकते।

श्री शिवचरणसिंह : यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो बहुत बड़ा है उपमन्त्रीजी लेकिन कम से कम मुझको आप सूचना तो देते ?

आबकारी मन्त्री : (श्री मथुरा दास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, ८ मार्च १९६९ को राज्य विधान सभा सचिवालय को सूचना भेज दी गई थी कि इस प्रश्न के उत्तर में जितनी डिटेल्स मांगी है उतनी नहीं आई है-राजस्थान में ठेकेदारों में कितनी बकाया है,मैं आज ही बताने को तैयार हूँ मगर हर जिले के ठेकेदार में कितनी बकाया है लेटेस्ट फिगर्स मांगी है, यह मुश्किल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अंग्रेजों के जमाने में एक एक पेड़ की गिनती होगई थी, नंबरिंग हो गया था, आपको यह मालुम नहीं कि ठेकेदारों में हर जिले में कितनी बकाया है ? १३-८-६८ का सवाल है अध्यक्ष महोदय ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने आज तक लिस्ट मांगी है हर जिले की हर ठेकेदार की। वह लिस्ट अभी जिलों से मेरे पास नहीं आई इसलिए ....

श्री भैरोंसिंह ! (किशनपोल जयपुर): मुझे बड़ा दुख है कि लिस्ट अभी तक कलेक्ट नहीं कर सके। लेकिन आप भी जानते हैं कि विभाग के अन्दर साल की आखिर में किस किस में बकाया है, वह कम्पाइल्ड लिस्ट हर हेड आफ डिपार्टमेंट के पास होती है। हमने केवल उसकी कापी मांगी है उसके लिए आप कहते हैं कि कलेक्ट नहीं कर सकते।

श्री मथुरादास माथुर : हर जिलें में डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर के पास रहती है। मैं टोटल तो बता सकता हूँ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यहां ३७ मंत्री हैं। एक एक मंत्री को आप भेजते तो

Page No 14

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

भी लिस्ट आ जाती। फोकट का टी० ए० और डी० ए० वैसे भी बनाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अध्यक्ष महोदय व्यवस्था चाहता हूँ। राइट है रूल्स के अंतर्गत इस प्रकार पोस्पोनमेंट का ? क्या उचित है इस प्रकार के सवाल को पोस्पोन करना ?

श्री अध्यक्ष : जहां तक माननीय सदस्य की व्यवस्था का प्रश्न है, उसमें औचित्य है। किंतु जैसे मन्त्री महोदय ने कहा, उन्होंने इसको स्थगित किए जाने के लिए प्रार्थनापत्र यहां विधान-सभा में प्रस्तुत किया है जो ७ तारीख का है। आफिस में इस पत्र का कहीं भी प्राप्ति का जिक्र नहीं जिसके कारण मैं भी अंधकार में रहा हूँ। अतः यह प्रश्न विवादाग्रस्त हो गया है। उन्होंने भेजा है, हमारे यहां पहुँचा या नहीं पहुंचा, और नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा ? इसलिए मैं इस आशंका के प्रश्न पर दायित्व राज्य सरकार पर नहीं देता। क्योंकि संभवतः मेरे आफिस में कहीं इसमें त्रुटि हो। लेकिन प्रश्न औचित्यपूर्ण है। नोटिस दिया जाना चाहिये था उसको मैं अभी हल नहीं कर सकता।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों में यह व्यग्रता उत्पन्न करता है। मैं चाहूँगा कि इसका अतिशीघ्र उत्तर दिया जाय और इसी सत्र में ले लिया जाय।

श्री भैंरोसिंह : आप इसकी डेट निश्चित कीजिये।

श्री अध्यक्ष : इसको देख कर फिर तारीख निश्चित कर दूंगा।

प्रश्न संख्या २३५

श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३६

श्री मजलिस खां।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैंरोसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २३५ बड़ा इम्पोर्टेन्ट हैं। इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय अगर अवशेष रहा तो मैं इसको पहले प्रायोरिटी दे दूंगा।

प्रश्न संख्या २३७

श्री वृजवल्लभ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

श्री श्रवणलाल।

करौली अस्पताल की गाड़ी

२३८. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्रवणलाल)

(१) करौली हॉस्पिटल की गाड़ी सन् १९६२ से १९६८ तक कितनी बार जयपुर मरम्मत के लिये आई और उस पर किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(२) क्या यह सच है कि करौली हॉस्पिटल की गाड़ी आये दिन जयपुर में रहती है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में कितने दिनों जयपुर में रही है ? सूची सदन की मेज पर रखे।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (१) ६ बार एवं इस पर रुपया १७५१.६६ पैसे का खर्चा हुआ। सूची संलग्न है।

(२) जी नहीं। किसी जांच के सिलसिले में उक्त गाड़ी की लॉग बुक आदि समस्त रिकार्ड आदि अधीक्षक, आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक २२-११-६७ से भेजी हुई है। जांच पूर्ण होने के पहले एवं पूरा रिकार्ड विभाग में उपलब्ध नहीं होने के कारण चाही गई पूरी सूचना देना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री श्रवणलाल : चाही गई सूचना देना सम्भव नहीं है तो इसको फिर स्थगित किया जाय ?

श्रीमती सुमित्रा : ६ बार आई है। १७५१.६६ पैसे उस पर खर्च हुए हैं यह मैंने निवेदन किया है अभी।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि यह गाड़ी ६ बार जयपुर आई और लिस्ट दी है उसमें ड्राइवर का भत्ता और पैट्रोल का खर्चा बताया तो ड्राइवर उस गाड़ी को यहां पर कैसे ले आया ?

श्रीमती सुमित्रा : किस वजह से यहाँ पर लाया था यही तो एन्टी करप्शन विभाग में जांच चल रही है। अनियमितातायें पायी गयीं इसीलिये जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २३९

श्री शिवनाथसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता।

अकाल और शराब

२४०. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या राज्य के उन जिलों में जहाँ भीषण अकाल है। अकाल की स्थिति बने रहने तक शराब की दुकानें बिलकुल बन्द कर दी गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(२) जिन जिन जिलों में भीषण अकाल है उनमें १ अप्रेल सन् ६८ से ३१ दिसम्बर ६८ तक कितनी कितनी शराब बिकी है तथा १ अप्रैल सन् ६७ से आखिर दिसम्बर सन् ६७ तक जितनी शराब उक्त जिलों में

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बिकी? दोनों की फहरिस्त जिलेवार सदन की मेज पर रखें ताकि तुलनात्मक आंकड़े मालूम हो सकें।

(३) क्या सरकार ने महुआ जो शराब बनाने के काम में लिया जा रहा है, मवेशी को बचाने के लिये दिया?

(४) राजस्थान की सभी डिस्टीलरीज में कुल मिला कर १ जुलाई ६८ से आखीर जनवरी, १९६९ तक कितना मन महुआ शराब बनाने के काम में लाया गया? हर डिस्टीलरी का विवरण अलग अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या सरकार कुल बचा हुआ महुआ शराब बनाने के काम में न लेकर मवेशी को बचाने के काम में लेने वाली है?

उपमंत्री आबकारी (श्री शिवचरण-सिंह) : मेरे से सम्बन्धित दो प्रश्न है इसमें।

(१) जी नहीं। अधिकांश राज्य अकाल से प्रभावित है और राज्य की मदिरा की दुकानें बन्द करने से राजस्व में बहुत अधिक नुकसान पहुँचेगा तथा अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

(२) मानचित्र संलग्न है।

(३) (४) (५) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, १ अप्रेल ६७ से लेकर आखीर मार्च ६८ तक जितनी शराब बिकी उससे भी अधिक शराब अकाल के वर्ष में बिकी है तो मानना चाहिये कि अकाल भी है या नहीं या मदहोश करके अकाल कर रहे हैं? अकाल है तो शराब कैसे बिका? सारा हिन्दुस्तान भीषण चन्दा दे रहा है फिर अकाल के समय शराब अधिक बेच रहे हैं। अकाल के समय अधिक शराब बिके यह क्यों?

श्री शिवचरणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया है जहां अकाल राहत कार्य चलते हैं वहाँ शराब की दुकानें हैं या नहीं। ऐसी जानकारी आयी नहीं। माननीय सदस्य जानकारी दे दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे पास तो यह फहरिस्त है और उसके आधार पर अर्ज कर रहा हूँ कि वहां शराब की दुकानें ज्यों की त्यों चल रही हैं और मजदूरों को पेमेन्ट होता है तो ठेकेदार की जेबों में वह चला जाता है।

श्री अध्यक्ष : चला जाता है तो चला जाता है।

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जहां कैम्प चलते हैं वहां तो शराब की दुकानें खोली नहीं जातीं। जहां ओरिजिन दुकानें हैं, लाइसेन्स के अन्तर्गत लोकेशन सेन्क्शन्ड है वहां पर दुकानें चलती हैं। राज्य सरकार ने कभी नहीं कहा कि सब दुकानें बन्द कर दी जावेंगी। २४ जिलों में अकाल है तो शराब की दुकानें कतई बन्द कर देनी चाहिये?

Page No 17

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिलकुल।

श्री मथुरादास माथुर : आपको तो यह मतलब है लेकिन राज्य सरकार का यह मतलब नहीं है। जहां फैमीन का सड़कों पर और जगह काम चलता है वहां पर दुकानें नहीं खोली जावेगीं। वहां एक भी नहीं खोलने दी हैं। राजस्थान में कुल मिला कर एक्साइज में फाल हुआ है। एक जिले में बढ़ गया हो और जगह घट गया हो। लेकिन कुल मिला कर फाल हुआ है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : ठेकेदारों के कमीशन एजेन्ट अकाल राहत कार्य जहां चल रहे हैं वहां अनधिकृत रूप से शराब बेचते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अकाल में भी सरूर बढ़ा है इसलिये यह जरूरी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तीन प्रश्नों के लिये कहा कि कोई सम्बन्ध नहीं है जब कि राजस्थान का गाय से कैसा सम्बन्ध है। गाय मरती है तो राजस्थान मरता है और लाखों मन महुआ काम में लाकर मदहोश बना रहे हो यही गाय को मिलता तो दूध दही घी मिलता।

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : डूंगरपुर बांसवाड़ा में कानून बन गया है। आदिवासियों के अलावा लोग शराब पीते हैं उनके लिये क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

प्रश्न संख्या २४१

श्री मूलचन्द डागा

(अनुपस्थित,कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४२

श्री रामकुमार नंदवाना

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४३

श्री रामप्रसाद बौहरा।

(अनुपस्थित,कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह।

भरतपुर जिले में सिंचाई के नये कामों के लिये मुआवजा

२४४. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि भरतपुर जिले में सिंचाई के नये कामों के सम्बन्ध में वर्ष १९६७ में सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितनी धनराशि मुआबजे के रूप में किन किन व्यक्तियों को दी गई है और कितनी कितनी ?

(२) क्या यह सच है कि जिसको मुआवजा दिया गया है उसकी फसलों को

Page No 18

(श्री नत्थीसिंह)

सरकार द्वारा नीलाम किया गया है? यदि हाँ, तो वह नीलामी की धनराशि कितनी कितनी राज्य सरकार में जमा हो चुकी है? यदि जमा नहीं हुई हैं तो जमा न कराने का क्या कारण है?

(३) यदि फसल की पैदावार सरकार द्वारा कटवा कर तैयार की गई है तो वह किस स्थान पर कितनी कितनी किस के गोदाम में हैं?

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हाँ, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) कटी हुई फसल सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई अतः किसी स्थान या गोदाम में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान-सभा-

पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नत्थीसिंह: यह जो मुआवजे की सूची, आपने दी है वह केवल फसल का मुआवजा है या जमीन का मुआवजा भी उसमें शामिल हैं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: फसल।

श्री नत्थीसिंह: जमीन का मुआवजा दिया गया क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उसके अवार्ड्स नहीं हुए हैं अभी।

श्री नत्थीसिंह: यह फसल आपने नीलाम की थी। आपने जवाब दिया नीलाम नहीं करायी। किसानों ने यह कहा था कि हम इस फसल को ले लें और आप इजाजत दे दें?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: फसल की आम तौर पर पैदावार आराजी के हिसाब से होती है और उसकी जो कीमत होती उसके बजाय जो स्थिति फसल की उस समय थी उसको कूंतते हुए मुआवजा दिया और किसानों के द्वारा काटली गयी ताकि घास फूस काम में आवे।

श्री नत्थीसिंह: आपने दिया है, जैसा इसमें है नत्थी बाई ७५) और दसेबल को १२॥ रुपया मुआवजा। कितने बीघा में क्या फसल थी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: रकबा चूंकि पूछा नहीं है इसलिये नहीं दिया गया है। नाम भी बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष: नत्थी बाई का नाम भी बता दीजिये।

श्री नत्थीसिंह: नत्थीबाई और लड्ढी बाई दोनों का।

श्री अध्यक्ष: नाम से सामन्जस्य रखा जाता है।

श्री नत्थीसिंह: ६२ रुपया आपने दे दिया। आप कहते हैं कि हमने फसल को नहीं सम्हाला। चारा भी काम आ सकता

(श्री नत्थीसिंह)

है। आपने यूज होने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना यह है कि फसल को नीलाम तो किया गया लेकिन यह दूसरी बात है कि राज्य में फसल की रकम जमा नहीं हुई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले तो मैं यह निवेदन कर चुका हूँ कि सिंचाई विभाग से इसका ताल्लुक नहीं। दूसरी बात यह है कि फसल नीलाम की गई और पैसा जमा नहीं हुआ सरकार से यह बात गलत है। जिस अवस्था में थी उसको काट कर काश्तकार ले गये। घास-फूस में वह काम आ सकती थी इसलिये उसको ले जाने की इजाजत दी। काट कर न रकम वसूल की और न नीलाम की।

श्री नत्थीसिंह : किसान को तो आपने ले नहीं जाने दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

प्रश्न संख्या २४५

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४६

श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न-संख्या, २४७

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य।

चक नं. जे. एस. एन. में काश्तकार कुम्हारों को ऐलाट की गई जमीन

२४८. **श्री रामचन्द्र आर्य** : (नौहर) क्या उप निवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चक नं. जे. एस, एन. में ३ मुसलमान काश्तकार कुम्हारों को १० व ११ साल पहले स्थायी एलाट हुई थी और बाद में खारिज हो गई ? यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन हैं और उनकी भूमि किस कारण खारिज हुई व कब हुई थी और पुनः बहाल किस अधार पर कितनी रकम जमा करवा कर किसके द्वारा कब बहाल की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (उपनिवेशन मन्त्री) जी हां, नानू फजलू पिता कादू कुम्हार सा. जसाना को २६ बीघा, सेंडीलूम व सोहना बल्द कादू कुम्हार को २९ बीघा सेंडीलूम व १० बीघा लाईट लूम रकबा दिनांक २४, ४, १९५७ को ब हुक्म डी. सी सी. हनुमानगढ़ पुख्ता अलॉट किया गया जो दिनांक ३०-६-१९५८ को कब्जा न लेने के कारण रकबा खारिज कर दिया। बाद में दिनांक ३०-७-१९६२ को डी.सी सी.हनुमानगढ़ ने बकाया किश्ते जमा कराने की शर्त पर अलॉटमेंट बहाल कर दिया। मगर अलॉट शुदा रकबा पुख्ता नीलामी में दीगर आसामियान को न नीलाम किया जा चुका था इस पर दूसरे रकबे की तजबीज का आदेश हुआ

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस प्रकार उपरोक्त अलॉटियान का रकबा दिनांक १०-७-१६६२ को ब हुक्म डी.सी.सी. हनुमानगढ़ बहाल हो चुका था और उन्हें केवल दूसरा रकबा देने का सवाल था जो मुताबिक आदेश अतिरिक्त जिलाधीश, गंगानगर, मौजूदा शरह पर एलॉट किया गया है तथा उनसे २५०७५ रुपये बतौर किश्तों के जमा कराये गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य - क्या यह सही है कि भूमिहीन किसानों द्वारा जो रकम जमा कराई गई है वह भूमिहीनों ने खुद ने जमा नहीं कराई है और किसी अन्य आदमी ने जमा कराई है और इस प्रकार के अनेक मामले जिलाधीश के सामने रखे गये हैं कि इस तरह से जमीन लेकर सरकार को नुकसान पहुँचाया है। तो क्या इस बात की एनक्वायरी की गई कि जिनके नामसे यह रकम जमा कराई गई है वह वास्तव में इन्होंने ही जमा कराई है, क्या उनकी ऐसी हैसियत थी कि वे इतना पैसा दे सकें एक मुश्त में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक मेरी जानकारी है यह रकम ऐलॉटीज ने ही जमा कराई है, किसी दूसरे आदमी ने बेनामी जमा नहीं कराई।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि यह जमीन भूमिहीनो को एक साल के लिए पहले ऐलॉट हुई थी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामचद्र आर्य : अलग नहीं है। उनकी फसल खड़ी थी और उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खड़ी फसल हो इसलिए रकबा नहीं दिया जाये या क्या व्यवस्था की जाये यह अलग प्रश्न है। इस पर सहानुभूति से विचार किया जा सकता है लेकिन यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन लोगों को जमीन एक साल के लिये ऐलॉट हुई थी और कब्ज़ा उनके पास था और उनकी फसल खड़ी थी, पर जिलाधीश के आदेश से उनकी खड़ी फसल उखाड़ी गई और उन गरीबों के बच्चे दाने-दाने को तरसते हैं। आपके सामने यह केस चल रहा है। इस प्रकार से उन लोगों पर ज्यादतियां की गई हैं। तो इसकी जांच करने के आदेश देंगे या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्पेसीफिक एलीगेशन्स के साथ यदि आप कोई भी बात कहेंगे और प्रार्थना पत्र देंगे तो उस पर अवश्य जांच करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं प्रार्थना पत्र क्यों दूंगा ? प्रार्थना पत्र देने का सवाल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप तथ्यों की जानकारी एक कागज पर लिख कर बिना प्रार्थना पत्र के ही मन्त्री महोदय का दे दें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : और बिना दस्तखत के ही दे दीजिये तो भी जांच करेंगे।

Page No 21

श्री अध्यक्ष : बिना दस्तखत के ही दे दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनको सजा मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य - अलग नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : आपने तो चीफ जस्टिस को भी लिखकर दे दिया लेकिन उसका भी क्या हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : सन् १९५८ में जिनको ऐलाट हुई और १९६२ में खारिज हुई, चार बरस तक जमीन को दूसरे लोगों ने ठीक किया और फिर वह जमीन उनसे बकाया किश्तें लेकर वापिस करदी गई, तो इस बीच में वह जमीन थर्ड पार्टी को एलॉट हो गई तो इतने अर्से तक जमीन का कब्जा तो नहीं रहा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बात नहीं हैं लेकिन जो रकबा उनको दिया गया उन पर भूमिहीन काश्तकारों का कब्जा था, उनकी फसल खड़ी थी।

श्री अध्यक्ष : वह तो आपने कह दिया, जिसकी व्यवस्था भी दी गई। आप अगर नोट भी लिखकर दे देंगे तो जाँच करायेंगे।

श्री मदनसिंह दांता (रामगढ़) : मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या नीति है ? नाम लीजिए कि उनका गलत कब्जा था, लेकिन क्या उचित था कि खड़ी फसल को हटाकर कब्जा दिया जाये ? क्या यह उचित है ? क्या आपकी यह नीति है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें ओपिनियन का प्रश्न नहीं है। यह अलग सवाल है, मुझे स्वयं इसकी जानकारी नहीं है। खड़ी फसलको हटाया या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : बड़े अफसोस की बात है कि माननीय मन्त्रीजी कहते हैं कि जानकारी नहीं है। खड़ी फसल उखाड़ने के बारे में आपके पास केस आया है और उन गरीबों का नुकसान हुआ है। जिसकी कोई हद नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खड़ी फसल को हटा कर कब्जा दिया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आपको जानकारी नही है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूँगा कि मन्त्री के हुकम ·· ·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य - अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है। एक ही जगह नहीं राजस्थान में कई जगह''''''

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि उन लोगों की खड़ी फसल का कब्जा सरकार ने किस आधार पर दिया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, फिर भी जमीन देदी गई।

श्री अध्यक्ष :-आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ की गई है और पैसे वाले लोग....

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य—गरीब आदमियों से ....

श्री अध्यक्ष—स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य—अध्यक्ष महोदय, यह श्री मनफूल....सिंह।

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज। श्री आर्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री रामचन्द आर्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

बाढ़ के पानी से चम्बल नदी के घाटों को क्षति

२४६. **श्रीकृष्णकुमार गोयल(कोटा)**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा बेराज के निर्माण से बाढ़ के पानी के कारण चम्बल नदी के घाट नष्ट हो गये हैं।

(२) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, जयपुर ने अपने पत्र २२२ (सी) (४७) ६३।१५६८ दिनांक ५-४-६३ द्वारा नुकसान का तखमीना लगभग १३ लाख बना कर नगर परिषद, कोटा को सूचित किया था ?

(३) क्या यह सही है कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ने क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में विश्वास दिलाया था ? अगर हां तो, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) : (१) जी हां।

श्री रामचन्द्र आर्य—अध्यक्ष महोदय में जानना चाहूंगा कि राज्य मंत्रीं महोदय....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य—उर गरीबो....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा....

श्री रामचन्द्र आर्य—उन गरीबों और हरिजनों को....

श्री अध्यक्ष—माननीय श्री आर्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

सिंचाई मन्त्री महोदय।

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलमें के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—स्थान ग्रहण करें।

सींचाई मन्त्री श्री (रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) जी हां, यह खाली नुकसान का तखमीना नहीं था, किन्तु इस में बचाव कार्य भी शामिल थे।

(३) चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की २०. ४. ६४ को ६३ वीं मीटिंग में इस कार्य को करने हेतु एक विस्तृत तखमीना बनाने का आदेश दिया गया था जिसके अनुसार तखमीन बनाया गया है जिसकी केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल—क्या यह सही है कि बाँध के निर्माण के साथ साथ पहली ही बाढ़ के अन्दर ये सारे घाट समाप्त हो गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा—एक ही बार १९६२ में बाढ़ आई थी, तब इनको क्षति पहुंची।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह सारी प्रापर्टी नगर परिषद कोटा की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रापर्टी किसकी है या नहीं, नगरपरिषद कोटा की है या सार्वजनिक प्रापर्टी है परन्तु इसके ऊपर चंबल कन्ट्रोल बोर्ड के आदेश के मुताबिक व उसकी स्वीकृति के मुताबिक योजना बनाई है ताकि प्रोटेक्टिव वर्क्स के लिए जाकर हमेशा के लिए इस बांध का खतरा इन वर्क्स को, इन बिल्डिंग्स को न रहे यह बात देखी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि नगर परिषद कोटा ने इस बांध से हुई क्षति के लिए राज्य सरकार को दफा ८० सी० पी० सी० के तहत नोटिस दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी तो नहीं है किसी दफा के तहत नगर-परिषद कोटा ने नोटिस दिया है लेकिन उन्होंने प्रोटेक्टिव वर्क्स कराने के लिए हमको जरूर लैटर लिखा है और हमने भी उनको लैटर लिखा है कि किन किन प्रोटेक्टिव वर्क्स के लिए हम मस्विदा, तखमीना बना रहे हैं और उसकी स्वीकृति के बाद ये कार्य हाथ में लिये जा सकेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर में केवल यही एक घाट है, जहां कि कोटा नगर के लोग जाकर स्नान करते हैं और इसके अलावा स्नान करने के लिए कोई स्थान नहीं है और इसके

Page No 24

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

टूटने के बाद अब इस प्रकार का कोई स्थान नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह विवाद का विषय नहीं है । इसके प्रोटेक्टिव वर्क्स को हम कराना चाहते है । चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड में यह फैसला हुआ है कि पूना इन्स्टी-ट्यूट में यह मसला स्टडी के लिए भेजा जाय और स्टेडी करके पूना इन्स्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से हमें पूरे नए तखमीने बनाने पड़ेंगे । पहले १२, १३ लाख के तखमीने थे जिसमें प्रोटेक्टिव वर्क्स जो क्षति हुई हैं, उन दोनों का मिलाकर, उसके बाद ३३ और ४५ याने ८५ लाख के तख-मीने बनाने पड़ेंगे पूना इन्स्टीट्यूट की एड-वाइस के आधार पर । मुस्तकिल तौर पर जो प्रोटेक्टिव वर्क्स है, वे सी० डब्ल्यू० पी० सी० की तकनीकी जाँच के लिए उनके पास है । उसकी स्वीकृति के बाद जो काम हाथ में लेंगे उसमें वे दोनों, प्रोटेक्टिव वर्क्स व घाट की मुस्तकिल तौर पर मरम्मत करके ठीक कर देंगे और घाट का परमानेन्ट प्रोटेक्शन भी हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि तखमीने तैयार होकर और उसकी स्वीकृति होने के बाद सरकार कब तक काम शुरू करने का इरादा रखती है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा—पहले हमने १९६४ में भेजे थे । उसके बाद पूना इन्स्टी-ट्यूट की रिपोर्ट के आने बाद, उनकी एड़-वाइज के मुताबिक १९६६–६७ में उनके पास यह भेजे । उनके कुछ आब्जर्वेशन थे । उनका जबाब दिया । अब सी० डब्ल्यू, पी. सी. के पास है । उसके बाद चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में जायेंगे । वहाँ से आने के बाद फिर राजस्थान का सिंचाई विभाग उसको कार्यान्वित करेगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल—अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करदूं कि सन् १९६२ में यह घाट बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ । इसके ६ साल हो गये हैं, और अभी तक वह उसी स्थिति में है । सारा कोटा नगर इस नदी के किनारे किनारे फैला हुआ है और आज हालत यह है कि सभी घाटआज श्मशान घाट बनकर खड़े हो गये हैं । सारा किनारा श्मशान घाट लगता है । अभी तीन, चार व्यक्तियों कीं वहां पर मृत्यु हो गई है । ऐसी हालत वहां पर बनी हुई है ।...(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट प्रश्न । श्री श्री श्रवणलाल ।

श्री वन मन्त्री जी ।

जयपुर के चिड़िया घर पर व्यय

२५०. **श्री श्रवण (हिण्डौन)** :—क्या वन मन्त्री यह बताने जी कृपा करेंगे :

(१)क्या यह सच है कि मार्च,१९६७ में बन विभाग द्वारा जयपुर चिड़िया घर पर २८ हजार रुपया खर्च किया गया है ।

(श्री श्रवणलाल)

(२) यदि हां, तो उपरोक्त रकम किस किस कार्य में खर्च की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या इस कार्य को कराने के विभाग द्वारा कोई टेन्डर लिये गये थे ? यदि हाँ तो किस किस के और किस के टेन्डर को मन्जूर किया गया ?

(४) यदि कोई टेन्डर मंजूर नही किये गये तो क्यों और कार्य किसके द्वारा किया गया तथा किस कार्य में कितना कितना खर्चा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा)

(१) २८ हजार तो नहीं, २६७४५ रुपये व्यय किये गये।

(२) रकम संलग्न सूची के अनुसार हुई है।

(३) कार्य विभागीय तौर पर कराया गया था, टेन्डर से नहीं।

(४) कार्य विभागीय तौर पर कराया गया था। व्यय का विवरण प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : सांभर के पिंजरे पर मरम्मत में कितना खर्च किया गया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ३,३८९ रुपये ९९ पैसे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : यह जयपुर के चिड़ियाघर का मामला है....

एक माननीय सदस्य : आपके मंत्री-गण चिड़ियाघर के मेम्बर हैं....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कांग्रेसी मन्त्रीमण्डल जयपुर के नाम पर बुरा मानता है। यह रुपया भी वाजिब तरीके से खर्च नहीं किया गया है।...

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सांभर में ३३८९, ३२०३ और ६४२४ रुपये खर्च हुए हैं। यह सांभर के पिंजरे पर तीन तीन बार ही क्यों खर्च हुआ ? कुल कितना खर्च हुआ है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न। श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा। श्री पंचायत मंत्री।

मनोहरथाना पंचायत समिति में अध्यापकों का स्थानांतरण

२५५. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 26

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(१) मनोहरथाना पंचायत समिति में अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, १९६८ में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त व्यापक स्थानान्तरणों का आधार क्या था ?

(३) उक्त स्थानान्तरणों में कितनी राशि टी. ए., डी. ए. के रूप में भुगतान की गई अथवा की जायेगी और उक्त धनराशि किस फंड से दिलाई जायेगी।

(४) क्या उक्त स्थानान्तरणों में कुछ स्थानान्तरण भी हैं जो २ वर्ष पूर्व ही कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(५) इस समिति में कितनी अध्यापिकाऐं सेवारत हैं और इनमें से किन-किन का स्थानान्तरण किया गया है ?

(६) क्या यह सही है कि श्रीमती धापूबाई अध्यापिका को २ माह में ४ स्थानों पर बदला गया है ? यदि हां, तो कब से कब तक, कहां कहां और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में गम्भीर आरोपों के साथ जिलाधीश झालावाड़, सचिव जिला परिषद्, विकास आयुक्त एवं माननीय पंचायत मंत्री को शिकायती पत्र जांच हेतु लिखे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जो कार्यवाही की गई है उसका लिखित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(८) क्या यह सही है कि दिनांक ८ नवम्बर, ६८ को पंचायत समिति की जनरल मीटिंग ने उक्त समस्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त करते हुए उक्त अध्यापिका को सड़क वाले किसी स्कूल में लगाये जाने का सर्व सम्मत निर्णय लिया था ? यदि हां, तो विकास अधिकारी ने उक्त निर्णय की पालना कब की और यदि नहीं की तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री. पंचायत विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) अध्यापकों को जिला कर्मचारी वर्ग समिति की अपने निवास स्थान से २० मील के अन्दर नियुक्त नहीं रखने की नीति।

(३) लगभग २५००) रुपये की धनराशि के खर्च का अनुमान है। शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान से यह राशि व्यय होगी।

(४) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(५) सात अध्यापिकाएं सेवारत हैं उनमें से केवल एक का स्थानान्तरण हुआ है।

(६) दो माह में दो बार स्थानान्तरण हुआ है। सूचि सदन की मेज पर रखी गई है।

Page No 27

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(७) शिकायत प्राप्त होने पर उप-जिला विकास अधिकारी से जांच करायी गयी।

(८) ऐसा निर्णय नहीं लिया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान-सभा-पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि राजस्थान में जिला कर्मचारी वर्ग समिति के इस निर्णय के आधार पर अध्यापकों को २० किलोमीटर से अधिक दूर अपने निवास स्थान से नहीं रखा जायेगा। क्या इसी आधार पर २३२ पंचायत समितियों में परिवर्तन किया है और मनोहरथाना पंचायत समिति में भी इसी निर्णय के आधार पर परिवर्तन किया गया है ?

श्रीमती प्रभामिश्रा : वहां की कर्मचारी वर्ग संघ की मीटिंग १९-१२-६८ को हुई थी और उसके निर्णय के आधार पर यह किया गया।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की ६ पंचायत समितियों में से किसी भी पंचायत समिति ने इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है।

पंचायत मंत्री-(श्री परसराम मदेरणा) यह जानकारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी हैं। हरेक जिले में अलग-अलग कमेटी हैं। वे कमेटियां अपने अपने जिलों के लिए निर्णय लेती हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा—मनोहरथाना पंचायत समिति माइनस में चल रही है। उसके बावजूद २५०० रुपये का यह खर्चा क्या पंचायत समिति के धन का दुरुपयोग नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा—यह अलग से प्रश्न है। आपने इसका प्रश्न क्यों नहीं पूछा ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा—पंचायत समिति का बजट माइनस में चल रहा है। आप कह रहे हैं कि २५ सौ रुपया खर्च हुआ है। यह कहाँ तक न्याय संगत है ?

श्री परसराम मदेरणा—डी. डी. ओ. से जो सूचना मिली है, उसी के आधार पर कह रहा हूँ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा—क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह घोषित नीति है कि २ वर्ष के पूर्व किसी भी राज्य कर्मचारी का परिवर्तन नहीं किया जायेगा और परिवर्तन में इसकी सर्वथा अवहेलना की गई है।

श्री परसराम मदेरणा - राज्य सरकार के आदेश यह हैं कि दो साल के पूर्व राज्य कर्मचारी, पंचायत समिति के कर्मचारियों के ट्रान्सफर नहीं किये जांय किन्तु शर्त यह है कि डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट कमेटी की प्रशासनिक काल से यदि ट्रांसफर करना आवश्यक हो तो उसकी एपूवल लेनी चाहिये। यह डिसीजन एस्टेब्लिशमेंट कमेटी ने खुद किया है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

Page No 28

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा—पंचायत समिति में ७ अध्यापिकाएं हैं। उनमें से एक केवल धापू बाई का परिवर्तन किया गया है और दूसरी का नहीं।

श्री परसराम मदेरणा—वह उस केटेगरी में आती होगी और दूसरी में नहीं आती होंगी। कोई भी अध्यापक का अपने निवास स्थान के २० मील नजदीक पोस्टिंग्स नहीं किया जाय, यह निर्णय है। यह अध्यापक अध्यापिका सभी पर लागू होता है। इसमें वह आती होगी, इसलिए उसका ही स्थानान्तरण किया गया है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा—क्या यह सही है कि इस निर्णय के बावजूद भी कुछ अध्यापक ऐसे भी छोड़ दिये गये हैं जो उनके निवासस्थान पर ही हैं और उनको नहीं बदला गया है?

श्री परसराम मदेरणा—यह अलग से प्रश्न है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा—क्या यह सही है कि इसका ट्रान्सफर इसलिए कर दिया कि इसने अपनी अस्मत का सौदा करने से इन्कार कर दिया था?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य, यह प्रश्न यदि आपको पूछना था तो इसकी पूर्व सूचना देते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—(जौहरी बाजार, जयपुर) अध्यक्ष महोदय प्रश्न में ही लिखा हुआ है यह कि "क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका ने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में गम्भीर आरोपों के साथ जिलाधीश झालावाड़, सचिव जिला परिषद, विकास आयुक्त एवं माननीय पंचायत मन्त्री को शिकायती पत्र जांच हेतु लिखे हैं। यदि हां; तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?' यह लिखा हुआ है शिकायत में; क्या शिकायत मिली थी ऐसी उसकी?

श्री परसराम मदेरणा—यह सही है कि इस प्रकार की शिकायत राज्य सरकार के पास आई थी और राज्य सरकार ने डिप्टी बी० डी० ओ०, झालावाड़ को जांच अधिकारी निमुक्त किया था इसके लिए। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट आगई है जिसमें इस अध्यापिका श्रीमती धापूबाई का भी बयान है। उन्होंने कहा कि इस तरह से उन्होंने मुझे जो प्रधान के खिलाफ शिकायत थी उसमें प्रधान ने कहा था कि सर्विस रेकार्ड अपने लेजाओ और इसकी रात को इत्तिला कराई। इसी पर से मैंने ऐसा समझा और चूंकि रात को सर्विस रेकार्ड लाने की बात कही थी इसलिए में वहां पर नहीं गई। और चूंकि इस तरह का कोल नोटिस भी माननीय सदस्य ने दिया है इस सम्बन्ध में तो इस प से मैंने यही उचित समझा कि इसका ट्रान्सफर न किया जाय और इस बारे में राजस्थान पंचायत समिति रूल्स ८६ के अन्तर्गत राज्य सरकार को जो ऐसे टांसफर रद्द करने के अख्त्यारात है उनका उपमोग करते हुए राज्य सरकार ने उसी जगह रख दिया है जहां पर वे पहले थी।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: यह आदेश कब दिया?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : यह पत्र जो उस अध्यापिका ने लिखा है वह में सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। उसने लिखा है।

श्री अध्यक्ष : यह किसका पत्र है ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उस अध्यापिका का।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने इस पत्र पर जांच कर ली है। तो फिर इसका क्या सम्बन्ध रह गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ये सारे तथ्य छिपाकर हाउस को मिस गाइड करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : शिकायत आई है, मैंने जाँच करवाई है। अध्यापिका ने खुद ने बयान में कहा है कि प्रधान ने यह कहने के अलावा और मुझे कुछ नहीं कहा, तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रान्सफर कैंसिल कर दिया है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : सवाल तो यह है कि आपने उस प्रधान के खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : वह जो पत्र के आपने संकेत दिया है यह क्या है किसके नाम पर है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सचिव महोदय जिला कर्मचारी वर्ग समिति झालावाड़ के नाम से है। प्रतिलिपि भेजी गई हैं विकास अधिकारीजी के माध्यम से।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : मूल पत्र है क्या ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जी। तो मैं उसे पढ़ देता हूँ। सेवा में, सचिव महोदय, जिला कर्मचारी वर्ग समिति; झालावाड़ द्वारा : श्री विकास अधिकारीजी, पंचायत समिति, मनोहरथाना।

महोदय,

इस सम्बन्ध में मेरा निम्न निवेदन है।

(१) मैं इसी पंचायत समिति के अकलेरा कस्बे की निवासी हूँ तथा एक दुखी परेशान हाल महिला हूँ और मैं इस समय अपने माता-पिता के संरक्षण में रह रही हूँ। मेरा अन्यत्र परिवर्तन मेरे साथ घोर अन्याय होगा।

(३) श्री चांदमलजी जैन पिछले ३ माह से मेरी सर्विस फाइल झालावाड़ से ले आये थे और उसे पंचायत समिति कार्यालय में न रखकर अपने पास रखे हुए थे। जब मैं सब जगह अपनी फाइल ढूंढते २ थक गई और मुझे बताया गया कि फाइल प्रधानजी के पास है, मैं उनसे फाइल मांगने गई तो कहने लगे कि फाइल रात को आकर ले

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

जाना। प्रधान साहब किस चरित्र के हैं, कितनी पीते है, कितनी नैतिकता है इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं निवेदन करना चाहती, किन्तु इस दिन जिस फाइल के बाबत मुझे रात में आने को कहा गया था वह एक घृणित उद्देश्य की पूर्ति हेतु था, क्योंकि प्रधान साहब ऐसे ही व्यक्तियों के सम्पर्क में रहते हैं। क्या अपनी अस्मत का सौदा करना कोई महिला स्वीकार कर सकती है ?

श्री सतीशचन्द अग्रवाल ; यह धापूबाई का पत्र हैं, बी. डी. ओ. के माध्यम से आया है। आपने जांच करा ली और कोई नतीजा नहीं निकला ?

श्री अध्यक्ष : यह पत्र मेज पर रख दें। मैं चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इस पत्र के सन्दर्भ में एक बार और वापिस जांच करवा लें।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले व्यवस्था का प्रश्न देख लिया जावे।

श्री नत्थीसिंह : उधर से ही है साहब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री नाथूराम : २४ तारीख को कडाना डेम के बारे में मेरा प्रश्न था। उसके उत्तर में शीघ्रातिशीघ्र बयान देने की बात कही गई थी।

श्री अध्यक्ष : यह शीघ्रातिशीघ्र का प्रश्न है। व्यवस्था का नहीं हैं। स्थान ग्रहण करें। इन्फोर्मेशन का प्रश्न है। आप मुझ से मिल लेते।

श्री नाथूराम : हजारों लोगों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : मेरा तो यह प्रश्न है। शीघ्रातिशीघ्र का क्या मामला है ? आप क्या इसका जवाब देंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : १५।२ को काफी रोज हो गये। अभी शीघ्रातिशीघ्र नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था।

श्री नाथूराम : पर कम से कम यह तो जानना चाहूँगा कि वे इसका बयान कब दे रहे हैं ? इसका निर्माण पर असर पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारता हूँ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

Page No 31

श्री नाथूराम : कम से कम समय बता दीजिये।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल : अब आप लोगों की हिम्मत हो तो बोलो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में एक वक्तव्य देने के लिये कहा था। और मैं इस पर वक्तव्य कल ही दे दूंगा।

श्री नाथूराम ; अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। मन्त्री महोदय ने कहा कल वक्तव्य दूंगा। पर मैं अपनी भी सुविधा देखूंगा कि कितना काम है कितने वक्तव्य हैं उसमें आपका भी एडजस्ट हो सकेगा कि नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर तो यह कल भी नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने आश्वासन दिया था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली तथा उसको दरें

२२८. **श्री जयनारायन सालोदिया** (निवाई सु.) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि प्रयोजनों के लिए कुये तक लाइन पहुँचाने के चार्जेज तथा बिजली की दर काफी बढ़ा दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(२) यह दरें कितनी कितनी बढ़ाई गई हैं?

उत्तर

(१) दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है

(२) प्रश्न ही नही उठता।

ग्राम अराई में बिजली

श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम अराई, तहसील किशनगढ़ में कृषि कार्य हेतु बिजली की सप्लाई की मांग काफी अर्से से की जारही है?

(२) यदि हां, तो अबतक ग्राम अराई में बिजली सप्लाई नहीं करने का क्या कारण है व अब कब तक उस तरफ बिजली सप्लाई करदी जाने का विचार है?

उत्तर

(१) संभव है। बिना सन्दर्भ के निश्चित रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

Page No 32

·(विद्युत मन्त्री)

(२) यह ग्राम किसी भी स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं है। अस्तु निश्चित रूप से इसके विद्युतिकरण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

हांका खली मंडावर में जानवरों की चराई पर रोक

श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मंडावर, पंचायत समिति झालरापाटन में एक बीघा भी चरनोट की भूमि नहीं निकाली हुई है और यहां का मवेशी रियासत के समय से ही हांका खली में निःशुल्क चरता आया है जिसका रिकार्ड भी वन विभाग में उपलब्ध हो सकता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस साल से मडावर के मेवेशियों को हांका खली में जाने पर रोक लगा दी गई है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(३) ऐसे क्षेत्र में जहां मवेशी पुश्तैनी तौर पर चरते आये हैं वन विभाग द्वारा क्या रियायत चराई दी जाती है ? यह भी बतावें कि इस स्थान पर रियायत वापस ले लेने की क्या वजह है ?

(४) क्या यह सही है कि हांका खली से ग्रामवासियों को सदैव की तरह सूखी लकड़ी लाने की मुमानियत करदी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

तूड़ा की खरीद

श्री रामनारायण (मंडावा)— क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या मैं, मदन लाल राजाराम नि. कोटकपूरा (पंजाब) नामक फर्म ने राज्य सरकार को अकालग्रस्त गांवों के लिये तूड़ा सप्लाई किया है ? यदि हां, तो कब से लेकर कब तक तथा कुल कितना तूड़ा किस भाव से दिया है ?

(२) इस पार्टी ने दिनांक १५-१-६६ से दिनांक ३१-१-६६ तक कितना तूड़ा सप्लाई किया तथा किस अधिकार से और किस भाव पर यह तूड़ा (फॉडर) सप्लाई किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि इस पार्टी ने तूड़ा डिस्पेचिंग स्टेशन पर ही दिया और कीमत वहीं पर वसूल की ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि डिलीवरी स्टेशन पर माल पूरा नहीं पहुँचने की भी इस पार्टी की काफी शिकायतें राज्य सरकार के पास विचाराधीन थीं ?

(४) क्या यह सही है कि एक पार्टी मै. अरविंद एजेन्सीज एण्ड कॉ० ने भी दिनांक २७-१२-६८ को राज्य सरकार को १५-१-६६ से तूड़ा सप्लाई करने का आफर दिया था ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

Page No 33

(अकाल सहायता मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां। मैं० मदनलाल राजाराम ने राजस्थान सरकार के अभावग्रस्त गांवों के लिए गेहूँ का तूड़ा दिनांक १२–११–६८ से ३१-१-६९ तक सप्लाई किया था। इस अवधि में इन्होंने ४४०४६ क्विंटल २७ किलो तूड़ा ११ रुपये ५० पैसे प्रति क्विंटल एफ. ओ. आर. डिसपेचिंग स्टेशन की दर से सप्लाई किया है।

(२) इस पार्टी ने दिनांक १५-१-६९ से ३१-१-६९ तक १०,२८७ क्विंटल ६७ किलो तूड़ा दर ११ रुपये ३९ पैसे प्रति क्विंटल एफ. ओ. आर. डिसपेचिंग स्टेशन पर दी थी किन्तु इस अवधि में तुलाई की जिम्मेदारी रिसीविंग स्टेशन पर ठेकेदार पर थी। यह अवधि राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जाने के कारण इस पार्टी ने तूड़ा सप्लाई किया।

(३) जी नहीं। दिनांक १५-१-६९ से पूर्व तक तो उक्त फर्म ने तूड़ा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार डिसपेचिंग स्टेशन पर ही तुलवाकर दिया था किन्तु १५-१-६९ के बाद रिसीविंग स्टेशन पर तुलवाने का दायित्व उक्त फर्म पर था। कनसाइनमेंट में अधिक छीजत होने की ठेकेदार के खिलाफ कुछ शिकायतें थी इस कथित अधिक छीजत की वास्तविकता के विषय में जानकारी की जा रही है।

(४) जी हां। मैं० अरविन्द एण्ड कं० ने भी दिनांक २७-१२-६८ को १५-१-६९ से तूड़ा सप्लाई करने का आफर दिया था किन्तु उस समय नये टेन्डर लिये जा रहे थे इस कारण उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

कस्बा डीग में बिजली की व्यवस्था

२३९, **श्री मजलिस खां** (कामां)—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा डीग में किशनपुर हाता वार्ड नम्बर २ (मोहल्ला जाटव) वार्ड नम्बर 7 (मोहल्ला जाट) और वार्ड नं० ८ (मोहल्ला जाटव) में अभी तक बिजली की लाइन नहीं खींची गई है? क्या यह भी सही है कि नहीं खींची गई तो क्यों जब कि समाज कल्याण विभाग की ओर से हरिजन बस्तियों को बिजली देने के लिये विद्युत विभाग को धनराशि दी जाती है?

(२) क्या यह सही है कि कस्बा डीग में रोड लाइट भी महीने में दस दिन बन्द रहती हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि ट्यूब लाइट के कनेक्शन लूज होने के कारण ऐसा होता है? यदि हाँ, तो कनेक्शन्स चैक न करने का क्या कारण है?

(३) क्या यह भी सही हैं कि रोड लाइन्स का फ्यूज यदि उड़ जाता है तो वह भी कई कई दिन तक नहीं लगाया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि तारीख ३-१-६८ से ११-१२-६८ तक गुरुद्वारा रोड आर्य समाज रोड की बिजली फ्यूज उड़ जाने से बन्द रही।

(४) क्या यह सही है कि वार्ड नम्बर

(श्री मजलिस खां)

२ में २०० से भी कम वॉल्टेज पहूँचने के कारण ट्यूब लाइट लुप लुप करके बुझती रहती है? यदि हां, तो क्या पूरा वोल्टेज पहूँचाने की व्यवस्था की जावेगी ?

(५) क्या यह सही है कि कनजूमर्स से नये कनेक्शन्स देने के लिये पैसे जमा करा लिये जाते हैं और उनको पूरा सामान विभाग की ओर से सप्लाई नहीं किया जाता? क्या यह सही है कि कस्बा डीग के श्री महेन्द्रकुमार सेठी ने पैसा जमा कराया था? यदि हां, तो किस तारीख को और उसको सामान न मिलने का क्या कारण रहा ?

(६) क्या यह सही है कि सन् १९६६ में नगरपालिका डीग के कन्वीनर श्री विशम्बर नाथ के द्वारा ३४००) को राशि वार्ड नम्बर २, ४, ५, ७, ८, ११ को बिजली सप्लाई कराने हेतु वार्ड वाइज दो लट्ठे लगाने के लिये सर्वे के एस्टीमेट के आधार पर जमा कराई गई थी? यदि हां, तो फिर भी क्या कमी रही जिससे उन वार्डों को बिजली सप्लाई नहीं की गई ?

(७) क्या यह सही है कि डीग के कुछ किसानों ने सिंचाई के लिये कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थनापत्र दिये है? यदि हां, तो कब और कितने और किस किस नाम के ?

(स्थगित किया गया)

गन्ने की फसल की क्षति

२३७. **श्री ब्रजबल्लभ** (दीगोद) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) चम्बल नहर फरवरी सन् १९६८ के बाद से किस-किस माह में किन-किन तारीखों को बन्द रहेगी।

(२) क्या यह सही है कि जिन-जिन लोगों ने नहर से सिंचाई द्वारा गन्ना लगाया है उनको नहर बन्द होने के कारण न बोने के नोटिस जारी नहीं किए हैं ?

(३) यदि हाँ, तो उनको गन्ना सूखने का मुआवजा दिया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) सन् १९६८ में चम्बल बांध मुख्य नहर की सफाई हेतु दिनांक १-४-६८ से १५-६-६८ तक बन्द रखा गया था तथा परबन के पास में कुछ क्षति होने के डर से दिनांक ३-८-६८ से १२-८-६८ तक बन्द रखा गया था। चम्बल बांध मुख्य नहर का दिनांक ३-८-६८ से ५-८-६८ तक बन्द रखा था

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

नवलगढ़ के गोदामों में अनाज

२३९. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझनू जिले में नवलगढ़ के

(श्री शिवनाथसिंह)

गोदामों पर राज्य सरकार का कितना अनाज सितम्बर १९६८ से दिसम्बर १९६८ तक चीप ग्रेन शाप्स के वास्ते आया है ?

(२) यह अनाज कहां से खरीदा गया है और किन-किन अधिकारियों ने खरीदा है अथवा खरीदने का इन्तजाम किया है ?

(३) क्या यह सही है कि नवलगढ़ स्टेशन पर गाड़ी से उतरते ही नवलगढ़ के गोडाउन आफीसर ने इस अनाज को तुलवा-कर अपने चार्ज में लिया है ? यदि हां, तो नवलगढ़ में तुलवाने पर अनाज में कितनी कटौती हुई ?

(४) क्या यह भी सही है कि अनाज की बोरियों में चिकनी मिट्टी अनाज के साथ भरी हुई पाई गई है ?

(५) उस अनाज की खरीद तथा घटौती के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफी-सर की कितनी जिम्मेदारी है ?

(६) नवलगढ़ के अलावा अन्य गोदामों पर इस अवधि में अनाज में कितनी घटौती हुइ ?

उत्तर

(१) झुन्झनू जिले में नवलगढ़ गोदाम में सितम्बर, ६८ से दिसम्बर, ६८ तक निम्न मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हुआ :—

आयातित गेहूं	७४९-७९-०००	क्विन्टल
मैक्सीकन गेहूँ	७२८-१०-०००	,,
माइलो	९६०-३९-३००	,,

(२) वह अनाज राजस्थान सरकार ने सीधा नहीं खरीदा था। भारत सरकार से प्राप्त आबंटन में से भारतीय खाद्य निगम, जयपुर के गांधी नगर व हनुमानगढ़ डिपो से प्राप्त हुआ था। माइलो खाद्य निगम लखनऊ से प्राप्त हुआ था।

(३) जिलाधीश झुन्झनू की रिपोर्ट के अनुसार नवलगढ़ स्टेशन पर अनाज तौलने पर घटौती इस प्रकार है—

क्वीन्टलों में

आयातित गेहूँ	३१-७४-७००	६ बोरो आया-तित गेहूँ की कम प्राप्त हुई जिनका
मैक्सीकन गेहूं	१२-५७-५००	नियमानुसार क्लेम उप जिला-धीश नवलगढ़
माइलो	११-७६-१००	द्वारा रेलवे में कर दिया गया है

(४) यह सही नहीं है कि अनाज के साथ में चिकनीमिट्टी बोरियों में पाई गई है।

(५) इस घटत के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

(६) झुन्झुनू जिले में अन्य गोदामों में जो घटत हुई है वह इस प्रकार है—

(खाद्य मन्त्री)

गोदाम	खाद्यान्न का नाम	प्राप्ति क्विन्टल	मार्ग क्षति क्वि०
झुंझुनूं	आयातित गेहूँ	२३१५-४९-९००	२७-६९-०२१
	मैक्सीकन गेहूँ	९२६-५९-८००	४-४९-२००
	माइलो	—	—
	ज्वार	१८६०-०८-६००	२४-८६-४००
चिड़ावा	आयातित गेहूँ	८७६-२३-३००	३१-३८-७००
	मेक्सीकन गेहूँ	९२०-८०-९००	१३-०९-१००
	माइलो	९७२-३८-२००	सूचना प्राप्त नहीं हुई
	ज्वार	९२५-२५-२००	१८-७५-५००

हेमावास बान्ध के पानी का वितरण

२४१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस बार पाली तहसील के हेमावास बाँध के पानी का वितरण करने से कितने काश्तकारों को पानी मिला और उनमें से कितने नहरी काश्तकार थे और कितने बारानी काश्तकार थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग के मना करते करते कानून को तोड़ कर कुछ काश्तकारों ने अपनी भूमि अधिक सिंचित कर दी ? यदि हां, तो किन किन ने और कितनी कितनी भूमि ?

(३) क्या यह सत्य है कि कुछ काश्तकारों द्वारा अधिक भूमि सिंचित करने से कई काश्तकार बिना पानी के अपनी भूमि को सिंचित नहीं कर सके ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को सिंचाई की पहली पाण नहीं मिल सकी ?

(४) क्या यह बात सत्य है कि राज्य सरकार ने या सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने यह निर्णय लिया था कि जिन्होंने नियम विरुद्ध अधिक भूमि सिंचित कर ली है उन्हें दूसरी पाण नहीं दी जावेगी ? यदि हां, तो क्या उस निर्णय की अनुपालना की गई ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि दूसरी पिलाई के समय में भी मना करते करते भी जिन काश्तकारों ने पहली पिलाई में अधिक पानी लिया था दूसरी में भी ले लिया ? यदि हाँ तो वे कौन कौन थे ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें और यह बतलावें कि उन्होंने कितनी भूमि और अधिक सिंचित कर दी और इस कारण राज्य सरकार ने उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१)इस साल पाली तहसील के हेमावास

Page No 37

(सिंचाई मंत्री)

बांध के पानी का वितरण १६६३ काश्तकारों को मिला जिसमें से नहरी काश्तकार ९५८ व बारानी एवं एलोटीज ७०५ काश्तकार थे।

कर—

(२) जी हां, कानून तोड़ कर अधिक सिंचाई करने वालों की सूची संलग्न है।

(३) जी हां, सूची संलग्न है।

(४) जी हां, सिंचाई विभाग ने यही निर्णय लिया था कि जिन खातेदारों ने नियम के विरुद्ध अधिक सिंचाई की है उन्हें अन्य पानी नहीं दिया जावे। इस बाबत प्रत्येक खातेदारों को सूचना पत्र दिये गये थे, एवं उसकी एक २ प्रति पंचायतों को भी पानी रोकने हेतु दी गई थी। तदुपरान्त भी काश्तकारों ने उल्लंघन किया, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा रोकने के प्रयत्न करने पर भी नियम की पालना पंचायत एवं काश्तकारों द्वारा नहीं की गई और अधिक सिंचाई कर दी, तीसरी पाण में उन मोरों को बन्द करने का निर्णय सिंचाई विभाग द्वारा लिया गया था, जिन मोरो पर अधिक सिंचाई हुई थी लेकिन सरपंचों ने एवम् काश्तकारों ने रकबे को पिलानें की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर (लिखित रूप में) मोरे वापस खुलवा दिए थे।

(५) जी हां, दूसरी पिलाई के समय मना करने पर अधिक पानी लिया था। सूची प्रश्न संख्या २ के उत्तर के साथ है।

अतः सिंचाई नियम के अनुसार बेशी सिंचाई करने वाले काश्तकारों पर तावान की कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)।

जिला चित्तौडगढ़ में भेड़-बकरी की चराई हेतु सुविधाएं

२४२. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तोड़गढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तोड़गढ तहसील, गंगरार तहसील, जिला चितोड़गढ में भेड़-बकरी आदि के लिए चराई हेतु कोई वन-खण्ड सुरक्षित नही है? यदि हाँ, तो इन जानवरों के चराई हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है? यदि नहीं तो इस पर राज्य सरकार क्या विचार कर रही है?

(२) क्या यह सही है कि इसी जिले की अन्य तहसील बेंगू भेंसरोड़गढ़ में इन पशुओं को चराई की सुविधा उपलब्ध है? यदि हां तो कहाँ कहां, किस-किस वन-खण्ड में? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि चितोड़गढ़ तहसील के किसानों ने सन् ५७, सन् ६०, सन् ६१ से पूर्व गिलण्ड-घटियावली-नेतावल आदि चन्द वन-खण्डों को चराई हेतु सुविधा दिलाने के लिए वन संरक्षक व सीमाँकन योजना को आवेदन किया था और उस पर वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा क्रमांक सर्वे

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

५४१–३९२८–२९ दि० २२–१२–६० एवं मिसल नं० ३२० दि० २३–१–६० को कोई सिफारिश कर इन्हें सुविधा देने हेतु लिखा है ? यदि हां, तो उन मूल पत्रावली पर क्या निर्णय लिया गया और वह मूलपत्र अभी तक कहां पेन्डिग है ? उन पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

१—जी हां। अभी ऐसे पशुओं की चराई आरक्षित व रक्षित वनखण्डों के बाहर के क्षेत्र व गांवों की चरनोट में होती है क्योंकि चितौड़गढ़ एवं गंगरार क्षेत्रों से आरक्षित वन हैं जिनमें बनदोबस्त में भेड़ बकरी की चराई के अधिकार नहीं दिये गए हैं।

२—जी हां, भैंसरोड़गढ़ रेंज के खेडली तथा पाडाभर और बैंगू रेंज के १—नन्दवास पार्ट प्रथम २—नन्दवास पार्ट द्वितीय ३-चरछा निला देह ४—राजगढ़ ५—कान्या, ६-गलीया बावड़ी, ७-नीमघाटी, ८—कोटा, ९-देवलच, १०-घाटारानी, ११—नीमघाटी, १२-पाट, १३—मारण, १४—चन्दाखेड़ी, १५—मेहसरा, १६—मिचोर, १७-मोहपुरा, १८—बीना का खेड़ा वनखण्डों में वन बन्दोबस्त के निर्णय अनुसार इन पशुओं की चराई की सुविधा उपलब्ध की हुई है।

३—इस प्रकार के प्रार्थना पत्र वन संरक्षक योजना एवं सीमांकन को सीधे तो नहीं भेजे गये किन्तु वन मन्त्री को दि० ६-१-६० को दी थी। वन वन्दोबस्त अधिकारी उदयपुर द्वारा क्रमांक ५४१-३९२८-२९ दि० २२-१२-६० के पत्र द्वारा कोई सिफारिश नहीं की थी। नं० ३२० दिनांक २३–१-६० की कोई मिसल वन बन्दोबस्त विभाग में नहीं है। अतः इस मिसल से सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता। ये ब्लाक्स भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के समय में ही फाइनल हो चुके हैं। जिनकी सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति को मुख्य वन संरक्षक के पत्र सं० एफ ११(१)६०/मिस०/सी० सी०एफ०/५१२५ दिनांक २०-१-६२ द्वारा देकर मामला समाप्त कर दिया गया।

झालावाड़ चिकित्सालय में औरतों की मृत्यु

२४३. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६८ माह जून या जुलाई में एक ही तारीख में पांच औरतें राजकीय चिकित्सालय, झालावाड़ में मर गईं ? यदि हां, तो कौन-कौन, कहां कहां की और कब-कब भरती हुई थीं ?

(२) ये मरने वाली महिलाएं किस-किस रोग से पीड़ित थीं ?

(३) क्या यह सही है कि इनका उपचार गरीब होने के कारण नहीं किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि लेडी डाक्टर

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

की कई शिकायतें आये दिन आती रही हैं ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत झराना के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध जाँच

२४५. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा)—क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत झराना, पंचायत समिति टौंक के विरुद्ध कोई गबन सम्बन्धी कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त सरपंच को दोषी पाया गया था और उसे पृथक् करके उप-सरपंच को चार्ज दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उप-सरपंच को पूरे कागजात नहीं दिये गये थे ?

(३) क्या यह सत्य है कि वर्ष १९६०-६१ की ऑडिट रिपोर्ट में उक्त सरपंच पर धन के दुरुपयोग के गम्भीर आरोप हैं ? कृपया ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच ने अभी तक कई आवश्यक हिसाब अपने पास रखे हैं और पंचायत के रिकार्ड के साथ उप-सरपंच को नहीं दिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। २३-७-६६ को मामला अधीक्षक, आरक्षी टौंक को दिया गया।

(२) गबन के मामले में दोषी होने से सरपंच को नहीं हटाया गया। अनाधिकार कार्य करने के कारण दिनाँक २९-४-६४ को पृथक किया गया। उप-सरपंच को पंचायत का चार्ज दिनांक ३०-५-६४ को मय उपलब्ध रेकार्ड के दिया गया। कुछ रेकार्ड न्यायालय में होने से उस समय नहीं संभाला जा सका।

(३) सन १९६०-६१ का ऑडिट नहीं हुआ है।

(४) भूतपूर्व सरपंच के पास अभी तक आवश्यक रेकार्ड होने की जानकारी नहीं है।

सांगोद तहसील में बिजली की सुविधा

२४६. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी)—क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री जुझारसिंह)

(१) क्या यह सही है कि बारां-सांगोद ११ के. वी. लाइन पर अधिक लोड हो जाने से सांगोद में व आगे हिंगोनिया तक बिजली का वॉल्टेज ठीक नहीं मिल रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि सांगोद समिति में सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक नये कुए खुदवाने व सिंचाई का कार्यक्रम मंजूर हो चुका है व चालू है ? यदि हां तो क्या इस क्षेत्र में अधिक बिजली लेने की मांग स्वाभाविक व व्यवहारिक हो गई है ?

(३) सिंचाई के बढ़े हुए साधनों को उपयोग में लेने व मौजूदा वोल्टेज की कमी को पूरा करने हेतु विद्युत बोर्ड ने सांगोद तहसील में बिजली देने की क्या योजना बनाई है और इसे कब तक पूरा कर देने की सम्भावना है ?

उत्तर

(१) जी हां। कोटा बारां लाइन ३३/६२ पर अनुमानित एक माह में चार्ज्ड होने पर वोल्टेज में सुधार हो जाने की आशा है।

(२) सघन कृषि कार्यक्रम की स्वीकृति के एवं उसके लिए कहां-कहां पर कितनी विद्युत मांग हो तो उसका पूरा-पूरा ब्यौरा मण्डल को प्राप्त नहीं है।

(३) जिला कृषि-उत्पादन समिति द्वारा योजना प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। कोटा-बारां लाइन ३३ के. वी. पर करीब एक महीने में चार्ज हो जाने से वहां की वोल्टेज में सुधार होगा।

विकास अधिकारियों की नियुक्तियां

२४७. **श्री विजयसिंह** (मकराना)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) किस-किस पंचायत समिति में किस किस पद के अधिकारी विकास अधिकारी की हैसियत से नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या कोई विकास अधिकारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नसबन्दी के आपरेशन

१३० **श्री हरजीराम बुरडक**—(लाडनूं) क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष नसबन्दी के ऑपरेशन

Page No 41

(श्री जुझारसिंह)

किस-किस जिले में कितने-कितने किये गये तथा इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टरों, कम्पाउण्डरों, ऑपरेशन करवाने वालों तथा ऑपरेशन के लिए लाने वालों को कितने-कितने रुपये जिलेवार दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या रुपये प्राप्त करने की नियत से कहीं ऑपरेशन के फर्जी आंकड़े बताने सम्बन्धी जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) वर्ष ६८-६९ (१-४-६८ से ३१-१-६९ तक) के राज्य में हुये नसबन्दी ऑपरेशनों की जिलेवार सूची संलग्न है। डाक्टरों, कम्पाउन्डरों, ऑपरेशन करवाने वालों तथा आपरेशन हेतु लाने वालों को पृथक पृथक रूप में कितने कितने रुपये दिये गये उसकी सूची ख भी संलग्न है।

(२) जोधपुर ,अलवर, चुरू जिलों के विरुद्ध फर्जी ऑपरेशन के आंकड़े भेजने हेतु शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

चुरू जिला परिवार नियोजन के डॉक्टर के विरुद्ध शिकायतें

१३१. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां):—क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चुरू जिला परिवार नियोजन के डाक्टर श्री बांके बिहारीलाल सक्सेना के विरुद्ध करीब ६५ फर्जी आपरेशन करने के नाम पर १५००) रुपयों के सरकारी धन का दुरुपयोग व गमन सम्बन्धी शिकायतें हुई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त डाक्टर के विरुद्ध फर्जी कार्यवाही व गबन करने से सम्बन्धित शिकायतों की जांच स्थानीय जिला परिवार नियोजन अधिकारी ने की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर असिस्टेन्ट डायरेक्टर से जांच कराने पर सच्चाई पाई गई है। अतः मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दे दिया गया है। वहां कार्यवाही चल रही है। डाक्टर निलंबित है।

राजस्थानी भाषा को साहित्यिक मान्यता

१३२. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं):—क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा की साहित्यिक

Page No 42

(श्री हरजीराम बुरडक)

मान्यता के निमित एक प्रस्ताव केन्द्रीय साहित्य अकादमी को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या था ? उसकी सही प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान की राजस्थानी भाषा की साहित्यिक मान्यता के प्रस्ताव को केन्द्रीय साहित्यिक अकादमी ने स्वीकार नहीं किया ? यदि हां तो वह किस आधार पर स्वीकार नहीं किया ? केन्द्रीय साहित्य अकादमी के उस पत्रोत्तर की सही प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थानी भाषा की साहित्यिक मान्यता के लिए प्रेषित प्रस्ताव को केन्द्रीय साहित्य अकादामी द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के बाद पुनः कोई वांछित कारगर कदम नहीं उठाया है ? यदि हां; तो क्यों नहीं उठाया गया ? अब आगे राजस्थानी भाषा की साहित्यिक मान्यता के लिए क्या कारगर कदम उठाया जा रहा है।

उत्तर

(१) जी हां। राजस्थानी भाषा की मान्यता के निमित प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से साहित्य अकादमी को भेजा गया था। पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। विशेषज्ञों की उप समिति की राय का आधार यह था कि राजस्थानी को न तो राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिली है, न यह विद्यालयों में माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुई है, न उसे विश्वविद्यालयों में उच्चतर अध्ययन का विषय ही बनाया गया है। इस पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, राजस्थान सरकार ने तो केन्द्रीय सरकार को मान्यता के लिए प्रार्थना की थी, अतः अकादमी के साथ विवाद उठाना उचित नहीं समझा गया।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियरों को सहायता

३३३. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) इस वर्ष इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त इन्जीनियरों में से कितनों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

(ब) कितने बेकार इन्जीनियरों ने खुद का उद्योग चलाने में सरकार से सहायता ली है ? उनको कितनी सहायता सरकार ने दी ?

(स) कितने सरकारी सहायता प्राप्त इन्जीनियर कहां कहां और कौन कौन से निजी उद्योग चला रहे हैं ?

उत्तर

(अ) अब तक १९१ विद्युत अभियां-

Page No 43

(विद्युत मंत्री)

त्रिक एवं डिप्लोमा धारियों को विद्युत पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र दिये गए हैं।

(ब) विद्युत विभाग से सहायता नहीं दी गई है।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम भालेरी में बिजली

१३४. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम भालेरी तहसील तारानगर ज़िला चूरू—देहली—बीकानेर—जयपुर. गंगानगर—सरदार शहर-झुंझुनूं सड़कों पर सबसे बड़ा गांव है और यहाँ की आबादी भी तीन हजार की है लेकिन यहां बिजली की लाइन अभी तक नहीं लाई गई है?

(२) क्या यह सही है कि बिजली की लाइन चूरू से मोसासी तक आ चुकी है और ग्राम भालेरी वहां से ६ मील ही दूर है? यदि हां, तो इस गांव को बिजली कब तक देने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(१) ग्राम भालेरी, चूरू, गंगानगर सड़क पर स्थित है। इसकी आबादी १९६१ की जनगणना के अनुसार केवल १२८५ है। अभी तक भालेरी का विद्युतियकरण नहीं हुआ है।

(२) बिजली की ११ केवी लाइन मोसासी ग्राम तक आई है यहां से भालेरी करीब १०-१२ मील की दूरी पर है अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

देवगढ़ और भीम क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन देने, काटने और बिलों के भुगतान करने का कार्य

१३५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ और भीम क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन देने और काटने तथा बिल भुगतान का हिसाब किताब सभी कांकरोली आफ़िस से रखा जाने लगा है?

(२) क्या यह सही है कि जूनियर इंजीनियर का आफिस देवगढ़ में स्थित है तथा पतले उपरोक्त कार्य देवगढ़ आफिस से ही होते थे?

(३ यदि हां, तो अब इस कार्य को कांकरोली में क्यों रखा गया है?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस व्यवस्था के कारण जनता को छोटे से कामों के लिए कांकरोली जाने और किसी भी काम के लिए लम्बा समय खर्च करने में नाहक परेशानी होती है?

(५) क्या सरकार फिर से देवगढ़ आफिस में ही इन कार्यो को कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) विद्युत मण्डल की एलाउन्स ओरगेनाईजेशन स्कीम के अनुसार यह कार्य कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा न होकर सहायक अभियन्ता द्वारा होता था।

(४) यहाँ तक बिलों के भुगतान के संदर्भ हैं उप खण्ड कांकरोली से केशियर ४-५ दिन के लिए देवगढ़ में ठहरता है बाकी रेवेन्यू कार्य सहायक अभियन्ता कांकरोली के कार्यालय में ही होता है। वैसे सप्लाई सम्बन्ध के लिए कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय देवगढ़ में हैं।

(५) अभी ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचि जन-जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान

१६६. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान में वन विभाग में कितने अधिकारी, कितने एल. डी. सी. तथा कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य करते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त पदों पर कार्य करने वालों में से कितने कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या उपरोक्त जातियों के लिए सुरक्षित १२॥ परसेन्ट के कोटे के अनुसार नियुक्तियां कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान वन विभाग में ७२ अधिकारी २६३ एल०डी०सी० तथा १९५३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (वन रक्षकों सहित) कार्य करते हैं।

(२) उपरोक्त पदों पर कार्य करने वालों में निम्नानुसार अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के हैं।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	योग
अधिकारी	—	—	—
एल०डी०सी०	१९	५	२४
चतुर्थ श्रेणी	१३५	१४५	२८०

(३) जी हां। चतुर्थ श्रेणी में कोटे के अनुसार नियुक्तियां हैं अधिकारियों एवं कनिष्ट लिपिकों में आवश्यक योग्यता वाले प्रत्याशी समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्धारित कोटे के अनुरूप नियुक्तियां नहीं हो पाई है।

राजस्थान वन श्रमिक संघ का निर्माण

१३७. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) :

(श्री गंगासहाय)

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान वन श्रमिक संघ का निर्माण वन श्रमिक सहकारी समितियों की इच्छा के विरुद्ध किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त संघ के संचालक मण्डल में अनुसूचित जातियों व जनजातियों की सरकारी समितियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ? यदि दिया गया है तो कितना प्रतिशत ? संचालक मण्डल की कुल सदस्य संख्या कितनी है ?

(३) उक्त संघ के अध्यक्ष, मंत्री, संगठन मन्त्री, कोषाध्यक्ष में क्या कोई सदस्य अनुसूचित वर्ग का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) संघ के पदाधिकारियों को मासिक वेतन प्रत्येक को कितना कितना दिया जाता है और कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। संघ का गठन सहकारी समितियों के द्वारा ही किया गया है।

(२) संघ के संचालक मण्डल की कुल संख्या ११ है। जिसका वर्तमान गठन निम्न प्रकार है—

१—वन श्रमिक सहकारी समितियों के पांच सदस्य।

२—दो सहयोगी सदस्य जिनको स्वीकार करने का अधिकार साधारण सभा का होगा तथा उनके लिए हिस्से क्रय करना आवश्यक नहीं होगा।

३—वन विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारी विभाग का एक एक प्रतिनिधि।

सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त शेष ८ सदस्यों में से ५ वन श्रमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि हैं। यह समितियां अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की ही हैं। इस प्रकार संघ के संचालक मन्डल में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों का सीधा प्रतिनिधित्व ६२.५ प्रतिशत है।

(३) जी नहीं। संघ के अध्यक्ष एवं मन्त्री का निर्वाचन होता है। संघ के संविधान एवं उपनियम जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित है, में कोषाध्यक्ष एवं संगठन मन्त्री का प्रावधान नहीं है।

४—संघ के पदाधिकारियों को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। संघ के कर्मचारियों की कुल संख्या ३७ है।

शिकार खेलने के लिए स्वीकृति

१३८. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में जंगलात विभाग के कुल कितने ऐसे ब्लाक है जिनमें शिकार खेलने की स्वीकृति दी जाती है ? कृपया जिलेवार ब्लाकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 46

(श्री दिग्वजयसिंह)

(२) क्या कुछ ब्लाक्स ऐसे हैं जिनमें शिकार खेलने की स्वीकृति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने हैं और कहां कहां ? स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(३) शिकार के परमिट इश्यू करने के क्या नियम हैं ? तथा क्या फीस ली जाती है कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) जी हां जिलेवार सूची (अ) संलग्न है।

(२) जी हां। जिलेवार सूची (ब) कारण सहित संलग्न हैं।

(३) राजस्थान के बनों में शिकार के परमिट जारी करने हेतु फोरेस्ट (हंटिंग, शूटिंग, फिशिंग एवं वाटर प ईजिंग) रूल्स १९५७ बने हुए हैं। जिनके अनुसार शिकार के परमिट सम्बन्धित वन संरक्षक प्रत्येक आखेट खन्ड में उपलब्ध वन्य पशु-पक्षियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए प्रचलित करते हैं। परमिट के लिये निम्नानुसार फीस निर्धारित की हुई है :—

(१) बड़े शिकार हेतु १५ दिन के परमिट के लिये।

(अ) भारतीय नागरिक तथा विदेशी दूतावासों के अध्यक्ष	५०—प्रति बन्दूक तथा १०-प्रति अतिरिक्त बन्दूक
(ब) विदेशी पर्यटकों से जो शिकार ऐजेन्सियों अथवा भूतपूर्व राजाओं के द्वारा देय है।	५००-प्रति बन्दूक
(स) अन्य विदेशी	२००-प्रति बन्दूक

(२) निषेध काल को छोड कर वर्ष के शेष समय के लिये। — २००-प्रति बन्दूक

(३) छोटे शिकार के लिये

(अ) १५ दिन के परमिट के लिये	१०-प्रति परमिट
(ब) वार्षिक परमिट के लिये	५०-प्रति परमिट

परमिट फीस के अतिरिक्त निम्नलिखित रायल्टी बडे वन्य पशुओं के शिकार होने पर ली जाती है।—

प्रति बघेरा	३५)
प्रति रीछ	५०)
प्रति सांभर	५०)
प्रति चीतल, सूअर, नीलगाय	३०)

आखेट अनुज्ञा-पत्र सामान्य तथा खास केदूसरे पखवाड़े के लिये प्रचलित किये जाते हैं। ये अनुज्ञापत्र केवल उन्हीं शिकारियों को दिये जाते हैं जिनके पास शिकार हेतु बन्दूकों के धवं लाईसेन्स होते है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय को भेज दी गई)।

सवाई माधोपुर सब-डिविजन की वन श्रमिक सहकारी समितियां

१३९. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर):—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर सब-डिवीजन की किस किस तहसील में कितनी कितनी किस किस नाम की वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं और इनका पंजीयन किस किस तारीख को हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त श्रमिक सहकारी समितियों में से किस किस को किस किस को वर्ष कौन कौन से जंगल कितने रुपयों में दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इन सहकारी समितियों ने उन्हें यदि जंगल दिये गये तो उन्हें पूरा काट लिया ? यदि हां, तो किस किस ने और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(४) इन सहकारी समितियों में से किस किस को सालाना अब तक क्या आय हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या इन समितियों ने लकड़ी अपने क्षेत्र के किसानों को बेची है ? यदि हां तो किस किस ने कुल कितने रुपयों की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो फिर इनके द्वारा काटी गई लकड़ी कहाँ कहाँ बेची गई ?

(६) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त सहकारी समितियां सवाई माधोपुर सबडिविजन के किसानों को लकड़ी जलाने व औजारों के लिए उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं ?

(७) यदि हाँ, तो सरकार किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) सूची (अ) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) सूची (ब) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) (१) वन श्रमिक सहकारी समिति जेतपुरा में कूप खुशालीपुरा नं० ३ को १९६४-६५ में पूरा काट लिया था। इस समिति द्वारा वर्ष ६७-६८ में कूप खुशालीपुरा नं० ५ से लगभग ५१ एकड़ क्षेत्र सदस्यों की कार्य में अरुचि है एवं अव्यवस्था के कारण नहीं काटा जा सका।

(२) खिलबोपूर श्री गणेश वन श्रमिक सहकारी समिति लि० वर्ष ६५-६६ में कूप जो मोदा नं० १ का लगभग १५ एकड़ क्षेत्र अवधि बिस्तार देने के उपरान्त भी सदस्यों के द्वारा रुचि से कार्य नहीं करने, अव्य-वस्था, आर्थिक अभाव के कारण नहीं काट सकी।

(४) आय व्यय का विवरण सहकारी विभाग द्वारा रखा जाता है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

Page No 48

(वन मंत्री)

(५) समिति की लकड़ियां नीलाम में सबसे अधिक बोली देने वाले को विक्रय की गई है। अतः किसानों को वेचने का प्रश्न ही नहीं उठाता।

(६) सवाई माधोपुर क्षेत्र में इस वर्ष विभागीय कटाई से लकडी उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। कटाई आरम्भ की जा चुकी है जिससे किसानों की जलाने तथा कृषि यंत्रों की लकड़ी की आवश्यकता पूरी कराई जा सकेगी। जलाऊ लकड़ी के सवाई माधोपुर में सरवोजों के परमिट भी दिये जाते है तथा कतिपय गांवों में वन बन्दोबस्त के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों में कृषक जलाऊ लकड़ी वनों से प्राप्त करते हैं।

राजस्थान नहर क्षेत्र की पंचायतों को भूमि

१४०. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों को १५ बीघा भूमि देने का राज्य सरकार का आदेश है? यदि हां तो राजस्थान नहर क्षेत्र की पंचायतों को भूमि क्यों नहीं दी जाती ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों को भूमि अलॉट करने के नियम बनाए गए हैं? यदि हां, तो कितना बीघा भूमि दी जाएगी और पंचायतों को नहरी क्षेत्र में भमि क्यों नहीं दी जाती ?

उत्तर

(1) जी हां, सही है कि ग्राम पंचायतों को १५ बीघा भूमि देने के राज्य सरकार के आदेश पूर्व में थे किन्तु राजस्थान उप-निवेशन (राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, १९६७ जो दिनांक १६.१२.६७ को जारी हुए हैं उनके तहत पंचायतों को अब भूमि आवंटित करने का प्रावधान नहीं है।

(२) जी हां, राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, १९३७ की धारा (१९)(ii) में केवल पंचायत समितियों को ही भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। प्रत्येक पंचायत समिति को ७५ बीघा सिंचित भूमि दी जावेगी। ग्राम पंचायतों के बारे में भूमि देने का प्रावधान नियमों में नहीं होने की बाबत सूचना पहले प्रश्न के उत्तर में दी जा चुकी है।

भीमसागर बांध का निर्माण कार्य

१४१. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीम सागर बांध, जिला झालावाड़ कार्य कब से बन्द है और क्यों ?

(२) क्या इस बाँध की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शरीक किया गया है ? अगर नहीं तो क्यों ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(३) क्या यह सही है कि बांध के कारण असनावर व दीगर आसपास के क्षेत्र के विकास कार्य भवन निर्माण आदि को सरकार द्वारा रोका गया है? यह आदेश कब दिया गया? कृपया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) बांध का कार्य कब से चालू करने का इरादा राज्य सरकार का है?

उत्तर

(१) सन् १९५९ से प्रायः बन्द है इसका कारण यह था कि इसमें प्रस्तावित अधिकतम जल स्तर एम० डब्लू० एस०। आर. एल १०१५ से असनावर गांव के कुछ भाग के कुप्रभावित होने की आशंका है।

(२) जी नहीं, धनाभाव के कारण।

(३) जी नहीं।

(४) धन की व्यवस्था पर है।

बन्ध कालक सागर से आसलपुर तक नहर

१४२. **श्री सुआलाल चौधरी** (दूदू) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बन्ध कालख सागर से आसलपूर तक कोई नहर नहीं है? यदि हां, तो क्या पानी एक नदी से लाया जाता है?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नदी से पानी आने से हर वर्ष ५०० बीघा का पानी नदी के खड्डों में भरा रह जाता है व एक लम्बे पाट से बहने से जमीन में खुश्क होता है?

(३) क्या सरकार इस ८ मील के फासले हेतु एक नहर बनाकर इस प्रकार बर्बाद होने वाले पानी को सिंचाई हेतु उपयोग में लाए जाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

(४) अगर सरकार इसको उचित समझती है तो इसका काम कब तक शुरू किया जा सकता है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां कुछ पानी खड्डों में भरा रह जाता है एवं कुछ खुश्क भी हो जाता है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता है।

बन्ध छापरवाड़ा का सिंचाई के लिए पानी

१४३. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बन्ध छापर वाडा (जिला जयपुर का पानी तीन तहसीलों (दूदू, फागी, व मालपुरा) में सिंचाई हेतु दिया जाता है?

(२) यदि हां तो सन् १९५० से १९६८ तक उक्त तहसीलों को कितना कितना प्रतिशत पानी दिया गया है? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या सरकार हमेशा के पानी वितरण के आधार पर तहसील दूदू के ग्रामों को ८० प्रतिशत पानी सिंचाई हेतु देती रहेगी?

उत्तर

(१) जी, हां,

(२) सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

तहसील छीपाबड़ोद व छबड़ा में कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई के लिए ट्यूब वैल्स का सर्वे

१४४. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि तहसील छीपाबडोद व छबड़ा जिला कोटा में कृषि योग्य बहुत ही लम्बे चोड़े मेंदान हैं जहां पर वर्षों से लोग खेती करते आ रहे हैं ?

(२) क्या इस मैंदान में सिंचाई के लिये ट्यूब वैल्स कामयाब हो सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर ट्यूब वैल्स के लिये सर्वे कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

रात के खार की योजना

१४५. **श्री बनबारीलाल** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने धौलपुर सब-डिविजन के कूकपुर व पटेवरी दोनों तालों को रोक कर एक बन्धा बना कर एक नहर निकालने की योजना बनाई थी ?

(२) क्या यह सही है कि रात के खार की योजना का नाम दिया था ?

(३) क्या यह सही है कि रात के खार की योजना की सर्वे सरकार द्वारा हो चुकी है ? यदि हां तो कब हुई थी ?

(४) यह योजना कितने रुपये की थी ?

(५) क्या उस योजना को क्रियान्वित करने का सरकार का इरादा नहीं है ? यदि है, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि राज्य सरकार का रामसागर बांध को चार फुट ऊंचा कराने का इरादा है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) केवल प्रति प्रिमिलिरी सर्वे सन् १९५५–५६ में की गई थी।

(४) उस वक्त किस योजना की अनुमानित लागत २,६८,४०० रु० की थी।

(५) इस योजना की पूरी सर्वे कराने के आदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिये गये हैं। इस के क्रियान्वित करने के बारे में पूरा तखमीना बनाने के बाद ही फैसला किया जा सकेगा।

(३) इसकी प्री सर्वे कराने के आदेश दिये गये हैं तथा इसको क्रियान्वित करने के बारे में भी तखमीना बनने के बाद फैसला किया जा सकेगा।

बीकानेर को लिफ्ट योजना से पानी और उद्घाटन पर व्यय

१४६. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नहर से बीकानेर को लिफ्ट से पानी ले जाने की नहर का उद्घाटन किस तारीख को हुआ ? इस आयोजन

Page No 51

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पर कुल कितना खर्चा हुआ ? अलग अलग आइटमवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उद्घाटन समारोह के समय नाच गाना भी करवाया गया था ? यदि हां, तो उस पर कितना खर्चा लगा ?

उत्तर

(१) लूनकरनसर-बीकानेर लिफ्ट नहर का कार्यक्रम दिनांक ५/७/१९६८ को हुआ था। इस अवसर पर आयोजित समारोह पर १८,६,५०१-रु० के खर्चे की स्वीकृति दी गई। आइटम वाईज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

अस्थाई कर्मचारी

१४७. **श्री श्रवणलाल** : (हिन्डोन) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग में कितने कर्मचारी अस्थाई रूप से कब कब से कार्य कर रहे हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) यह नियुक्तियां किस प्रक्रिया के आधार पर की गईं ?

(३) इन अस्थाई कर्मचारियों में कौन कौन कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ६ माह के बाद में सेवा काल में वृद्धि की जाती रही है ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखें जिसमें यह बताया जावे कि ऐसे कर्मचारियों की विभाग में प्रथम बार नियुक्ति कब की गई और उनके सेवा कार्य में कब कब वृद्धि की गई ?

(४) विभाग के किन किन कर्मचारियों के सेवा काल में कितने कितने समय का और क्यों इन्ट्रप्शन को कन्डोम किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखें और यह बतावें कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति कब कब की गई और इनको कब स्थाई किया गया है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

हरिजन छात्रावासों पर व्यय

१४८. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) राजस्थान प्रदेश में हरिजन छात्रावास कितने हैं ? उन छात्रावासों पर प्रति छात्रावास प्रतिवर्ष कितना रुपया खर्च होता है और प्रति छात्रावास में कितने हरिजन छात्र शिक्षा पा रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि हरिजन छात्रावासों की व्यवस्था ठीक नहीं है और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इन छात्रावासों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

को अपने हाथ में लेकर अपनी मोनोपोली बना रखी है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान में छात्रावासों की व्यवस्था पार्टीबाजी के आधार पर चल रही है ? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो छात्रावास कहां-कहां पर खोले गए हैं ? जिले व तहसील वाईज छात्रावासों की सूची सदन को मेज पर रखी जावे।

(४) क्या सरकार जिन तहसीलों में छात्रावास नहीं है उसमें हरिजन छात्रावास की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) पांचवी कक्षा के आगे पढ़ने वाले हरिजन छात्रों की तादाद क्या है ? और कहां कहां पर शिक्षा पा रहे हैं ? जिन हरिजन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता उनकी पढ़ाई का क्या प्रबन्ध सरकार द्वारा किस रूप में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही नहीं कि हरिजन छात्र अर्थाभाव के कारण शिक्षा नहीं पा रहे हैं यदि हां, तो इस प्रकार के कितने छात्र हैं ?

(७) क्या यह सही है कि हरिजन छात्रों को वजीफे भी दिए जा रहे हैं ? यदि हां तो कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है ? जिले वाईज, कक्षावार कुल कितने छात्रों को कितने कितने रुपयों की छात्रवृत्ति दी जा रही है। कुल रकम कितनी दी जाती है ? समाज कल्याण विभाग से कुल कितनी रकम सरकार को मिल रही है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) राजस्थान में हरिजन छात्रावास नाम से कोई छात्रावास नहीं है। अनुसूचित जाति के १२ राजकीय छात्रावास एवं ४० अनुदानित छात्रावास चलाये जा रहे हैं। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत संख्या अलग अलग है। छात्रावासों में २५ से ५० छात्रों तक की संख्या स्वीकृत है। २५ से ५० छात्रों वाले प्रत्येक राजकीय छात्रावास पर अनुमानित वार्षिक व्यय १५००० रुपये से २५००० रुपये होते हैं। २५ छात्रों वाले अनुमानित छात्रावास पर वार्षिक व्यय लगभग १०,००० रुपये होते हैं।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। राजस्थान में अनुसूचित जाति के छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें स्थान उचित है।

(४) वित्तीय अभाव के कारण राजस्थान की प्रत्येक तहसील में छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है।

(५) पांचवी कक्षा के आगे कुल कितने अनुसूचित जाति के छात्र शिक्षा पा रहे हैं। यह जानकारी समाज कल्याण विभाग में उपलब्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है। पांचवी कक्षा के आगे पढ़ने वाले समस्त अनुसूचित जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश देना सम्भव नहीं है।

Page No 53

(समाज कल्याण मंत्री)

क्योंकि राज्य सरकार के साधन सीमित है। फिर भी वित्तीय प्रावधान के अनुसार जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाया है उन्हे छात्रवृत्ति देने का यथावत सम्भव प्रयत्न किये जाते हैं।

(६) राजस्थान में हरिजन छात्र शिक्षा शुल्क से मुक्त है। उनके लिए निःशुल्क छात्रावास भी है और छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि धनाभाव के कारण वे शिक्षा से वंचित हैं।

(७) जी हां। राज्य सरकार के आदेशानुसार छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित की जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को केवल धन-राशि आवंटित की जाती है। अतः जिलेवार, कक्षावार कितने छात्रों को कितने कितने रुपयों की छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित की जाती है यह प्रश्न शिक्षा विभाग से पूछने पर एवं इसकी जानकारी एकत्रित करके शिक्षा विभाग द्वारा दी जा सकती है। समाज कल्याण विभाग से इस साल अनु-सूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए कुल १९,४८,७०० रुपये की रकम स्वीकृत की गई है।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

आदिवासी जन जाति के विद्यार्थियों के लिए नये होस्टल

१४९. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

इस वर्ष समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान में कितने नये होस्टल आदिवासी जन–जातियों के विद्यार्थियों के लिये खोलने का निश्चय किया गया है? १५ अगस्त६८ के पूर्व कितने होस्टल कहां कहां खुल चुके थे और जहां जहां नहीं खुल सके उसका क्या कारण है?

उत्तर

इस वर्ष अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों के लिये १ राजकीय छात्रावास एवं २ अनुदानित छात्रावास खोलने का निश्चय किया गया है। राजकीय छात्रावास मासौर, जिला डूंगरपुर दिनांक २७–७–६८ समय पर ही खोल दिया गया है। अनुदानित छात्रावास भूंगडा, जिला बांसवाड़ा तथा रेखी छात्रावास, जिला अलवर पूर्ण प्रस्ताव देरी से आने के कारण २७–११–१९६८ को खोले जा सके हैं।

जयपुर में व्यापारियों से पकड़ा गया अनाज

१५०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

अप्रेल, मई, जून, सन् १९६७ में जयपुर में किस किस व्यापारी का किस किस प्रकार का कितना अनाज पकड़ा गया जो गैर कानूनी स्टॉक था और अब उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? फर्मो

Page No 54

(श्री जयनारायण सालोदिया)

व हर प्रकार के अनाजों की तादाद की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

माह अप्रेल, मई, जून सन् १९६७ में, जयपुर में, किसी व्यापारी के यहां से न तो कोई अनाज का गैरकानूनी स्टाक पकड़ा गया न जब्त ही किया गया। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायत चन्द्राई में चीनी का वितरण

१५१. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्रामपंचायत चन्द्राई, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में जो चीनी वितरण का रिटेलर है वह सब लोगों को चीनी नहीं देता ? यदि हां तो किस किस माह में कितने-कितने परिवारों को चीनी कब कब से नहीं दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सही है कि इस विषय में स्थानीय जनता ने काफी शिकायतें भी की थी ? यदि हां, तो कब-कब और इस पर राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सही है कि चीनी वितरण के मामले में तहसीलदार व एस० डी० ओ० ने जानबूझ कर इस प्रकार की कार्यवाही करवाई और जो भी शिकायतें की उन पर कार्यवाही नहीं की ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि उक्त रिटेलर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर ने कोई केस दायर किया ? यदि हां तो, उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(१) जी हां, ग्राम पंचायत चन्द्राई में चीनी का वितरण माह जनवरी, ६८ से मार्च, ६८ तक १२ परिवारों ने पंचायत से राशन कार्ड नहीं लिये और न ही उन्होंने चीनी ली। जिसकी सूची संलग्न है जनवरी, ६८ से पूर्व का रिकार्ड ऐन्टीकरपशन विभाग में जेर जांच है। अतः यह नहीं बताया जा सकता कि जनवरी, ६८ से पूर्व इस पंचायत क्षेत्र में किसी परिवार को चीनी दी गई। अथवा नहीं।

(२) जी हां, । स्थानीय जनता से इस सम्बन्ध में एक शिकायत तहसीलदार लाडनूं को मिली जिसमें यह उल्लेखित था कि पंचायत द्वारा राशन कार्ड नहीं बनाये जा रहे हैं। जिस पर तहसीलदार द्वारा १०-४-६७ को पंचायत को राशन कार्ड बनाने की आज्ञा जारी की। तत्पश्चात २१-१०-६६ को राशन कार्ड बना दिये गये। इसके अलावा एक प्रार्थना पत्र जुलाई, ६७ में उप खण्ड अधिकारी, डीडवाना को प्राप्त हुआ जिसमें चीनी वितरण में अनियमितताओं का कोई उल्लेख न होकर नियंत्रित वस्तुओं का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समिति

Page No 55

(खाद्य मंत्री)

निम्बी जोधान से करवाया जावे इस प्रकार का अनुरोध था। चूंकि चन्द्राई से निम्बी जोधान काफी दूर है इसलिये इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया। इसके अलावा प्रश्न कर्ता सदस्य के दो पत्र जो कि अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) व खाद्य आयुक्त को दिनांक २८-११-६७ को प्रेषित किये गये थे प्राप्त हुये थे जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध गत दो वर्षों से चीनी में ब्लेक करने की शिकायत प्रस्तुत की गई। चूंकि इससे सम्बन्धित सारा रिकार्ड एन्टीकरपशन विभाग के पास है इसलिये ए० डी० एम० नागौर द्वारा कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(३) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि उप-खण्ड अधिकारी, डीडवाना ने व तहसीलदार लाडनूं ने जानबूझ कर ग्राम पंचायत चन्द्राई क्षेत्र की जनता से प्राप्त शिकायत पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की वरन स्थिति यह रही कि उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने प्राप्त शिकायती पत्रों पर जो वाँछित उचित कार्यवाही की जानी थी, की।

(४) जी हां। इस मामले में डिप्टी सुपरिटेन्डेन्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बीकानेर ने जांच की व मामला अभी उपरोक्त अधिकारी के पास ही जेर तफतीश है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

जिला स्तर पर रिजर्व स्टोक

१५२. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का जिला स्तर पर कोई रिजर्व स्टोक भी रखा जाता है?

(२) उक्त रिजर्व कोटे को किस किस कार्य के लिये रखा जाता है और कितने समय तक दुकानदारों के पास रोका जाना चाहिए?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त रिजर्व कोटे में से माल को वापस उठाते समय यह ध्यान नहीं रखा जाता कि जिस दुकानदार के पास माल पहिले आया है उसको पहिले उठाया जाय और बाद में आया है उनको बाद में?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त रिजर्व स्टोक में माल रहने से दुकानदारों को रकम रुकी रहने के कारण, ब्याज और गोदाम भाड़े आदि की हानि उठानी पड़ती है और इस हानि का शिकार ज्यादातर सहकारी समितियाँ ही होती हैं? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) यह सही है जिलों की आवश्यकता की दृष्टि से अनाज का स्टॉक राजकीय गोदामों में रखा जाता है।

(२) जन साधारण में समय पर आवश्यकतानुसार वितरण के लिए रखा जाता है। उससे भावों के नियंत्रण पर भी मदद मिलती है। रिजर्व स्टाक रखने का

(खाद्य मंत्री)

कोई समय निर्धारित नहीं होता, अधिकांश में यह माल राजकीय गोदामों में रखा जाता है दुकानदारों के पास नहीं।

(३) जिलाधीश पुराने अनाज को पहले ही उठाने की कोशिश करते हैं ताकि अनावश्यक खर्च न हो और एजेन्ट व दुकानदार भी अपनी स्वयं की बचत हेतु ऐसा करते हैं। यदि कोई अंश निर्धारित मात्रा में से बच जाता है तो वह नगण्य होता है।

(४) नं० ३ में उत्तर निहित है। हानि यदि किसी दुकानदार लाईसेन्सी को होती है तो उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का नहीं होता वह खुदरा बिक्री के लिए राजकीय गोदाम से नकद में स्टाक लेता है और उसकी बिक्री की जुम्मेवारी नियमों के अनुसार उसकी ही है।

टौंक जिले की पंचायत समितियों को सामान की खरीद के लिए एडवान्स

१५३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) :—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले की पंचायत समितियों के किन किन कर्मचारियों को समितियों के सामान खरीद आदि के लिए किस किस तारीखों में कितना कितना एडवान्स किस-किस कामों के लिये दिया गया था और उन्होंने उस एडवान्स रकम का हिसाब कब कब दिया तथा कितने का हिसाब कब से बाकी है ? गत दो वर्षों के आंकड़ों की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायत समिति डीडवाना की बकाया की वसूली

१५४. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं):—क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या पंचायत समिति की बकाया राशि की वसूली के लिए सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को लिखा था ? और बाद में राज्य सरकार के आदेश व नियमों के विपरीत वसूली विथड्रा कर ली गई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(२) सरकार के ध्यान में उपरोक्त कार्य कब आया और आज तक सम्बन्ध में क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

(३) इस प्रकार से गलत रूप से वसूली विथड्रा कर ली जाने से समिति की कितनी रकम वसूल हुये विना रह गई ?

(४) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति डीडवाना ने

(पंचायत व विकास मंत्री)

बकाया रकम की वसूली के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों को लिखने के बाद अनुदान कार्य पूर्ण होने तथा स्थाई समिति के निर्णय के कारण कुछ मामलों में वसूली विथड्रा की।

(२) दिनांक २४-८-६८ को सरकार के ध्यान में आया। कार्यपूर्ण होने से जो वसूली विथड्रा हुई इस संबंध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी। ऋण के संबंध में तथ्यों की जांच के लिये जिला विकास अधिकारी से अनुरोध किया गया है।

(३) इनकी जांच के परिणाम से ही इस रकम का पता चल सकेगा।

(४) राज्य सरकार ने समय समय पर इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।

सरपन्च ग्राम पंचायत चन्द्राई से वसूली

१५५. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) क्या पंचायत व विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरपन्च ग्राम पंचायत चन्द्राई, पंचायत स. लाडनूं जिला नागौर से निर्माण कार्यों में नही लगाई गई व कब लगाई राशि वसूल करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया? यदि हां, तो कब और उससे कितनी राशि वसूल करनी थी और कितनी राशि कब वसूल की गई?

(२) उक्त वसूली का आदेश कितने समय तक किस किस अधिकारी के पास रहा और लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं?

(३) क्या यह वसूल की जाने वाली ऐसी राशि थी जिनके खर्च का फर्जी हिसाब सरपंच ने दिया था और बाद जांच इसमें फर्जी हिसाब पाया गया तथा रकम कम खर्च करनी पाई गई? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में वसूली के आदेश के अलावा मामला पुलिस में क्यों नहीं सौंपा गया?

उत्तर

(१) जी हां दि० ८-१-६८ को ९१०२) रु० मय दण्डनीय व्याज वसूल करने के लिये जिलाधीश को लिखा गया अभी रकम वसूल नहीं हुई है।

(२) राज्य सरकार के आदेश की पालना में जिलाधीश ने १-४-६८ को वसूली के आदेश दिये इस पर सरपंच की ओर से प्रतिवेदन किया गया और जिलाधीश ने १-५-६८ को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जो दिनांक १-७-६८ को दिया गया। जांच के समाप्त नहीं होने से वसूली नहीं हो पा रही है।

(३) निर्माण कार्यों को सहायक अभियन्ता से तकनीकी जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी और इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जावेगा।

अकाल पीड़ित क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

१५८. **श्री दौलतराम सारण :** (डूंगरगढ़) क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 58

(१) अकाल पीड़ित क्षेत्रों में पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गई है? जिलेवार बतलाने का कष्ट करें।

(२) इस कार्य के लिए जिलेवार कितनी कितनी धनराशि दी गई है? कितनी और धनराशि देने का विचार है?

(३) कितने कुये सरकारी सहायता से जुताये गए? कृपया जिलेवार संख्या बतलाने का कष्ट करेंगे।

(४) एक कुआं जुताने के लिये कितनी सहायता दी जाती है और किस आधार से?

(५) क्या यह सही है कि चूरू जिले में लगभग ३८१ गांवों में पानी खारा बिराड्या अथवा अपर्याप्त है?

(६) यदि हां, तो उनमें से कितने गांवों के लिए अब तक पानी की व्यवस्था करदी गई है? किस किस गांव के लिए नहीं, तो क्यों नहीं?

(७) इसके लिए स्थाई समाधान के लिए क्या कोई व्यवस्था भी की गई है? क्या क्या और कहां कहां?

उत्तर

(१) जिलेवार स्थिति की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जिलेवार दी गई धनराशि की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। आवश्यकतानुसार यथासंभव प्रावधान दिया जाता रहा है व दिया जावेगा।

(३) ९३८ कुए सरकारी सहायता से जुताए गए जिलेवार स्थिति निम्न प्रकार है:—

बीकानेर	३०२
जोधपुर	१०७
जैसलमेर	१४३
बाडमेर	१४१
जालौर	१४
गंगानगर	८७
चूरू	१४४
	९३८

(४) एक कुआ जुताने के लिए रु० ५०-६० तक की प्रतिदिन सहायता दी जा सकती है। कुओं में पानी की गहराई स्थानीय साधनों की उपलब्धि आदि को आधार मानकर सहायता दी जाती है।

(५) इस प्रकार की कोई सूची अभी तक नहीं बनाई गई है।

(६) जहां जैसी आवश्यकता अनुभव की जाती है वहां आवश्यकतानुसार एवं समयानुसार व्यवस्था की जाती रही है।

(७) अभी तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

(१२. ०९ म.प.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : मैं नियुक्ति (क ५) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ २३ (२) नियुक्ति (क) ६० दिनांक ७ फरवरी, १९६९ को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (चयन आयोग की सेवा शर्तें) नियम, १९६० में और संशोधन किये गए हैं।

मंत्रियों द्वारा सदन में अनुपस्थित रहने की पूर्व सूचना संबंधी अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मुख्य मन्त्रीजी को रखना चाहिये था। वे कैसे गैर हाजिर हैं ? क्या लिखित में कोई सूचना है अध्यक्ष महोदय आपके पास इसकी है ? तो इसको सदन को जानकारी देनी थी।

श्री अध्यक्ष : मुझको संकेत मिल गया था। यद्यपि लिखित में नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस मामले में जवाहरलाल नेहरू के वक्त भी संसद में यह प्रश्न चला था। ऐसे वक्त में वे भी दौरे पर नहीं रहते थे, उद्घाटन नहीं करते थे। अगर उनको उद्घाटन करने जाना था, दौरे पर जाना था तो क्या उन्होंने लिस्ट आफ बिजिनेस में अपना नाम लिखाया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आर्डर ? मैं क्या नाथूभाई हूँ कि बैठ जाऊंगा ?

अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं उपस्थित हुए हाउस में जब कि वे जयपुर में मौजूद हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : क्वेश्चन आवर नहीं था उनका। इसके अलावा मैं निवेदन कर दूं कि जब कोई बिल या कोई इन्फोर्मेशन सदन में रखनी हो तो कोई मिनिस्टर रख सकता है। और इसके लिये छोटी-छोटी बात के लिये क्यों विचार करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी खुद की व्यवस्था है इसके सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह सही है कि एक व्यवस्था दे रक्खी थी कि कम से कम अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी जावे कि मन्त्री महोदय नहीं आ सकेंगे जब कि उनका बिजिनेस यहां पर था। यद्यपि यह ठीक है कि कोई भी मन्त्री उत्तर दे सकते हैं। पर आसन इस पर दुविधा में पड़ जाता है जब आसन को इत्तला न हो और दूसरा मन्त्री बोलने लगे। मुझको कम से कम इसकी सूचना मिलनी चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शब्द नाथूराम जी के बारे में

(श्री. पी. के. चौधरी)

कहे हैं उनको वे विथड्रा करें -

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने क्या कहा मैं वापिस लेता हूं।

वल्लभभाई, मुरारजी भाई इसमें भाई कहते हैं इसलिये भाई कह दिया मैंने तो आदर की दृष्टि से।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मैं चेयर की इज्जत करता हूं। आपने क्या समझ कर कहा ?

श्री पी. के चौधरी : He should withdraw.

श्री अध्यक्ष : He has withbrawn.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपनिवेशन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं--

(१) अधिसूचना संख्या एफ २३ (२६) राज । उप । ६८ दिनांक १५ अक्टूबर, १९६८ जिसके द्वारा बीकानेर जिले की राजस्व तहसील बीकानेर एवं लूणकरणसर तथा गंगानगर जिले की राजस्व तहसील सूरतगढ़ के कतिपय गांवों पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, १९५४ के उपबन्ध लागू किये गये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जितनी अधिसूचनायें हैं, उनको हम मान लेते हैं, ये तो बहुत सारी हैं केवल एक के बारे में आपत्ति है उसका जवाब दे दीजिये की ३१ जुलाई की अधिसूचना को सितम्बर के अधिवेशन में क्यों नहीं रखी, बाकी सब मान लो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह ३१ जुलाई की अधिसूचना अगस्त में भेज दी थी किन्तु यह इंगलिश और हिन्दी के ट्रान्सलेशन की वजह से नहीं आ सकी इसीलिये बाद में आ रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शोभाराम।

श्री शोभाराम (सहकारिता मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष १९६७-६८ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूल चन्द कटेवा। तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

एक माननीय सदस्य : इनका तो कट गया।

(स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री दौलतराम सारण, श्री मेघराज, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि चुरू जिले की तारानगर तहसील के कई गांवों में पशुओं में शिलवा रोग फैलने तथा बकरियों में शिलवा रोग के अलावा बोकणिया रोग से अधिक संख्या में पशु मर रहे हैं तथा राज्य सरकार द्वारा रोगी पशुओं की चिकित्सा और रोग निरो-

Page No 61

(श्री अध्यक्ष)

धक औषधियों की व्यवस्था न होना बतलाया है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जिन्होंने यह कहा है जिला गंगानगर की पांच तहसीलों के बारानी क्षेत्र में जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, उन गांवों में बीमारी के कारण गाय, भैंस, ऊंट, बकरी आदि हजारों की संख्या में मर चुके हैं तथा और भी मर रहे हैं। इस इलाके में खेती व पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होना बतलाया है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गंगासहाय, श्री कन्हैया लाल, श्री लक्ष्मण तानीवाल, सदस्य विधान सभा ने दी है जिसमें अलेक्जेन्डर हास्पिटल, अलवर की चारों एक्स-रे मशीनें कई महीनों से बेकार रहने के कारण रोगियों को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना अलवर में बिजली-घर के मजदूरों द्वारा की जा रही भूख हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

पांचवे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि धौलपुर उप जिला क्षेत्र के ग्राम बाड़ी में पुलिस थाने के थानेदार द्वारा एक महिला को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से गिरफ्तार करके अपने मकान में रखकर उसके साथ बलात्कार करने के कारण उक्त महिला द्वारा आत्म हत्या कर ली गई है।

उपरोक्त पांचों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें और प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मेघराज, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, सदस्य विधान सभा ने दी है जिसमें उन्होंने चुरू जिले की तारानगर तहसील के ग्राम ढाणी आशा में मिडिल स्कूल के छात्र एवं अध्यापकों के लिये पीने के पानी के अभाव के कारण स्कूल बन्द करने की सम्भावनाओं तथा ग्रामवासी जल-संकट से पीड़ित होने का उल्लेख किया है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण, श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने दी है जिसमें यह बतलाया है कि राज्य सरकार ने अकाल घोषित करने में मनमानी की है तथा नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा है। राजस्व रिकार्ड में जिन गांवों में ६ आने से ८ आने फसल में नुकसान हुआ है उन्हें राजस्थान टेनेन्सी नियमों के अनुसार अभावग्रस्त घोषित किया जाना चाहिये था।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज ही विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त इन मामलों को बजट पर होने वाली बहस के दौरान भी उठाया जा सकता है। अकाल के सम्बन्ध में इसी सत्र में पहले ही दो दिन तक बहस हो चुकी है और उस वक्त सम्बन्धित माननीय सदस्यों को इस मामले को उठाये जाने के अवसर भी उपलब्ध हुये थे। ऐसी स्थिति में में इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(विराम)

बेरी आयोग पर में एक निवेदन करना चाहता हूँ। बेरी आयोग पर वाद-विवाद दो दिन....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ कहना चाहता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मौन स्वीकृति)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव बिजली घर के मजदूरों के सम्बन्ध में दिया है, उसमें तीन दिन से भूख-हड़ताल चल रही है और जो प्रस्ताव हम देते हैं चाहे एक सप्ताह के बाद जवाब दें तो वेट हो सकता है परन्तु जो मजदूर भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं उनके जीवन का सवाल है, जिनके कारण भूख हड़ताल की गई है वह यह है कि लिखित समझौते को इम्प्लिमेंट नहीं किया। जो चेयरमैन ने एक महीने का वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया; चीफ इन्जीनियर ने १५ दिन का वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया, फिर उनको नोटिस देकर भूख-हड़ताल करनी पड़ी। १-१०-६४ को फिक्सेशन आर्डर निकले थे ५ वर्ष हो गये आज तक इम्प्लिमेंट नहीं हो सके-राजगढ़ के बिजली घर को.......

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं, उपस्थित हैं, मेरा विश्वास है इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी की जायगी। जानकारी प्राप्त नहीं होने पर ही निर्णय देता रहा हूं। इस मसले पर आपसे अपेक्षा करता हूँ-शीघ्र जानकारी दे देंगे।

मैं बेरी आयोग के प्रश्न पर यह निवेदन करना चाहता हूँ—दो दिन रखे हैं—आधा विवाद हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था प्रश्न

श्री भैरोंसिंह : इस आयोग के प्रतिवेदन को लिया जाय इससे पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको स्मरण होगा पिछले सत्र में श्री बृजसुन्दर जी शर्मा के विरुद्ध उनके द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने और अपने रिश्तेदारों के जमीन हड़पने का प्रश्न था, हम लोगों ने एक निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष महोदय, वह निन्दा का प्रस्ताव जिस समय सदन में विचारार्थ लिया जाने वाला था सदन की परम्परा के अनुसार सदन की कार्यवाही

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : परम्परा के अनुसार ?

एक माननीय सदस्य : हां, परम्परा के अनुसार।

श्री अध्यक्ष : अच्छी परम्परा है।

श्री नत्थीसिंह : बड़ी स्वस्थ परम्परा है।

श्री भैरोंसिंह : उस परम्परा के अनुसार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है मैंने उस प्रस्ताव के साथ निर्णय प्रस्ताव पेश किया था। जितने ऐवीडेन्स हम कलेक्ट कर सकते थे हमने अध्यक्ष महोदय को दी और हम आशा करते थे कि करप्शन के इस प्रश्न पर निन्दा प्रस्ताव होने पर आसन की ओर से निर्णय लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : जब निर्णय है तो आप विवाद क्यों करते हैं। निर्णय नहीं हो रहा है अभी वह विवाद तो बाद में मेरी व्यवस्था में निर्णय नहीं आये तो आप इसको शुरू कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : हम कैसे भरोसा करें।

श्री अध्यक्ष : आपकी व्यग्रता को मैं समझ गया हूँ। आपने यह फरमाया है कि, जो प्रस्ताव श्री बृजसुन्दर जी शर्मा के विरुद्ध प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में आप निर्णय चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैंने उस पर निर्णय ले लिया है और उस मोशन को मैंने एडमिट कर लिया है और उसकी तिथि सुविधानुसार लीडर आफ दी हाउस की कन्सलटेशन से निश्चित करूंगा इसलिये यह प्रश्न आगे नहीं उठता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो पिछली बार भी एडमिट हो जाता एडमिट होने का सवाल आर्डर में है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर में होने से एडमिट हुआ है। अगर आर्डर में नहीं होता तो रिजेक्ट होता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आर्डर में तो पहले भी था।

श्री अध्यक्ष : मैंने जब निवेदन कर दिया कि स्वीकृत हो चुका है। वाद-विवाद के लिए समय और तिथि की अपेक्षा है—मैं उसको निश्चित करूंगा। इसलिए व्यग्रता का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : जब तक व्यग्रता रहेगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह तो मानसिक है, मानसिक व्यग्रता नहीं रहनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना तो है कि अनिश्चित काल के लिये स्थगित नहीं करेंगे ?

श्री रामानंद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, २८ से पहले यह हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : यह पारस्परिक विश्वास पर आधारित है—अविश्वास पर नहीं है, अविश्वास पर आधारित नहीं है--विश्वास पर आधारित है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह तो हम आभारी हैं कि आपने एडमिट कर लिया लेकिन जिस प्रकार से डिले हो रही है इस केस को सदन में आने में देरी हो रही है और-जितना रेवेन्यू रेकार्ड है उसको टेम्पर-विथ करने की कोशिश की जा रही है और आज वह रेकार्ड अवेलेबल नहीं है····

बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वादविवाद

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य जितना मुझे निवेदन करना था इस संबंध में वह मैंने निवेदन कर दिया है। उसके पश्चात् मेरे पास कोई और सूचना नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहता हूँ। इस बेरी आयोग के प्रतिवेदन के वादविवाद पर २ दिन निश्चित किये गये थे। इसमें से एक दिन समाप्त हो चुका है और आज का दिन और है। मैं माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहता हूं कि बेरी आयोग पर जो कुछ भी वादविवाद हुआ है उसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की गयी है। यह रिपोर्ट जुडीशियल है या एग्जीक्यूटिव है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ जुडीशियरी की परम्पराओं का ख्याल रखते हुए कि एक न्यायाधीश ने यह रिपोर्ट दी है, उस संदर्भ में इस पर विवाद हो, प्रतिष्ठा और सम्मान जो जुडीशियरी का है उसके संदर्भ में मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि यदि इस विवाद को कम कर दिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। माननीय सदस्यों की व्यग्रता सिर्फ राज्य सरकार को सुनने की है। और इस संबंध में जो भी रिपोर्ट है वह आपके सामने है इसकी आलोचना जो होती है वह जुडीशियरी की परम्पराओं के प्रतिकूल चली जाती है हालांकि यह कोसी–जुडीशियल है·······

कुछ माननीय सदस्य : सरकार करवा रही है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूँ कि इसकी डिबेट को समाप्त कर दिया जाये और राज्य सरकार को मौका दे दिया जाये तो वह इस संबंध में जो कुछ भी कहना चाहे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे तो उस विषम स्थिति से यह प्रश्न वंचित रह जाता है। मैंने सुझाव दिया है यदि आप चाहें तो इसको मानें।

दूसरे, मैं यह निवेदन कर रहा था कि चूंकि आज इस पर डिबेट समाप्त होगी और सदन का समय ५ बजे तक का है इसलिए ४॥ या इसके आसपास, कुछ आगे या कुछ पीछे राज्य सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रश्न पर देने की मैं अपेक्षा रखता हूँ। इसके बीच में आपका वाद-विवाद हो जाये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ४।। बजे सरकार की प्रतिक्रिया सदन में प्रस्तुत करायें उसके बजाय अभी करा दें ताकि उस पर डिबेट हो जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपने जो आब्जर्वेशन्स दिये हैं हम विरोधी पक्ष की ओर से यह चाहते थे कि इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर सरकार कोई निर्णय लेती और उस निर्णय पर हम वादविवाद करते तो ज्यादा अच्छा होता जिससे बेरी साहब के ऊपर जिस तरह से कीचड़ उछाली है वह नहीं उछलती। मैंने इस संबंध में एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना भी दी है और मैं आपका ध्यान चैप्टर १९ के नियम.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं व्यवस्था का प्रश्न चैप्टर १९ के तहत उठा रहा हूँ। आप बैठ जाइये। चैप्टर १९ के नियम १५७, १५८, १५९ और १६० की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला मैंने गम्भीर मानकर आपको एक विशेषाधिकार भंग करने की सूचना माननीय श्री गिरधारीलाल जी व्यास के खिलाफ दी है। उन्होंने बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर अपने विचार प्रकट करते हुए कल इस सदन में जिस प्रकार से राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बेरी के न्याय के संबंध में और उनके पक्षपात करने के संबंध में और जिस तरह से उन्होंने उनके लिए कहा कि महारानी गायत्री देवी की सम्पत्ति का हवाला करते हुए कि जैसे उन्होंने उनको ब्राईब कर दिया है। यह कहकर उन्होंने राजस्थान की जुडीशियरी के ऊपर आघात किया है और इस कारण से उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। यह प्रश्न मैंने सदन को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने के लिए आपके पास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस विवाद को अग्रेतर आरम्भ करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर आप व्यवस्था कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आ जाये। मेरे पास चैम्बर में आ जाये मैं देख लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आ जाये तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : वह तो मैंने सुझाव दिया था। सुझाव उल्टा पड़ता हुआ मालूम होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्रिमण्डल के कोई सदस्य तो कहें कि वह आपके सुझाव को मानते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : संकट में हैं क्या कहें ?

Page No 66

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रि मण्डल के किसी सदस्य द्वारा स्पष्ट किया जाये कि वह आपके सुझाव को मानते हैं या नहीं ।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

डिबेट.

विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक भी सदस्य को समय नहीं दिया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य कल नत्थीसिंह जी बोले । अब गोकुल-प्रसाद जी बोलेंगे ।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री पी० के० चौधरी : पाइन्ट आफ इनफर्मेशन सर, पार्टी की तरफ से मेरा नाम पहले दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, 'ट प्लीज् । नाम तो पहले दे दिया लेकिन इतना तो डिस्क्रिशन इस आसन का है कि वह इधर उधर कर सकें । बिलकुल फिक्स मत कीजिए ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर, आर्डर श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (बीकानेर) माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से इस पर बहस हो रही है । बेरी कमीशन बैठाने की क्यों जरूरत पड़ी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाहें चढ़ा रहे हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पिछले आम चुनावों के पहले जैसी एक धारणा विरोधी पक्ष की ओर से फैलाई गयी कि कांग्रेस के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना है यह इनकी इच्छा थी और इसी बात का पब्लिक को नारा भी दिया । गाय के नाम पर गांव गांव पहुँचे, घर घर पहुँचे, राजा महाराजाओं को साथ पहुंचे, सेठों को साथ लेकर पहुंचे, बड़े बड़े सेठों को बाहर से बुलाया गया और उसके बाद भी दुर्भाग्य है इनका कि इतना करते हुए भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मतों से जीती और सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हुए । ८२ आदमी कांग्रेस में थे और ८२ में एक आदमी दो जगह से जीते और दामोदर-लाल जी व्यास महारानी जी को हराकर आये और बाद में कांग्रेस में कुछ माननीय सदस्य मिले और वह भी वह मिले जिनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिल सका था और वह दूसरे टिकट पर जीत कर आये और जीतने के बाद उन्होंने अफसोस जाहिर किया । उनको आप दल बदलू कहते हैं । तो आप तो आज दल बदल कर लेकर ही बैठे हैं । मध्यप्रदेश को ले लें, यू० पी० में दल बदलकर आये । तो इस बार जनसंघ की भी कुछ दाल नहीं गली । और सोशलिस्ट पार्टी वाले कहें और भारतीय क्रांति दल वाले कहे तो चरनसिंह जी दल बदलकर आये । कांग्रेस का बहुमत था और ४ तारीख को राज्यपाल

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

महोदय ने कांग्रेस को यह आमंत्रण दिया कि आप राज्य संभालने के लिए आ जाओ। इनको यह मालूम होता और इनको दिल में तसल्ली होती कि बहुमत उनके साथ में हैं तो जब असेम्बली मिलती तो उस समय आ जाते। अब यह कहते हैं कि कांग्रेस का बहुमत नहीं था। बिना बहुमत के ही राज्य कर लेंगे। हमारा बहुमत नहीं था तो हम यहां बैठकर राज्य कैसे करने लग गए और पहले भी किया और अब भी करते आ रहे हैं और कहा यह गया कल माननीय सदस्य सतीशचन्द्र जी अग्रवाल द्वारा भूठे और बेईमान। हम तो भूठे और बेईमान और यह बड़े सच्चे जिन्होंने १०९ आदमियों की लिस्ट दी कि हमारे साथ १०९ है और इनके पास मिले नहीं ९० भी। वह बड़े सच्चे थे। महारावल साहब दस्तखत कराके ले गए। इनको जैसे शक्तिसिंह मिल गया। जिन्होंने ९३ की लिस्ट दी उनको भूठा बताते हैं और जिन्होंने १०९ की लिस्ट दी उनको सच्चा बताते हैं। जिस दिन हमने ९३ की लिस्ट दी उस समय हमारे ९३ थे और इन्होने १०९ की लिस्ट दी वह भूठी थी। वह सच होंगे। गाली किसी को भी दी जा सकती है। कोई मना नहीं करता है। खुद सच्चे हों तो सब कहें....

श्री भैरोंसिंह : आप तो इसमें एक्संपर्ट हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा—आपने ठीक कर रखा है।

श्री जयनारायण सालोदिया—लाइसेन्स होल्डर हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा—जब आपको पता लगा कि राज्य कांग्रेस का बनेगा तो मानकचौक पर एक मीटिंग हुई। उसमें सब ईकट्ठा हुए, लाल, पीला हरा सब रंगों के झण्डे एक जगह इकट्ठा हुए। वहां एच० के० व्यास भी मौजूद थे, रामानन्दजी भी मौजूद थे, रामकरणजी जोशी भी मौजूद थे, और व॒ां पर मौजूद था भारतीय क्रान्ति दल, और भारतीय क्रान्ति दल सोशियलिस्ट समाज चाहता है, लेकिन करोड़ों की सम्पत्ति बन कर चाहता है। ऐसे लोग थे उसमें। इन्होंने सब ने रात को तय किया कि कल १४४ धारा तोड़ना है और ५ तारीख को सुबह राज्य लेने चलना है। मानकचौक से जुलूस बनाकर चले। जुलूस बनाकर चलने से कोई राज्य मिलता है जैसे कोई लश्कर चल रहा हो और वहां पर लड़ाई करनी थी इसलिए लश्कर बनाकर चले। उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, भारतीय क्रान्तिदल वाले भी शामिल थे, स्वतंन्त्र पार्टी वाले भी शामिल थे। गायत्री-देवी नहीं थी, लेकिन मीटिंग में कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैंने वह मीटिंग रात को सुनी। जब चलने के लिए कहा गया तो लोगों ने कहा कि अभी चलेंगे तो महारानी ने कहा कि अभी नहीं कल मैं दरबार की आज्ञा लूंगी और दरबार आज्ञा देंगे तो चलूंगी। दरबार की आज्ञा नहीं मिली इसलिए वे नहीं गई और ये सब गये, और जाकर वहां इनको करना क्या था ? राज्य लेना था। राज्यपाल के यहां जायेंगे और मोहनलाल सुखाड़िया के यहां जायेंगे....

Page No 68

(१२.३७ म० प०)

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीस और राज्य कैसे लेंगे ? राज्य पत्थरों से लेंगे। इन्होंने पथराव शुरू किया। १४४ तोड़ने की कोशिश की। झगड़ा शुरू किया। दिल्ली ले गये थे तो वहाँ से मुँह की खाकर वापस आगये तो शहर में गाली देना शुरू हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, फिजां इस प्रकार की उन्होंने यहां बनाई कि जो जयपुर का निवासी नहीं था उसके लिए निकलना मुश्किल हो गया। उदयपुर का है किसी ने कह दिया तो वह निकल नहीं सकता था। उदयपुर वालों को राज्य करने का क्या हक है ? लोग कहने लगे। महारानी ने कहा कि मरो मारो राज्य पीछो लाओ, भैरोंसिंह शक्तावत एक मरद इस्यों राणी ने बोल्यो....

(अश्रव्य)

रानी को राज्य वापस दिलाने गये....

श्री सतीचन्द्र अग्रवाल—हमारा खिताब आपने कबूल किया ऐसा मालूम होता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा—राज्य वापस दिलाने गये और राज्य वापस दिला नही पाये। भाई सतीशजी ने कल कहा कि षडयन्त्र किया और मैं भी कहता हूं कि षडयन्त्र किया है और इस षडयन्त्र का राज्य सरकार अभी तक पता नहीं लगा पाई। पहले पता लगा पाती तो इन्तजाम नहीं कर पाई। ५ तारीख को वापस गये तो बिना राज्य लिए तो आपने तय किया कि अब क्या करना चाहिए। १४४ तो टूटेगी ही और पुलिस खड़ी है। राज्य तो हाथ में आने वाला नहीं है इसलिए महारानी गायत्री देवी को दिल्ली भेजा और महा-राजा को दिल्ली भेजो और यह कहा कि १४४ किसी तरह से तुड़ा दो तो फिर हम सम्हाल लेंगे। १४४ हटवाने के लिए दिल्ली में बात हुई और यहां १४४ राज्य सरकार ने खत्म करी। १४४ जब खत्म की गई तो पुलिस तो आती ही वापस। तो इस प्रकार १४४ का पता तो था ही क्योंकि षडयन्त्र कर रखा था तो कुछ नाजियों की तरह के संगठन हैं कुछ पार्टियों के तो अपने छोटे मासूम बच्चों को जिनको ये रात-दिन भरमाया करते हैं उन लोगों को बहका कर पुलिस पर पत्थर फिकवाये गये। कुछ लोग दुकानदार थे उन्होंने देखा कि अबततो रानीजी की सरकार बनने वाली है वे पत्थर फेंकने में शामिल हो गये और पुलिस को पत्थरों से मारने लगे। आप बताईये कि क्या मोहन-लालजी सुखाड़िया ने हुक्म दिया था या किसी मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया था गोली चलाने का। पुलिस आपके सारे कारनामों को जानती थी और पुलिस को पता था कि ये लोग लड़ाई करेंगे। उदयपुर नाम सुनते तो का मारने लगते यहाँ जयपुर में और इलाकों के भी लोग थे उनका अपमान करते। ये जयपुर का राज्य चाहते थे। यहां पर और जगहों के भी लोग थे। लड़कों को सामने कर दिया और पुलिस की बन्दूकें छीनने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने अपनी रक्षा के लिए गोली चला दी। गोली चलने से जो लोग मरे उनके लिए आपसे ज्यादा मैं दुःखी हूँ और सबसे पहले हमारे मुख्यमन्त्रीजी ने जो लोग मरे उनके

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

मुआवजे की बात कही है। उन को मुआवजा मिलना चाहिए और आप जो कहते हैं उससे ज्यादा मैं कहता हूँ, लेकिन गोली चलवाने की स्थिति किस ने पैदा की? एक हथियारबन्द आदमी को पत्थर मारकर जोश किसने दिलवाया? एक पुलिस के आदमी की अगर बन्दूक छीन ले तो उसका रोजगार खत्म हो गया। उसी बन्दूक की गोलीसे मारने लग जायं तो बड़ी मुश्किल हो जाये।

अगर आपको राज्य ही लेना था तो यहां बैठ कर लेते अगर आपके ज्यादा आदमी थे तो पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। मैं, उपाध्यक्ष महोदय. यहां पर था उस दिन जयपुर शहर में और सिरे ड्योढ़ी बाजार का कहते हैं तो उसमें जहां गोली चलाने की बात आती है तो मैं सामने रहता था जहां इनके जनसंघ के साथी भी रहते थे। उस दिन यहां पर जब हम यहां से जा रहे थे तो कुछ आर्मी के आदमी थे ट्रक में, कुछ आर० ए० एस० के, नही आर० ए० सी० के तो उन्होंने कुछ जगह फायरिंग किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिरेड्योढ़ी की फायरिंगके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सामने रहते थे और आपने देखा है तो मैं इन्ट्रेस्टेड हूं कृपया जो कुछ बात हुई हो बतायें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कोई पुलिस नहीं आई। ट्रक में पुलिस वाली आर्मी के थे। मैं कह रहा हूँ कि गोली छोड़ते जाते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आर्मी वाले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिरेड्योढ़ी फायरिंग हुआ वह मिलिट्री ने किया? ऐसा है कि बेरी साहब को कोई एवीडेन्स नहीं मिल पाई है और आप जानते हैं सिरेड्योढ़ी की फायरिंग के बारे में…

श्री गोकलप्रसाद शर्मा : बेरी साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि बड़े शरीफ आदमी हैं। बेरी साहब को कहां बीच में लाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गिरधारीलालजी व्यास के खिलाफ विरोधी पक्ष ने प्रस्ताव रखा है, इसलिए ट्रेण्ड बदल गया है…

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बेरी साहब के पास गवाह गये और बेईमान आदि की गाली दी होगी तो बेरी साहब ने सोचा कि गालीगलोच वाले आदमी हैं और वे बेचारे धीरे बोलने वाले…

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पोइन्ट आफ़ आर्डर…

श्री उपाध्यक्ष आर्डर : प्लीज, माननीय सदस्य, पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उपाध्यक्ष, बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करते हुए माननीय गोकुलप्रसाद जी ने अभी यह कहा है कि मैं बेरी साहब को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और सम्भवतः बेरी साहब ने अपने प्रतिवेदन में जो बातें आपसे मुअ फ्फिक लिखदी हैं वह यह समझ कर लिख दी है कि गालीगलोच करने वाले आदमी हैं और बाजार में जाकर बदनाम करेंगे तो बदनामी के भय से उन्होंने यह कर दिया। यह एक प्रकट रूप में रिफ्लेक्शन है जुडिशियल आफिसर पर इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के शब्दों का इस सदन में प्रयोग करना अवांछनीय है.....

श्री रामनारायण चौधरी : This is no point of ordr.

श्री उपाध्यक्ष : आशय यह नहीं था जो आपने कहा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि बेरी साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उन्होंने सोचा....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। अच्छे आदमी हैं बुरे आबमी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रोसीडिंग को पढ़ लें। इस प्रकार के शब्द एक जुडिशियल आफिसर के लिए प्रयोग करना ठीक परम्परा नहीं है। प्रोसीडिंग से ये निकाले जाने चाहिये। हमारे सदन की परम्परा जा रही है इस प्रकार से।

श्री मदनसिंह : आप अपना समर्थन कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पटेल : अभी तक तो तीन वकीलों की बहस हुई है। किसानों के हक दबायें....(कोलाहल के कारण अश्रव्य) चुनाव के दिनों में एक किताब हमें मिली थी कि जिसमें उन्होंने बतलाया था कि महारानी साहिबा मुख्य मन्त्री बनेगीं तो किसानों को रेवेन्यू माफ कर देगी और पटेलों को पटेलाई दी जायगी।

विरोधी दल वालों ने कहा था कि महारानी गायत्री देवी को मुख्य मंत्री बनाया जायगा। किसानों को रेवेन्यू माफ कर देंगे पटेलों को पटेलाई दी जायगी। यह बातें हुई थी।

श्री विजयसिंह : यह जगन्नाथ वही है जिसने इसी चौपड़ पर सभी के सामने शपथ खायी थी कि मैं विरोधी दल के साथ हूँ लेकिन उसके लिये जब वे पैसा मांगने लगे तो यहां से कोई पैसा नहीं मिला। कांग्रेस वालों ने पैसा देकर इनको खरीदा चन्द चांदी के टुकड़ों पर बिकने वाले धिक्कार है जो आज चन्द चांदी के टुकडों को लेकर उधर जाकर बैठा है।

श्री जगन्नाथ : बेरी साहब ने वे ही बात बतायी है जो सतीशचन्द्र जी ने कहीं थी। उन्होंने दूसरे पक्ष वालों को सुना ही नहीं।

श्री नत्थीसिंह : यह टोंक का नमूना बढ़िया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा—मैं कह रहा था इनको अच्छा नहीं लगा इसलिये इतना हुल्लड़ मचवा दिया है। जिस समय १४४ की धारा तोड़ी गई और पुलिस वाले अपने थाने की ओर जाने लगे थे। उस समय इन पुलिस वालों पर हमला हुआ। गवर्नमेण्ट को चाहिये तो यह था कि पुलिस वालों पर जिन्होंने हमला करवाया उनके बारे में जांच करती। बेरी साहब ने तो जैसी उनके पास गवाहियां पहुँची उन गवाहियों के आधार पर उन्होंने फैसला कर दिया। दोनों तरफ की बातें सुनकर फैसला दिया जाता तो और ही फैसला होता। उन्होंने प्रशासन को बिल्कुल छुट्टी दे दी, उन्होंने प्रशासन के हर मामले को दबाया और विरोधी पक्ष ने जो बातें कहीं उसी के हां में हां कर दिया।

बेरी साहब हाईकोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ कुछ बोला जाय तो बाढ़दार साहब खड़े हो जाते हैं। वे जज जरूर है लेकिन एक आयोग के तौर पर काम करने आये थे और जो आयोग की रिपोर्ट होती है उस पर हर जगह विवाद होता है और उसकी आलोचना समालोचना होती है उस पर यह मान लेना कि यह एक हाईकोर्ट के जज की आलोचना है सही दृष्टिकोण नहीं है। यह जो रिपोर्ट है यह उन लोगों ने करवायी है जिन लोगों को ज्यादा जोर से बोलने की आदत है। बेरी साहब इतने विद्वान होते हुए भी भावना में बहकर लिख मारा।

श्री रामचन्द्र आर्य: जो अस्पताल के रेकार्ड को तब्दील करवाया क्या वह भी सरकार ने नहीं करवाया। यह आप मानकर चलिये सरकार के बगैर कहे अस्पताल के रेकार्ड में बदली नहीं हो सकती।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: क्यों बच्चों सी बातें करते हो। उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने बेचारे मासूम बच्चों को बहकाया, जिन लोगों ने जनता के सामने जहर उगला सरकार को गालियां दी और यह कहा गया कि उदयपुर वालों का राज खत्म हो गया अब जयपुर वालों का राज आने वाला है। बच्चों को पत्थर लेकर आगे करवाया। कभी सुखाड़िया जी को गाली दिलवाई, कभी रामकिशोर जी व्यास को गाली दिलवायी कभी दामोदरजी के पीछे पड़ गये और गवर्नर को भी गाली देने लगे। डॉ० सम्पूर्णानन्द जैसे विद्वान और दार्शनिक व्यक्ति को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सतीशजी जैसे सैकड़ों जिनके चेले हैं, ऐसे विद्वान के प्रति भी आपने कोई कसर गाली गलोच में नहीं रखी। पब्लिक में जब गवर्नर महोदय को गाली दी गई तो जनता यह समझने लगी कि क्या मर्दाना आदमी है जो गवर्नर को भी गाली दे सकता है। इसी जोश में बच्चे लोग पत्थर फेंकने लगे। लॉट साहब के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो मानो उसकी वाह वाही होने लगी। लोग बड़े जोश में आने लग जाते हैं। इसी तरह से महारानी जी का भाषण सुनने को भी जनता बहुत आतुर होती है। एक बार का किस्सा है भीलवाड़ा में स्वतन्त्र पार्टी की मीटिंग में महारानी जी बोलने वाली थी और उधर कांग्रेस पार्टी की मिटिंग में सुखाड़िया जी का भाषण होने को था देखा महारानी जी के भाषण सुनने को बहुत भारी भीड़ उमड़ पड़ी उसी से लोगों ने अन्दाजा लगा लिया कि यहां तो स्वतन्त्र पार्टी ही जीतेगी लेकिन वे लोग तो महारानी को...

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

सुनने आये और उनको देखने आये थे वे कैसी है और किस प्रकार से बोलती है। यहां पर भी गायत्री देवी जी बोलेगी इसलिये जनता इकट्ठी हो गई। उनके कन्धों पर बन्दूक रख कर छोटे-छोटे बच्चों को हाथों में पत्थर देकर आगे कर दिया। उनकी पार्टी में तो वर्कर नहीं है वे वर्कर तो आर० एस० एस० के थे जनसंघ के वर्कर थे।

महारावल साहब ने गवर्नर को लिस्ट भेजी कि हमारे साथ १०६ आदमी हैं। महारावल साहब जैसे सीधे आदमी मानो उनको शक्ति सिंह मिल गये। उनसे दस्तखत करवाकर चिट्ठी भिजवा दी। उनको पता तक नहीं था ये १०६ में कौन कौन से सदस्य कांग्रेस के हैं जिसमें नाथूलाल जी का काम देवीलाल जी का नाम जिनकी उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी उनका नाम लिख दिया गया। जब कभी इस बारे में देवीलाल जी से बातें होती हैं तो वे रोने लग जाते है। वे कहते हैं कि क्या आपने मुझे इतना निकम्मा आदमी समझ लिया जो मैं कांग्रेस के साथ इतना विश्वास घात करता।

श्री विजय सिंह : क्या जितने आप में मिले हैं उन्होंने विश्वासघात किया है?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक जो आप में मिले जिन्होंने आज तक शक्ल नहीं दिखाई। कहां जाकर छुप गये इतनी शानदार पार्टी को छोड़ कर उधर जाकर बैठे आज उनको यहां आते हुए शर्म अनुभव होती है।

एक माननीय सदस्य : एक आपके बगल ले बेठने वाले श्री रूपसिंह जी भी इधर बैठे हैं जिनकी बगल में आप बैठा करते थे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बैठ उधर भले ही गए हों लेकिन हमारे साथ हैं....

राजवी श्री रूपसिंह : मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह मेरी नेचर के खिलाफ है इसलिए मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा आप हमारे खिलाफ बोल नहीं सकते।

श्री आलमअली : (फतेहपुर) विनाश काले विपरीत बुद्धि" जब विनाश को समय आजावे तब अच्छा अच्छा की बुद्धि विपरीत होजाया करती है। हमारी बुद्धि भी फिरगी हैं।

श्री जगन्नाथ : (अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इस गोली कान्ड में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिये। जितनी उधर बालों की सहानुभूति है उससे किसी कदर हमारी कम नहीं है मरने बालों के साथ सभी की सहानुभूति होती है। शव बिलकुल शिव के समान माना जाता हैं और शव को आदर करना ईश्वर का आदर करना होता है।

जिन पुलिस वालों को चोटें लगीं, जिन

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लोगों ने पुलिस को पीटा उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ उसने आजतक जांच करवाई क्या? सिपाहियों को किसने पीटा है। बाजारों में इन पर पत्थर मारने वाले कौन लोग थे? किस पार्टी के लोग थे। उस समय हालत यह थी कि बीकानेर से एक सेठ साहब यहां आये जो गांन्धी टोपी पहने हुए थे उनको कहा गया कि जयपुर में जाना हो तो टोपी उतार दो इन्होंने कहा क्या तुम्हारे बाप ने यह टोपी खरीदी हैं मैं अपने पैसे से लाया हूँ। जयपुर में सफेद टोपी पहन कर नहीं निकल सकते थे। क्या कर लेंगे। हां, देखिये, ठीक कर दिया जाएगा। तो जो सवाल हुआ है। राजनीति में भी कम नहीं थे। उसी तरफ कि, लड़वाने लड़ सकूं पर मरवा को डर लागे। (हंसी) अगर खड़े हो जायें तो भाग छूटें। उस जमाने में दूसरे का रखना मुश्किल हो गया। उनकी हिम्मत नहीं थी। ११० आदमी है, इसलिए राज चलाया है। आज भी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : (खड़े हुए)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अगर ऐसी ही कला होती तो पानी नहीं आ जाता।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जैसे आदमियों के हाथ में शासन है इसीलिए पानी नहीं गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तुम्हारे चेहरे पर ही पानी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को मजबूर कर दिया कि गोली चलाई जाये। उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह : बेरी आयोग की रिपोर्ट पर बोलने से पहले····

श्री उपाध्यक्ष : आप के दल की सूची काफी लम्बी है इसलिए थोड़े में बोलें तो अच्छा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा नाम था कल।

श्री उपाध्यक्ष : कल आप का नाम पुकारा गया है।

श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप को मालूम होगा, किसी समय कंस का जमाना था। लोगबाग कंस के अत्याचार से तंग आ चुके थे। जब अत्याचार बहुत बढ़ गया तो आकाशवाणी हुई, अब तेरा अन्त आ गया है। तेरी सन्तान से ही तेरी मृत्यु होगी। उसी प्रकार से सुखाड़िया साहब का आतंक राजस्थान के कौने-कौने में फैल गया है। इसीलिए सुखाड़िया साहब को मालूम हो गया था कि हमारी सरकार अब नहीं होगी। इसका तो महारानी गायत्री देवी के पुत्रों से अन्त होगा। सुखाड़िया साहब ने सोचा मेरा जो होगा सो होगा ही लेकिन मुन्नालाल गोयल का क्या होगा। मुन्नालाल आर्य का क्या होगा? दीना भाई, है तो साले लेकिन भाई

(श्री विजयसिंह)

कहते हैं, उन दोना भाई का क्या होगा ? उनका दिमाग चकरा गया। यह २७ फरवरी की बात है। दूसरे दिन सुखाड़िया साहब को मालूम हो गया कि गवर्नर साहब के पास विरोधियों ने सरकार बनाने के लिए लिस्ट दे दी। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली में जा कर क्या करूंगा यह किसी को नहीं बताऊंगा। मैं इसका सबूत पेश करता हूँ। वह यह है, हिन्दुस्तान टाइम्स। इसके अन्दर सुखाड़िया साहब ने यह कहा था, पढ़ने की कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें उन्होंने यह कहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली से आ कर मैं यह बताऊंगा कि हमारे पास कितने सदस्य हैं। हमारे पास कितने सदस्य हैं, यह बाद में बताऊंगा। इसलिए उन्होंने यह कहा :—

"The Chief Minister added" I gave assurances also, apart from the four opposition MLAs who have already joined the party, but a formal intimation from them will be made to the Governor after my return from Delhi." He is leaving for Delhi today."

यह उन्होंने २७ तारीख को फरमाया। वह २७ तारीख को दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गये। दिल्ली में जब उनको मालविया साहब ने क्रिटीसाइज किया। मालविया साहब ने क्या फरमाया :—

"In a statement here yesterday, Mr. Malviya said the policy of inviting independents to swell the party's ranks or to make attempts to break any political group will cause justifiable irritation against us."

Mr. Malviya, who has been defeated in the Lok Sabha election from the Domariaganj constituency in U.P. disapproved of recent efforts of the Chief Minister of Rajasthan, Mr. MohanLal Sukhadia to form a government with the help of independents Not only must this move be forbidden but only new efforts in this direction should be checked, he added."

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ट नेताओं ने यह ठीक नहीं समझा कि सुखाड़िया साहब जब इस पोजीशन में नहीं है कि वह गवर्नमेंट बना सकें तो उनको गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद में क्या होता है। सुखाड़िया साहब ने क्या प्लान बनाया ? उन्होंने क्या देखा कि उनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकेगी तो राज्य में अव्यवस्था कायम कर दो। अव्यवस्था कायम हो जाएगी तो मैं दिल्ली में जाकर यह कहूंगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो मैं अपना काम बना लूंगा। आप देखिये उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ५ मार्च को ठीक १२ बजे सम्पूर्णानन्द जी ने

(श्री विजयसिंह)

जो बड़े विद्वान आदमी थे, इस समय इस लोक में नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो इस लोक में नहीं है, उसके लिए क्या कहें ? इसमें शक नहीं पर क्या करते, दबाव में आ गये। ५ मार्च को ठीक १२ बजे लाठी चार्ज करवाया। उस समय में खुद बरवाड़ा हाउस में मौजूद था। उस समय यू०पी० और मध्यप्रदेश की पुलिस आयी थी। उसको आपने सजा नहीं दी लेकिन भगवान ने सजा दे दी। यू० पी० और मध्यप्रदेश में कांग्रेस का शासन उलट गया। पुलिस ने लोगों के घरों में घुसकर लोगों को पीटा। एक व्यक्ति वीरेन्द्रसिंह बरवाड़ा, जिसको उसके मकान में घुसकर लाठी से पीटा। उनके घर में एक घमला पड़ा था, वह तोड़कर उसके शीशे को तोड़ा, वह यह है। मैं उसके यह टुकड़े सदन की मेज पर रखना चाहता हूँ। यह घमले और शीशे के टुकड़े मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। राइट हैंड के दरवाजे के शीशे को तोड़ा गया है जो कि नीचे से दूसरी लाइन में बिचला है। इस तरह से पुलिस ने जुल्म किया। अन्याय किया है। सुखाड़िया साहब का शासन बनाने के लिए लोगों को पीटा गया, औरतों को पीटा गया। क्या यही १४४ धारा होती है ? उनको पीटने के बाद उन लोगों को डाक्टरों के घरों में नहीं जाने दिया। मैं जाने लगा तो मुझे नहीं जाने दिया। मुझे वह नहीं जानते थे कि मैं एम० एल०ए० हूँ। अगर उनको यह पता होता कि मैं एम०एल०ए० हूँ तो वह हमारे साथ भी गड़बड़ करने की कोशिश करते। परन्तु, उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस वीरेन्द्र सिंह को पीटने के बाद क्या हुआ। उसके सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आ गई। वह बात है, एक जमाने में एक स्त्री का राज था। उनका नाम था पोपा बाई। उनके राज्य में बड़ा अन्याय हुआ करता था। उपाध्यक्ष जी, उनके राज्य में क्या हुआ, दो व्यक्तियों के अन्दर झगड़ा हुआ-एक दुकानदार था, एक सौदागर था। उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ तो लोग-बाग काफी इकट्ठे हो गये। लोगों ने पूछा कि तुम झगड़ा क्यों करते हो ? तो सौदागर ने कहा यह दुकानदार है वह उलटा पलड़ा करके थान बेचता है। दुकानदार ने कहा—उलटा पलड़ा करके नहीं बेचूंगा तो मुझे नुकसान पड़ेगा। लोगों ने कहा—आपस में झगड़ते क्यों हो। चलो पोपा बाई के दरबार में सब लोग पोपा बाई के दरबार में गये। पोपा बाई ने उन दोनों को सुना। मैं आपको सारी बातें सच्ची कह रहा हूँ। तो पोपा बाई ने उन दोनों को सुन कर जोरदार न्याय किया। उन्होंने कहा—पलड़े को उलटा रहने दो, सुलटा रहने दो, इसको खड़ा करके तोल दो। तो पोपा बाई ने इस तरह का न्याय किया। अब इसी तरह का न्याय दिल्ली की सरकार करती है। मैं यह नहीं कहता कि दिल्ली में पोपा बाई की सरकार है। वहां इन्द्रा जी बिराजे हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष—आप बेरी आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री विजय सिंह—मैं बेरी आयोग पर ही आ रहा हूँ। इसीमें लाठी चली है, इसी में गोली चली है।

Page No 76

श्री उपाध्यक्ष—आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री विजयसिंह—उपाध्यक्ष जी, इन्द्रा जी ने सोचा, ऐसे तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनेंगी । कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो मुश्किल हो जायगी। इसलिए उनका आदेश लिखित में तो नहीं था लेकिन उनकी टेलीफोन पर बात हुई । कामराज ने कहा, इन्द्राजी ने कहा, चव्हाण साहब नें कहा और इन सब ने मिल कर जयपुर में गोलियां चलवाई सुखाड़िया का राज कायम करने के लिए। अगर इस जयपुर की धरती पर गोलियां नहीं चलती, तो मैं आपको सही निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत कभी नहीं बनती ।

इसके अलावा अश्रु गैस से खेल फेके गये। धुंआधार रूप में आंख मींच कर अश्रु गैस के सेल फेंके गये कि जिसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते एक अश्रु गैस का सेल fell near my legs but it could not affect me. I tried to climb the stairs of Isarda House but again one more cell fell near my legs. These cells were brought from America. These cells were used against Indian people. It is shameful that thcy are being used for Indian people. America has said that you cannot use any such cells or weopons against Pakistan. So they have been used against Indians.

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वह सेल भी मेरे साथ में है। वह खाली है, चलेगा नहीं। घबराना मत । मैं उसको आपके समक्ष रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपको बेरी आयोग के समक्ष रखने चाहिए थे।

श्री विजय सिंह : बेरी आयोग ने फाइन्ड आउट कर लिया है। यह सेल है, इन सेल के ऊपर लिखा है-मेड इन यू. एस. ए....

श्री उपाध्यक्ष : यह एडीशनल एवीडेन्स है, जो इस स्टेज पर आ नहीं सकती है।

श्री विजय सिंह : उपाध्यक्ष जी, गोली चली। गोली चलने के कारण कई लोग मारे गये, कई हताहत हुए। तो महारानी गायत्री देवी घायलों से मिलने के लिए गई। मैं आपके समक्ष एक बात बताना चाहता हूँ, एक नौनिहाल बच्चा था who was given books to reach the school and his mother was hoping that her son, her child will return after g tting training, after getting education but the boy could not reach the school gate, could not return home, because the nut bonet and bullet stopped him on the road. His books were lying on the road. The boy could not com-

(श्री विजयसिंह)

plete his daily school work with the ink but books were duly filled with the works left with blood hatches which you cannot read and understand.

शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि खून से भरी हुई किताबों को छोड़ कर खून से लथपथ बच्चा चला गया। उस बच्चे ने क्या किया था? उस बच्चे को राज्य नहीं चाहिए था, जिसके कारण कि इस सरकार ने बच्चे पर गोली चलाई। मैं श्रापसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बच्चा महारानी गायत्री देवी को दूसरे रोज मिला, वह खून से लथपथ था। वह अन्तिम सांस ले रहा था। उसने महारानी गायत्री देवी को कहा कि मैं श्रापसे एक बात कहता हूँ—

"I am taking my last breath. I am expressing my sorrow. You should not bother for anything. I am dying for this land, for our country, for the democracy, for our India. You don't bother. Let me die. But one thing I would like to say that this Government who have played this mischief specially Mr. Sampurnanand and Sukhadia should not de forgiven. You have to honour my words. And the boy slept for ever.

इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या होगी कि एक बच्चा हमेशा हमेशा के लिए यह कह कर, अपनी अन्तरात्मा से कह कर सो गया। उसने यह कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति मरता है वह अन्तिम बात जो कहता है वह उसकी अपनी खुद की कही हुई नहीं होती, वह भगवान की कही हुई बात होती है। उसने जो बात कही, वह उसने भगवान की कही हुई बात कही कि इस सुखाड़िया सरकार को मत छोड़ना। सम्पूर्णानन्द को मत छोड़ना। सम्पूर्णानन्द को तो भगवान ने बुला लिया। मैं नहीं कहता कि सुखाड़िया को भी भगवान बुला ले। सुखाड़िया साहब यहीं बिराजें और अपनी आंखों से देखें कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने जो गोलियां चलवाई हैं उसके कारण वह तड़फेंगे और मृत्यु लोक में कीड़े उन पर बिलबिलायेंगे और एक दिन वह होगा जब कि उनको अपना मकान भी खाली करना होगा इस प्रकार का जुल्म उन्होंने किया है। तो वह दिन दूर नहीं है कि राजस्थान की जनता उनको बतायेगी कि उन्होंने किस प्रकार का राज्य किया है। जिस प्रकार का राज्य उन्होंने किया है उस राज्य का बदला पब्लिक लेकर रहेगी। जिस प्रकार उन्होंने गोली काण्ड किया है उसका बदला पब्लिक लेकर रहेगी।

अब मैं बैरी आयोग की रिपोर्ट की बात कहता हूँ। बैरी साहब ने क्या कहा है। एक कोतवाली के अन्दर रिपोर्ट दर्ज हुई, नम्बर ३।६२, दो बज कर ३० मिनट पर। रोजनामचे में रपट है उसमें यह लिखा है।

"अभी तक गोलियां नहीं चलाई गईं।

Page No 78

(श्री विजयसिंह)

पथराव के सिलसिले में अफसर बालाओं के हिदायत के अनुसार आगे कार्यवाही की जायगी।

इसका मतलब यह था कि उनको यह मालूम था कि गोली चलने वाली है इसलिए ही उन्होंने लिखा है कि अभी तक गोलियां नहीं चलाई गई। अगर उनको मालूम नहीं होता तो यह विवरण देने की उनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्होंने क्यों लिख दिया कि अभी तक गोलियाँ नहीं चलाई गई। परन्तु यह जो साजिश थी, इसका उनको पता था पुलिस गोलियां चलायेगी। वह कब चलायेगी यह उनको पता नहीं था। इसलिए उन्होंने यह लिखा है।

अब बैरी साहब ने अपनी रिपोर्ट के पेज ६२५ पर क्या फर्माया है। उन्होंने यह फर्माया है, एक जमुआ रामगढ़ की औरत उनके समक्ष पेश हुई। उसने अपने पति के बारे में कहा कि वह २५० रुपये लेकर जयपुर आया था लेकिन फिर वापिस वह वहां नहीं पहुंचा। उसके बारे में उन्होंने फर्माया हैं।

"I would, however, be happy if the district Administration takes further trouble to locate, if possible this man's whereabouts, so that the misery of this women is alleviated."

उसके अलावा पेज नम्बर ६४१ पर बैरी साहब ने कहा है:

"All thesee irreconcilable inconsistencies leave a streak of suspicion in my mind that perhaps more may have died."

उन्होंने यह कहा कि यह नहीं है कि इतने ही मरे हैं, और भी मरे होंगे। यह बात उनके दिमाग में बैठ गई।

"More may have died but beyond this my suspicion does not travel to lead me to any affirmative finding that some unknown persons died on the 7th March as a result of firing. One combating reason is that no one comes before me even now to reasonably connect between firing and some one having died beyond the 9 dead."

इसके अलावा बेरी साहब की रिपोर्ट में पेज नं० ६४४ में उन्होंने यह बताया कि एफ. आई. आर. अनरिलायेबल हैं, यह बताया है कि ज्यादा लोग मरे हैं, उसमें एफ, आई. आर. की अनरिलायेबिलिटी को बताया है। उसके बारे में पेज नं० ६५० पर बेरी साहब ने फरमाया है, उन्होंने फाइन्डिंग्स दी उसमें यह लिखा है:—

"I have found that these First Information Reports are unrealiable and the documents produced before

Page No 79

श्री विजयसिंह

the Commission, such as the statements of firing submitted by the District Administration, do not improve matters because they have for their base the First Information Reports, "

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा शर्म की क्या बात होगी कि माननीय बेरी साहब ने जगह जगह अपनी फाइंडिंग्स में, एफ. आई. आर. को गलत बताया है, गोली चलाने को नाजायज बताया है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने एक जगह लिखा है :—

" I have not believed their evidence on several points and, therefore, it will be necessary for me to closely examine if this time is correct vis-a-vis the circumstantial evidence. "

एक मा० सदस्य : पेज नं० बता दीजिये।

श्री विजयसिंह मकराना : यह पेज नं० ६५१ है। उसके बाद में आपसे···

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सारांश कहते रहिये··

श्री विजयसिंह : यह सारा सारांश है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सार ही कह दीजिये।

श्री विजयसिंह : पेज नं० ६८५ पर बेरी साहब ने कहा है :

" Its correctness or otherwise has to be judged and I have employed the unfailing method of results and I find that the case of 39 bullets which finds corroboration from the accounts stands shattered and wholly discredited when examined from the result-angle and sorrounding circumstances. "

उनके कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस बात को जाहिर किया है कि गोली चलाने में पुलिस की ज्यादती थी, पुलिस ने आंख मींच कर अन्धाधुन्ध बच्चों पर गोलियां चलाईं। उसमें यह जरूर कहा है कि सुखाड़ियाजी की साजिश नहीं पर साजिश नहीं इसका क्या प्रूफ है, क्या सुखाड़ियाजी किसी से मिलने गये, क्या उन्होंने यह साबित किया, वास्तव में उनकी साजिश थी अगर उनकी साजिश न होती तो ये गोलियां नहीं चलतीं।

अब एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ। टी० पी० जोशी जो गृह मंत्री के दामाद हैं उन्होंने पेज नं० ७०४ पर गोली चलाने का आधार बताया है, उसमें लिखा है :

"The sitting of shri T. P. Joshi according to me, therefore, lends support to the fact that firing had not

(श्री विजयसिंह)

stopped at 2.45 p. m. as alleged by the police, and despite........

फायरिंग स्टोप नहीं हुई, लगातार चलती रही:

the fact that the road was clear of human beings so many people were afraid and hiding behind various things ...."

जब लोग भाग रहे थे, छुप रहे थे तो कहां वह भीड़ थी जिसने पुलिस पर हमला किया था। उन्होंने साफ बताया है कि पुलिस की ज्यादती थी, लोग घबरा रहे थे और सामने नहीं आ रहेथे , फिर भी गोलियां चलाई जा रही थीं। एक औरत तीसरी मंजिल पर खड़ी थी, आप कहते हैं पैरों पर गोलियां चलाई गईं थीं, उस औरत ने क्या किया था, वह औरत तीसरी मंजिल पर बैठी थी, उस औरत की आंख पर गोली लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि गोलियां अंधाधुन्ध आंख मींच कर चलाई गईं।

मैं मेरी पार्टी का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं दो तीन बातें और कहूंगा। यह गोलियां क्यों चलाई गईं, इसका कारण क्या था ? सबसे पहला कारण था कि दल बदलू जिन्होंने चौपड़ पर कहा, माननीय जसराजजी ने क्या कहा, मैं सदन में नहीं कह सकता, उन्होंने अपनी मां बेटी के बारे में कहा........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उस समय दल बदलू का प्रश्न ही नहीं था।

श्री विजयसिंह : इस कहने का मतलब यह था कि ९२ आदमी एक साथ जायेंगे। पब्लिक बताना चाहती थी राज्यपाल को कि यह लोग ९२ हैं, पब्लिक को इस बात से कोई वास्ता नहीं था कि चीफ मनिस्टर कोई बने, पब्लिक तो यह चाहती थी कि ये लोग ९२ हैं, इनको सरकार बनाने का मौका देना चाहिये। पर इन दल वस्तुओं के कारण गोलियां चली और अपना स्वार्थ साधने के लिये वे लोग कांग्रेस में मिल गये, कोई मिनिस्टर बन गया कोई कुछ बन गया। वह समय दूर नहीं, मैं बताऊंगा कि समरथ लालजी जो सबसे पहले दल बदलू हैं उन्होंने लाखों का घोटाला कैसे किया....

श्री उपाध्यक्ष—बैरी आयोग से सम्बन्धित नहीं है।

श्री विजयसिंह—इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। गोली चलाने में इनका स्वार्थ था। आपने स्वार्थ के लिये अपनी कुर्सी कायम रखने के लिये गोली चला कर आपने अपना राज्य कायम किया। यह कब तक चलेगा, अब क्रान्ति की लहर चल गई है, क्रांति शहर के कोने कोने में फैल रही है और सिविल लाइन्स में क्रान्ति को जाने में समय नहीं लगेगा, इन मिनिस्टरों को मैं चैलेंज के साथ चाहता हूं कि बंगले खाली करने पड़ेंगे इस तरह अन्याय और अत्याचार के बल पर सरकार कब तक टिकेगी ? मैं कांग्रेसी भाइयों से कहता हूं कि यह सरकार गलत

(श्री विजयसिंह)

तरीके से बनी है, गोलियों के बल पर बनी है. इस सरकार में आपको नहीं बैठना चाहिये । अगर आप लोग सुखाड़िया जी से नहीं दबते, अगर आप में हिम्मत है तो सुखाड़िया के साथ मत बैठिये, आपका हिन्दुस्तान की जनता स्वागत करेगी। राजगोपालाचारी क्या कांग्रेसी नहीं थे, वे भी कांग्रेस में थे पर सच्चे आदमियों ने देखा कि कांग्रेस सिद्धान्तों से गिर रही है, कांग्रेस में गड़बड़ियां हो रहीं हैं तो उन्होंने कांग्रेस को लात मार दी, उन्होने कांग्रेस छोड़ दी :

उपाध्यक्षजी !यह गोली चली, इसकी जांच हुई, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि बैरी आयोग की रिपोर्ट पर गौर किया जाय, इसको रद्दी की टोकरी में नहीं डाला जाय। जिन्होंने कसूर किया है, इसमें कसूर चौहान का भी है, वह फ़र्जी चौहान है, मै भी चौहान हूं, जिन लोगों ने गोली चलवाई, कसूर किया उनको दण्ड दिया जाना चाहिये वरना जैसे मलेरिया की रोक के लिये मच्छर मार सप्ताह मनाया जाता है उसी तरह यह सरकार गोली मार सप्ताह मनाने लग जायगी। इसलिये में सुखाडिया जी से कहता हूं कि सुखाड़ियाजी साहब, कुर्सी छोड़ दो । मैं नहीं कहता कि कांग्रेस का राज्य समाप्त हो जाय, मैं दामोदर लालजी व्यास से कहता हूं कि गोली चलाने वाले सुखाड़िया साहब को हटा कर खुद कुर्सी पर बैठ जाओ, आपकी वजह से गोली नहीं चाली ।

कल कांग्रेस के मुख्य सचेतक एक पत्रकार के बारे में फरमा रहे थे कि उसने यह कर दिया, वह कर दिया वह किसी का एजेंट है । पर उनको यह पता नहीं कि उन पत्रकार को गांधीजी के पुत्र श्री देवदासजी गांधी ने अपने साथ रखा था, साथ काम करवाया था और आस्ट्रेलिया में हिन्दुस्तान की बात रखने के लिये उनकी सराहना की गई थी, उनको पता नहीं कि वे वह पत्रकार हैं वे कहते हैं उन पत्रकार के लियें कि वह बिड़ला के एजेंट हैं। ऐजेंट हैं मुन्नालाल गोयल की धर्मपत्नी मुख्य मंत्री की पुत्री जो ईन्श्योरेंस की एजेंट हैं, और लाखों रुपया कमाया है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इसका सम्बन्ध नहीं है बैरी आयोग से, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री विजयसिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि बैरी आयोग की रिपोर्ट को अमल में लाया जाय । अगर इसको अमल में नही लाया गया तो हममें हिम्मत है. हमारे अन्दर ताकत है हम इसे अमल में लाकर रहेंगे। जिन्होंने गद्दारी की उनको सजा मिलेगी । जनता अब सोई हुई नहीं है। जाग चुकी है । जनता में अशिक्षा कम हो गई है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गये हैं। अब वह दिन दूर नहीं है, घबरा गये हैं कांग्रेस के सज्जन । सुखाड़िया साहब तो इतने घबरा गये हैं कि कल से उपस्थित हो नहीं हो रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत होती तो आकर सुनते कि गोली क्यों चली ?

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बैरी रिपोर्ट को जैसी है उसी रूप में माना जाय और जो माननीय बैरी साहब ने फाइन्डिंग्स दी हैं उनके आधार पर दोषी लोगों को सजा दी जाय । वह सजा

Page No 82

(श्री विजयसिंह)

नहीं दे सकते । मैं निवेदन करता हूं कि उन पुलिस अधिकारियों को सजा तो न दें, परम वीर चक्र दिया जाता ताकि उनका साहस और बढ़ जाय और वे इस तरह का अन्याय और करते ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग की रिपोर्ट कल से सदन के विचाराधीन है, और कल से जो बयान हुए मैंने उन सबको बड़े ध्यान से सुना और रिपोर्ट को भी पढ़ा । सबसे पहले मैं यह बात अर्ज करना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र के इतिहास में यह एक नई बात है जबकि किसी कमीशन की रिपोर्ट सदन में डिस्कस हो रही हो और सरकार के वक्तव्य के बिना ही उस पर चर्चा जारी रहे कि जितनी कमीशन्स की रिपोर्ट्स आती हैं उन पर सरकार पहले वक्तव्य देती है कि उनका स्टेंड क्या है और फिर उस पर बहस होती है । मैं इस प्रजातंत्र के इत्तिहास में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं जानता जिसमें गृहमंत्री वक्तव्य न दे और सदन में चर्चा हो । हमें मालूम नहीं कि सरकार का रुख क्या है । अध्यक्ष महोदय ने पाइंट आउट किया कि बहस को कट-शार्ट करने के लिए सरकार अपनी बात कहे । विरोधी दलों की ओर से भी कल कहा गया कि सरकार का रुख क्या है, इसको एक्सेप्ट करने का है या नहीं मगर अफसोस की बात है कि सरकार अभी भी मौन है और मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ वह यह कि जितनी भी हाई कोर्ट जजेज द्वारा एन्क्वायरीज हिंदुस्तान में हुई हैं उनमें यह पहली मिसाल है कि चूंकि सरकार का इरादा है कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, हेराफेरी करेंगे....

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके सचेतक महोदय ने कहा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सचेतक सरकार नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका स्टेटमेंट नहीं हुआ । अच्छा आप कह दो कि आप मानते हैं, मैं बैठ जाता हूँ....

श्री दामोदरलाल व्यास : इतनी तेजी आ गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपसे कहते हैं कि आप रिपोर्ट को मान लें । लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहने को तैयार नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र में दूसरी मिसाल है । आज तक राजस्थान में जितनी जुडीशियली एन्क्वायरीज हुई हैं, सरकार ने हमेशा उन पर अमल किया और आपने रिपोर्ट देखने के बाद उस पर अमल किया । दो किस्म की मिसाल मैं देता हूँ एक तो छागला कमीशन जिसने टी०टी० कृष्णमाचारी के खिलाफ एन्क्वायरी की एल०आई०सी० के मामले में, टी०टी० को उसके फलस्वरूप इस्तीफा देना पड़ा । इसी तरह से पंजाब में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्री प्रतापसिंह कैरों के खिलाफ श्री एस०आर० दास जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ने एन्क्वायरी की और उसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसी तरह से यहां राजस्थान में एक एन्क्वायरी पहले भी हो चुकी है जो कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सरजू प्रसाद ने की और वह रिपोर्ट क्योंकि सुखाड़िया जी के हक में थी फौरन मान लिया। लेकिन मैं आपोजीशन वालों को दाद दिए बिना नहीं रह सकता कि जब वह रिपोर्ट आई तो आपोजीशन वालों ने बवंडर नहीं मचाया, शिष्टता से उसको एक्सेप्ट किया और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कुछ नहीं कहा।

सरकार का यह रुख अच्छा नहीं है। सरकार ने कमीशन नियुक्त किया, हाई कोर्ट जज नियुक्त हुआ और जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट हुआ और हमेशा हमारी परम्परा रही है कि जब कभी सरकार कोई कमीशन नियुक्त करती है तो सरकार उसमें एक पार्टी होती है और जब कमीशन में हाई कोर्ट जज होता है तो सरकार बाध्य होती है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार अभी भी उसको मानने के लिये तैयार नहीं है और सरकार की ओर से सचेतक महोदय कहते हैं कि यह रिपोर्ट अन्यायपूर्ण है। यह राजस्थान की जुडीशियरी के लिए और सरकार के लिए और मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह सदन के लिए लज्जा की बात है इस सदन में बैठकर एक जिम्मेदार जज के लिए यह बात कहें कि माननीय बेरी साहब ने महारानी से मिलकर एकतरफा फैसला कर दिया है, बेईमानी का फैसला किया है और यह कहा कि २१ महीने लगे और २१ लाख बरबाद हुए।

मुझे इस बात का ज्यादा दुख है, इतना दुख है कि उसका बयान मैं सदन में कर नहीं सकता कि सदन में इतने नीचे के स्टैंडर्ड की डिबेट होती है कि एक हाई कोर्ट जज के बारे में जो माननीय सुखाड़ियाजी द्वारा नियुक्त किया गया हो और जहां तक मेरी परसनल जानकारी है उनकी सिम्पेथी हाई कोर्ट जज होने के पहले कांग्रेस के साथ थी, इतनी बात मैं जानता हूं....

शासन पक्ष के कई माननीय सदस्य : अब आपके साथ हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : जब तो जलन हुई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह की बातें कल यहां पर हुई। बेरी साहब ने इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में किस प्रकार विचार रखे हैं, सदन के सामने वह बात रखता हूं जिससे साफ तौर से साबित हो जायगा कि बेरी साहब ने अगर रियायत की है तो सुखाड़िया जी और उनके सरकार के साथ की है। वरना अगर वह नेचुरल जस्टिस के प्रिन्सीपल पर शहादत को देखते तो जो कान्सपीरेसी का चैप्टर है। उसमें सुखाड़ियाजी द्वारा कान्सपीरेसी और उनके द्वारा इन्स्टीगेट करना साबित पाया जाता मगर बेरी साहब ने उसमें नेचुरल जस्टिस का प्रिन्सीपल जो कि आम तौर से इस तरह की कमीशन्स में लागू होता है उसको लागू न करके और वह प्रिन्सीपल लागू किया जो किसी फौजदारी मुकदमें में मुल्जिमान के खिलाफ अदालत करती है। उस उसूल को लागू कर उन्होंने कह दिया कि यह वाकियात है और साबित है मगर क्योंकि यह बियोंड रीजनेबल प्रोबेबिलिटीज हैं, जो किसी मुल्जिम के खिलाफ

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

साबित होना चाहिए, उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए इस कॉन्स-पीरेसी की बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वह उसूल कौनसा है जो इस तरह की कमीशन्स में काम में लिया जाता है। बेरी साहब ने खुद ने रिपोर्ट में दो रिपोर्ट्स का हवाला दिया है एक तो एस०आर० दास जिन्होंने प्रतापसिंह करो के खिलाफ एन्क्वायरी की थी और दूसरा उस रिपोर्ट में हवाला दिया है जो मुख्य न्यायाधीश श्री सरजू प्रसाद ने नाथद्वारा एन्क्वायरी की उसके सिलसिले में दी और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। श्री सरजू प्रसाद कहते हैं :

The proceedings before the Commission is not in the nature of a civil or criminal proceeding.'

यह न दिवानी मुकदमा है, न फौजदारी बल्कि यह फेक्ट फाइंडिंग कमीशन है। उसमें :

"The commission is entitled to laydown its own flexible rule of procedure suited to the ends of the investigation, and may keep in view the broad principles of evidence and natural justice."

श्री सरजू प्रसाद ने अपनी नाथद्वारा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है। उसको बेरी साहब ने पेज ८४९ पर दर्ज किया है। वैसे का वैसा पैरा दिया हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिन्सीपल को इस तरह की एन्क्वायरी में लागू करना चाहिए। इस सम्बन्ध में दास साहब ने वह जो एन्क्वायरी हुई है प्रतापसिंह कैरों के खिलाफ उसमें बात लिखी है :

This enquiry differs from civil litigation or a criminal proceeding pending in the court of law. There is no prosecutor, there is no accused and there are no charges adjudicated upon."

ऐसी एन्क्वायरी में किसी तरह का मुलजिम नहीं होता। किस मुकदमे में किस तरह की शहादत देनी चाहिए, यह सबको मालूम है।

अब मैं आपके सामने बेरी साहब ने किस नजर से इसको देखा है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बेरी साहब ने लिखा है, उनके सामने जो शहादत पेश हुई है, उसमें उन्होंने बीस पाइन्ट ऑब्जर्व किये हैं। इन २० पाइन्टस् को अपोजीशन की तरफ से भी आरग्यू किया गया था। उनमें से एक यह है कि सुखाड़ियाजी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साजिश की थी। उसमें से दस पाइन्ट उन्होंने डिस-कस किये हैं। पेज ७८४ पर ये दर्ज हैं। इससे पहले कि कॉन्सप्रेसी का मामला किस तरह से डील करना चाहिए, उसका उल्लेख किया है....

The time honoured principle in evaluating evidence

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

of this kind has been pithily summed up in Kedar Nath V. State of West Bengal"

मैं पेज ७८४ पढ़ रहा हूँ। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि इस तरह की सरकमस्टान्सेज में इस तरह की इवीडेन्स को जिसमें कि मुलजिम न हो, वहां एवीडेंस कैसी हो, वे लिखते हैं····

"It should be beyond all reasonable doubt."

इसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है···

"It is well to remember that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should in the first instance be fully established, and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused."

और नीचे बेरी साहब ने लिखा है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे सामने कोई मुलजिम नहीं है। यह तो सिर्फ एन्क्वायरी है। मेरे सामने कोई मुल्जिम नहीं है। सुखाड़ियाजी के सिलसिले में यह चार्ज है। यह मुझे लागू नहीं करना चाहिये। आगे उन्होंने लिखा है····

"I know there are no accused before me. The accusation of conspiracy has nevertheless to be judged. The well-known principles in spirit, therefore, assist me in reaching the conclusions".

दस बातें इस मामले में पाई गई हैं। उसमें पहली बात है····

"Circumstances bearing numbers (i), (ii), (iii), (viii), (ix) and (x) can find their parentage in inefficiency and negligence while circumstances bearing numbers (iv), (v) and (vi) can find their source in assertion of force verging on vindictiveness."

आगे कहते हैं, नम्बर ७ के बारे में

"... and (vii) is an instance of reprehensible recklessness." आगे उन्होंने कहा है····

"if circumstantial evidence can be explained on any reasonable hypothesis, it is not just to draw the conclusion of conspiracy"

बेरी साहब ने कहा जो कि मुलजिम के खिलाफ जो शहादत होनी चाहिये, उसमें

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सुप्रीम कोर्ट के जो उसूल हैं, उन उसूल को मानकर मैं इस पाइन्ट को नहीं मानता हूं। मैंने अर्ज किया है, नेचुरल जस्टिस और सिविल लिटिगेशन में जिस तरह से शहादतों को जज करने में काम लेते हैं, वह इस केस में काम लेते तो मुझे पूरा विश्वास है कि बेरी साहब वाकई में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सुखाड़ियाजी ने कांसप्रैसी की थी, सिद्ध कर पाते। सदन में इस बात की चर्चा है, कि बेरी साहब ने अन्याय किया है, उनकी रिपोर्ट में दुर्गन्ध आती है। वे अपोजीशन से मिल गये हैं। मुझे इस बात से बड़ा दुःख है। अगर रियायत की है तो सुखाड़ियाजी के साथ की है। उनके खिलाफ इस बात का चार्ज लगाया जाता है। नेचुरल जस्टिस से इसको देखना चाहिए। मुलजिम के खिलाफ शहादत होतो, क्रिमिनल केसेज में जिस तरह से शहादत होती है, उस तरीके से इस एन्क्वायरी में शहादत ली जाती तो यह सिद्ध हो जाता कि कान्सप्रेसी हुई है। सदन का यह स्टेन्ड्ड देखकर मुझे दुःख हुआ। कहा गया कि बेरी साहब अपोजीशन से मिल गए और इस तरह का फैसला कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर, बरी साहब के चेप्टर ८ में जो उन्होंने लिखा है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि कितनी जबर्दस्त पुलिस इस जौहरी बाजार में थी. उसकी कोई आवश्यकता वहां नहीं थी। उन्होंने कहा कि धारा १४४ को हटाने में जल्दी की गई हैं। इतने सीनियर आफिसर्स थे, २१ पुलिस के अधिकारी थे, ७मजिस्ट्रेट थे, बाहर से आई हुई पुलिस यहाँ की सड़कों पर परेड कर रही थीऔर जितने सीनियरआफीसरथे उनमें से कोई भी वहां पर नहीं थे, उस वक्त उनको इनको सम्भालना चाहिये था और यह देखना उनका काम था कि यह ठीक तरह से काम कर रहे हैं। यूपी की पुलिस यहां के लोगों की आदत से वाकिफ नहीं थी और इस पुलिस को सूना छोड देना कहां तक उचित था? जो सीनियर आफिसर्स डेप्यूट किए थे, उनमें से कोई भी गोली चलने के मौके पर मौजूद नहीं था। इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट का यह प्लान था, इस बात का उसे अन्देशा हो गया था कि शहर में गड़बड़ी होगी तो मीसचीफमांगर्स को पकड़ने का गवर्नमेंट का प्लान था परन्तु किसी भी मीसचीफमांगर को नहीं पकड़ा। कन्ट्रोल रूम में रोजनामचा नहीं रखा गया उस वक्त का। एफ. आई. आर. के बारे में हर जगह कमीशन ने लिखा है कि यह फर्जी बनाई हुई है, गलत इन्द्राज किये हुए हैं और यह एफ. आई. आर विश्वास के काबिल नहीं है। राजस्थान में इतनी पुलिस होते हुए भी कहते हैं हजारों आदमी थे आर्म्ड पुलिस के, मगर बाहर से पुलिस मंगवाई गई।

ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान की पुलिस पर सरकार का विश्वास उठ गया है। जौहरी बाजार में पुलिस द्वारा बहुतऐक्सेसिव टीयरगैस किया गया। पब्लिक के आने जाने में रेस्ट्रीक्शन्स लगा दी गई। एम्बुलैंस पर गोली मार दी गई। ये फेक्टस कमीशन ने जिक्र किए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में जो इन्जर्ड आदमी गए, और मर गए, उनके बदन से शरीर में से जो गोलियां निकाली गई, वे

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

रिकार्ड से गायबथीं और उनका आज तक कोई पता नहीं है और धारा १४४ को विड्रा करने के बाद जिस तरह से उसका फालोअप एक्शन होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। इन बातों का बेरी साहब ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। जितने आफिसर लगे हुए थे, वे सब ब्राह्मण लगे हुए थे, जिन लोगों ने जुल्म किया, उसकी अच्छी कीमतें दी गई। विशेष वकील एंगेज किए गये बैरी कमीशन के सामने पेश होने के लिए। कान्सप्रेंसी की बात ठीक है कमीशन कान्सप्रेंस की बात साबित नहीं कर सका है। यह बात ठींक है। कान्सप्रेंसी कहीं साबित नहीं होती है और वह आसानी से साबित भी नहीं हो सकती हैं। जो उसूल बेरी साहब ने लागू किये है कान्सप्रेंसी के मामले में लागू किया है, उससे साबित नहीं होतीं। क्रिमिनल केसेज में जो एवीडेन्स होती है, वह उसूल यहां लागू होता तो कांसप्रेंसी किस तरह से हुई। उपाध्यक्ष महोदय, बेरी साहब ने वही उसूल लिए हैं, जो जस्टिस जगतनारायण ने माननीय मुख्यमन्त्रीजी के इलेक्शन पिटीशन में लिए थे। उसका जो एक पैराग्राफ है जगतनारायणजी का क्रिमिनल में किस तरह से देखना चाहिये, वह मै आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। इस इलेक्शन पिटीशन के फैसले में माननीय जगतनारायण जी ने लिखा है:...

"The charges of corrupt practices are in the nature of qasi criminal charges. The proof of the charges has a double consequence. The election of the returned candidate is set asided and he incurs subsequent disqualification as well. These charges must be proved beyond all reasonable doubt like the charges in a criminal case.",

तो यह उसूल जो रिट पिटीशन में जस्टिस जगत नारायण ने लिया है उसी उसूल को मानकर, क्रिमिनल केस का उसूल मानकर, क्योंकि एवीडन्स नहीं है, इसलिये चार्जेज साबित नहीं मानी हैं। और वही उसूल बेरी साहब ने यहां लागू किया है। तो मैं गृह मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि यह जो उसूल लागू किया है यह केवल क्रिमिनल केसेज में मुलजिमान के खिलाफ लागू होता है, सिविल लिटीगेशन में और एनक्वायरीज में लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक सदस्य कहते हैं कि जस्टिस ने न्याय नहीं किया और बेईमानी की है, तो इससे दुर्गन्ध आती है, और यह बिल्कुल गलत है।

अब मैं एक दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा......

श्री दामोदर लाल व्यास: माननीय सदस्य ने मुझ से कई बातें जानना चाही हैं, अब मैं उनसे एक बात जानना चाहूँगा कि कमिशन आफ एनक्वायरी में कौन सा कानून शास्त्र लागू होता है? आपने फर्माया कि अगर सिविल कोर्ट में इस तरह का मामला होता तो दूसरी तरह की फाइंडिंग होती। तो मैं जानना चाहूंगा कि कौनसा लॉ आफ एवीडन्स इसमें लागू होता है और ऐसा कौन सा एवीडन्स है जिसको बेरी साहब ने एग्जा-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मिन नहीं किया । यह वे बता दें तो that will be helpful to me in coming to a conclusion. आपने एक नया मामला रखा है जब कि बेरी कमीशन ने कहा है कि I am not bound by Evidence Act. I am not bound by Rules of Evidence. लेकिन आपने एक नया मसला रखा है तो आप इस पर जरा रोशनी डालने की कृपा करें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने जब रोशनी डाली तब गृह मंत्री जी नहीं थे। मैंने तो दो कमिशन्स की रिपोर्ट का हवाला दिया, एक तो हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस की ......

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो मैंने सुन लिया । मैं तो लॉ आफ एवीडन्स की बात कह रहा हूँ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : उन्होंने कहा है कि सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है, इसलिये बियाण्ड रीजनबल डाउट का जो सिद्धान्त है वह यहाँ लागू नहीं होता । यह कहा है उन्होंने । आप भी वकील है, और मैंने जान बुझकर यह बात आपके सामने रखी है । मैं भी वकील हूँ और आपको बता दूं कि मैंने वापिस काला कोट पहनना शुरू कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब मैं आपकी बात समझ गया कि आपने वापिस काला कोट पहनना शुरू कर दिया।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह सब कानून क्रिमिनल केसेज में लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी खत्म करें माननीय सदस्य ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । माननीय श्री गिरधारीलाल व्यास ने कहा कि यह जो जयपुर शहर में गोली कांड हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी आपोजीशन पार्टी की है। आपोजीशन पार्टी के विधायकों ने उधम मचाया और कानून से बनी हुई सरकार को नहीं माना, डाक्टर सम्पूर्णानन्द के फैसले को गलत बताया, इसलिए यह सब हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने जो फैसला दिया उसका हवाला भी बेरी कमीशन ने दिया है पेज १० पर। राज्यपाल महोदय ने जो फैसला दिया वह भी दुनिया के इतिहास में और राजस्थान के इतिहास में एक नया फैसला दिया । कहीं पर भी दुनिया भर में ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इन्डिपेन्डन्ट मेम्बर्स हैं उनको एक्सक्लूड करके गिनती की जाय और उनकी गिनती नहीं की जाये । तो आप इन्डिपेन्डन्ट सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दीजिये । आपोजीशन के लीडर्स जब बराबर कहते रहें कि हमारी मेजोरिटी है, उस पर फिर भी........

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जब डिसीजन दिया था तो उस वक्त उस डिसीजन की गाइड लाइन्स भी बताई थी कि १९५२ में मद्रास में क्या हुआ था ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैं सारा बता रहा हूं, मुझे जानकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, मद्रास के जिस फैसले का हवाला दिया है राजगोपालाचारी का उस समय वहां अपोजीशन ने मिलकर यह नहीं कहा था कि हमारी मैजारिटी है, इसलिए वहां पर गवर्नर ने जो लार्जेस्ट सिंगल मैजारिटी वाली पार्टी थी उसको इनवाइट किया गवर्नमेंट फार्म करने के लिये। लेकिन राजस्थान में परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। राजस्थान में अपोजीशन ने ९२ सदस्य लेकर के प्रेजीडन्ट आफ इण्डिया के सामने परेड करवाई थी। हमने तो ऐसर्ट किया था और अखबारों में भी आया था, लेकिनDr. Sampuranand announced a decision of invting Shri Sukhadia to form the Government. The reason given by him for the decision was that the Congress Party was the largest single party amongst the elected members of the legislature, and because the loyalties of the independent members were not ascertainable commodities."

यह इतिहास में पहली बार देखने को मिला, किसी प्रजातन्त्र में ऐसा नहीं मिलेगा कि सयुक्त दल तो कहे कि हमारी मेजारिटी है और गवर्नर यह कह दे कि मैं तो इन्डिपेन्डन्ट्स को नहीं गिनता। अगर गवर्नर साहब यह कहते, जैसा कि सुखाड़िया साहब ऐसर्ट करते थे कि हमारे पास मैजारिटी है, हम ९२ हैं, कि कांग्रेस की मेजारिटी है, तब तो हमें कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन यह बात नहीं कही। और इसलिए गवर्नर साहब का फैसला अन्यायपूर्ण था और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे गवर्नर की तरफ से हो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, अन्याय करना पाप है। लेकिन अन्याय को बर्दाश्त करना उससे भी अधिक पाप है। इसलिये अगर अपोजीशन के विधायकों की तरफ से इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया गया और उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो इसमें कोई पाप नहीं किया। यह तो गांधीजी और विनोबाजी भी कहते हैं कि अन्याय का विरोध करना पुण्य है, यह गलत नहीं है, और इसलिये जो कुछ भी अपोजीशन के आदमियों ने किया वह ठीक था, प्रोटेस्ट करना हमारा कर्तव्य था, हमारा फर्ज था।

श्री रामनारायण चौधरी : गाँधीजी ने वायोलेंस करने के लिए कभी नहीं कहा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप तो गाँधी जी के वक्त में पैदा भी नहीं हुए थे, आप क्या कह रहे हो ? मुझे कांग्रेस में बैठते हुए ३५ साल हो गये।

तो इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर अगर आप गोली चलायें, तो यह अन्याय के सिवा और कुछ नहीं है, और इसका सारा दोष कांग्रेस पर है।

अब मैं जयपुर शहर के बारे में एक बात कहूंगा। जयपुर शहर में १९५२ से लेकर बहुधा हड़तालें होती रहती हैं, और ये हमेशा सरकार के खिलाफ होती रहती हैं, कभी स्टुडेन्ट्स की कोई बात लेकर कभी जनता

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

की कोई बात लेकर। हमेशा सरकार के खिलाफ डिमाँन्स्ट्रेशन होते रहते है, लेकिन सरकार हमेशा जयपुर शहर के आदमियों को फायदा पहुंचाने की बात करती है। एक दफा जयपुर शहर में जब फ्लड आया तो सरकार ने ३५ लाख रुपया लोगों को रिलीफ देने के लिए स्वीकार किए, और हमारे यहां अलवर में बाढ़ आई जिससे आज भी एक बांध टूटा पड़ा है, और उसको कोई बनाने को तैयार नहीं, तो वहां पर कुछ रिलीफ नहीं दिया। लेकिन इतना सब करते हुए भी सरकार जानती है कि जब वोट देने का वक्त आयेगा तब जयपुर शहर के आदमी कांग्रेस के खिलाफ ही वोट करेंगे। इसलिए सरकार चाहती थी कि जयपुर शहर के आदमियों को कोई सबक सिखाया जाय। वे चाहते थे कि जयपुर के आदमी हमेशा चीं चपट करते रहते हैं उनको सबक सिखाया जाये, और यह मौका उनको अच्छा मिल गया। गृह मन्त्री जी मुस्करा रहे हैं गोलीबाजी की बातपर लेकिन मैं सरकार को यह बात कहना चाहता हूँ कि निहत्थे और गरीबों के ख़ून से सिंचित यह राज्य जिस पर आप बैठे हो यह राज्य ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हो सकता है कि आप इसमें विश्वास करें। कांग्रेस के लोग भी आज इस बात में विश्वास करने लग गये हैं कि राज्य लेने में पांच दस आदमी मर भी गये तो क्या हुआ राज्य तो तलवार से बल पर ही कायम होता है। फिर क्यों प्रजातन्त्र की झूठी दुहाई देते हो ? मैं यह बात माननीय सदस्यों से नहीं कहना चाहता था, लेकिन दुख इस बात का है कि जवाहरलालजी की और गांधीजी की जो कांग्रेस थी उसका पतन आज देश में होता जा रहा है और उसका नतीजा मध्यावधि इलेक्शन्स ने दिखा दिया है कि क्या हालत हुई है। यह बात जरूर है कि आप राजस्थान में कायम रहे। यह बात मैं कहे बिना नहीं रह सकता और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि यह राज्य कायम रहा है तो संयुक्त दल विधायकों पर ही। हम मिल कर इस राज्य को हटाने का प्रयत्न करते तो कोई इस प्रकार का राज्य आज यहां कायम नहीं रहता। जहां भी थे वहाँ भी खत्म हो गये और हो रहे हैं। ८९ कांग्रेस के सदस्य जीत कर आये थे। जो अन्यायपूर्ण स्थिति हुई थी वह आज संसार के सामने है। एक स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य को और एक स्वतन्त्र सदस्य को आपने मिला लिया। दा साहब ने अपने लेख में स्वयम् ने कहा है कि यह तो डा० सम्पूर्णानन्दजी की ही देन थी, चूंकि उनकी कांग्रेस में निष्ठा थी इसलिये राजस्थान में यह सरकार कायम रही और चली।

इस सम्बन्ध में अधिक बात नहीं कहूँगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार के लिये यह रिपोर्ट बड़ी खतरनाक है और मैं यह जानता हूँ कि सरकार इस रिपोर्ट को मानने वाली नहीं है। इसका कारण क्या है ? जो फाइन्डिंग्स इसमें दी हुई हैं कि जौहरी बाजार में जिस रोज गोली चली ८० राउन्ड से भी ज्यादा थे इससे अन्दाज लगाया जा सकता है। जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेन्स एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लीड किया था उसको डैफिनेटली इस कमीशन ने बेसलैस और फाल्स माना है। अगर सरकार

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसको मान लेती है तो सिर छुपाने की कहीं गुन्जाइश नहीं रहती । जौहरी बाजार में गोली चले और डिफेन्स न हो ? सरकार आज इसको मानती है तो उसे रोज ही मान लेती । यदि आज इसको सरकार मान लेती है तो सरकार इतनी निकम्मी थी कि शहर में गोली चले और उसका कारण उसको मालूम न हो ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सरकार को यह सलाह दे रहे हैं कि इसको मानना नहीं चाहिये । हमने आपकी सलाह को मान लिया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप नहीं मानने वाले हैं । आप इस रिपोर्ट को मान लेते हैं तो कोई मोरल ग्राउन्ड स्टेन्ड करने के लिये नहीं है । या तो सरकार की गोली चलाने की मंशा थी या सरकार इतनी निकम्मा थी कि इसको पता नहीं था । २१ लाख रुपया जिस कमीशन पर खर्च हुआ । इसकी वकील पैरवी करते रहे । कमीशन कहता है कि बिना किसी कारण के गोली चलाई गई । सरकार इसको आज मान लेती है तो सरकार को उस रोज गोली चलने का सरकार को मालूम नहीं था तो यह कमीशन कहता है कि बिना किसी कारण के गोली चलायी । इन दोनों बातों के अलावा तीसरी बात हो नहीं सकती । इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि आयोग की रिपोर्ट सरकार के लिये बड़ी खतरनाक है । सरकार इसको नहीं मान सकती । लेकिन इतना तो मान लिया कि जो इससे इफेक्टेड आदमी हैं उनको मुआवजा दिया जाय । नहीं मानते हैं तो क्यों मुआवजा देते हैं ? एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर हमला किया इसीलिये तो । मुआवजा किस प्रकार देते हो ? मानते भी हैं और इनकार भी करते हैं । हेर फेर करना चाहते हैं । इसमें गृह मंत्रीजी माहिर हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुआवजे का कहां मान लिया ? गवर्नमेंट आर्डर पढ़ा है आपने ? मैं तो माहिर हूं लेकिन आप तो काबिल हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कम्पन्सेशन फिर किस प्रकार दे रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अंग्रेजी का लफ्ज पढ़ लीजिये । क्यों मुस्कराते हैं गोलीकान्ड की बात करते समय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं इसलिये मुझे दुख होता है । माननीय गिरधारीलालजी आ गये हैं । उन्होंने एक व्हिप अपने हाथ में ले रखा है, उस चाबुक को लेकर बेरी साहब के पीछे पड़े हैं । फिर स्वतन्त्र पार्टी के पीछे पड़े और फिर जनसंघ के लिये कहा कि उसकी मिट्टी खराब हो गई । वे चाबुक से सभी को खदेड़ कर बाहर कर देंगे । मैं नम्रता से उनको कहना चाहता हूं । ८९ जीत कर आये । एक स्वतन्त्र पार्टी के और एक निर्दलीय सदस्य को मिलाकर आपने राज्य बनाया । ९१ ही तो सदस्य संख्या बढ़ेगी । पहले आपने जनसंघ के सदस्य को बुलाया फिर २० स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों को अपने साथ ले गये । आज आपने उन

Page No 92

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दल बदलने वाले सदस्यों की क्या स्थिति कर रखी है। मैं भी हरियाणा के चुनावों में गया था। मुख्यमंत्रीजी भी वहां थे। मुझे राव वीरेन्द्रसिंहजी ने बुलाया था। राव वीरेन्द्रसिंहजी दल बदलू थे।

श्री शिवनाथसिंह : इसका बेरी कमीशन की रिपोर्ट से क्या सम्बन्ध है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मैं अभी बता रहा हूँ। किस प्रकार राज्य कायम किया वही तो बता रहा हूं।

यह एक पैम्फलेट निकाला गया राव वीरेन्द्रसिंह के खिलाफ। उसमें लिखा हुआ हैडिंग है, दल बदलुओं से होशियार। "यह दल बदलू मजबूत सरकार और खुशहाली के लिए दुश्मन हैं"। बैल की जोड़ी को वोट देने के लिए कहा गया। यह आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी का पैम्फलेट है। लेकिन राजस्थान के दल बदलू तो मजबूत सरकार बनाने वाले हैं। आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी एक तरफ कहती है और दूसरी तरफ दल बदलुओं को मिनिस्ट्री में ले रखा है। इसके लिए कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय क्या कहते हैं? वहां तो दल बदलुओं के खिलाफ यह प्रचार होरहा था और यहां पर दलबदलुओं को आसन दिया जा रहा था।

एक माननीय सदस्य : जनता ने क्या फैसला किया?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनता के सामने यह फैसला रखा गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रहने दो फालतू बातों को रहने दो। ×××

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप हमसे ज्यादा बड़े हो और इस मामले में भी बड़े हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे बोलने दीजिये। क्यों आप बौखला रहे हो? तुम्हारी बातों से दबने वाला नहीं हूँ।

यह तो आपस में हमारे में यूनिटी नहीं रही, वरना आज कांग्रेस बाहर ही रहती। उपाध्यक्ष महोदय, और वह यूनिटी आने वाली है। यह आततायी सरकार ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। शान्ति रक्खें आप। यह गरीबों की हाय आपको खा जावेगी। ये नन्हे बच्चे दस-दस बारह बारह साल के छोटे छोटे बच्चे निरपराध जिन्होंने कहा है आज की रात अन्धियारी दूर होकर प्रभात आने वाला है। बच्चों की टांगें तोड़कर उनके हाथ तोड़ कर उनको अपाहिज बनाकर आप अपना राज्य बनाना चाहते हैं? मैं सरकार के खिलाफ बोला नहीं हूँ। बहुत कम बोलता हूँ। पर आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इस तरह से बातें करते हुए मैंने सुना इन नन्हे बच्चों को।

मैं दल बदलुओं के बारे में और कहना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : वे तो सरकार के जंवाई हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यू० पी० में चुनाव हुए। वहां दल बदलू थे। चौधरी

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

नरणसिंह, उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट भाषण देने गए और दल बदलुओं के सम्बन्ध में कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने कहा कि ये दलबदलू अपने एक मर्ज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।

माननीय गिरधारीलालजी कहते हैं कि जो कांग्रेस के अन्दर हैं वे अच्छे हैं, पर मैं कहता हूँ आपके कांग्रेस के अध्यक्ष जो कहते हैं क्या आप भी अपने दलबदलुओं के बारे में वैसा कह सकते हैं? कहने को तैयार हैं? आप कह नहीं सकते क्योंकि इन दल बदलुओं के आधार पर तो आपकी कुर्सियाँ टिकी हुई हैं। आपका यह राज्य कायम है। आप उसको खुशहाली के दुश्मन मानते हैं उनको पूछो ये क्या हैं? पर आपकी तो यहां गद्दियां उन पर कायम हैं। आप चाबुक हाथ में लेते हैं। आपकी स्थिति तो यह हो रही है कि एक बार शिवजी के मन्दिर में एक भक्त जा पहुंचा। शिवजी की मूर्ति पर उनके लिंग पर एक बड़ा सुनहरा छत्र लटका हुआ था। उस भक्त ने सोचा यह छत्र किसी तरह से हाथ आ जाये तो कुछ प्राप्ति होगी। चुपके से वह मन्दिर में गया और शिवजी की मूर्ति के ऊपर ही खड़ा हो कर उस छत्र को उतार लिया। भोलानाथ बड़े खुश हुए। स्वयं उपस्थित हुए और उसे देखा और बोले यह मेरा कितना अच्छा भक्त है। और भक्त तो मेरे पर फूल और फल आदि चढ़ाते हैं, पर यह तो इतना बड़ा भक्त निकला कि यह खुद सारा ही मेरे पर चढ़ गया। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने उसको वरदान दिया कि जाओ खुशहाल रहो। राजस्थान की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और जो अपोजीशन वाले हैं स्वतन्त्र पार्टी के लोग हैं। उनको वे कइयों को उड़ा ले गए पर हमारा अपोजीशन का लीडर अभी भी आशीर्वाद देता है। आप कहते हैं हमारी सरकार स्टेबल है। मैं कहता हूँ स्टेबल नहीं स्टेल है। बदबू आती है इसमें से तो। यह घोड़ासिंहजी हमारे पर बैठे हैं। पर अगर उन्होंने हनुमानजी का रूप धारण कर लिया और अपनी शक्ति को पहचान लिया तो मुझे विश्वास है यह राजस्थान की सरकार टिकने वाली नहीं है। हमको इस सरकार में कतई विश्वास नहीं है। इनके ये कारनामे देखकर इसलिए। हम राष्ट्रपति से विज्ञापित करेंगे कि इस बैरी रिपोर्ट की लाइट में इस बर्बर नृशंस सरकार को बर्खास्त कर दे। यह हमारा ज्ञापन उनको होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिनों से बैरी आयोग की रिपोर्ट पर वाद-विवाद हो रहा है लेकिन ज्यादातर वक्ताओं ने इमोशनल होकर इस पर कहा है। वे इमोशनल सरचार्ज की बात करते हैं और यह जिस उद्देश्य से सदन में रखी गई थी उस पर डेस्परेटली राय नहीं दे पाये हैं और यह इस वातावरण में हो भी नहीं पावेगा ऐसा मुझे लगता है।

मैं आज सदन में आ रहा था तो सौ पचास लोग यहां पर नारे लगा रहे थे। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के नारे लग रहे थे वह इस सदन में भाषण उसका नतीजा था। ये नारे इस प्रकार के नहीं हैं जिससे

Page No 94

(श्री पी० के० चौधरी)

कोई शांति हो सकती हो । ये प्रोवोकेटिव नारे हैं । प्रोवोकेटिव भाषण यहां देते हैं तो लोगों में भी प्रोवोकेशन होता है । मैं इसको उचित नहीं समझता ।

एक बात मैं कहना चाहूँगा सदन में इतने अपोजीशन के लोग बोले, वे यही कहते रहे कि इस रिपोर्ट को टोटो मान लिया जावे ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या नारे थे ?

श्री पी. के. चौधरी : सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इस रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं । यह कोई गलत बात नहीं कही । इसको बैरी रिपोर्ट से भी समर्थन मिलता है । बद्रीप्रसादजी ने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का हवाला दिया । बैरी रिपोर्ट का फंक्शन क्या है इसका जिक्र किया । पर उन्होंने यह नहीं देखा कि किस संदर्भ में यह बात कही गई थी । बैरी रिपोर्ट फैक्ट फाईण्डिंग कमीशन है । उस पर लॉ आफ एवीडेन्स लागू नहीं होता । कमीशन के सामने दर्खास्त थी । कहना था हमारी तरफ से कि हमने जो डाकूमेंट्स सामग्री पेश की है, जो चीजें रक्खी हैं, स्टेटमेंट दिये हैं वे सारे तो आप अपोजीशन को देखने को देते हैं उनको एग्जामिन करने को देते हैं और अपोजीशन की तरफ से पहले कुछ स्टेटमेंट और डाक्यूमेंट्स नहीं आ रहे हैं । पहले वे आने चाहिए उनकी तरफ से भी । तो उस पर फैसला कोट किया था और उसमें बैरी साहब ने इस सम्बन्ध में कहा था—

"It is from the aforesaid angle of vision that I propose to examine the propriety of permitting or refusing inspection." इस सिलसिले में कहा था और इसका मतलब यह था कि यह जो केस हुआ इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे रिकार्ड सारी चीजें तो पेश हुई और उनको लोकतन्त्र बचाओ समिति को पहले देखने को एग्जामिन करने का मौका दिया और इसके बाद उसने अपना केस बनाया उन रिकार्डों को कंट्राडिक्ट करने के लिए उन्होंने उस पर अपना केस फेब्रीकेट किया । इससे यह साबित होता है ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, सारी बातें तो कहीं । पर उसकी एक लाइन नहीं कही । वह बता देते तो शायद यह जो झगड़ा हो रहा है बैरी रिपोर्ट पर कि इसे टोटो एक्सेप्ट किया जावे या नहीं, वह झगड़ा नहीं खड़ा होता । मैं उसको पढ़ देता हूँ : "In the Report of the Commission of Inquiry of late Sardar Pratap Singh Kairon, Mr. S.R. Das, a former Chief Justice of India, has observed...."

एस. आर. दास का कोटेशन दिया था वह यह था : "It is obvious, therefore, that the inquiry to be made by the Commission differs from a civil litigation or a criminal proceeding pending before an ordi-

(श्री पी. के. चौधरी)

nary court of law. In a civil action, there is a plaintiff and a defendant and a list of issue between them which the plaintiff may choose to abandon. In a criminal case there is a prosecutor and an accused and a charge which the prosecutor may with draw, with or without the permission of the court as prescribed in the Code of Criminal Procedure. In both cases the issue or charges has to be determined by the Court by a judgment or order which becomes binding and enforceable as between the parties."

जो ऐसा करते और फाइण्डिंग एज ए जजमेंट होता तो देट बिकम फोसिबिल एण्ड बाइण्डिंग आन दी पार्टीज ।

"In an inquiry under the Act, however, there is no plaintiff or prosector, there is no defendant or accused and there is no lisor charge to be adjudicated upon by the commission by a judgement or order pending and enforceable inter-parties."

मतलब यह होता है और इसे बेरी कमीशन नेखुद भी स्वीकार किया है तो मेरे कहने का मतलब यह था कि यदि बेरी कमीशन इस बात को मानता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया है कि हमारी जो फाइण्डिग है वह फेक्ट फाइन्डिग कमीशन है । और यहां पर अक्यूज्ड पार्टी नहीं है । न तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्टी है और न लोकतन्त्र बचाओ समिति एक पार्टी है । इस हालत में आप कहते हैं कि बेरी आयोग ने कहा यह लागू होता है या नहीं उस पर यह होता है । फेक्ट फाइण्डिग कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसको गवर्नमेंट कन्सीडर करती है और जो माननीय सतीशचन्द्र जी ने कहा गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी कि कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको मानेगी । मेरा जहां तक जानकारी है, गवर्नमेंट ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और अगर दिया हो तो........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री पी० के० चौधरी : मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऐसा देती है तो यह अगेन्स्ट रूल है-वह तो मैं एक मिनट में बतासकता हूं । बेरी कमीशन की रिकमन्डेशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । बेरी कमीशन की रिकमन्डेशन में ९ रिकमन्डेशन की हैं देयर आर नाइन रिकमंडेशन किया है, उपाध्यक्ष महोदय जिसमें ४६ तो मोशन हैं और ९ सिफारिशें हैं । ८ के सम्बन्ध में सरकार इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करता है । ८

(श्री पी. के. चौधरी)

आऊट आफ लाइन को तो स्वीकार करता है। सरकार एक एक करके रिकमन्डेशंन देखेगी तो मेरे ख्याल से ८ पर कोई आबजेक्शन नहीं हो सकता है। यानी एक रिकमेंडेशन यह है कि जिनको नुकसान हुआ है उनको कुछ मदद देनी चाहिये, सरकार मानती है, हम भी मानते हैं दूसरी बात यह है कि—

"All those persons who suffered the bullet injuries in Johri Bazar on the 7 March, 1967 and in Sire Jeori Bazar on the same day whom I have held to have received bullet wounds should be appropriately compensated."

यह गवर्नमेंट कंसीडर करती है आप कहेंगे पनिशमेंट देना चाहिये-गवर्नमेंट कंसीडर करती है। मैं बताता हूँ बाकी जो सिफारिश है- थर्ड सिफारिश-

"Those who have admittedly fired in Johari Bazar on the 7th March, 1967 should be punished according to law as the appropriate Government deems fit.

Every endeavour should be made to ascertain as to who fired in Sirehdeori Bazar and if the persons who fired are traced, they should be punished."

फायरिंग का तलाश करना चाहिये। गवर्नमेंट मानती है, हम भी मानेगें-जांच करेंगे सरकार का कोई झगड़ा नहीं हो सकता। चौथी बात यह लिखते हैं।

"Immediate steps should be taken to provide the police with safeguards against the menace of stone pelting. And discipline should be instilled in the lower ranks not to indulge in stone pelting."

ये जो नेता लोग पब्लिक पर पत्थर फेंकते हैं। सरकार को कोई सेफ गार्ड पुलिस को रखना चाहिये। जैसा आज अखबार में देखा पुलिस के लिये कोई ढाल वगैरह बनाई है। जापान से यूनिफार्म मांगा है। पत्थर फेंके, लाठी मारे तो चोट नहीं आये।

"Serious thought should be given to circumscribe the use of tear gas in thickly populated areas and modern alternatives considered in such situations.".

हम उसको डिसप्यूट नहीं करते हैं। टीयर गैस यूज नहीं करना, मौक फायरिंग करना चहिये। इसमें आपको भी आबजेक्शन नहीं हो सकता है-सरकार को भी नहीं होना चहिये आगे लिखा है—

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : नेक्स्ट स्टेप्स टू बी टेकन ।

श्री पी० के० चौधरी: Necessary steps should be taken to enforce the existing rules regarding the proper maintenance of the police records.

हम मानते हैं नियम अच्छी तरह से पालन होना चाहिये । सरकार देखेगी । सरकार कभी नही कहेगी नियम अच्छी तरह पालन नहीं हो ।

सातवां—"Steps should be taken to eliminate as for as possible the defects noticed in the medical records."

ऐसा कोइ डिफेक्ट नोटिस में आता है तो सरकार कभीं नही कहती है फालतू है-खराब है ।

आठवां : "Let the leaders of public opinion appreciate that the language of agitation is not appropriate in every case and it is easier to set it in motion than to regulate and control it. Rule of law suffers from public disorder and does inestimable damage to the cause of democracy. The language of stone pelting, the preference for which seems to be increasing, shoul be discouraged by serious efforts."

हम तो इसको बिलकुल महसूस करते हैं हम मानते है या नही मानते हैं लेग्वेज बही यूज करते हैं । आज लेंग्वेज जो यूज कर रहे है वह उस प्रकार का नहीं है जैसा बेरी साहब ने कहा है ।

नवां "Serious thought should always be paid before clipping the civil liberties of the people and it should be minimum necessary. But legal restrictions once imposed should be enforced firmly so that the majesty of law does not suffer,

८ रिकमन्डेशन जो हैं उनमें से दो नम्बर का रिकमन्डेशन कहा उसमें सरकार विचार कर सकती हैं, विचार करेंगे क्या बात हैं ? लेकिन बाकी ८ जो है सरकार को इसमें कोई झगड़ा नही । हो सकता है तो आपका झगड़ा हो सकता हैं । एक रिकमन्डेशन ऐड्मिटेडली इन्होने फायरिंग किया हैं कमीशन ने नहीं कहा है जैसा माननीय सतीश जी कह रहे थे । आई० जी० बैठा हुआ है । डी० एस० पी० बैठा हुआ है वे करप्शन कास्ट करते हैं । कमीशन इतना ही कहती है :

"......should be punished in accordance with law as the appropriate Government deems fit."

श्री पी, के. चौधरी

कानून के अनुसार ऐप्रोप्रियेट गवर्नमेंट—जैसा पी० ए० सी० ने फायरिंग किया, ठीक किया उसको राजस्थान गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। दूसरी बात पूछ सकती है who did the firing ? उसमें न एस० पी० आते हैं, न डी० एस० पी० आते हैं। न कलेक्टर आते हैं। उनकी सिफारिश में आता है १००) रु० पाने वाला सिपाही जिसने फायरिंग किया है। अब झगड़ा होता है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा राजस्थान में पहली बार फायरिंग हुआ है। बड़े भारी फायरिंग हुये हैं। मैं आपको बताऊं पिछले साल ६७-६८ में जहां पर विरोधी दलों के राज्य हैं वहां पर फायरिंग हुआ है, लेकिन वहां पर इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, केरल में ६७ में एक फायरिंग हुआ, मद्रास में हुआ ६८ में दो बार हुआ। मध्य प्रदेश में ४ हुये और ६८ में एक हुआ। फिर उड़ीसा में ६७ में ३, ६८ में ४ और यू० पी० में ६७ में ७ हुये जब ये गवर्नमेंट थी, तो मेरा यह निवेदन था जिस प्रकार प्रोपोर्शनेटली यह बात आपकी सरकार जैसे करती है और राजस्थान में अनोखा हो गया है और किसी जगह नहीं हुआ। मैं तो नान...

एक माननीय सदस्य : फार व्हाट काज ?

श्री पी. के. चौधरी : गवर्नमेंट का काज है। जहां बहुत सारी फायरिंग हुआ है जैसे केरल में ज्युडिशियल एन्क्वायरी चल रही है, उड़ीसा में ७ जगह पर हुआ है दो जगह ज्युडिशियल एन्क्वायरी चल रही है। यू. पी० ७ में जगह.......

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Do you call it creditable ?

श्री पी० के० चौधरी : आपकी गवर्नमेंट में इतना इतना फायरिंग हुआ है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या क्रेडिटेबिल है ?

श्री पी. के चौधरी : क्रेडिटेबिल नहीं है। हम किसी फायरिंग को ठीक नहीं मानते। जैसा यहां हुआ है और जगह नहीं होता है ? फायरिंग कैसे हुआ ? कब हुआ, कहां हुआ ? फायरिंग जस्टिफाइड था या नहीं था ? बेरी कमीशन ने यह कहा फायरिंग जस्टिफाइड नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दें जहां जहां फायरिंग हुआ है कोई ऐसा स्थान है तीन घंटे लगातार फायरिंग हुआ है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कहां हुआ ? यहां भी नहीं हुआ।

श्री पी. के. चौधरी : तीन घंटे हुआ या नहीं हुआ—मेरे पास जानकारी नहीं है। आप कहते हैं कि तीन घंटे हुआ है, बेरी कमीशन ने कहा तीन घंटे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन का कहना है २० मिनट हुआ है।

गवर्नमेन्ट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि फायरिंग १५-२० मिनट हुआ है, यही डिस्प्यूटेड पाइन्ट है। आखिर में कमीशन ने रिपोर्ट दी है तो गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि वह उस पर

(श्री पी. के, चौधरी)

किस तरह से कन्सीडर करे। यह फैक्ट फाइन्डिंग कमीशन है और वह निर्णय पर पहुंचा है कि इन फैक्ट्स के आधार पर यह उसकी फाइन्डिंग्स हैं। आखिर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं उनके ऊपर एक्शन भी लेना होता है क्योंकि बेरी कमीशन ने यह कह दिया कि यह हुआ अनजस्टीफाइड था। "यू कैन नाट पनिश", आर० ए० सी० के कान्सटेबल को कोई सजा नहीं दे सकते जब तक कि आप उसको साबित नहीं करते कि इसने फायरिंग किया और विदाउट प्रोवोकेशन किया। बल्कि बद्रीप्रसाद जी प्राईवेट डिफेन्स की बात किया करते थे। कमीशन ने तो प्राईवेट डिफेन्स में कहा है। यह कहा है मैं सुना देता हूँ कि प्राईवेट डिफेन्स में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ग्रोन ड्यूटी जब उसको ग्रीवियस हर्ट होती है या उसको जानमाल का खतरा होता है तो उसको राइट ग्राफ फायरिंग करने का है। then he has got a right to fire, and fire to an extent, जब तक कि असाल्ट करने वाला नहीं चला जाता है। पेज ४२१ में लिखा है राइट ग्राफ प्राईवेट डिफेन्स में : "For one thing, the right does not arise if there is time to have recourse to the protection of the public authorities, and for another, it does not extend to the infliction of more harm than is necessary for the purpoee of defence. Another limitation is that when death is caused, the person exercising the right must be under reasonable apprehension of death, or grievous hurt to himself or to those whom he is protecting., and in the case of property, the danger to it must be of the kinds specified in section 103. " उसके बाद में कहते हैं कि :

"There can be no doubt that in judging the conduct of a person, who proves that he had a right of private defence, allowance has necessarily to be made for his feelings at the relevant time. Ee is faced with an assault, which causes a reasonable apprehension of death or grievious hurt and that inevitably creates in his mind some excitement and confusion. At such a moment, the uppermost feeling in his mind would be to ward off the danger and to save himself or his property, and so he would naturally be anxious to strike a decisive blow in exercise of his right. It is no doubt true that in striking a decisive blow, he must not use more force than

(श्री पी. के. चौधरी

appears to be reasonably necessary."

उसके बाद भी कहते हैं : "The law of private defence does not require that the person assaulted or facing an apprehension of an assault must run away for safety. It entitled him to defend himself and law gives him the right to secure his victory over his assailant by using the necessary force. This necessarily postulates that as soon as the cause for reasonable apprehension has disappeared and the threat has either been destroyed or has been put to rout, there can be no occasion to exercise the right of private defence. If the danger is continuing, the right is there, if the danger or the apprehension about it has ceased to exist, there is no longer the right of private defence."

यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि राइट ग्राफ प्राईवेट डिफेन्स का सवाल है जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट ग्रोन ड्यूटी है उसमें राइट ग्राफ प्राईवेट डिफेंस रहता है। जब उसको शंका होती है कि उसकी जान माल का या उसके कामरेड के जान माल का खतरा हो सकता है।......

श्री रामानन्द अग्रवाल : That is available to every citizen.

श्री पी० के० चौधरी :.....यह जो फायरिंग हुआ यह जस्टीफाइड था या नहीं या फायरिंग जस्टीफाइड था तो एक्सटेंट ग्राफ फायरिंग जस्टीफाइड था या नहीं यही बात थी और कोई बात नहीं थी। तो इस संबंध में जो आप कहते हैं कि कमीशन ने कहा है कि क्राउड नहीं था, प्रोवोकेशन नही था और इस बिना पर कहते हैं कि कमीशन ने अपनी किसी वजह से हो हम नहीं कहते कि क्यों लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी भी गवाहियां पेश हुई थीं उन सब के सब को डिसबिलीव किया है। हमारी ओरल एवीडेंसेस हैं, रेकर्ड हैं सबको डिसबिलीव किया है। रीजन उनका कुछ भी हो लेकिन सब को डिसबिलीव किया गया है और अपोजीशन की तरफ से जो गवाह पेश हुए और कमीशन के खुद के गवाह बुलाये गये थे उन सब को कमीशन मानकर चला है। तो मैं मानकर चलूंगा कि मानो गवर्नमेंट के सारे गवाह झूठे थे। कमीशन के जो गवाह थे और जो अखबारों में समाचार थे उनकी प्रोसीडिंग्स को सही माना है, उनको गाइड लाइन माना है। मैं कहता हूं कि उन्हीं के आधार पर साबित होता है कि क्राउड था और पुलिस की जान माल का खतरा था। यह नहीं होता तो मैं मानता कि यह कमीशन ने एवीडेंस को माना है। यह फैक्ट्स फाइन्डिंग कमीशन है और कमीशन

(श्री पी. के. चौधरी)

फैसला करेगा It must have a basis facts. यानी इमेजिनेरी कन्क्लूजन नहीं हो सकता। जो एवीडेन्स रेकर्ड किया गया है चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे अपोजीशन की तरफ से हो उन्हींके फैक्ट्स पर देना चाहिए कमीशन ने यह भी कहा है कि अखबारों में जो समाचार प्रकाशित हुए, कमीशन एपाइंट होने के पहले—८ तारीख के अखबार को उन्होंने सही माना है और उसमें जो अनुसूया प्रसाद जो कि कमीशन का गवाह था......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नवज्योति अखबार का संवाददाता है। वह नवज्योति जो कांग्रेस का भोंपू है। नवज्योति अपोजिशन का अखबार नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : अखबार की बात नही कहता कि अपोजीशन का है या कांग्रेस का है। मैं तो कह रहा हूं कि अखबारों में जो बात आई थी ७–८ मार्च को उसको सही माना है और नवज्योति का जो संवाददाता अनुसूयाप्रसाद था इसको कमीशन ने खुद के गवाह की हैसियत से उसको माना है....

राजवी श्री रूपसिंह : This is a passing reference.

श्री पी० के० चौधरी : आखिर फाइन्डिग्स का कोई आधार होना चाहिए। आपको आज किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाये तो आप भी तो फाइन्डिग्स के आधार पर ही अपना फैसला दोगे चाहे मेरी गवाही पर दो या किसी और की गवाही पर दो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ७५०० पेज का रेकार्ड है।

श्री पी० के० चौधरी : वह तो ठीक है लेकिन उसी के आधार पर होना चाहिए। कमीशन ने फाइन्डिग दी है कि क्राउड नहीं था, प्रोवोकेशन नहीं था और पुलिस ने फायरिंग किया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि १०० रु० तनख्वाह पाने वाले जो पुलिस का कर्मचारी है, पुलिस का सिपाही है वह जानता है कि उसको गवर्नमेन्ट से कोई मदद नहीं मिलती है। हमेशा कमीशन बैठता है। जहाँ भी लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए फायरिंग होता है सबसे पहले उसके ऊपर कमीशन बैठता है और उसके ऊपर चार्ज होता हैं कि तुमने क्यों किया ? ७ तारीख के रेकर्ड ले साबित होता है कि १३१ पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। आप क्या कहते हैं ? ह्यूमन साइकोलॉजी से मैं कहता हूं कि क्या आप बंदूक नहीं उठायेंगे अगर आपके ऊपर पत्थर पड़ता है तो......

श्री मदनसिंह दांता : अश्रव्य।

श्री पी० के० चौधरी : मदनसिंह जी बैठिये। मुझे मेरी बात कहने दो.......

कमीशन कहता है कि मानकचौक पर जो फायरिंग हुआ वह जस्टिफाइड हुआ है।

(श्री पी. के. चौधरी)

क्यों जस्टीफाइड हुआ ? क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है। मजिस्ट्रेट ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम भाग जाओ क्योंकि १४४ लागू हो गया है। मजिस्ट्रेट ने कह दिया। उसके बाद उचित समय दिया भागने के लिए फिर भी क्राउड नहीं भागी तब जाकर फायरिंग हुआ। तो वह जस्टिफाइड हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मौके पर जाकर देखें। सिर पर पत्थर गिरता है और मरने का खतरा है उस वक्त फायरिंग न करें तो क्या करें ? तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर फैसला देते हैं। आप कहते हैं कि ६७-६८ पुलिस कान्स्टेबल जौहरी बाजार में ड्यूटी पर थे। क्या आप मानते हैं कि कोई क्राउड नहीं थी और एक दो आदमी थे और उन्होंने पुलिस पर जो कि हथियारबंद थी उन पर हमला कर दिया और पत्थर मारे। मैं तो कहता हूं कि कमीशन के रेकार्ड नें कुछ भी रेकर्ड हुआ हो। मैं जयपुर में रहता हूं और आप भी जयपुर में रहते हैं। मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं और दिल में जानते हैं कि क्राउड थी या नहीं थी ? होने का क्या हुआ यह बात अलग है। आप यहां कानूनबाजी करते हैं।

मैं तो आपसे कहता हूं कि ८ तारीख की नवज्योति पढ़ लें और आप चाहें तो मैं पढ़कर सुना देता हूं। वह कमीशन के रेकार्ड में है और समिति की तरफ से रेकार्ड में पेश की गई है, एकजीबिट नं० एस २१, उसमें लिखा हुआ है—

"जैसे ही रेडियो से यह समाचार प्रसारित किया गया कि कुछ भागों से धारा १४४ हटा दी गई है ऐसे ही बाजारों में जौहरी बाजार में भीड़ जमा होने लगी और लोग नारेबाजी करने लगे।" यह गवाह में पेश किया गया था समिति की तरफ से उसमें यह कहा जाता है कि "भारी भीड़ थी और नारेबाजी कर रहे थे। उसमें और कहते हैं—

"इससे पूर्व वह जौहरी बाजार में सवा बारह बजे तक स्थिति पूर्णतः पुलिस के नियंत्रण में थी जब तक कि १४४ धारा नहीं हटी थी वह पुलिस के नियंत्रण में थी। गलियों के अंदर एकत्रित लोग भीड़ में चल रहे थे। शुरुआत में तो पैदल चलने वालों को जाने आने में कोई खास रुकावट नहीं थी।"

यह वे कहते हैं। उस दिन तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि ८ तारीख को कमीशन बैठेगा। उस दिन के अखबारों में यह बात थी। कमीशन साहब ने फर्माया कि पुलिस रेस्ट्रिक्शन ने प्रोवोक किया। वे शुरू में कहते हैं कमीशन कि प्रेस रिपोर्ट्स को हम गाइडलाइन मानते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कई गवाहों ने इस बात को नामंजूर कर दिया कि वह बातें अखबारों में नहीं आई थीं। होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि ऐसा नही कहा, अखबारों में इन्सीडेन्स रिपोर्ट नहीं हैं इसलिए इस बात को नही मानते हैं। आखिर क्या आप एक सिपाही को फांसी देना चाहते हैं, सिपाही को सजा देना चाहते हैं ? तो कम से कम मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह चीज ही सरकार करेगी। फैक्ट्स पर जायेंगे

(श्री पी. के. चौधरी)

और फैक्ट्स पर जाना चाहिए। कमीशन ने जो कुछ कहा है वह जजमेंट नहीं है। जजमेंट होता है तो मौका मिलता है। मुलजिम है उनको डिफेन्ड करने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए जो आदमी थे, जिसको फाँसेंगे, जिसके ऊपर सजा पड़ेगी, वह आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, किसी के ऊपर नहीं पड़ेगी। एक शब्द नहीं कहता है कमीशन आई०जी०पी० और एस०पी० के लिए। वे नहीं आयेंगे। आप जो बात कहते हैं कि सरकार एक्शन ले तो वह गरीब सिपाही मरेगा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन....

श्री मदनसिंह : मैं यही कह रहा था कि आप जो कहना चाहते हैं वह बिल्कुल ठीक है कि अगर सिपाही अकेला होगा और उसके पास राइफल होगी और उस पर कोई हमला करता है तो वह बाध्य है गोली चलाने के लिए। अगर यह बता दें कि सिपाही के पास और भी पुलिस आफिसर थे जिसको हमने माना है और जो आज तक मेम्बर नहीं हैं......

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह आप बता देना।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा निवेदन यही है कि आखिर आप लोग डिसकशन क्या करना चाहते हैं ? मैं यह मानकर चलता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा साबित हुआ है वह यह है कि अपोजीशन ने कहा था वह तो हुआ ही नहीं। सारी रिपोर्ट का जो आपने बवन्डर फैलाया है कि कॉन्स्पीरेसी थी सुखाड़िया की, यह था, वह था तो इन सारी बातों को कमीशन ने झूठा पाया, सारी बातों को बेबुनियाद पाया, वह साबित नहीं हुआ। किसका कारपोरल करना चाहते हैं ? किस बात का कमीशन बिठाया गया ? बात क्या है ? दो दिन से विवाद इस पर चल रहा है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मंत्रिमण्डल में ले रहे हैं क्या ?

श्री पी. के. चौधरी : मैं तो न जाने वाला हूं और न जाऊंगा। मैं सही बात कह रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डी०सी०सी० के सेक्रेटरी थे तो आप जाकर यह एवीडेन्स पेश करते। किसने मना किया था ? आप शहादत पेश करते ?

२.३३ म. प.

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जरूरी नहीं था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप चैयर को एड्रेस कीजिये।

श्री पी. के. चौधरी : मैं, सभापति महोदय, यह कह रहा था कि मैं दो दिन से बहस सुन रहा था। बहस जो मुद्दे की बात है उस पर नहीं चल रही है। कमीशन की रिपोर्ट पर बोलते हुए आप यह कोशिश कर

(श्री पी. के. चौधरी)

रहे थे कि क्राउड नहीं था। विचार इनका होना चाहिए सदन में कि कमीशन ने यह फाईडिंग दिया है कि जौहरी बाजार में क्राउड नहीं थी, पुलिस के साथ पत्थरबाजी नहीं हुई और पुलिस ने वैसे ही गोली चला दी तो जाकर वह जस्टीफाइड होता। कमीशन खुद भी कह दे कि फायरिंग अनजस्टीफाइड है तो रीजन्स तो देने पड़ते हैं। वह रीजन्स कहां से दें ? जो रेकार्ड एवेलेबल हों उससे देना चाहिए न कि अपने मन से। उसके लिए कमीशन रीजन्स देता तो बात थी। मेरा जैसे चुनाव कैन्सिल कर दिया जगतनारायण साहब ने तो अपने मन से कर दिया। वह इस बात पर कर दिया कि एक गवाह आया ओरल एवीडेन्स के लिए मेरे खिलाफ प्रेसमैन। उसने आकर कहा कि मुझको पेमेन्ट हुआ है। मैंने पेमेन्ट लिया है और सेवरल लोगों के सामने लिया है, काफी लोगों के सामने लिया है। उससे पूछा कि किसी का नाम जानते हो तो उसने कहा कि नाम नहीं जानता हूं। उन्होंने कहा कि बिल बुक पेश करो तो बोला कि बिल बुक तो मेरी वाइफ ने जला दी। रसीद देते हो तो रसीद भी नही देता हूं। जगतनारायण साहब ने फैसला कर दिया कि इन्डिपेन्डेन्ट गवाह को मानता हूं और फैसला कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। उन्होंने देखा कि यह कैसे हो सकता है कि जो कागज पेश किया गया है वह नीचे से काटकर पेश कर दिया। पर्चा पब्लिश करने वाले आदमी के दस्तखत काटकर पेश कर दिया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जगतनारायण साहब ने फैसला किया है वह गलत किया है तो क्या सुखाडियाजी का जो फैसला किया है वह गलत किया है ?

श्री पी. के. चौधरी : यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य : ये एवीडेन्स की बात बता रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : फैसला होता है फैक्ट्स पर और वह फैक्ट्स पर होना चाहिए। फैक्ट्स को छोड़कर फैसला क्यों कन्सर्न हुआ ? वह इस बात पर कन्सर्न हुआ कि एक आदमी कहता है उसकी शहादत मानते हैं जो सही....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय सदस्य, यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आप बात कर रहे हैं जगतनारायणजी के फैसले की तो वह फैसला दे दिया और अपील ने आपको सेव कर दिया तो क्या आपको यह अधिकार प्राप्त है कि जो फैसला हो गया है उसके बारे में टीका-टिप्पणी कर सकें ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह फैसला रद्द हो गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप बेरी कमीशन के बारे में कहना चाहते हैं कि फैक्ट्स के आधार पर देना चाहिए....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह रिपोर्ट है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उसमें क्या आपको यह कहने का अधिकार प्राप्त है ?

श्री पी. के. चौधरी : प्राप्त है, क्योंकि इसमें लिखा है—"deems fit"

"डीम फिट' का सवाल जब आता है वह इस बात को कहता है कि गवर्नमेंट एसेस करेगी कि जो फैक्ट्स फाइंडिंग किये गये हैं और जिस कन्क्लूजन पर आये हैं वह फिट है। अगर वह जजमेंट इन आर्डर होता तो गवर्नमेंट उसको इम्पलीमेंट करेगी। यह जजमेंट इन आर्डर नहीं है। बेरी कमीशन ऐसा नहीं है कि वह किसी के ऊपर कोई आर्डर ऑफ जजमेंट दे रहा हो। किसी को इन्डीकेट नहीं कर रहा है। इन्डीकेट करता है तो कम से कम मौका दिया जाना चाहिये था उसको डिफेन्ड करने के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सारी बहस हो रही है वह फेक्ट्स से दूर हो रही है, और जब फैक्ट्स से दूर की बात आती है तो, सभापति महोदय, मैंने जैसा अभी बताया कि इस फेक्ट को उन्होंने ध्यान में नहीं लिया। जब उन्होंने यह फाइंण्डिग दी कि फायरिंग किया तो क्राउड नहीं थी तो यह जो फैक्ट है, जिसको समिति ने प्रस्तुत किया है उनके सामने और जो कमीशन ने शुरुआत में कह दिया इन्ट्रो-[illegible]न में कि मैं इनको गाइड लाइन लेकर [illegible]ता हूं समाचारों को जो कि ८ तारीख, ६ तारीख और ६ तारीख के समाचार पत्रों में आये हैं उनको हम सही मानकर चलते हैं क्योंकि उस समय कोई इन्ट्रेस्टेड पार्टी नहीं थी। गवर्नमेंट का यह अन्दाजा नहीं था कि कमीशन बिठाया जायगा और न आप जानते थे कि कमीशन बैठेगा तो जो बातें आई हैं उसी को गाइड लाइन मानकर चलें। क्राउड नहीं थी उसका भी फैसला [illegible]दया उसको भी नहीं माना। दूसरी बात अखबारों ने जो कहा उसको इसलिए माना है इसमें अनुसूयाप्रसाद के गवाह को कमीशन ने बहुत महत्व दिया है उसने कहा :

"Presence of two three thousand persons in Manak Chouk Chaupar just when firing started."

अनुसूयाप्रसाद कमीशन का गवाह है। उसने कहा है कि दो तीन हजार की भीड़ थी उसको भी कमीशन ने नहीं माना। आखिर किस बात का कन्क्लूजन निकाला है? एक और एक मिलकर दो ही होंगे। बैरी साहब एक और एक मिलकर जीरो कह दें तो उसको कैसे माना जायगा। फोर प्लस जीरो ६ नहीं बल्कि फोर ही मानेंगे। वन इन टू जीरो जीरो ही होगा। इतना तो सरकार को देखने का अधिकार है कि कमिशन ने जो बातें कही हैं उनके बारे में डिसीजन न होने देते उसके बाद सदन में विचार करते। होम मिनिस्टर साहब ने बद्रीप्रसादजी के बोलने के समय भी कहा था अब क्या चाहते हो हमको डिसीजन लेने दो उसके बाद आप चर्चा करते। फिर गवर्नमेंट बताती कि हमने अमुक अमुक निर्णय क्यों लिया? अगर कोई शीर्षासन से खड़े होकर दुनियां को देखना चाहे तो उसको उल्टा ही उल्टा दिखेगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसी प्रकार से इस बेरी रिपोर्ट को देख रहे हो।

श्री पी. के. चौधरी : कम से कम डिसीजन ले लेने देते। आखिर इससे होगा क्या बेचारे पुलिस के सिपाहियों को आगे

(श्री. पी. के. चौधरी)

लाकर उन पर एक्शन लिया जायगा। सिपाहियों को बर्खास्त करेंगे। मैं सतीशजी से पूछना चाहता हूं आप जिस प्रकार से आंदोलन को भड़का रहे हैं, इससे होगा क्या? बेचारे सिपाही लोग ही मारे जायेंगे उनको पूछा जायेगा हमीद खां बताओ गोली तुमने क्यों चलाई, तुम्हारा क्या फायरिंग जस्टिफाइड था? क्यों तुम्हें बर्खास्त न किया जाय? आपका जो पोलिटिकल ऑब्जेक्ट था वह आप इस कमीशन के जरिये प्राप्त नहीं कर सके वैसी हालत में आपको खामोश हो जाना चाहिए। आखिर क्या आप यही चाहते हो कि सिपाहियों को नौकरी से हटाया जाय। बड़े-बड़े अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा यह मैं सही बात कह रहा हूं। गवर्नमेंट यदि कुछ करेगी भी तो छोटे सिपाहियों को बलि का बकरा बनाया जायगा। क्या आप इस तरह से पोलिटिकल फायदा उठा रहे हैं?

कमीशन ने कहा है जनता को उभारना नहीं चाहिये। जनता को जहाँ तक उभारने की बात है पांच तारीख को भैरोंसिहजी ने कहा था जलूस को यहीं रुक जाओ लेकिन जलूस रुका नहीं। गायत्री देवी ने भी कहा आगे मत बढ़ो लेकिन जनता रुकी नहीं। यह तो ऐसे समय साइकोलॉजी बन जाती है जनता की उससे हम और आप सब लोग परिचित हैं। हमने भी जन आन्दोलन किये हैं और समय आने पर आगे भी करेंगे। आप जब जन-आन्दोलन करते हैं तो आपको इतनी हिम्मत करनी चाहिये कांग्रेस वालों ने भी आन्दोलन किये हैं। गाँधीजी ने जब कभी आन्दोलन किये उसमें इस प्रकार की वारदातें होती तो वे सब जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते आपको हिम्मत रखकर अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये नेता वही बनता है जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। गांधीजी ने कहा था मैंने सत्याग्रह बन्द कर दिया यह मेरी जिम्मेदारी है....

श्री प्रेमसिंह : गांधीजी के चेले आप कब से बन गये?

श्री पी. के. चौधरी : जलूस पर आपका जब कन्ट्रोल नहीं था जैसा भैरोंसिहजी ने चार तारीख को अनाउन्स किया था। वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उसी सिलसिले में सतीशचन्द्रजी ने कहा था :

"Question by Commission: was any announcement or request expressed or implied made in the meeting on 4th March; calling upon the entire janta to defy the restrictions imposed under Sec. 144 Cr. P. C. Shri Satish Chandra Agarwal. No, not at all. On the contrary, the people were asked to remain quiet, calm and peaceful in their protests against this-decision of the Governor which had pinched them so much. As originally planned, a deputation of prominent opposition leaders was to meet the Go-

(श्री पी. के. चौधरी)

vernor and convey to him the sentiments of the people in this regard."

इस पर सतीशचन्द्रजी अग्रवाल का कमिशन के सामने जवाब था। वहां पर जाकर वे किस प्रकार से कहते हैं उसमें वे कहते हैं :

"Question by the Commission--If the sole point was that the representation of the various political parties that had gone to constitute the Sanyukt Dal should meet the Governor on the morning of 5th March, 1967, will you please tell us the reason why a procession was taken out merely to send those five persons to the RaJ Bhavan ?

Shri Satish Chandra Agarwal—The plan which was envisaged at the meeting of the Lok Tantra Bachao Samiti was the same as I have stated to you, but at the public meeting of the 4th March 1967 which was held at Madak Chauk, the plan was modiffied and it was considered necessary that the leaders must be followed by the public and that they should give a following to the leaders so that it may be felt by the Governor that there was public in support of Sanyukt Dal."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारा जोर लगा दिया निकला गुलशप्पा।

श्री पी.के. चौधरी : मैं यह निवेदन कह रहा था आपने कमीशन के सामने यह कहा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो होली का गुब्बारा फट गया।

श्री पी. के. चौधरी : आप यहां कुछ कहते हो और कमीशन के सामने आपने यह कहा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे में तो हिम्मत थी मैं एवी डेन्स में पेश हुआ आपके कांग्रेस के नेता सरदारमल सिंघी, बालचन्द वैद रामकिशोर व्यास आपने कभी कांग्रेस की तरफ से यह एवीडेन्स पेश की क्या कि जौहरी बाजार में पुलिस पर पत्थर फेंके गये, इतनी बड़ी भीड़ थी। आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सिपाहियों को मरवाया। एस० पी० आपके मौजूद नहीं ताराप्रकाश जोशी मन्दिर में छिपकर बेठ जाय और बेचारे सिपाहियों को आगे कर दिया। हमें तो आप गाली देते हो आपके कांग्रेस वालों में हिम्मत होनी चाहिये थी हमारे खिलाफ एवीडेन्स देते मैं सब से निपटने की हिन्मत रखता हूँ। मैंने कमीशन के सामने जो कुछ सच बात थी वह कही है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं हिम्मत रखता हूं आपसे भी निपटने की और आपके दुश्मन दामोदर जी से निपट लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप सदन में किस प्रकार से निपट लेंगे ?

श्री सतीशचन्द्रअग्रवाल : विधानसभा में अपने जवाब के दौरान उनसे निपटने की हिम्मत रखता हूं। पी० के० चौधरी की तरह नहीं हूँ कि दामोदर जी के बयानों को झूठे बताकर अखबारों में छपवाऊ। मैं हिम्मत रखता हूँ विधान सभा में निपटने की।

श्री पी० के० चौधरी : पांच तारीख को राजस्थान पत्रिका में आता है भैरोंसिंह जी शेखावत का निर्णय सुनाया जाता है कल प्रातः आठ बजे मानक चौक की चौपड़ से काले झण्डों के साथ जलूस निकलेगा और सिविल लाइन्स क्षेत्र में जहां १४४ धारा लगी हुई है उसको तोड़ा जायगा और राज भवन जायगा"।

ये सारी आप जो कह रहे हो कहने की होती है। आपका कमीशन के सामने स्टेटमेन्ट था कि हमारा १४४ धारा भंग करने का इरादा नहीं था लेकिन जो आपने कहा वह अखबार में आया है जो सबूत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे इन्कार किसने किया ?

श्री भैरोंसिंह : १४४ धारा तोड़ी हैं अब लगेगी तो उसे भी तोड़ेगें। यह हमारा पोलिटिकल राइट है आपकी कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती १४४ धारा तोड़ेंगे। इससे आप हमें रोक नहीं सकते।

श्री पी० के० चौधरी : आप एक दफा नहीं दस दफा तोड़ें।

श्री भैरोंसिंह : यह भी रास्ता गान्धी जी का बताया हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह था Circumstances leading to the incident of 7th March. आखिर सवाल क्या था। तीन तारीख के अखबार देख लें। ६ मार्च का अखबार देख लो। मैं आप को ६ मार्च के अखबार के सम्बन्ध में बता देता हूँ।

श्री विजयसिंह : गान्धी शताब्दी वर्ष में जैसा गांधी जी ने कहा था वैसा ही करेंगे। एक एक कांग्रेसी को चुन चुन कर जनता मारेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चुन चुन कर मारोगे तो जेल जाओगे। इस तरह से मारने का अधिकार नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसीलिए आपने ऐसा वातावरण किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५ मार्च का पढ़कर बताओ।

श्री पी० के० चौधरी : मैं पढ़ता हूं। राजस्थान पत्रिका लिखती है :—

Page No 109

(श्री पी० के० चौधरी)

बाजारों में प्रदर्शन कारियों का पुलिस से जम कर मोर्चा। चांदपोल से कोतवाली तक सड़क पत्थरों से पटी। क्रुद्ध भीड़ द्वारा आगजनी। पुलिस ने बार बार अश्रु गैस छोड़ी। लाठी चार्ज में निर्दोष लोगों और मासूम बच्चों की पिटाई। समूचे गुलाबी नगर में अन्धकार और अराजकता का बोलबाला"।

"पुलिस ने स्थिति पर नियन्त्रण पाने के लिए अश्रु गैस छोड़ी। पुलिस असफलता के बदले मासूम बच्चों और निर्दोष स्त्री पुरुषों की पिटाई। धारा १४४ पूर्णतया प्रभावहीन। कई स्थानों पर पुलिस ने आग लगानेवालों को रोका नहीं। दूर खड़े खड़े देखते रहें। उपद्रवकारियों ने कई स्थानों पर दूध की थड़िया जलाई। जौहरी बाजार में आग की धधकती हुई रोशनी इतनी तेज थी कि राजस्थान पत्रिका कार्यालय से लाल आसमान के रूप में दिखाई देती थी।"

श्री रघुनाथ विश्नोई : हियर, हियर

श्री मदनसिंह : यह तो कह दिया कोई नया प्वाइंट दो।

श्री पी. के. चौधरी : ४-५-६ तारीख से १४४ धारा लागू हुई। लेकिन एक इंसीडेन्ट बता दे। एक भी आदमी घायल हुआ हो। एक आदमी का नाम आचार्य धर्मेन्द्र नाथ बताया है। इसके बारे में तो सरकार बताए। लेकिन इस बात को मानकर चलें कि धारा १४४ लगाने के बावजूद भी पुलिस के २०-३०-३५ आदमी घायल हुए हैं। लेकिन उफ नहीं किया। जो वातावरण था वह रेकार्ड की बात है। अगर ७ ता० को पुलिस ने फायरिंग किया तो क्या पुलिस पागल हो गई थी? क्या वहां पर क्राउड नहीं था और आर्म्स छीनने की बात नहीं थी? इस खाली रिपोर्ट से इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। बल्कि रिपोर्ट के साथ साथ जो एवीडेंस रेकार्ड हुई उनको माननीय सदस्य को देखने का मौका नहीं मिला। फिर सरकार यह निर्णय कर सकती है। यह रिपोर्ट में जो कहा है, उसको एक्शन लेने का, किसको गुनाहगार साबित करने का है। तभी निर्णय ले सकती है। नया प्वाइंट यह आता है। फोटो है। सरकार का फोटो हुआ तो फोटोग्राफर को बुलाकर प्रूफ करना होता है लेकिन समिति की तरफ से जो है उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसका एक रहस्य है। उसका रहस्य यह है कि अमेरिका की लाइफ मैंगजीन का फोटो ग्राफर है, वह जाता है। यह बड़े काम की बात है। वह लाइफ में छापता है। क्योंकि यह फोटोग्राफर लाइफ मैंगजीन का है। कानून तो यह था कि जिस वक्त फोटोग्राफर पेश हुआ था, तो यह पूछा जाता कि यह कहा लिया? कब लिया? आज कल ट्रिक फोटो भी होता है। आप थे नहीं लेकिन आप को किसी के पास बैठा के फोटो बता दें। (हंसी) किसी को किसी के साथ बैठा दिखा दें। यानी ट्रिक फोटो भी होता है। फोटोग्राफर होता है, उसको पेश होना पड़ता है। लेकिन उनका फोटो पेश हुआ तो लाइफ मैंगजीन में पेश हुआ। आप का फोटो लाइफ मैंगजीन में पेश होता है, छपता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसमें इन्दिरा गांधी का भी फोटो है।

श्री विजयसिंह : इन्दिरा गांधी का जो दिल्ली में छपा था उसे देख लो तो कांग्रेस छोड़कर भाग जाओ।

श्री पी. के. चौधरी : लाइफ वाले फोटो है। उस फोटोग्राफर को पेश करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, क्राउड आप मानते हैं। मदनसिंह जी आप भी मानते हैं। दूसरी, उपाध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी बात कही गई है। एम्बूलेंस के सम्बन्ध में। यह पुलिस को हिट किया गया है। उसका नम्बर है, आर० एस० एल० ७३८२। यह सतीशचन्द्र जी ने बिग प्वाइंट बना दिया है। यह हमारे पास ड्राइवर की बात कही है। वह उपाध्यक्ष महोदय, एम्बुलेंस नहीं थी। वह बस थी। एम्बूलेंस में रेडक्रास होता है। आगे पीछे दायें बायें रेडक्रोस का निशान होता है। वह ग्रे कलर की बस थी। उसका ड्राइवर देवी नारायन है। उसकी कमीशन की गवाही है। ७ मार्च को—

"I came on duty as usual at 2 P.M. at S.M.S. Hospital. My duty was on vehicle No. RJL-7382, a 16 seater bus which is normally employed for transporting the nursing students from the hospital to the Zenana Hospital." यानी उस पर कोई नाम निशान नहीं था। यानि उस व्हीकल के ऊपर एम्बूलेंस का कोई नाम निशान नहीं था। मैं तो चाहता हूं कि कमीशन ने फेक्ट फाइंडिंग की एन्क्वायरी की है उसमें इस बात को कन्क्लूजन में लिखने से पहले कि एम्बूलेंस के साथ जो यह काम किया है, यह बुरा काम किया है, नीच काम किया है, वह एम्बूलेंस को मंगा कर देखते। मैं मदन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह एम्बूलेंस को मंगा कर देखें....

श्री मदनसिंह : मैं तो मान रहा हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप क्यों बोल रहे हैं बार बार ?

श्री मदनसिंह : when facts are there........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आपस में बात न करें।

श्री पी. के. चौधरी : वह सोलह सीटर बस थी, ग्रे कलर की बस थी। तो कमीशन को कैसे मालूम हुआ कि वह एम्बूलेंस थी। और इस एम्बूलेंस के मामले को लेकर बहुत जोर शोर से यह कहा गया कि यह कार्य निर्मम था। जो एम्बूलेंस लोगों की लाइफ के लिए काम करती है उसके ऊपर गोली चला दी। मैं निवेदन करूंगा कि यह फेक्ट फाइंडिंग का काम कमीशन ने २१ महीने तक किया। आपने एक एक गोली के निशान की जाँच कराई। लेकिन आपने यह तकलीफ नहीं की कि एम्बूलेंस को हास्पीटल से मगाकर देख लेते कि वास्तव में वह एम्बूलेंस थी या नहीं। वह सफेद कलर की थी, काले कलर की थी, भूरे कलर की थी, कैसी थी। यह कुछ भी नहीं देखा और लिख दिया कि एम्बूलेंस थी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्यारह सौ का वकील आपका झक मार रहा था ? जो आप इस बात को अब पेश कर रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट से कह रहे हैं, तो कहिये।

श्री पी. के. चौधरी : मैं कह रहा हूँ कि कमीशन को एम्बूलेंस को मंगाकर देखनी चाहिये थी। अब इसमें गलती किसकी है, मेरी गलती है, गवर्नमेंट एडवोकेट की गलती है, कमीशन की गलती है, यह बात दूसरी है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप केस बिल्ड कर रहे हैं कि कसूर छोटे छोटे लोगों का नहीं है। कसूर बड़े बड़े लोगों का है।

श्री मदनसिंह : यू आर राइट !

श्री रघुनाथ विश्नोई : बड़े बड़े लोगों का कसूर है तो वह फंसते नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : आप बड़े लोगों का कुछ नहीं कर सकोगे। आप सिपाहियों को मराओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसलिये चाहते हो ......

श्री नत्थीसिंह : आपको डर नहीं है। हम जोर जोर से बोले हैं, वह इसलिये कि आपका डर मिट जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम भी सिपाही को नहीं मारना चाहते, हम सुखाड़िया को मारना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय काफी हो गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल को पूरा समय नहीं मिला है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमारी पार्टी को समय नहीं मिला है।

श्री पी. के. चौधरी : गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कह था कि सिर्फ ३९ गोली चलीं। छः गोली यू० पी० की पी० ए० सी० के प्लाटून नं० ए ने चलाई, और ८ गोली एक प्लाटून ने थ्री नाट थ्री की चलाई और राजस्थान की आर० ए० सी० की प्लाटून ने २५ गोली एस० पी० ए० की चलाई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ३९ गोली थ्री नाट थ्री की।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य ! आपस में बात न करें।

श्री पी. के. चौधरी : थ्री नाट थ्री की चलाई थीं, प्लाटून ए यू० पी० की पी० ए० सी. ने ६ गोली और एक प्लाटून ने ८ गोली चलाई थ्री नाट थ्री की और राजस्थान की आर० ए० सी. की प्लाटून ने २५ गोलि चलाई एस० पी० ए० की। यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का केस था। और लोकतन्त्र बचाओ समिति का केस यह था कि चार सौ या पांच सौ गोली चलाई। और कमीशन ने फाइंडिंग दी है कि ८० गोली चलीं। अब इसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष

महोदय, मेरा निवेदन है कि पी. ए. सी. और आर. ए. सी. वालों का रिकार्ड रहता है। पुलिस वालों को रोज सुबह दर्ज करना पड़ता है रजिस्टर के अन्दर कि कितना आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन है, शाम को फिर दिखाना पड़ता है और दूसरे दिन फिर बताना पड़ता है। इन्होंने भी लिखा है रिकार्ड में और रिकार्ड पेश भी किया है। तो रिकार्ड में यह फर्जी नहीं कह सकते कि हमने इतनी गोली इस्तेमाल की। अपोजीशन ने कहा कि नहीं साहब इन्होंने फर्जी दर्ज कर लिया है, आगरे से मंगाओ रिकार्ड। तो आगरे से रिकार्ड मंगाया। आगरे का रिकार्ड भी देखा तो पता चला कि इतना आर्म्स एम्यूनीशन तो इनको दिया गया था और इतनी गोली इनके साथ में थी। तो यह पाया गया कि जितनी गोली इन्होंने इस्तेमाल की, उसके अलावा रिकार्ड में मौजूद हैं। उसके बाद में भी कमीशन ने फैसला लिख दया कि ३९ गोली नहीं ८० गोली चलाई। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात में आपको बताना चाहता हूँ कि कमीशन ने यह कैसे फैसला किया कि कुल आदमी कितने इन्जर्ड हुए और किसके कहां कहाँ गोली लगी ? कुछ गोली गिरधारीलाल भार्गव एक साल के बाद में कमीशन को पेश करते हैं, ८ मई १९६८ को। १३ गोली गिरधारीलाल भार्गव ने ८ मई १९६८ को पेश की कि यह देखो, मैं गोली पेश कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि फ.यरिंग रेंज की गोली मेरे मकान के आस पास पड़ी रहती हैं, कोई भी वहां से ले आये। इसके आधार पर कहने का कोई तरीका नहीं है कि ८० गोली चलाई गई। आप देखिये कि फायरिंग हुआ मार्च १९६७ के अन्दर और ८ मई १९६८ को गिरधारीलाल भार्गव १८ बुलेट लाकर कमीशन को पेश करते हैं। अरे भाई साहब, फायरिंग रेंज में यह रोज होता है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह आपने कमीशन के सामने कहा ?

श्री मदनसिंह : जिसका लड़का मर गया उस माता की जगह तो दूसरी माता नहीं ले आये।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि थ्री नाट थ्री की गोली नहीं चलाई....

श्री उपाध्यक्ष : अभी नहीं बोल सकते। आपस में बात न करें।

श्री विजयसिंह : मैं पूछना चाहता हूँ कि थ्री नाट थ्री की साइज क्या होती है ?

श्री उपाध्यक्ष : थ्री नाट थ्री होती है।

श्री विजयसिंह : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : साइज इज थ्री नाट थ्री। देट इज द साइज।

श्री पी. के. चौधरी : हम आनके जैसा मिलिट्री में नहीं थे। हम नहीं जानते

Page No 113

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि श्री नाट श्री की बुलेट लगने के बाद फट जाती है और उसके पांच सात दस टुकड़े हो जाते हैं....

श्री दुर्गालाल बाढदार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को भी पूरा समय दिया जाय।

श्री पी. के. चौधरी : उसके टुकड़े बन जाते हैं और उससे तीन चार, दस आदमी घायल हो जाते हैं। लेकिन कमीशन ने केस यह बनाया कि जितने लोग भी घायल हुए, या जितने लोग भी मरे उन सबके लिए अलग अलग एक एक गोली थी। भीड़ में गोली चलती है तो एक गोली से चार घायल हो सकते हैं। लेकिन कमीशन ने एक एक के लिए अलग अलग गोली को गिना और उनका फिगर ८० तक पहुँच गया। मैं कहना चाहता हूँ....

श्री मदनसिंह : कुछ फैक्ट्स रह गये हैं।

श्री पी. के. चौधरी : यह फैक्ट्स एवीडेंसेज पर आधारित नहीं है। कमीशन ने उनको कन्सीडर नहीं किया है। यह रिपोर्ट पेश करना इसलिए जरूरी है कि सरकार इसके सारे फैक्ट्स पर जाये, लेकिन जितनी एवीडेंसेज रिकार्ड हुई, उनको कन्सीडर करने की बात हमको रिपोर्ट से नहीं मिलती है। वैसे रिपोर्ट से सारी बातें मिल जाती हैं, सारी एवीडेंसेज भी। उनमें से एक बात तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस सम्बन्ध में कि एन्क्वायरी कमीशन को एन्क्वायरी के सम्बन्ध में किस नेचर की एवीडेंसेज को कितना मानना चाहिए, इसके सम्बन्ध में जो दूसरे कमीशन हैं, वह क्या कहते हैं। वह मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जो वकील कमीशन है, अहमदाबाद एन्क्वायरी कमीशन का जस्टिस वकील कहता है :

"The injured persons have generally taken the following pleas before them...."

इन्जर्ड पर्सन होता है, आम तौर पर ऐसे कमीशन के सामने क्या गवाही देता है।

"(1) They did not know of any disturbances taking place.

(2) They did not see any overt acts on the part of the people.

(3) They were passers by on private work of different nature and were suddenly victims of police firing.

(4) There were no persons around them.

(5) They did not see any

(श्री पी० के० चौधरी)

other person being hit along with them.

(6) They did not hear any shots being fired and in some cases realised their being hit only from the blood that oozed from their bodies."

तो जस्टिस वकील के कहा : "I have discussed and dealt with the evidence of the injured persons in some detail because they are the persons whose presence could not be denied and who are eye witnesses of the incident of firing. The importance, therefore, of their evidence is eminent. Besides, the learned advocate on behalf of the Swatantra Party and the Jan Sangh had taken up a stand during the recording of the evidence that the evidence of these witnesses goes to destroy the version of the police administration on the question of justification and the extent of firing. Not only that, but even in arguments, the learned councel for the Swatantra Party urged that evidence of some of the injured persons showed that the firing was haphazard, and tried to rely upon this evidence. I am more than satisfied that the evidence of these witnesses is not at all of such calibre or character as can be relied upon to disbelieve the mass of evidence led by the police administration and the version established by them. A positive and indelible impression that has been left on my mind by the evidence of these witnesses is that their evidence discloses (i) a definite trend to twist facts and give an untrue version partially because cf self interest to defend themselves in the prosecution against them for taking part in rioting etc., (ii) deep seated prejudice against the police, (iii) no hesitation to tell untruths, and (iv) a strained effort to depict a picture of being innocent victims and to make the actions of police look atrocious, as can be seen from a common theme of scheme running through the evidence of all these persons to draw such a picture."

(श्री पी० के० चौधरी)

यानि, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की एवीडेंस होती है, उसके लिए आम तौर पर कमीशन ने कहा है कि वह सारी बातों से इन्कार करता है।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एन्क्वायरी हुई, इसके सम्बन्ध में एक बात और कोट करना चाहता हूं। एक एफ. बी. आई की रिपोर्ट हैं, आम तौर पर ऐसी कोई घटना जब होती है तो पब्लिक जब एन्क्वायरी मांगती है तो क्या एटीट्यूड उन नेताओं का रहता है :

"When riots occur and there is breakdown of law and order, emotions and prejudices often overwhelm judgment and sound reasoning. We have seen this occur in the recent past in many of our major cities. In such cricumstances, most people agree the restoration of law and order is and should be the paramount issue. Disagreement sometimes arises over how that can be achieved and by whom. In any cricumstances, where passions are aroused and prompt decisions are necessary, it helps materially if the lines of responsibility are clearly drawn and understood. This is paraticularly true in riots, racial turmoils and disturbances where arson, murder, looting and wanton destruction occurs.

In these instances, when we refused to exceed our authority. some extremists in these groups have accused F. B. I. of racialism. Many times it is determined that these bigots are the same agitators and exploiters who provoked the disorder in the first place."

यानि इसका मतलब यह है कि जो लोग डिस्टर्बेन्स करते हैं वही लोग आगे आकर कहते हैं कि पुलिस ने हम पर यह अत्याचार किया, वह किया, हम पर अन्याय कर दिया। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में डिस्कशन हुआ तो एक बात सतीशचन्द्रजी ने अपने भाषण की शुरुआत में कही कि मैंने यह कहा था कि सरकार की कन्स्ट्रक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी है। मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा था कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही कहा था।

पी. के. चौधरी : यह नहीं कहा था, मेरे पास स्पीच की कापी है, मैं पढ़कर सुना सकता हूं, उससे आप देखेंगे कि मैंने क्या कहा था। मैंने यह कहा था कि इसमें

(श्री पी० के० चौधरी)

यह गलती है या नहीं, गलत किया गया तो हो सकता है कि सरकार की कन्स्ट्रक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटि हो इस रेस्पोन्सबिलिटी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का सर्वेन्ट कोई काम करता है, ड्यूटी पर काम करता है उसकी जिम्मेदारी एक प्रकार से सरकार पर आती है। यह बात सरकार पर लागू होती है तो यही लागू होती है अपोजिशन पर। आप इन्कार नहीं कर सकते कि जयपुर की जनता को आपने उभारा था और जब फायरिंग होता है तो आप पीछे हट जाते हैं, आपको वहीं रहना चाहिये था और आपको कहना चाहिये था कि हमने आन्दोलन किया है तो पहले हम पर गोलियां आयेंगी, हम पर लाठियां आएंगी बाद में आप लोगों पर आयेगी। हमने आन्दोलन किए हैं, पहले लाठियां हमने खाई हैं और बाद में लोगों पर पड़ती थी। लाठी और गोली का शिकार कोई नेता होता तो मैं मानता, पर आपने जनता को और बच्चों को मरा दिया। हमने नेतृत्व किया है तो मोर्चे पर रहकर नेतृत्व किया है, मोर्चे पर रह कर गांधी ने, नेहरू ने और सुभाष ने लाठियों को अपने ऊपर लिया है ....

एक माननीय सदस्य : आपके इन मन्त्रियों ने कहां लाठियां खाई हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : तो मैं यह कहूंगा कि केदारनाथ सही कहता है आपमें नेतृत्व का माद्दा नही हैं जनआन्दोलन करने के लिये दूसरा कैलिबर चाहिये, वह केलिबर आपमें नहीं है। इतना ही कहकर में अपना स्थान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों के नाम इस बेरी रिपोर्ट में हैं, सारा क्लेरिफिकेशन हो इसलिए यह आवश्यक है कि मुझे भी दो तीन मिनट का समय दें पार्टी लेबल पर ही नहीं रखें. इण्डिविज्युअल्स को क्लेरिफिकेशन का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ७ मार्च १९६७ ई० को जयपुर में जिस प्रकार नृशंस बर्बर और अमानवीय गोलीकांड हुआ, उसकी जांच के लिए २ अप्रेल १९६७ ई० को बेरी आयोग की नियुक्ति की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आयोग की नियुक्ति के सामने विचारणीय विषय यह था कि जयपुर में जो गोलीकांड हुआ वह वास्तव में उचित था या अनुचित था, तथा इस गोलीकांड के होने का कारण क्या था। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह कहना पड़ता है कि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस प्रकार की जांच कराने के पश्चात् और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के पश्चात् यह राजस्थान की सरकार ही इस प्रकार की सरकार है कि उस हाई कोर्ट के जज के फाइण्डिग्स के खिलाफ इसे चर्चा का विषय बनाया है।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अपेक्षा तो यह करते थे कि इस प्रकार की सूरत सदन के इस प्राँगण पर उपस्थित नहीं होती, ६ तारीख को जब राजस्थान सरकार के सामने बैरी आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो किस प्रकार राज्य सरकार इन सिफारिशों को लागू करती है पर सरकार ने बैरी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की ओर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए विरोधियों को सरकार को मजबूर करना पड़ा कि सदन में इस पर चर्चा की जाय। मैं इस सदन के द्वारा सरकार को बताना चाहता हूँ कि वह कमीशन जिस पर सरकार का २२ लाख रुपया खर्च हुआ, उस कमिशन ने अपने फाईडिंग्स दिये, विधि वेत्ता, कानून विभाग और कानून को जानने वाले जिस सरकार के पास हैं, राजस्थान की वह इतनी बड़ी सरकार किस मजाक के साथ कहती है कि यह जो कुछ फाइण्डिंग्स हैं, यह फेक्ट फाइण्डिंग कमीशन था और इसके फाइंडिंग्स को मानने की कोई फाइडिंग्स हमारे ऊपर नहीं आतीं। अगर इस स्थिति को मान भी लिया जाय तो मैं दो तीन प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आपने इस कमिशन की नियुक्ति की, इस कमीशन द्वारा जांच प्रारंभ करने से पहले, सबसे पहले यह निर्णय किया है कि इस कमीशन का स्कोप क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रकार एवीडेन्सेज रेकार्ड की जायेगी और जितनी पार्टीज थीं, उनको नोटिस दिये गये, कांग्रेस दल को और दूसरी राजनैतिक पार्टियां थी, उनको नोटिस दिये गये उसके पश्चात् जो कोई व्यक्ति गोलीकांड से प्रभावित होने वाले थे उनको नोटिस दिये, उसके बाद कमीशन के सामने एक सवाल पेश हुआ, कमीशन अपनी रिपोर्ट में प्रारम्भ में ही यह साफ करता है कि राज्य पक्ष की ओर से जो गवाह पेश किये जायेंगे उनको सरकारी गवाह कहकर चलेंगे और दूसरे गवाह जो समिति की ओर से पेश किये जायेंगे उनको समिति के गवाह कहकर चलेंगे जो जनता के गवाह होंगे।

आज बड़े आश्चर्य के साथ यह कहना पड़ता है कि कमीशन के पास यह मसला था, एक तरफ राज्य पक्ष के गवाह हुए और दूसरी तरफ जनता के गवाह हुए तो यह सारी शहादतें पेश करने का काम उस समय होने वाला था जब कि आप कुर्सियों पर बैठ गये थे, आपके सामने पूरी अपार्च्युनिटीज थीं, पूरी फैसेलिटीज थीं, आपके पास सारे साधन थे, आपने हजारों रुपया देकर अपनी पैरवी के लिये वकील भी मुकर्रर किये थे। अभी एक माननीय सदस्य ने छोटे से तरीके के ऊपर इतने बड़े जस्टिस बैरी के प्रतिवेदन के ऊपर आसानी से कह दिया कि राज्य सरकार को यह सोचना होगा कि उन शहादतों को जिस प्रकार कमीशन ने एप्रेशियेट किया है, वह ठीक था या नहीं, साथ ही इस प्रकार का तर्क दिया कि जो शहादतें कमीशन के सामने पेश कीं, उन शहादतों से जो इन्फरेंस कमीशन ने निकाला है, इस प्रकार का इन्फरेंस नहीं निकालना चाहिये और राज्य सरकार को उस पर विचार करना चाहिये और देखना चाहिये कि अगर उनका कोई दूसरा इन्फरेंस निकलता है तो वह निकालना चाहिये।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके वकील राज्य सरकार की तरफ से पैरवी नहीं कर रहे थे। आपने आग्यू मेंट दिया, यह आग्यू मेंट क्या उस वकील को नहीं बताया था क्या आपका वकील बिल्कुल अन्धा था, ...

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल अन्धा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कि उस अन्धे वकील को यह आग्यू मेंट याद नहीं आया आपने जो आग्यू मेंट अभी रखा है वह आग्यू मेंट यदि आपने अपने उस अन्धे वकील के सामने नहीं रखा तो यह आपका अन्धापन है।

तर्क के लिये आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, ला में यह पोजीशन है, जैसा कि बैरी साहब स्वयं अपने प्रतिवेदन में कहते हैं कि यदि सिविल मैटर का डिस्प्यूट होता तो मुद्दई मुद्दायलेह होते और उन दोनों पार्टियों को सुनने के बाद इश्यूज का निर्माण होता और फिर एक एक इश्यू पर फैसला दिया जाता। यह होता तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर डिग्री के रूप में जजमेंट दे दिया होता तो उसको मानने न मानने का क्या सवाल होता, डिग्री होते ही कुर्कियां होतीं, वारंट जारी कर दिया जाता, उसमें मानने न मानने का सवाल पैदा नहीं होता पर इसमें तर्क के लिये आप कहना चाहते हैं कि यह फैक्ट फाइंडिंग कमीशन था, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन मानकर चलिये पर उस समय आपके सामने सवाल पैदा होता है कि राज्य सरकार कुछ नीयत लेकर कमीशन के सामने जाती है। दूसरा पक्ष भी अपने व्यक्तियों द्वारा कमीशन के सामने जाता है, कमीशन के सामने दो बोन्स आफ कन्टेन्शन रहते हैं। कमीशन इन तथ्यों पर अपना फाइंडिंग देना चाहता है, इन तथ्यों पर जांच करना चाहता है कि जो तथ्य राज्य सरकार की ओर से कमीशन के सामने रखे गए हैं, वह सही हैं या जो तथ्य विरोधी पक्ष की ओर से कमीशन के सामने पेश किए गए हैं, वह सही हैं। कमीशन सारी जाँच करने के पश्चात् अपना फाइंडिंग देता है कि जो तथ्य दूसरी पार्टी की ओर से पेश किए गए है वे सही हैं और जो तथ्य सरकार की ओर से रखे गए हैं वे गलत हैं। आपका ला विभाग भी किसी भी हालत में इंकार नहीं करता। हो सकता है कि कानून की बारीकियों का सहारा लेकर आप कहना चाहें कि यह फाइंडिंग फोर्स की तारीफ में नहीं आता है लेकिन कानून के दूसरे मसलों पर आप नहीं बोल सकते। आपने कमीशन के सामने जाकर पॉजिटिव फैक्ट्स को रखा और कमीशन ने सारे तथ्यों की जांच करने के पश्चात निर्णय किया कि जिन तथ्यों को आपने पेश किया वह गलत हैं बिल्कुल प्रतिकूल हैं और वह फाइंडिंग हो जाने के बाद आप कैसे जनता के सामने सदन के सामने अपना मुंह कर कहते हैं कि जो फाइंडिंग हमारे खिलाफ दी हैं हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

यदि इस प्रकार की व्यवस्था चली और यह एक अहम मसला है, तो ठीक नहीं होगा। राज्य सरकार आज यहां आरोप लगाती है और छोटे तरीके पर एक दूसरे पर जो इस प्रकार से छींटाकसी की जाती

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

है, यह ठीक नहीं। यह कितना गम्भीर विषय है जिस पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए, पूरी पैरवी करने की कोशिश की, १०६ पत्रों में अपनी रिपोर्ट कमीशन ने लिखी है तो जब हम उस पर बहस करते हैं तो साधारण तरीके से इस पर विचार-विमर्श नहीं होना चाहिए। आपके मुख्य सचेतक महोदय और गोकलप्रसादजी तो ऐसे बोले जैसे सिनेमा की कहानी पर आलोचना करके आदमी चलता है उस पर इस फैक्ट फांइडिंग कमीशन की रिपोर्ट पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम एक गंभीर मसले पर विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित होते हैं और इसको साधारण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि जो एक फेक्ट फाइंडिंग कमीशन हो, जहां उनके लीगल काम्पलीकेशन्स क्या होने वाली है, उनको गम्भीरता से लें। आखिर गोलीकांड क्यों हुआ ? उसके पीछे राजनैतिक आंदोलन था। आपके कहने के अनुसार विरोधी पक्ष अपनी सरकार बनाना चाहता था, उन्होंने जनता को भड़काया लेकिन जयपुर की जनता जिस पर आंपने गोलियाँ चलाई, उनके प्रतिनिधियों का दावा क्या था ? सबसे पहले बेरी साहब कहते हैं कि राजस्थान में इन चुनावों में जनता ने जो वोट दिया वह कांग्रेस को केवल ८८ और विरोधी पक्ष को ९५ वोट मिले। जहां तक जनता के वर्डिकट का सवाल है, गोलीकांड तो बाद की बात है। इन्हीं दिनों चुनाव हुए और बहुमत का दावा करने वाले आपसे पूछते हैं कि आज आखिर क्या दलील दे सकते हैं ? जनता के वर्डिकट के बारे में आपके सामने क्या उत्तर है ? आपके केवल ८८ कैंडीडेट्स विजयी हुए जबकि विरोधी पक्ष के ९५। मसला यह पैदा हुआ कि ८८ कैंडीडेट्स के आधार पर कांग्रेस अपनी हुकूमत कायम करना चाहती थी। विरोधी पक्ष का दावा था कि जनता ने जो वर्डिकट दिया है वह हमारे पक्ष में है और ये अल्पमत में ८८ आदमी अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते। सत्य कहां था ? आपके राज्यपाल महोदय ने गिनती की। आपके एक माननीय सदस्य ने बताया कि वह विद्वान थे, ज्योतिष के आचार्य थे तो क्या विद्वान लोग बेईमान नहीं होते ? विद्वान लोग गल्ती नहीं करते ? अगर विद्वान की दृष्टि से देखें तो संस्कृति बताती है कि रावण विद्वान और बुद्धिमान था और दशसिरा इसलिए कहते हैं कि उनके दस सिर थे और दस प्रकार की विधियां जानते थे लेकिन उनकी गिनती राक्षस और असुरों में की गई। इस गिनती करने वाले का बेरी आयोग ने जिक्र किया है। राज्यपाल महोदय अपने निर्णय पर इसलिए पहुंचे कि वह निर्दलीयों को किसी पार्टी में शुमार नहीं करते थे। आप संविधान में कोई ऐसा प्रावधान बतायें ? गृहमन्त्री आप बतायें। आप अपने लॉ डिपार्टमेंट से पूछें और इस बात का उत्तर दें कि क्या निर्दलियों को जनता का मत नहीं मिलता है? क्या जनता की ओर से निर्दलीय नहीं चुने जाते हैं। यदि संविधान के अनुसार राज्य सरकार का निर्माण होता है तो उन व्यक्तियों की गिनती की जाती है जो व्यक्ति चुनकर विधान सभा में या किसी पार्लियामेंट में आगे चले जाते हैं।

(श्री दुगालाल बाढ़दार)

प्रोवोकेशन किसने किया ? जनता के वर्डिक्ट के खिलाफ राज्य सरकार ने काम करने की कोशिश की। भूतपूर्व राज्यपाल ने कोशिश की। अगर जनता को प्रोवोक किया तो किसने किया ? आज सारा उत्तरदायित्व विरोधी पक्ष पर डालना चाहते हैं, अपने उत्तरदायित्व को छिपाकर अपने कुकर्मों पर परदा डालना चाहते हैं। प्रोवोकेशन का कारण क्या था ? जयपुर की जनता शांति से प्रदर्शन करने लगी उसकी मांग थी कि आप इस प्रकार गिनती कर रहे हैं जो वैधानिक दृष्टि से गलत है तो उस पर आपने पुलिस फोर्स काम में लिया। किसने कहा था कि राजस्थान आर्म्ड कांसटेब्यूलरी को छोड़कर आप यू०पी० से पुलिस बुलाओ ? फिर आप कहते हैं कि भीड़ इस प्रकार की स्थिति के अन्दर हो गई थी कि उस पर काबू पाना सिपाहियों के लिए उस समय मुश्किल हो गया था और बाध्य होकर सेल्फ-डिफेन्स में पुलिस के सिपाहियों को गोली चलानी पड़ी। यह बात साबित करने के लिए कमीशन ने सरकार को पूरा मौका दिया है। सरकार की ओर से काफी दस्तावेज पेश किए गए हैं और बहुत से गवाह पेश किये गये और हजारों रु० रोजाना फीस देकर वकील किए गए हैं और वकील इस बात पर काफी जोर देते हैं। सारी बातों पर विचार करने के पश्चात जो फैक्ट्स की फाइंडिंग दी गई, वे फैक्ट्स इस प्रकार के प्रकट हुए कि जनता ने, जहां तक जौहरी बाजार में गोली चलाने का प्रश्न है, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं की गई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि पुलिस का गोली चलाना वाजिब था। यह तथ्य आपके सामने हैं जिस पर आपको विचार करना चाहिये। इस तथ्यों के प्रमाणित हो जाने के बाद केवल कानून का सहारा लेकर आज अगर सरकार की ओर से कहा जाता है कि कानूनी काम्पलीकेशन्स कुछ इस प्रकार की आकर पड़ी हैं कि हम पर बाइंडिंग नहीं तो यह ठीक नहीं। प्रजातन्त्र के इतिहास में जनता का राज हो, जनता के लिए हो, जहां जनता के फायदे के लिए हो उस राज में जनता के प्रतिनिधि इस कुर्सी पर बैठने के लालच से सारे मोरल स्टेंडर्ड को गिराना चाहते हैं और जुडीशियरी की मखौल उड़ाना चाहते हैं। बेरी आयोग के कायम होने से पहले पहले वाली सरकार का हाईकोर्ट के सामने कमिटमेंट था कि जो कमीशन की फाइंडिंग होगी वह इन टोटो राज्य सरकार द्वारा मानी जायेगी लेकिन सरकार की ओर से मजाक के रूप में जैसे गृहमंत्री एक बार कहते थे कि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि किसी सरकार ने इस प्रकार का कमिटमेंट किया था या नहीं। वह सरकार क्या थी ? वह राष्ट्रपति शासनथा। और उस प्रेसिडेन्ट रूल के जमाने में अगर किसी गवर्नर ने कमिटमेन्ट कर दिया हो तो इस सरकार के लिये बाइन्डिग नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। उत्तराधिकार पर बैठकर, उस पिता पर डिक्री हो गयी तो वह देने के लिए तैयार नहीं और कर्जा हो तो उसको वसूल करने के लिये तैयार हो जाता है, आपकी स्थिति भी यही है। यह है आपका मोरल करेज ? कोई मोरल करेज नहीं। कोई मोरल स्टेण्डर्ड नहीं, कानून के महत्व पूर्ण मसलों पर लापरवाही

(श्री दुर्गालाल वाढदार

करना चाहते हैं। सरकार के सामने एक मसला पैदा होता है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट को मानना पड़ता है। बेरी साहब के सामने एक मुद्दा था। वे हाईकोर्ट के एक माननीय जस्टिस थे, कानून को अच्छी तरह से समझने वाले हैं, कानून की महत्ता को समझने वाले हैं, लॉ एन्ड ऑर्डर देश में किस प्रकार कायम किया जावे, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होती है, जो उस समय की वास्तविक स्थिति थी उसके प्रतिकूल जाकर फाइन्डिंग्स नहीं दीं। मैं राज्य सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये तथ्य हैं, आपकी ओर से बोलने वाले माननीय सदस्य उसको ट्विस्ट करके रखते हैं और उनका जवाब देना मेरे लिये नितान्त आवश्यक हो जाता है। आज आप यह कहते हैं कि यह फैक्ट्स आप मानने के लिये तैयार नहीं है। स्कोप ऑफ एन्क्वायरी यह था। मुख्य मंत्री सुखाड़िया के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई कान्सप्रेसी की गयी हो, कोई कोड ऑफ कन्टेन्शन बेरी कमीशन के सामने था, डाइरेक्ट एन्क्वायरी करने का नहीं था। शहादतों को उन्होंने डिस्कस किया है। जो डाक्युमेन्ट्स पेश किये गये हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहते हैं तो आप एन्क्वायरी नहीं कर सकते, नेचर ऑफ एन्क्वायरी को देने के आधार पर डाक्युमेन्ट्स को देखने के आधार पर, यह मानना पड़ेगा कि आपके कांग्रेस दल की ओर से हुकुमत बनाये जाने का दावा किया जा रहा था, उसका लीडर कांग्रेस दल ने किसको चुना ? उसका लीडर चुना कांग्रेस दल ने श्री मोहनलाल सुखाड़िया को। श्री मोहनलाल सुखाड़िया आज यहां आकर नहीं कह सकते कि मेरी भावना यह नहीं थी कि मेरा राज्य नहीं बनना चाहिये। डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स पड़ता था। कौन था आपका नेता ? दूसरी बात जो महत्वपूर्ण निकलती है वह मैं आपके सामने और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपको इस बात को नहीं भूल जाना चाहिये कि इस प्रकार राज्य को हस्तगत करने के पश्चात् आप जिस स्थिति में से गुजर रहे थे उसके लिये दो बातें सामने आती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गोली कांड के दिनों में इस जयपुर की व्यवस्था का भार था जिसके कन्धों पर वह सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उस सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कर्मचारियों के बारे में इस बेरी कमीशन के प्रतिवेदन में क्या ऑब्जर्वेशन किए गए हैं ? स्पष्ट रूप से यह लिख दिया गया है कि जयपुर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनली इन सारे मैटर्स में इन्वॉल्व्ड है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत लापरवाही और अपनी ड्यूटीज सही रूप में न अन्जाम देने के कारण निरीह जनता पर भयंकर गोलीकांड हुआ। एक माननीय सदस्य ने आसानी से कह दिया कि दस पन्द्रह आदमियों का जुलूस था और प्रोवोकेटिव नारे लगा रहा था। बताओ क्या नारा लगाया अपने मुंह से, नहीं जयपुर की जनता के मुंह से जयपुर के बच्चे बच्चे के मुंह से यही नारा लग रहा है कि "मां की गोद सूनी है, सुखाड़िया खूनी है"। यह नारा क्यों लगाया था ? क्या पागल कुत्ते ने काट खाया था ? मन्त्रिमण्डल के सदस्य नीचे जाकर देखते, दूसरे माननीय

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

सदस्य जाकर देखते। लेकिन किसी ने जाकर देखने की जरूरत नहीं की। मासूम बच्चों को जाकर देखते जिनकी टांगे कट रही है, उन औरतों को देखते है जिनके पति गोली से मारे गए है, उन मासूम बच्चों को देखते जो बेबस हो गए जिनके जीवन का रास्ता बन्द कर दिया गया है। उन निरपराध लोगो को देखते जो निस्सहाय है, बेसहारा है। कहीं रहम आया है आपके दिल में ? नहीं कोई रहम नहीं। कोई दया नहीं। बेरी कमीशन ने कहा है कि जितने भी इससे प्रभावित है उनको एडीक्वेट कम्पन्सेशन देना चाहिए । ६ तारीख को सरकार के सामने प्रतिवेदन पेश किया कोई राय प्रकट नहीं की। यहाँ तक कि असेम्बली होने लगी और यह मालूम हुआ कि असेम्बली के प्रांगण में सारे विरोधी दल मिलकर खाल खींचेगे तो यहां विचार के लिए रखी गई। आपमें कॉन्शियस थी तो ह्यूमेनिटी के नाम पर भी कुछ करना चाहिये था, आप प्रजातन्त्र के उसूलों में विश्वास करते बापू के पद चिन्हों पर चलने वाले कहते हैं, बापू के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले अपने आपको कहते हो इस प्रकार राज्य में गोलीकांड किया जाय, इतने आदमियों को मार दिया जाय और आप शर्म के साथ यहां बैठे रहे और एडीक्वेट कम्पन्सेशन पर भी विचार न करें, बापू ने त्याग किया आपके बाप-दादाओं ने त्याग किया होगा, उनकी त्याग और सेवा के कारण आज इन कुर्सियों पर बैठे हो, सिद्धांतों की बात करने वालों, हमेशा तो अपेक्षा करते हो और काम इस प्रकार के घृणित करते हो, ओ, उपदेश देने वाले आचार्यों हमें तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं और उपदेश देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उपदेश देने का हक तुम्हें तब होगा जब तुम भी सिद्धांतों के अनुसार आचरण करोगे । किस प्रकार प्रशासन में आप लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया है । किस प्रकार बैक बाइटिंग करा कर बैक डोर एन्ट्री करायी है।

लम्बी चौड़ी मन्त्रियों की फौज, गरीब राजस्थान की जनता पर भार बनकर, राजस्थान के एक्स्चेकर पर भार बन कर बैठी हुई है। त्याग की भावना थी तो त्यागी व्यक्ति सामने आते........

श्री उपाध्यक्ष : बेरी कमीशन ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उस सम्बन्ध में कह रहा हूं कि चूंकि मुआवजा देने का सवाल पैदा हो रहा है, राज्य सरकार के सामने अकाल पड़ गया है, त्याग की भावना उनमें जब जानता की बेरी कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए एक आदर्श कायम करने की दृष्टि से दो चार आदमी भी मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देते। कोई हिम्मत नहीं कोई आदर्श जनता के सामने उपस्थित नही है। इस प्रकार के उपदेश देने का आप लोगों को कोई हक नही है और त्याग का आपकी ओर से सवाल ही पैदा नहीं होता है।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि यह बेरी कमीशन के प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया है और यह बात सिद्ध हो गयी हैं कि जो एजीटेशन हुआ है उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर है। वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके मातहत आता है? वह कांग्रेस इसकी रिजीम के मातहत और कांग्रेस की रिजीम इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई लालेसनेस क्रीयेट की गई तो अपराधियो को दण्ड देने के लिए सक्षम है, उसके लिए सक्षम नहीं होना चाहती। इसलिए नहीं होना चाहती कि उनके सामने एक प्रश्न पैदा होता है जिसमें कान्सप्रेसी की बात है, उपाध्यक्ष महोदय। जिन दिनों गोलीकाण्ड हुआ उस वक्त कितने उच्चाधिकारी जयपुर में डेपुटेड थे कितने दिनों के बाद जांच की कार्यवाही की और विरोधी दलों की ओर से मांग करने पर भी कांग्रेस की सरकार ने उनके लिए क्या किया? जिस पोस्ट पर उनको रहना चाहिये था उसी पोस्ट पर रहते। उनको नौकरी से हटाने का सवाल नहीं आता, जांच का भी सवाल नहीं। मैं उनकी गिनती नहीं कराना चाहता और सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। लेकिन इस बात पर एम्फेसिस जरूर करना चाहता हूं कि इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे अधिकारियों को आपने पदोन्नत किया है, यह तरजीह दी है, इसका क्या कारण था? उन्हीं के जमाने के, समकालीन और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसी पद पर काम करने वाले अधिकारीगण थे, उनको आपने पदोन्नत नहीं किया। लेकिन जयपुर में गोलीकांड हुआ, जयपुर के गोलीकांड में जिन अधिकारियों ने भाग लिया, जिनके बारे में बेरी कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एडीमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार कहा है, उन लोगों की आपने पदोन्नति की है। यह पदोन्नति किसने की है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारियों की पदोन्नति इस कांग्रेस के वर्तमान कैबिनेट ने, उसके सरदार मोहनलाल सुखाड़िया ने, इनकी पदोन्नति की है। यह ज्वाइंट रेसपांसबिलिटी कैबिनेट पर पड़ी है। अगर उनमें से एक बेईमानी करता है तो सारों पर उसकी जिम्मेदारी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान को जिनके कि खिलाफ बेरी कमीशन ने स्पष्ट रूप से साफ कहा है कि इनकी गफलत से, गलती से यह हुआ है और जिसके लिये इनको दंड देना चाहिये, उन व्यक्तियों को आपने पदोन्नत किया है। इससे ज्यादा कॉन्सप्रेसी का सबूत आप हमसे और क्या मांगना चाहते हैं? आपके एक्शन आपकी कॉन्सप्रेसी को बयान करते हैं। कानून को पढ़कर आप देख लीजिये। केवल सरकमस्टान्सेज ही हैं, जिनके आधार पर कान्सप्रेसी को इन्फर की जाती है। वे परिस्थितियां ही हैं, जिनसे यह मालूम किया जा सकता है। आज के जमाने में क्रिमीनल कान्सप्रेसी चली आती है। डाइरेक्ट एवीडेंस में कान्सप्रेसी के मामले नहीं मिलते हैं। फैक्टस् के आधार पर इन्फरेंस निकाल ली जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जवाब

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

दीजिये कि आपके पास क्या जवाब है ? क्या कारण हैं आपके पास पदोन्नति के ? इसका कोई जवाब हो तो स्पष्ट रूप से दीजिये। इस क्रिमिनल कॉन्सप्रेंसी के लिये आप जिम्मेवार हैं। आपने बेरी कमीशन को फेक्टस् फाइन्डिग बॉडी माना है। आप इसे मत मानिये, किन्तु मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुर्नविचार कीजिये। क्रिमिनल कान्सप्रेंसी इससे बनती है, इसको आप मानिये। यह सबूत है। यह आपके खिलाफ है। इस सबूत के बाद मन्त्रीमण्डल के किसी सदस्य में हिम्मत हैं, उनमें कोई मोरल है तो वे इन कुर्सियों को छोड़ दें। मैं जानता हूं कि यह मोरल, स्टेन्डर्ड आज आप में नहीं हैं। आपतो इतने गिर गये हैं कि इन बातों के ऊपर विचार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए उपदेश देने का अधिकार आपको नहीं है। मैं यह आप से जानना चाहता हूँ कि जो मसला इस सदन में विचारणीय हो रहा है, वह एक अहम मसला है, उस पर इन्सानियत के नाम पर आपको विचार करना होगा।

बापू के पुनीत कर्तव्य का आप फायदा उठाकर आज कुर्सियों की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन्ही बापू के पुनीत नाम पर यह आपका कर्तव्य है कि आपको विचार करना चाहिये। इस हिन्दुस्तान की पावन संस्कृति के नाम पर, इन्सानियत के नाम पर, आपको विचार करना चाहिये। निहत्थों और निर-पराधों पर, जिन पर घोर अत्याचार हुआ है, उनको एडीक्वेट कम्पेन्सेशन देने के सवाल पर आप क्या राय रखते हैं ? आपके जेब से पैसा जाने वाला नहीं है। आप में त्याग की भावना आनी चाहिये। उपाध्यक्ष महो-दय, इन लोगों के काले कारनामों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह सरकार इस बात को करने वाली नहीं है। इसलिए विरोधी पक्ष इस राज्य सरकार से इस विशेष बात की मांग करता है, एडिक्वेट एमाउंट आफ कम्पेन्सेशन के बारे में मांग करता है। मैं यह जानता हूं कि यह राज्य सरकार की जानकारी में है फिर भी वह इस न्यायोचित मांग को करने वाली नहीं है। इसलिए मांग करता हूं कि इस पर दुबारा हाईकोर्ट का कोई जज, या उसके केडर का कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाय। वह एक व्यक्ति का कमीशन इस गोलीकांड में जिन लोगों का नुक्सान हुआ है, जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उनको कम्पेन्सेशन कितना दिया जाना चाहिये, एमाउन्ट आफ कम्पेन्सेशन क्या होना चाहिये, उसके बारे में अपना निर्णय दे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अपराधियों को दण्ड मिलना चाहिये। परन्तु यह तो अपराधियों की सरकार है। अपराधियों के ये सरदार क्या दण्ड देगें ? आप तो डकैती करके इस कुर्सी पर जो बैठे हैं। इन डकैतों को कौन सजा देगा ? इसमें मुझे विश्वास नहीं है। डकैती के लूट में जब माल माल का सवाल आया, तो उसमें जो रत्न थे मिनिस्टरों के रूप में आपने ले लिए और जो छोटे छोटे थे उनको एक एक हजार, दो दो हजार के नोट देकर यह चोरी का माल, इन सारे डाकुओं ने, इस राजस्थान की जनता पर अत्याचार करते हुए आपस में बांट लिया। इसलिए

(दुर्गालाल बाढ़दार

उम्मीद नहीं की जा सकती कि इन व्यक्तियों के बारे में आप सही मन से जांच करेंगे और उन अपराधी व्यक्तियों को दण्ड दिलायेंगे। आज जांच करने की बात पर, सरकारी जांच और एवीडेन्स के आधार पर बेरो कमीशन ने साफ तौर से कहा है कि सिरेड्योड़ी बाजार में, जहां कि यह असेम्बली है और असेम्बली के १८४ सदस्य बैठे हैं, यह मेरी कान्स्टीटयूएन्सी है, जिसमें कि मैं आपको १८४ सदस्यों को पनाह देता हूँ, उस एरिया में बिल्कुल इस दरवाजे से गोली चलाई, अन्धाधुन्ध गोली चलाई और जब यह पूछा गया कि गोली चली तो मन्त्री महोदय कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमें मालूम नहीं है। मैं कहता हूँ, सिरेड्योढ़ी बाजार में गोली चली है। यह अन्धी सरकार, इस एवीडेन्स के आधार पर ये सारे फेक्ट्स साबित होते हुए भी नहीं मानती है। आप कहिये क्या दलील है आपके पास ? फेक्ट्स फाइन्डिग कमीशन आप इसको मानते हैं। क्या फाइन्डिग हुई ? गोली चली और आप कहते हैं कि नहीं चली। अरे फेक्ट्स फाइन्डिग कमीशन को तो आप मानो। इस फेक्ट को आप कैसे नहीं मानोगे ? इस फैक्ट के आ जाने के बाद कौनसा अधिकार आपके पास रखा है कि इसको इन्कार करके आप निकल सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इसमें जो जो अधिकारी रेसपांसिबिल थे, जिन्होंने किसी एक्सटेंट तक इस अपराध में भाग लिया, जिनका जुल्म इतना गहरा है, जो अत्याचारी, खूनी और कातिल हैं, इन कातिलों को पनाह देने वाली इस सरकार से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह निष्पक्ष रूप से निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर जिन्होंने अत्याचार किये हैं, उन आदमियों को पकड़वाने की कोशिश करेगी और उसके बाद उन्हें उचित दण्ड दिया जायेगा। दूसरी बात यह उपस्थित होती है। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और बता देना चाहता हूं। वह यह है कि जिस प्रकार से आज इस राज्य सरकार का रवैया हम देख रहे हैं हमारे माननीय गृहमन्त्रीजी, श्री दामोदरलाल जी व्यास, जिनको मैं समझता था, जिन्होंने दस बीस साल तक वकालात की है और कानून का उन्हें तजुबा है और वे कोर्ट का, हाईकोर्ट का रेस्पेक्ट करते होंगे, उनके लिये मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि वे अपना सारा पुराना एक्सपीरियंस कूए में डाल कर कहते हैं कि सुप्रीमकोर्ट में जजमेन्ट के अनुसार सेक्शन ३, कमीशन आफ एन्क्वायरी के अनुसार सरकार पर यह बाइन्डिग नहीं है कि वह इस कमीशन की रिपोर्ट को माने। मोरल फोर्स आप में नहीं है परन्तु यह आपकी मर्जी का कार्य नहीं है। वे यहां सुन ले। अगर आप लोग, यह फेक्ट्स कमीशनआप मान कर चलते हैं तो कम से कम जो तथ्य, फेक्ट्स इस कमीशन के द्वारा स्पष्ट रूप से साबित कर दिये गये गये हैं, उन फैक्ट्स के साबित हो जाने के बाद, कमीशन ने जो रिकमन्डेशन राज्य सरकार के सामने की है, जिन रिकन्डेशन को इम्प्लीमेन्ट करनी की मोरल ड्यूटी इस राज्य सरकार की हैं, उस ड्यूटी को आप नजरअन्दाज करते है तो जयपुर की जनता को ही नहीं राजस्थान की जनता को दूसरा आन्दोलन करने के लिये, उसको प्रोवोक करने की रेस्पांसिबिलिटी किस की होगी ? यह

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जानना होगा ? आप जो स्थिति इस तरह पैदा करना चाहते हैं कि राज्य में यह आ जाय तो किस पर इसका परिणाम होगा ? जनता दबती रहीं, जनता अपनी वाजिब, सही मांग राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं करे, इस प्रकार की भावना को यदि आप दबाना चाहते हैं, तो कहिये अगर दूसरा आन्दोलन इस जयपुर में हो जाता है, और इस दूसरे आन्दोलन में राजस्थान की सारी जनता हो जाती है तो इसका उत्तरदायित्व किस पर होगा ? आपके इन्कार से काम नहीं चलेगा। आन्दोलन होगा आपके इन्कार करने पर भी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हाईकोर्ट के जज ने अपनी फाइन्डिग आपके खिलाफ दी है। इसको आप नहीं मानते हैं तो प्रोवोकेशन की रेसपांसिबिलिटी राजस्थान की सरकार के ऊपर होगी। अगर आज कोई दूसरा आन्दोलन इसके फलस्वरुप होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होगी। समय से पहले आप उससे सावधान हो जावें और अपने कर्त्तव्य का पालन करने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने के पश्चात मैं इस सरकार से कम से कम यह अपेक्षा करके चलता हूं कि सरकार अपने उत्तरदायित्व को सही माने में निभाने की चेष्टा करेगी।

आपकी ओर से यह कहा जाता है कि जयपुर में महारानीजी का जो प्रभाव है वह कांग्रेस का नहीं है यह आपके मुख्य सचेतक ने स्वयं ने माना है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह तो चौमूं के चुनाव में देख लिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं इस बारे में विशेष बात नहीं करना चाहता।

श्री विजयसिंह (मकराना) : बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : चुनाव में उन दिनों की स्थिति आपका जी जानता है कि क्या थी और आप किन हथकण्डों से जीतकर आये हो। यहां के रहने वाले होकर इस तरह की बात करते हैं। व्यक्तिगत आलोचना करने का मेरा स्वभाव नहीं और सस्ती राजनीति में मैं पड़ना भी नहीं चाहता जैसी आप करते हैं। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि यहां मिटिंग का जुलूस निकालने का भी जिक्र किया गया। शांतिपूर्वक जुलूस निकालने का जनतन्त्र में हक हम सबको है। अब उसकी आलोचना आपकी तरफ से की जाती है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रजातान्त्रिक प्रणाली में फिर कौनसा तरीका है ? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का तरीका आपके पूर्वजों ने अपनाया था और बहुत बड़ा त्याग किया था इसके लिए मैं नहीं कहता कि आप लोगों ने भी कोई त्याग किया है ? आप तो अपने पूर्वजों के त्याग के फल का भोग करने वालों में से हैं। हो सकता है, नाम के लिए दो चार आप में भी अभी तक ऐसे त्यागी निकल जावें। तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन और जुलूस निकाल कर अपनी उचित मांगो को

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

प्रशासन के सामने रखने का जनतन्त्र में जनता का मौलिक अधिकार है। यह प्रत्येक नागरिक का परम कर्त्तव्य भी है, पुनित धर्म है और इस पुनित कर्त्तव्य और धर्म को पालन करने की क्रिया को भी यदि आप अपने क्षुद्र स्वार्थवश अन्धे बनकर अपनी कुर्सियों को कायम रखने की खातिर नृशंस और बर्बर तरीकों से सत्ता का सहारा लेकर रोकना चाहें गोलीकांड करके दबाना चाहें तो क्या आपको यहां से हटाने का प्रयत्न नहीं किया जावे ?

मैं कहता हूं यह आपकी गैरत का तकाजा है, इन्सानियत का तकाजा है मैं आपके गुड सेंसेज को अपील करना चाहता हूं कि आप अपने पूर्वजों के उसी त्यागमय आदर्श को उपस्थित करने की चेष्टा करें। अपने पूर्वजों के उन त्याग और बलिदानों को याद करें। देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए, लोगों की सुख और समृद्धि के लिए आपके बाप दादों ने किस प्रकार त्याग और बलिदान का आदर्श उपस्थित किया है। उनके नाम पर कुर्सियों पर बैठने वालों, कांग्रेस के मिनिस्टरों, भगवान के नाम पर, राजस्थान की जनता के हित के नाम पर, इन्सानियत के नाम पर, देश के शहीदों के नाम पर मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने में वही त्याग की भावना उत्पन्न करें। आपको त्याग देना चाहिये ऐसी कुर्सियों के ,और लग जाना चाहिये जनता की सेवा में। बापू के अनुयायियों, आप इन अत्याचार से भरी हुई कुर्सियों पर न बैठें। आप में से तो मनोहरसिंह महता बापू के सच्चे अनुयायी हैं जिन्होंने जनता की सेवा करने का व्रत लिया है। सर्वोदयी नेता बनकर आपकी कुर्सियों का मोह उनको नहीं है। मैं ऐसे आदमियों को बापू के अनुयायियों में मानता हूं। आपको नहीं मानता। आपको तो बापू के नाम की आड में मैं ढोंगी मानता हूं।

अन्त में केवल यही कहता हूं, यह चुनौती है समय की आपको। बेरी कमीशन की रिपोर्ट को अगर आपने नजरअन्दाज किया, यदि इसकी रिकमण्डेशन पर कोई कोई ध्यान नहीं दिया, इसकी अवहेलना की तो मैं निश्चयात्मक रूप से कहता हूं आप लोग सबसे ज्यादा भयंकर प्रजातंत्र के घातक होंगे। उस जघन्य पाप के अपराधी होंगे जोकि न्याय की व्यवस्था को बन्द करने की कोशिश करते है। रूल आफ लॉ की इन्फ्रिन्ज करने की कोशिश करते हैं। कानून को तोड़ने वाले कानून की मर्यादा को भंग करने वाले सभी अपराधों के अपराधी और उत्तरदायी आप होंगे। इसलिए इस पर विचार करें अपने मन्त्रिमण्डल में। इन्सानियत के नाम पर, भगवान के नाम पर राजस्थान के गरीब निवासियों के हितों के नाम पर मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आपको वही काम करने चाहिये जो जनहित में हों, त्यागमय हों और एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये। यह मै आपसे अपेक्षा करके चलता हूं। पर दुर्भाग्य यह है कि इन क्षुद्र स्वार्थियों से आशा कम है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द अग्रवाल **:** सरकार की ओर से उत्तर ४॥ बजे प्रारम्भ होगा इसलिए भाषणों पर सीमा होगी। समय बीस मिनट।

Page No 128

श्री रामानन्द अग्रवाल : साढ़े चार बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके अलावा और भी कोई बोलने वाले है ।

(४ म. प्र.)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय बेरी कमीशन जिस रिपोर्ट पर दो दिन से बहस हो रही है इसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि यह रिपोर्ट एक फेक्ट फाइन्डिग कमीशन के तौर पर है और सरकार पर इसको कोई पाबंदी नहीं है कि वह इसको स्वीकार करे ही । बल्कि गृह मन्त्री ने अपना इण्डीकेशन अपने स्पोक्समैन के जरिये इस बात का दिया कि वह इसको अपने ऊपर बिलकुल बाइण्डिग नहीं मानते । उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत जो कमीशन्स एपाइन्ट होते है वे फेक्ट फाइण्डिग कमीशन होते हैं और ज्यूडीशियल ट्रिब्यूनल की तरह वे कोई जूडीशियल जजमेंट नहीं देते ।

परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में यह कमीशन नियुक्त किया गया, जिन तथ्यों को लेकर यह कमीशन नियुक्त किया गया । जो पार्टीज इस कमीशन में एन्क्वायरी के लिये है उन तमाम तथ्यों को देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह फेक्ट फाइन्डिग कमीशन बेशक है, लेकिन आज अगर इसकी फाइडिंग्स है, उन फाइडिंग्स पर अमल नहीं किया गया है, उन फाइनिंग्स को नहीं माना है ।

(४.०१ म. प)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल, सभापति, पदासीन) तो इसके भयंकर परिणाम होंगे, इसके भयंकर नतीजे निकलेंगे । सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि यह कमीशन किसी एक गांव में आपस में किन्हीं लोगों की लड़ाई हो गई उसमें पुलिस ने गोली चलाई हो, उसकी एन्क्वायरी के लिए नहीं है, किसी जगह काम्युनियल रॉयट हो गये हों उन पर पुलिस ने गोली चल ई हो, उसकी एन्क्वायरी नहीं है । यह कमीशन दो पार्टीज का, जो शासन की सत्ता का संघर्ष कर रही थीं और उस संघर्ष के दौरान में जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है, जिसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके पुलिस के जरिये गोली चलाई, जिसके नतीजे पर कुछ लोग मारे गये, कितने ही घायल हुये इस स्थिति में यह कमीशन मुकर्रर हुआ था । यह कमीशन इस बात की जांच के लिए मुकर्रर हुआ था कि दो पोलिटिकल फोर्सेस, एक एक कांग्रेस जो अपने आपको बहुमत में कहतीं थी और एक अपोजिशन जो कहता था कि हमारा बहुमत है इसलिये हमें सरकार बनानी चाहिये उनमें आपस में पोलिटिक्ल संघर्ष था और उस पोलिटिकल संघर्ष के दौरान ये सारी घटनायें हुईं । इसलिये हम इस गोली काण्ड को यह कह कर नहीं चल सकते थे जि कांग्रेस जिम्मेवार नहीं है, अपोजिशन भी जिम्मेवार नहीं है—जिम्मेवार वे लोग हैं जो वहां पर क्यों आये, वे जिम्मेवार हैं सिपाही-जिन्होंने गोली क्यों चलाई ? कांग्रेस का दल जो बहुमत को क्लेम करता था, वे जिम्मेदार हैं । गोलीकाण्ड और इस तरह लोगों की मौतों के लिये या हम जिम्मेवार है जिसमें कि ये सारी दूसरी पार्टीज थी । मैं समझता हूं इस बात का निर्णय

(श्री रामानन्द अग्रवाल

करने या फेक्ट रो फाइन्ड करने के लिये यह कमीशन मोटे तौर पर नियुक्त किया गया था। राजस्थान सरकार के श्री मोहन लाल सुखाड़िया जो गवर्नमेंट के लीडर थे उन्होंने कमीशन एपाइन्ट करने से इन्कार कर दिया। वे खुद एक पार्टी थे, उनके ऊपर चार्ज था उन्होंने इन्कार कर दिया और यह कमीशन सेन्ट्रल गवर्नमेंट के प्रेसीडेन्ट ने अपॉइन्ट किया था इसलिये मुझे आश्चर्य हैं, आज यह सरकार कहे कि हम इस कमीशन पर विचार करेंगे हम इस कमीशन पर निर्णय लेंगे कौनसी बात सही मानते है और कौनसी बात सही नहीं मानते हैं। मैं यह कहूँगा, कातिल यह हक मांग रहा है कि मुझे इस बात का फैसला करने दो कि मैं कातिल हूँ या नहीं हूँ, मुझे मेरे खिलाफ जो सेन्टेन्स पास किये गये हैं वह दुरुस्त है या नहीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह स्थिति दुरुस्त नहीं है। अगर आज गवर्नमेंट पार्टी नहीं होती, पोलिटिकल पार्टी के रूप में श्री मोहनलाल सुखाड़िया पार्टी नहीं होते और इस तरह रायट कमीशन की एन्क्वायरी होती तो जो यह रायट क्लेम करे, आप उस पर विचार करें। किस आफिसर का किस हद तक का कसूर है। आप खुद पार्टी है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके भयंकर नतीजे होंगे।

सभापति महोदय, आप सोचिये इस जनतंत्र में आपसी तौर पर झगड़े हो राजनैतिक झगड़े हों, उन पर निर्णय हो तो कोई न कोई तरीका आपस में होता है। जब पोलिटिकल फोर्सेज राजनैतिक-सत्ता संभाले हुये हैं तो यह एक डैमोक्रेसी का क्वेश्चन है। मैं कौन? सत्ता किसकी? सत्ता उसकी जिसको जनता ने समर्थन दिया है यही क्वेश्चन आज डिबेटेबिल हो गया। उस क्वेश्चन के दौरान में यह गोलीकाण्ड हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे कमीशन आफ एन्क्वायरीज एक्ट के तहत न हो, लेकिन हम पोलिटिकल फोर्सेज के बीच; इस झगड़े के होने के नाते वह फोर्स जो एक पार्टी के रूप में है उसको जजमेंट के रूप में बैठाने की बात करें वह दुरुस्त नहीं है। आज इस प्रकार का कमीशन चाहे किसी के अगेन्स्ट में जाय और चाहे किसी के पक्ष में जाय एक प्रीसीडेन्ट कायम करता है, एक मिसाल कायम करता है। आज माननीय सदस्य कोटेशन दे रहे हैं, कल हो सकता है आप इधर बैठे तो जो कोटेशन आप दे रहे हैं वह हुकुमत से भरा है। हमने जो एटीट्यूड लिया है और आज की गवर्नमेंट किस प्रकार एटीटयूड लेती है, इसलिये मैं निवेदन करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन पर जिसमें हम दो पोलिटिकल फोर्सेज है, हमको समाज में व्यवस्था कायम रखनी है तो किसी न किसी के निर्णय को न्यायसंगत मानना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा, इस मामले में इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट, है जैसा कि माननीय सतीशजी ने उद्धरण दिया है और वह खुद एडवोकेट जनरल और चीफ जस्टिस को दिया। कमीशन ओफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस बात को सोचने को कह सकती है। इस सरकार के दावे में आज क्या है? जो आज इस कमीशन के सामने कातिल के रूप में खड़ी हुई है। हम उसके दावे को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्वीकार नहीं कर सकते कि हम इस कमीशन पर दुबारा विचार करेंगे । सभापति महोदय, आखिर इस कमीशन का निर्णय क्या है ? किन फेक्ट्स पर यह पहुँचा है । मैं समझता हूँ कमीशन का सारा निर्णय जिससे कि ट्रेजरी बेन्चेज आज घबराहट में हैं, जिससे मोहनलाल सुखाड़िया ने यहां शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं रखी, यहां बैठने की हिम्मत नहीं रखी, तथ्यों को फेस करने की हिम्मत नहीं रखी—यह बात नहीं है कि वे बहुत बिजी है । आज टेलीफोन पर सारी बातों को सुन रहे हैं, कौन क्या कह रहा है इन सब बातों को सुन रहे हैं लेकिन क्या करें उनके हाथ खून से रंगे हुये हैं इसलिये हिम्मत नहीं हो पाती है । इस कमीशन ने क्या निर्णय दिया है आज कुल मिलाकर इस कमीशन का निर्णय है, यह जो गोलीकाण्ड हुआ है, यह जो हत्याकाण्ड हुआ है जिसमें ९ आदमियों की जानें गईं हैं और शायद ९ से अधिक हो सकते हैं-यह फायरिंग बिलकुल अन-जस्टिफाइड, अनुचित और अन्यायपूर्ण था । जिस तरह की शक्ति और जिस तरह की पुलिस की फोर्स जौहरी बाजार में रखी थी उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । जिस तरह धारा १४४ को वापिस लिया गया उस तरह पुलिस फोर्स को नहीं हटाया गया । यह इस दुर्घटना का कारण बनी है । अगर यह कदम नहीं उठाये जाते, अगर सही तरीके से कर लिया जाता तो शायद यह दुर्घटना एवाइड हो सकती थी, यह इसके अन्दर निर्णय लिया है । यह निर्णय लिया है इस कमीशन ने कि इस सरकार को न केवल इस तरह की लापरवाही के कारण बल्कि अन्याय और हिंसा के कारण यह दुर्घटना होने के बाद इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की डाक्यूमेंट्स में फोर्जरी की गई रेकार्ड्स के अन्दर हेरफेर किया गया, पुलिस के रेकर्ड में, मेडिकल रेकर्ड्स के अन्दर हेर-फेर किया गया । यह फाइन्डिंग्स कमीशन की है । यह फाइंडिंग्स कमीशन की है कि इस तरीके से यह जो सारी घटनायें हुईं, यह तमाम जो पोलीटिकल कन्टेन्शन्स था उसकी रैलेवेन्सी में, उसकी पृष्ठभूमि में यह सारी की सारी घटनायें हुईं । सभापति महोदय, यह बात उसमें अवश्य कही है कि जहां तक कान्सपीरेसी का ताल्लुक है मेरे कांग्रेस के कुछ मित्र इसको इन्टरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि जस्टिस बेरी ने श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया को कॉन्सपीरेसी से से बिलकुल मुबर्रा कर दिया । मैं समझता हूँ कि यह इन्टरप्रेट करना भी दुरुस्त नहीं है । अगर इस रिपोर्ट को आप गौर से पढ़ेंगे तो उन्होंने दो हिस्सों में इसको बांट दिया । जो कॉन्सपीरेसी का एलीगेशन लगाया गया था कि श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द जी से मिल कर और सर्विसेज से कॉन्सपायर करके इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की । उसमें जो मुख्य हिस्सा है कि उन्होंने गवर्नर के साथ मिलकर की उसके अन्दर कमीशन ने अपना जुरिस्डिक्शन महसूस नहीं करके उसमें कोई वरडिक्ट नहीं दिया और इसलिए उस हिस्से को जो बहुत इम्पॉर्टेन्ट है दूसरा हिस्सा इससे फॉलो होता है । उसको छोड़ने के बाद केवल दूसरे हिस्से को लिया है । दूसरे हिस्से में उन्होंने यही कहा है कि नियम १२० (ए) आई. पी. सी. के तहत जो क्रिमिनल कॉन्सपीरेसी की डेफीनेशन है उस डेफीनेशन के अन्दर कॉन्नी-

श्री रामानन्द अग्रवाल

ऐसी इन ऑफिसर्स के साथ मिलकर नहीं हुई लेकिन उसमें यह कहीं नहीं कहा कि जो भी कार्यवाही हुई उसकी वजह से यह घटनायें नहीं हुई। मसलन कि यह धारा १४४ जो ७ तारीख को हटाई गई वह एक पोलीटिकल डिसीजन था। श्री चव्हाण के कहने पर श्री सुखाड़िया जी की एडवाइस पर उसका फैसला किया गया। उसमें साफ डाइरेक्टली और इन्डायरेक्टली हिन्टेड है कि पुलिस फोर्स वहां पर क्यों रखी गयी? यह सवाल सामने उपस्थित है। वह मोहनलाल जी सुखाड़िया आर्डर करते हैं, एडवाइस करते हैं कि १४४ धारा उठा ली जाय, वह मोहनलाल जी सुखाड़िया इस बात की भी एडवाइस क्यों नहीं करते कि दांतों तक हथियार बन्द पुलिस को ऐसी टेन्शन की हालत में जौहरी बाजार में रखना, १४४ धारा को हटाना अपने आप आग और फूस को इकट्ठा करना है, पैट्रोल और माचिस को इकट्ठा करना है उनको वहाँ पर छोड़ देना है। चाहे तो यह डेलीब्रेट एक्शन हो सकता है और चाहे यह एक क्रिमिनल नेग्लीजेन्स हो सकती है जो मैं समझता हूं कि श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया जैसे १० वर्ष तक चीफ मिनिस्ट्री करने वाले एक राजनीतिज्ञ से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय, जहां तक राज्यपाल महोदय का ताल्लुक है इस अनडिज़ायरेबल या अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से जस्टिस बेरी ने अपने आपको दूर ही रखना मुनासिब समझा है कि आखिर क्या हमारे राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द जी की भूमिका रही। इस सारी घटना के अन्दर वह चुनाव खत्म होते ही इस बात का प्रयत्न करते रहे कि किस का बहुमत है यह बताओ। कांग्रेस का बहुमत है या विरोधियों का बहुमत है इस बात को बताओ। १ तारीख को कब तक के लिए केवल यह सवाल नहीं आया कि कौन सबसे बड़ी पार्टी है। वह २८ तारीख को पता लग गया था कि कांग्रेस ने ८९ सीटें जीती हैं और ८८ आदमी आये हैं। अगर सबसे बड़ी पार्टी की बुनियाद पर कांग्रेस को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करना था तो उसी समय चुनाव खत्म होते ही कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। १ तारीख को संयुक्त दल बन गया और उसमें ९१ लोग शामिल हो गए और हमारी तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैंने और हमारी पार्टी ने घोषणा कर दी कि हम इस मिनिमम प्रोग्राम को बुनियाद पर संयुक्त दल की गवर्नमेंट बनायेंगे और उसको अपना समर्थन देंगे। इस तरह से ९१ के संयुक्त दल को ९२ वां हमारा समर्थन मिल चुका था और १ तारीख को यह होने के बाद ३ तारीख मुकर्रर की। राज्यपाल महोदय ने ११ बजे प्रेस कॉन्फ्रेन्स बुलाई। प्रेस वाले सारे इकट्ठे हो गये और एक दम से दिल्ली से टेलीफोन आता है, इंदिरा जी का टेलीफोन आता है, कामराज जी का टेलीफोन आता है और जब हम मिलने जाते हैं तो एक बहाना बनाकर कि राजा मानसिंह जी ने कह दिया कि आप न्याय करना और कहते हैं कि मेरा सन्तुलन बिगड़ गया और कहने लगे कि मैं अब कल निर्णय दूंगा। इसलिए ऊपर हाई कमाण्ड की एडवाइस पर, प्राईम मिनिस्टर की एडवाइस पर, कांग्रेस प्रेसी-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डेन्ट की एडवाइस पर उस फैसले को दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि दूसरे दिन जो निर्णय दिया-दूसरे दिन उन्होंने निर्णय इस बुनियाद पर दिया और कांग्रेस को बुलाया गया इसलिए कि वह सबसे बड़ा दल है। ४ तारीख को कांग्रेस सबसे बड़ा दल नहीं था। २८ तारीख को मान सकते हैं, फरवरी की आखिरी तारीख को मान सकते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था लेकिन ४ तारीख जब कि राज्यपाल महोदय की तरफ से निर्णय लिया उस समय तक संयुक्त विधायक दल बन चुका था और जिसकी सूचना दी जा चुकी थी। तो मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जिस तरह से हरिभाऊजी ने अपने संस्मरण में कहा है उसको पूरी तरह से लागू किया। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो कि उनकी कांसीपीरेंसी इस बात से पूरी तरह से जाहिर होती है कि ७ तारीख को यहां पर गोलीकांड हो गया तब यहां की ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन की रिपोर्ट नहीं भेजी गयी। ६ तारीख को भी नहीं भेजी, १० तारीख को भी नहीं भेजी और ११ तारीख को भी नहीं भेजी और १४ को असेम्बली का सेशन बुलाया गया जब कि पहले असेम्बली का सेशन २० तारीख को था। हमको कहा गया कि शक्ति परीक्षण करने के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे और जबकि श्री मथुरादासजी माथुर का मिशन भरतपुर का फैल हो गया, तब यह रिपोर्ट भेजी गई कि ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब है और अपोजीशन के लोग विधान सभा को घेरेंगे और तब १३ तारीख को राष्ट्रपति का शासन कायम किया गया। यह सम्पूर्णानन्द जी की घिनौनी हरकतें थीं जो कि एक तरीके से उन्होंने कांस्टीट्यूशन की अवहेलना की और कांग्रेस को पावर में लाने की कोशिश की। मैं यह निवेदन करूंगा सभापति महोदय, और इस सारे दौरान में सुखाड़ियाजी का क्या एटीट्यूड रहा सवाल यह है कि यह जो इसमें रिपोर्ट आई है इनमें कॉन्सीक्वेन्शल एवीडेन्स के जरिये और दूसरे हालात के जरिये किन के ऊपर ब्लेम पड़ता है यह फैक्ट फाइंडिंग के लिए कमीशन है। अगर मोहनलाल जी सुखाड़िया के खिलाफ क्रिमिनल कान्स्पिरेंसी की बात को यह कमीशन कह देता तो क्रिमिनल कांस्पिरेंसी की जो धारा है १२८ उसके तहत सुखाड़िया जो यहां न बैठकर शायद घाट दरवाजे होते। अगर इसमें यह नहीं कहा गया है कि वह तमाम चार्जेज को एक चीफ मिनिस्टर के नाते जो उन्होंने आर्डर्स दिये उससे उनको मुबरी कर दिया। मैं यह निवेदन करुंगा कि यह बेरी कमीशन के सामने जो फैक्ट्स आये हैं, जो उन्होंने उनको स्वीकार किया है उससे भी चाहे वह सर्विसेस से कान्स्पिरेंसी को बात नहीं हो कि उन्होंने श्री विष्णुदत्तजी शर्मा, श्री हनुमान शर्मा ने बैठकर और नीचे के सिपाहियों ने बैठकर तय किया कि हमें वहां पर इस तरह से करना है। सिपाहियों की हुकूमत नहीं बननी थी, एस० पी० की को हुकूमत नहीं बननी थी वह कान्स्पिरेंसी करने वाले लोग तो कुछ बड़े ही लोग थे। श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया का यह इन्स्ट्रेंट था कि यह तो हकूमत हमारी रहे या राष्ट्रपतिशासन लागू होजाये। जब ४–५ मार्च को दिल्ली गये थे उस समय चौहान साहब ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहा कि कांग्रेस की हुकूमत हो वर्ना राष्ट्रपति शासन। यह दृष्टिकोण उन्होंने पहले से ही जाहिर कर दिया था, और इसी दिशा में लगातार काम करते रहे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कहा जाता है कि दफा १४४ तीन तारीख को तय की गई और चार तारीख को सुबह लगा दी गई। कौनसा इन्सीडेण्ड पब्लिक की तरफ से हो गया था ? एक इंसीडेंट जो सबसे पहला इंसीडेंट हुआ. सभापति महोदय, वह इंसीडेन्ट पेशावरी होटल का हुआ जहां हमारे माननीय सदस्य श्री शीशराम और उनके साथी एक शिवनारायणजी थे। वहां एक रिवाल्वर चल गया। झगड़ा हुआ। इसके बारे में बेरी कमीशन ने क्या कहा ? बेरी कमीशन यह कहता है, वह लिखता है कि धारा १४४ केवल विरोधी लोगो के लिए थी। जो कांग्रेस या रुलिंग पावर के हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं थी। सभापति महोदय, रिवाल्वर पाया गया एक रिवाल्वर सड़क पर पाया गया जिसको लोगों ने कहा कि यह शीशरामजी का रिवाल्वर है। इसको फेंक दिया है। शिवनारायण या शीशराम दोनों में से किसी का हो सकता था। पुलिस आई। वह रिवाल्वर ऐसे ऐसे बोर का था जो बोर प्रोहिबिटेड बोर था। पुलिस आ गई और उस रिवाल्वर को ले गई लेकिन आज तक किसी व्यक्ति के खिलाफ वह रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इसलिए इसके बारे में जस्टिस बेरी का क्या कहना है, उसको जरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह बयान है भगतराम के जो एस० एच० ओ० थे –

"The revolver wich I had seized from the Mirza Ismail Road was of a prohibited bore. Even if a case relates to a prohibited bore revolver, it is a case under the Arms Act. It is not called a special report case although special report is sent, The report is sent by the S. H, O. to the G. O. and the S. P, I cannot say whether they forwarded it or not to the Government. Now that portion 'A' to 'B' from Ex.G/724 (entry in the Roznamcha of Kotwali) has been shown to me-I can recall that there was a talk at the very spot where the revolver was recovered, that the revolver belonged to Shri Sheeshram M. L. A. and that the investigation shall be made in ragard to it. The case concerning this revolver is still pending inquiry-It was a loaded revolver. It had five cartridges, although it had

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

the capacity of six cartridges."

इसके सम्बन्ध में जस्टिस बेरी कहते है—

"The Police had knowledge about the allegation and yet a brazen faced picture has been presented before the Commission by the District Administration that because Shri Sheeshram did not yield to pressure of the opposition he was sorrounded by the public and not a word has been said about the revolver. It was suggesed in the course of the cross examination and more than once at the stage of proceedings that 144 Cr. P. C. restrictions were only intended for the people who were not in power. This in fact is the very headlines of Shri B. K. Khatan s case. if such an image is projected on public mind about police partiality on political considerations, police alone has to thank for it atleast on account of its inaction."

तो, सभापति महोदय, इस प्रकार से यह दृष्टिकोण है जो सबसे पहला प्रोवोकेटिव इंसीडेंट इन तमाम घटनाओं के अन्दर हुआ है। वह कांग्रेस एम० एल० ए० के जरिये हुआ जिसमें नाजायज रिवाल्वर पकड़ा गया है। आज तक उसके खिलाफ कोई केस नहीं हैं। आज तक उस मामले का कुछ हुआ नहीं, और इस तरीके से यह चलाया गया है।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके ऊपर कि दफा १४४ हटाई गई। दफा १४४ हटाई गई वह सिर्फ चव्हाण के कहने पर हटाई गई। यह कमीशन ने सीधा कहा है।

(४.२३ म० प०)

(श्री पूनमचंद विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

पुलिस की वहां की हालत देखकर कहा है कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

........जरुरी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पोलिटिकल डिसीजन लिया गया। श्री सुखाड़ियाजी ने यह कहा है कि दिल्ली में यह तय हुआ है इसलिये विथड्रा की जानी चाहिये। क्यों नहीं सुखाड़ियाजो ने कहा कि साथ में ही पुलिस को विथड्रा कर लेना चाहिये। बेरी कमोशन ने साफ तौर से कहा है कि यह अनफार्चुनेट डिसीजन लिया गया है जिसमें १४४ तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हटा ली गई और पुलिस फोर्स को वहां रखा गया, और पुलिस फोर्स ने वहां के लोगों के आने जाने में इंटरफियर किया। यह जो फालोअप एक्शन नहीं हुआ वही इस ट्रैजेडी का कारण है। यह ट्रैजेडी का कारण वह सिपाही नहीं हुआ जिसको जलाया। इस ट्रैजेडी का कारण वह नहीं है। इस ट्रैजेडी का कारण सुखाड़ियाजी हैं जिन्होंने आर्डर किया कि धारा १४४ हटा लो और साथ में वहां की पुलिस को नहीं हटाया। पुलिस को नहीं हटाने की जिम्मेवारी सुखाड़ियाजी पर है डाइरेक्टली केवल कन्स्ट्रक्टिव नहीं, केवल चीफ मिनिस्टर होने के नाते नहीं। उन्होंने जो आर्डर दिया वह डिफेक्टिव था और उस आर्डर से सारी की सारी स्थिति पैदा हुई है।

इसके बाद सुखाड़िया का सारे मामले में क्या बिहेवियर रहा? यह घटना हो गई। घटना होने के बाद पब्लिक आती है और मांग करती है कि कमीशन मुकर्रर किया जाय हाई कोर्ट का। एक मजिस्टेरियल एन्क्वायरी वहां इन्स्टीट्यूट करायें। एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट होने के बाद कमीशन मुकर्रर हो गया सेन्टर की तरफ से, सेन्टर के कहने पर, प्रेसीडेन्ट रूल था, यहां पर जो गवर्नमेंट थी उसने कर दिया। उसके बाद जब केस चला, एन्क्वायरी शुरु हुई तो पब्लिक को कोई मदद नहीं दी गई और सरकार की तरफ से जो पार्टी थी उसकी तरफ से कितने वकील खड़े किये गये और २१ लाख रुपया जैसा कि कांग्रेस सचेतक ने बताया वह इतना भारी खर्चा किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह किस तरह की मोरेलिटी, किस तरह का स्टैण्डर्ड कायम करना चाहते हैं? अगर हम पब्लिक को मदद नहीं करें, पब्लिक को पैसे व वकील से मदद नहीं करें जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम्स करने वाले हैं सुखाड़ियाजी जिन पर कि एलिगेशन्स हैं वे पूरा नेग्लेक्ट करें और इस बात को नहीं करें और अन्त तक ऐसा एटीट्यूड लिये रहते हैं और १२ तारीख को चिट्ठी लिखते हैं कि मेरा दिल बड़ा दुखी और मेरा दिल राज्य करने का नहीं कर रहा है, १० वर्ष तक राज्य किया और कभी गोली-बारी नहीं हुई, यह जो सन्यास आया यह कैसे आया? यह सन्यास भरतपुर वालों ने करा दिया। यह सन्यास श्री रामकिशनजी ने करवा दिया। यह सन्यास इसलिए नहीं था कि वास्तव में हो। यह हिपोक्रेसी नहीं हुई क्या, यह धूर्तता नहीं हुई क्या, यह ईमानदारी हुई क्या कि राष्ट्रपति शासन करने की स्थिति पैदा करने के लिए यह किया? जब तोड़-फोड़ करके अपनी मेजोरिटी बना ली तो तमाम रोना भूल गये, तमाम दिल का दर्द भूल गये और हुकूमत बनाकर बैठ गये।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ। पाँच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके से यह जो सारे का सारा रोल

Page No 136

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

श्री सुखाड़ियाजी ने इसमें रखा है वह जिस तरीके का उनके ऊपर इल्जाम बनता है, यह मैं मानता हूँ कि किसी आदमी को मुजरिम को, क्रिमिनल को सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि वह जुर्म उनके खिलाफ बियान्ड शेडो आफ डाउट साबित न हो जाय, लेकिन किसी राज्य की सत्ता को किसी नेता के हाथ में तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि वह बियान्ड डाउट साबित न हो जाय कि वह इम्पार्शल है और लोगों की जान और माल का इसके हाथ में खतरा नहीं है। एज चीफ मिनिस्टर रहने का हक सुखाड़ियाजी ने बेरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद खो दिया है। आज जनता बहुत ज्यादा इस बात में आपका विश्वास करके नहीं चल सकती है। आखिर तमाम फाइंडिंग का नतीजा क्या निकलता है? जनता ने कांग्रेस को अल्पमत में कर दिया फिर भी हुकुमत कर रहे हैं चूंकि सेन्टर में पावर इनकी थी। हुकूमत उनकी बना दी। लोगों ने विरोध किया। गोली चलाकर लोगों को को मार दिया गोली चलाकर मार दिया। कमीशन बैठाया गया। कमीशन ने कह दियाकि सच है फिर भी गवर्नमेंट नहीं माने तो यह क्या साबित करना चाहते हैं? क्या स्टैण्डर्ड रखना चाहते हैं पब्लिक मोरिलिटी और पब्लिक बहेवियर का? लेकिन डेमोक्रेसी में अपोजिशन को राइट्स हैं और इस पर न्याय मिलेगा वर्ना यह नहीं हुआ तो ५१ हमारे और ४९ तुम्हारे तो हमने जो कहा है वह सही है और तुमने जो कहा है वह गलत है। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि आप पॉवर के नाते आज तमाम दलीलों को छोड़कर, जस्टिफिकेशन को छोड़कर, मोरल्स को छोड़कर इस दिशा में जा रहे हैं और जिसका भयंकर नतीजा हो रहा है।

मुझे आश्चर्य होता है उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस दल की ओर से कुछ उसूलों की बात की गई। किस तरह से पोलिटिकल पार्टीज ने बेउसूली का काम किया इस प्रकार से गलत गठबंधन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज की कांग्रेस इस बात को कहे, डिफेक्शन की बात कहे। आज जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं द्वारा रोजमर्रा कांग्रेस हाईकमांड द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिये जाते हैं और घोषणाएं की जाती हैं कि हम किसी ड़िफेक्टर्स को नहीं मिलाएंगे अगर कोई डिफेक्टर हमारे साथ में आ गया तो उसको मिनिस्टर नहीं बनाएंगे हरियाणा के चुनाव से पहले कांग्रेस हाई कमाण्ड ने यह घोषणा की कि चुनाव के बाद जब भगवत-दयाल ग्रुप ने कांग्रेस छोड़ दी तो कांग्रेस ने कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया और उनमें से लोगों को मिनिस्टर भी बना दिया। कांग्रेस का रिजोल्यूशन भट्टी में चला गया। अभी बिहार में क्या हुआ हरिहरसिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसने चार बार पार्टी बदली और जो दुनियां भर की पार्टियों में रह आया कभी स्वतन्त्रपार्टी में, तो कभी इन्डीपेन्डेन्ट तो कभी निर्दली इस तरह के व्यक्ति को काग्रेस ने अपना लीडर बनाया है। वह राजा आफ रामगढ जिसके बारे में कांग्रेस ने कहा था इसके खिलाफ पी० डब्लु० डी०

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और माइन्स का महकमा नहीं दिया जाए इसके खिलाफ गबन के मामले हैं इसको डिसमिस किया जाना चाहिये। कम्युनिस्ट सदस्य ने इसके बारे में आरोप लगाये थे। उसी राजा रामगढ़ को कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल में लिया है। इसके कारण आपकी पार्टी में जबर्दस्त हलचल मची हुई है सुब्रहमन्यम ने इस्तीफा दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह बात सही हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर जो संयुक्त दल बना जिसके ६१ मेम्बर थे उनको समर्थन दिया वह थी अनकन्डीशनल नहीं। १७ पाइंट्स पर और वे पोइंट्स ऐसे थे जो जनहित में थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण समाप्त करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य इस भ्रम में नहीं होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी को स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ की हुकूमत से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद हो यह बात नहीं थी। हमने इस दृष्टिकोण से उनको समर्थन नहीं दिया था। जनता चाहती थी कांग्रेस के राज को बदलना। हम भी चाहते थे कि कांग्रेस को हटाना और उसके बाद किसी भी पार्टी की सरकार बने उसको काम करने का अवसर देना चाहते थे और १७ सूत्री प्रोग्राम को कामयाब देखना चाहते थे, और उसी बुनियाद पर हमने उसको समर्थन दिया था। मुझे आश्चर्य है कि आज जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे वे भी जिन डिफेक्टर्स की बुनियाद पर आप यहां बैठे हैं, उन डिफेक्टर्स में से एक दर्जन सदस्य केबिनेट में मौजूद हैं। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी कहती है कि हमें कोड आफ कन्डक्ट तैयार करना चाहिये। एक तरफ कोड आफ कन्डक्ट की बातें होती हैं उधर यू० पी० में दूसरे दलों के सदस्य कांग्रेस में मिलाये जा रहे हैं, बिहार में इधर उधर से तोड़ फोड़ कर मिनिस्टरी बना रहे हैं, हरियाणा के अन्दर विधायकों को तोड़ रहे हैं। आज आपकी कांग्रेस में हर वक्त यही उधेड़ बुन चल रही है। इस तरीके से जिस देश के अन्दर जिस प्रकार से कांग्रेस की सत्ता चल रही है वह देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाली नहीं देश में इस जनतंत्र की नींव को खोखली करने वाली है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूँ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट जिसके इन्टरवेन्शन से कमीशन मुकर्रर हुआ है, उन कमीशन की रिपोर्ट को मन्जूर करवाये। लॉजिकली इसके कन्क्लूजन में मैं ऐसा नहीं देखता कि इससे साधारण सिपाहियों के खिलाफ एक्शन होगा। इससे यह साफ जाहिर हो गया है कि मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्य मंत्री हैं हुकूमत संभालने के काबिल नहीं रहे। उनके जो एक्शन्स थे वे इस बात को साबित करते हैं कि आई० जी० पी०, होम सेक्रेटरी आदि अधिकारियों की वजह से यह दुर्घटना हुई है अतएव वे इस पद पर नहीं रह सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिये और उनको बाकायदा सजा मिलनी चाहिये। और जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को राजनैतिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोगों को जो सुविधा मिलती है वह मिलनी चाहिये। उनके सम्मान में एक मेमोरियल बनाया जाना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए मैं अपने विचार बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई ५।। बजे होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित)

श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) **:** उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से बेरी कमीशन पर चर्चा हो रही है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सही सही बताइयो।

श्री जगन्नाथ : सात मार्च को हुए गोलीकाण्ड के बाबत में दो रोज से बराबर चर्चा चल रही है। उसके बारे में सही बात मैं बताना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों ने इसको रामचर्चा, तुलसीदास चर्चा का रूप दे दिया। वकीलों का यह काम होता है एक छोटी सी बात को भी बड़ा रूप दे देते हैं। यह किस कारण से हुआ मैं बताना चाहता हूं। सन् ६६ के अन्दर विरोधी दल की तरफ से एक ऐसी कान्फ्रेन्स बुलाई गई, उनकी मीटिंग हुई यह उसमें तय किया गया कि अब कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में नहीं बनने दी जायगी। एक किताब उस समय दी गई थी वह मेरे पास भी थी उसमें यह था महारानी साहिब को मुख्य मंत्री बनायेंगे। और किसानों को यह लोभ दिया गया था कि तुम्हारे तमाम रेवेन्यू ड्यूज माफ कर दिये जायेंगे। राजस्थान के पटवारियों को जिनको निकाल दिया गया था उन सब को बहाल कर दिया जायगा। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी जायेगी।

उपाध्यक्ष जी सन् ६२ में भी मुझे कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने को कहा गया था। महाराजा साहब ने मुझे बुलाकर कहा था, लेकिन मैंने उनको भी इसके लिये इन्कार कर दिया। सात तारीख को महाराजा साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ मैंने उनको उसी समय साफ कह दिया था कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं, कांग्रेस में ही रहूँगा। फिर मुझे जबरदस्ती पकड़कर ले गये मुझे जबरदस्ती से एक कागज पर दस्तखत करवा लिया। उस समय भी मैंने कहा था मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर हमारे साथ काम नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं बराबर कहता रहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा।

(श्री जगन्नाथ)

उपाध्यक्ष जी चुनाव जब खत्म हो गये उसके बाद सब क्षेत्रों के सदस्य अपने अपने घरों में मंत्रिमंडल बनाने के लिए सब जगहों के लोग यहां एकत्र हुए थे। जब राज्यपाल जी ने देखा कि कांग्रेस का कुनबा ८९ आदमियों का है। जिसका कुनबा ज्यादा होता है उसको ही बड़ा दल माना जाता है राज्यपाल जी ने कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहा तो हम सब लोगों को कहा गया सब कांग्रेस वाले जिन्होंने कांग्रेस वाले जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर भी चुनाव लड़े है वे सब एक साथ मिल जायें तो कांग्रेस की हुकूमत बन सकती है। हम सब एक साथ हो गये और राज्य कांग्रेस का बन गया। उस पर विरोधी दल वाले गुस्से में आ गये, उन्होंने जनता को बरगलाना शुरु किया। उन्होंने कहा इस तरह से काम नहीं चलेगा। राज्यपाल जी ने कांग्रेस को राज्य का मंत्रि-मंडल बनाने के लिये कह दिया। जयपुर की जनता को बरगलाया। और बरगला के जो धारा १४४ आप ने जो शान्ति भंग नहीं होने के कारण जनता को सन्तोषजनक होने के लिए लगाई थी, वह जारा १४४ तोड़ने के लिए भाषण हो रहे थे। सिपाहियों पर पत्थर फेंके गये। सिपाही का अर्थ है बिना सोचे समझे कभी फायर नहीं करे। वह मालूम नहीं हुआ ८ फायर हुए। २५ फायर हुए। जनता ने उनके ऊपर हमला किया। आपने राज लेने के लिए जनता के ऊपर फायर करवाये। यह जनता का नुकसान हुआ। इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। और न सिपाहियों का कसूर हैं। पी० के० चौधरी ने कहा कि सिपाहियों का कसूर है। सिपाहियों का कसूर है। सिपाहियों का कसूर नहीं है। सिपाहियों का काम है जनता को सन्तोष जनक रखें। किसी सिपाही का कसूर नहीं है। कसूर अपोजीशन का है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजवी रूप सिंह

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग की रिपोर्ट पर बहस का यह दूसरा दिन है। उसके सम्बन्ध में अपने अपने विचार सदस्य लोगों ने रखे हैं। इस विषय में काफी गम्भीरता पूर्वक विश्लेषण हो चुका है। मैं सूक्ष्म में, मेरे जो विचार हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा। इस बेरी कमीशन की नियुक्ति गवर्नमेंट ने इसलिए की थी कि ७ मार्च को जो गोली चली वह न्यायसंगत थी या नहीं, इस विषय को लेकर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने तर्क दिये। कई माननीय सदस्यों ने ऐसे तर्क दिये कि गोली चली या चलाई गई ? जो कारण गोली चलने के बने, उनका सब दोष विरोधी दल पर था, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं अब तक ये बातें नहीं समझ सका। ये सब बातें आप ने रखीं। जो तर्क दिये है. मैं ऐसा मानता हूं कि यह सब तर्क राज्य की तरफ से आयोग के सामने रख दिये गये हैं। जितना भी पक्ष रख सकते थे, वह प्रस्तुत कर दिया गया है। और २१ महीने के परिणाम स्वरूप बेरी साहब ने अपना जजमेंट या फैक्ट आप के सामने

(श्री दिग्विजय सिंह)

प्रस्तुत किये हैं, वह आये हैं। कल गृहमंत्री जी ने भी फरमाया था कि यह कमीशन कमीशन एक्ट के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार बाउण्ड नहीं है। राज्य स्वीकार करे या नहीं करे। जहां तक मैं समझता हूं राज्य सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। पर डालमिया केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है। एक रूलिंग है। उस वक्त कहा गया था कि जज की इन्टेग्रिटी को या उनकी मान्यता को बढ़ाने के लिए, उसकी फाइंडिंग्स को जरूर मानना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार को यह कह कर इसे टालना उचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि यह भी कहा गया कि सेक्शन १४४ को तोड़ने का प्रयास किया गया और उसके फलस्वरूप गोलियां या जो भी चलो है, चली हैं। यह भी कहा गया कि जब जलूस चला तो महारानी साहिबा ने बड़ा ही उत्तेजनात्मक भाषण दिया। बेरी कमीशन ने यह भी कहा है कि जब मॉब उत्तेजना पूर्ण था तो महारानी और महारावल लक्ष्मणसिंह ने अधिकारियों को यह कहा कि नगर पुलिस की ओर से कोई रोकथाम नहीं हुई तो पब्लिक पीसफुल रहेगी। यह जो कहा गया है, बेरी साहब ने पक्षपात पूर्ण निर्णय दे दिया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पक्ष इसलिए नाराज है क्योंकि उनके पक्ष में बात नहीं कही गयी है। जहां तक कॉन्स्प्रेंसी की बात है वह सुखाड़िया साहब की साबित नहीं की है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्स्प्रेसी शब्द के बारे में निवेदन कर दूं। कॉन्स्प्रेसी दो पार्टियों के बीच में एक वरबल एग्रीमेंट होता है। उसे कॉन्स्प्रेसी कहते हैं। बेरी साहब ने यह भी लिखा है कि वह गवर्नर को नहीं बुला सकते थे। राज्यपाल को बुला नहीं सकते थे। जब तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बुलाया नहीं जाये। क्रास क्वेश्चन होते तो सम्भव था कि बेरी साहब कोई प्रश्न आता तो कुछ निकाल सकते थे। उन्होंने सीधे यह निर्णय दे दिया कि कॉन्स्प्रेसी नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार ने २२ लाख रुपये खर्च किये हैं। आज दिन तक बेरी साहब के सामने पता नहीं लगा कि सिरहड्योढ़ी पर जो २ गोलियां लगी वह कहां से आई। किधर से चलाई गई। जब यही पता नहीं चला तो वह मजलूमों को कम्पन्सेशन दे सकेगी यह नहीं समझा जा सकता है। जो कमीशन ने फाइंडिंग्स दिये हैं उनको आप अवश्य स्वीकार करें। मैं गृहमंत्री जी से विशेष निवेदन करूंगा कि वह हरएक मामले में प्रेस्टीज प्वॉइंट बनाकर नहीं चलें। जनतंत्र प्रणाली है। हो सकता है आप उधर विराजमान है, हम इधर बैठे हैं। ईश्वर और जनता के प्रभाव से पल्ला इधर से उधर हो सकता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जो बेकसूर मारे गये है उनको ५०-५० रु० कम्पनशेसेन देकर आपने पूरा समझ लिया है। उनको आप पूरा कम्पनशेसन दीजिए। बेरी कमीशन ने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है कि किस ने गोली चलाई। इसके लिए किसी अधिकारी की रेस्पांसिबिलटी फिक्स की जाये। राजस्थान सरकार यह नहीं सोचे कि ६७ में पोलिटिकल सिचुएशन क्रियेट हो गई थी कि राज्य कौन बनायेगा। इससे बदले की भावना को लेकर

(श्री दिग्विजय सिंह)

कोई कदम उठायेंगे तो वह न्याय संगत नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : (दांतारामगढ़) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरी आयोग की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्यों के द्वारा, जिस ठण्डे दिमाग से माननीय जज महोदय ने इसको लिखा था, उसी ठण्डे दिमाग से इस रिपोर्ट पर विचार की शुरुआत होती तो हमें कोई निर्णय पर आने में दिक्कत नहीं होती। पर बहस में कई गम्भीर विषय इस असेम्बली में आपस में पचासों बन जाते हैं जिससे जो मेन पर्पज होता है वह कहीं निकल जाता है। इसी तरह से इस रिपोर्ट से सम्बन्धित सारी चीजों को निकाल दिया, आखिर बेरी आयोग का गठन क्यों हुआ? इसका फर्स्ट कारण यह था कि मांग की थी अपोजीशन ने इन्क्वायरी कमीशन की इस दुर्घटना और खून खच्चर के सम्बन्ध में। इसमें यह सवाल नहीं था कि गवर्नमेंट किसकी बने। यह दुर्घटना क्यों हुई, इसके सम्बन्ध में अगर जस्टिस बेरी ने, सबसे बड़ा ओमीशन किया है तो उनके प्रति सब कुछ रेस्पेक्ट करते हुए निवेदन करूंगा कि वह यह किया है, कि मान लिजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि धारा १४४ हटा लो, मान लीजिए कि चव्हाण ने कह दिया कि धारा १४४ जयपुर में से हटालो। किन्तु चूंकि मजिस्ट्रेट, उस वक्त कमाण्ड कर रहा था जयपुर में और उसको मालूम था कि अभी जनता में जोश है तो चव्हाण तो क्या, चव्हाण से ऊंचा भी कोई व्यक्ति यह क्यों नहीं कहता कि धारा १४४ हटा लो, लेकिन मजिस्ट्रेट को जयपुर की सिचुएशन को देखना चाहिए था। तो इसमें बिलकुल साफ मजिस्ट्रेट की गलती है। आप बेरी आयोग की सारी रिपोर्ट को देख जाइये, इससे मालूम होगा कि धारा १४४ को नहीं हटाया जाना चाहिये था। यह कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के कमाण्ड का सवाल हैं। उनको देखना चाहिये था कि क्या जयपुर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि धारा १४४ हटा ली जाय। पोलिटिकल बात भले ही महारानी गायत्री देवी और चव्हाण की हों, और भले ही चव्हाण से उन्होंने कहलाया हो कि धारा १४४ हटालो। लकिन अगर वह एसा हुक्म देते हैं कि धारा १४४ हटा लो तो बिना वहां की स्थिति को देखे हटा देनी चाहिए। दिल्ली में भी अगर १४४ धारा लग जाती है तो क्या वहां की स्थिति को देखे बिना वहां की आथोरिटी चव्हाण के कहने को मान लेगी? जस्टिस बेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जनता में नाराजगी थी क्योंकि अल्पमत में होते हुए भी कांग्रेस गवर्नमेंट बना रही थी इसलिए जनता में नाराजगी थी। जब जनता में नाराजगी थी तो यह धारा १४४ किसके सजेशन पर लगाई, किसने लगाई? धारा १४४ मजिस्ट्रेट ने लगाई। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, इसमें मजिस्ट्रेट का घोटाला है। धारा १४४ को हटाने की स्थिति नहीं थी तो, यह मजिस्ट्रेट का फर्ज था कि वह धारा १४४ को नहीं हटाता। इसलिए मैं अपील करूंगा कि न तो जिम्मेदारी है पुलिस के सिपाही की और न किसी और की। जस्टिस बेरी ने भी अपनी सिफारिशों में किसी पर आरोप नहीं लगाया।

(श्री मदन सिंह)

है। नेताओं के भाषणों के बारे में यह जरूर कहा है कि उनके भाषण टेस्टफुल नहीं थे, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जयपुर के उस समय के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की गलती है, उन्होंने बिना सोचे समझे यह स्थिति उत्पन्न करदी, १४४ धारा हटाकर यह स्थिति उत्पन्न कर दी.......

श्री रामनारायण चौधरी: महारानी साहब ने चव्हाण साहब ने बात कर के हटवाई।

श्री मदन सिंह: महारानी साहबा के सम्बन्ध में आप कहते हैं। तो वह यदि कह दें कि धारा १४४ हटालो तो क्या उनके कहने को मानेंगे। यहं चव्हाण की गलती है कि उन्होंने धारा १४४ हटाने की बात कही। महारानी हो या ठाकुर मदनसिंह हो उनको इतनी बडी मॉब की रेस्पान्सिबिलिटी नहीं देना चाहिये। चाहे चव्हाण ने कहा हो या किसी और ने कहा हो, मजिस्ट्रेट की यह रेस्पान्सिबिलिटी है कि वह स्थिति को देखकर एक्शन ले। आखिर मॉब के अन्दर कई ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो समय का लाभ उठाते हैं। रामराज्य परिषद का आन्दोलन चला तो उस समय बहुत से मुसलमान गोल पगड़ी पहन कर शामिल हो जाते थे। तो उनके एक्शन की ठाकुर मदन सिंह की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? तो चाहे चव्हाण कहे, या गवर्नर कहे, या ठाकुर मदनसिंह कह दे It is the Magistrate who is responsible for all this. कि मैं दो घण्टे तक नहीं हटाऊंगा धारा १४४ को, या छ घण्टे तक नहीं हटाऊंगा। मैं तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाय। कि मॉब की रेस्पान्सिबिलिटी आखिर किसकी है? Magistrate should be punished and not any other mayn. यह मेरा कहना है।

मेरे लिए, उपाध्यक्ष महोदय, जस्टिस बेरी ने कुछ फर्मा दिया। जज है, कुछ फर्मा दिया कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन मेरे भाव को उन्होंने नहीं देखा। ठाकुर मदनसिंह ने कहा कि ९३ आदमियों की महारानी साहबा की मेजोरिटी होते हुए भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी तो राजस्थान में राजपूतों में एक ऐसा आदमी जरूर है जो गवर्नमेंट बनाने की बात को कार्य रूप में परिणत कर देगा। इसमें मेरा जो भाव था उस भाव को समझना चाहिये था। उसके बाद क्या ठाकुर मदनसिंह आन्दोलन में था, उस भाषण के बाद क्या मैं आन्दोलन में शरीक हुआ? क्या मैं किसी एक्टीविटी में था? मैंने १९ वर्ष के अन्दर इतने आंदोलन किए, लोगों को संगठित किया और आंदोलन किए, क्या उसमें कभी ठाकुर मदनसिंह ने तलवार उठाई? इसलिए इस तरह की बात कहने के पहले जस्टिस बेरी को इसका स्पष्टीकरण तो करना चाहिये था कि आंदोलन में यह आदमी था या नहीं था और मैंने जो कहा उसके पीछे भाव क्या था? उसके पीछे भाव यह था कि मैं ९३ आदमियों की मेजोरिटी होने पर गवर्नमेंट कायम करता। मैं कहता हूं कि ९३ आदमी मेरे पास होते तो मैं जयपुर में नहीं बैठा रहता। मैं राजस्थान के छब्बीस जिलों में छब्बीस दिनों में जाकर

(श्री मदन सिंह)

जनता को कहता कि मेरे साथ ६३ आदमी है लेकिन फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और इस तरह मैं लाखों आदमियों के बल पर गवर्नमेंट कायम करता।

मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इसमें पुलिस के सिपाही की जिम्मेदारी कितनी है ? पुलिस के ऊपर आफिसर रहता है, वह समझदार होता है और समझदारी से काम कराता है। पुलिस सिपाही भी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। फौज में शैतानसिंह को किसने जिम्मेदारी दी थी। कमाण्डर चला गया फिर भी शैतानसिंह दुश्मन से भिड़ गया। इसलिए सबसे बड़ी चूक की है तो वह जयपुर के मजिस्ट्रेट ने की है, कलेक्टर ने की है क्योंकि उनको मालूम था कि किस तरह का आन्दोलन हो रहा है। जनता में किस तरह की आग लगी हुई है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि ठाकुर मदनसिंह ने जनता में यह आग लगा दी, तो क्या मजिस्ट्रेट का यह फर्ज था कि धारा १४४ हटा दे ? आप कहते हैं कि जो नेता हैं उन्होंने पब्लिक को भड़का दिया, अगर नेताओं ने जनता को भड़का दिया तो क्या मजिस्ट्रेट का फर्ज था कि धारा १४४ हटा दे ? चव्हाण या कोई भी यह कहता तो उसका आर्डर नहीं मानना चाहिये था। मजिस्ट्रेट को, सुखाड़िया को कहना चाहिये था कि दो दिन तक नहीं हटायेंगे। जब तक महारानी गायत्री देवी आकर जनता से बात नहीं करती हैं तब तक १४४ नहीं हटायेंगे। भले ही चव्हाण ने कहा हो, लेकिन मजिस्ट्रेट चव्हाण के पिताजी का चपरासी नहीं है जो उनका हुक्म मान ले। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जयपुर के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमे करने चाहिये। अगर सरकार इसको नहीं करना चाहती है तो मैं मुकदमे करूंगा। मैं सिद्ध करूंगा हाई कोर्ट के सामने कि बेरी साहब की रिपोर्ट में यह गलती है। मैं इस बात को सिद्ध करूंगा that the Magistrate was the direct incharge of all that. उसने धारा १४४ हटाई, इस कारण ही खून खच्चर हुआ और इस कारण ही आपस में भिड़न्त हुई। इसलिए कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की गलती रही हैं, यह विशेष मुद्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल शाह।

(अनुपस्थित)

श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सुटं) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग की रिपोर्ट पर दो दिन से सदन में वादविवाद हो रहा है। यह जो सात मार्च को गोलीकांड जयपुर में हुआ वह बहुत ही निन्दनीय था और यह काम निन्दनीय रहता है इस कांग्रेस के लिए। जितना भी कांड सात मार्च को हुआ था, उस सात मार्च के कांड के लिए कांग्रेस और जो भी मिनिस्टर उस वक्त मौजूद थे,

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जिम्मेवार हैं और यह इनके ऊपर एक कलंक है। मै तो यहां तक कहूंगा कि कांग्रेस के नाम पर यह एक कलंक बन गया है। जिस तरह से उन्होंने अत्याचार करवाया सात मार्च को, उपाध्यक्ष महोदय. ऐसी हालत जयपुर में नहीं थी कि गोली से लोगों को चलाई जाये और उन गोलियों से लोगों को भूना जाए। ऐसी बात सात मार्च कोन हीं थी। धारा १४४ अवश्य लगी थी, बाकी शहर में इतना आतंक फैला हुआ नहीं था। फिर भी इस सरकार ने गोली चला कर उसको ऐसा रुप दिया। जो उस दिन गोली चलाई गई, उसके संबंध में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हवाला दिया हैं कि इतने समय के लिये, तीन घण्टे के लिए शहर में बराबर गोलियां चलाई गई। मै यह निवेदन करना चाहुँगा कि यह गोली चलाना एक तरह का षडयन्त्र था। षडयन्त्र इसलिये था कि उस दिन यहां प्रजा इतनी अशान्त नहीं थी कि पुलिस वालों को और जो धारा १४४ के अन्दर अधिकारी काम कर रहे थे, उनको पीटने वाली थीं। ऐसी बात नहीं थीं। इसलिए यह पहले से षडयंत्र रचा था और उस वजह से ही यह गोली चलाई गई। और गोली चलाने का केवल मात्र उद्देश्य था कि सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले जो कांग्रेस वाले थे। उनके नेता था वह अल्प मत में थे और अल्प मत में रहकर सरकार नही बना सकते थे, इसलिए अल्प मत होने से उन्होंने गोली चलवाकर यहां पर राष्ट्रपति शासन कायम करवाया और उसके बाद अपना बहुमत बनाया और फिर सरकार बनाई। यह केवल उद्देश्य था।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

(५ म० प०)

श्री डूगांराम राजोरिया : जहां तक गोलीचलाने का सवाल है, जिस अधिकारी ने भी इस तरह गोली चलाने का कार्य किया है, यह काम ऊपर से करवाया गया था। बाकी किसी अधिकारी ने यह समझा जाय जो जिम्मेदारी रहती है, उस जिम्मेदारी को समझकर ऐसा नहीं किया था। यह इस रिपोर्ट में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो अधिकारीं काम कर रहे थे उन्होंने गलत तरीके की बात की कि उन्होंने गोली चलाई। रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट नहीं बताई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने इशारा करके बता दिया है, यह काम जो भी हुआ हैं, यह गवर्नमेंट की ओर से हुआ हैं, यह ऊपर के कुछ अधिकारियों की वजह से, जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उनकी वजह से हुआ हैं।

यह स्पष्ट शब्दों में इसलिये कहा कि गवर्नमेंट कांग्रेस की है। इस वजह से स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा। बाकी इस रिपोर्ट से पूरा पता चलता है कि यह गोलीकाण्ड हुआ है, जो मिनिस्टर थे उनको अपनी सरकार बनानी थी इसलिए हुआ है। ७ मार्च को

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जिस दिन गोलीकान्ड हुआ, मैं यहीं पर था, घर से चला, क्योंकि मुझे हास्पिटल जाना था। चांदपोल से चला सीधा, १२ बजे गया १२ बजे बाद सीधा अजमेरी गेट से सांगानेरी गेट होता हुआ आया। मुझे कहीं ऐसा मामला नजर नहीं आया कि जिससे गोली चलाने की जरूरत पड़े। अभी कितने ही कांग्रेसियों ने कहा कि सड़कें पत्थरों से भरी पड़ी थीं, मैंने कहीं नहीं देखा कि इस प्रकार पत्थर फेंके हुए पड़े हों, या पत्थर फेंकते हुए देखे गये हों। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि यहां सिरेड्योढ़ी बाजार में भी गोली चली इससे साफ जाहिर होता है कि यह सारा प्रपंच पहले से ही रचा हुआ था, जो सरकार उस समय काम कर रही थी उसको बताना था कि सब जगह आतंक फैला हुआ था इसलिये गोलियां चलाई, मैं पूछना चाहता हूँ सिरेड्योढ़ी बाजार में कौनसा आतंक छा रहा था कि यहां पर भी गोली चलानी पड़ी। पर आपको तो यह सब बताना था।

इसके अलावा एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति गोलीकाण्ड में मरे वे व्यक्ति कौन थे? वे लोग वही थे जो इधर से उधर जा रहे थे, जो लोग मरे उनमें एक दौसा का रहने वाला था, एक जमवारामगढ़ का रहने वाला था, इधर से उधर जा रहे थे और उन लोगों को गोली से भून दिया गया, वे कोई आतंककारी नहीं थे जिन्होंने कि अधिकारियों का कोई मुकाबला किया हो। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो गोलीकाण्ड हुआ है यह कांग्रेस सरकार ने गोलीकाण्ड किया है, यह बहुत ही बुरा किया है, मरने वाले लोगों के साथ, उनके पीछे वाले लोगों के साथ, जबरदस्त अन्याय किया है और पीछे वाले लोगों की हाय से एक दिन अवश्य गोली चलवाने वालों का सर्वनाश हो जायगा, अवश्य सर्वनाश हो जायगा। उनकी आत्मा कभी गवारा नहीं कर सकती कि हमने गोलीकाण्ड नहीं करवाया। आपने गोलीकाण्ड कह कर करवाया है।

इसके साथ ही साथ यह बात भी निवेदन करना चाहूंगा कि बेरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जितने लोग मारे गये हैं उनके बारे में कई तरह की शिफारिशें की हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पीछे के घरवालों को मुआवजा मिलना चाहिये पर सरकार ने बीस या ३० रुपयों का प्रावधान किया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने यह गोलीकाण्ड करवा दिया तो करवा दिया पर कम से कम उन लोगों के प्रति सहानुभूति बरतते हुए ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए, जो लोग कमाने वाले थे वे मर गये तो उनके पीछे वालों का कौन सहारा है? गोली काण्ड से जो लोग अपाहिज हो गये उनसे कैसे कमाया जा सकता है? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो लोग गोलीकाण्ड से पीड़ित हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिये। बेरी आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गोली चलाने में अधिकारियों की भूल थी और अगर कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात को मान कर चलती है कि हमने यह काम नहीं करवाया, अधिकारियों ने किया है तो उन अधिकारियों को जिनको प्रोमोशन देकर ऊंचे स्तर पर

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

ले जाया गया इससे साबित होता है कि सरकारी अधिकारियों को गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों ने इशारा किया था और वे इसी लिए गोलीकाण्ड में शामिल हुए थे कि हमारी पदोन्नति होगी। इससे साफ जाहिर होता है कि यह गोलीकान्ड उन अधिकारियों द्वारा करवाया गया था। एक छोटे से लाभ के लिए कि हमारा पद ऊंचा हो जायगा, ग्रेड ज्यादा मिल जायगा, बड़ी पोस्ट मिल जायगी, इस प्रकार का हत्याकाण्ड किया उन अधिकारियों को भी बड़ी शर्म से डूब मरना चाहिये कि छोटे से लोभ के लिए इस प्रकार का गलत काम किया और ऐसे आदमियों को जो बेगुनाह थे, उनको बर्बरता से भून दिया। यह बहुत ही बड़ा जुल्म सरकारी अधिकारियों ने किया है। मैं यह निवेदन करुंगा कि जो आदमी इस प्रकार से प्रलोभन में आये और इस प्रकार का गलत काम किया है तो उन अधिकारियों को राज्य सरकार से मैं निवेदन करुंगा कि कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आगे भी यही मिसाल होगी कि जो लोग गलत काम करेंगे उनको प्रोमोशन मिलेंगे, तो यह तो जैसे पुराने जमाने की सरकारों में हुआ करता था, जागीरों के टाइम में मार दिया जाता था, वैसा ही हो गया। आप हमेशा रहने वाले नहीं है, आपके बाद दूसरा आयेगा, दूसरे के बाद कोई तीसरा आयेगा क्योंकि यह जनतन्त्र है, जनतन्त्र हमने और आपने मिलकर कायम किया है, इस जनतन्त्र को चलाने के लिए सही उद्देश्यो से सही काम करना चाहिये। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि जिन अधिकारियों के बारे में बेरी आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, उनको दण्ड मिलना चाहिये ताकि आयन्दा कोई अधिकारी किसी के कहने से गलत काम नहीं करे।

दूसरी बात में यह कहूंगा कि हमारे गोकुलप्रसादजी ने कहा कि हमें कांग्रेस की सरकार बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। हमारे ४ आदमी ऐसे थे जिनको हम टिकट नहीं दे सके थे, दूसरी तरफ से वे लड़ कर जीत गये और हमने उनको मिला लिया तो कौनसा गुनाह किया? आज हमारे हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के सिद्धान्त सब अच्छे हैं पर स्वार्थ में आकर सब बदल देते हैं। कांग्रेस में यह था कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस के खिलाफ जाय तो उसको ६ साल के लिये निकाल दिया जाता था। कहां गया वह आपका सिद्धान्त? ४ आदमियों को टिकट नहीं दे सके, उनको राज्य कायम करने के लिए आपने गलत नीति अपना ली है, यह कोई सिद्धान्त है, बुजुर्ग आदमो को ऐसा कहते हुए सुनते हैं तो मैं यही कहूंगा कि वे स्वार्थी हैं।

कांग्रेस आज अवसरवादी हो गयी है, जैसा अवसर आता है वैसी ही बात करती है, ऐसा नहीं करना चाहिये। कांग्रसे आज जहां अल्पमत में है वहां दूसरे लोगों को मिलाने की कोशिश करती है, यह ऐसी परम्परा डाल रही है कि जो देशवासियों ने बड़ी मुश्किल से जनतन्त्र प्राप्त किया है, उस जनतन्त्र के लिए इससे बडा खतरा हो

श्री डूंगाराम राजोरिया

सकता है। कांग्रेस को अपोजिशन में बैठने में क्या दिक्कत थी, क्या कांग्रेस अपोजिशन में नहीं बैठ सकती थी ? १८ साल तक राज्य कर लिया, क्या आप कांग्रेस के लोग अपोजिशन में नहीं बैठ सकते थे ? आपने बेईमानी से घर बनाया है, आपको ज्यादा अनुभव था, दूसरे आदमी गलत तरीकों से सरकार चलाते तो उनको आप रोक सकते थे, आपने यह क्यों नहीं सोचा कि अपोजिशन में बैठकर अच्छी सरकार चलावें। क्या सारी उम्र राज चलाने की आपकी ठेकेदारी है, जैसे पुराने राजाओं के बारे में बात करते हैं कि राजा का बेटा राजा, उसके बाद उसका पोता राजा, उसी तरह राज में बैठने का आपका ठेका है कि मरें तब तक मिनिस्टरी में ही बैठे रहें, क्या यह आपने अपनी बपौती बना ली है ?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अच्छा उदाहरण जनता के सामने पेश करें, हर आदमी को जनतन्त्र में अधिकार है, हर एक को अधिकार मिलना चाहिये। कांग्रेस में जो अच्छे आदमी हैं, उनको यह सोचकर चलना चाहिये कि जनतन्त्र में जितने हमारे भाई है, उनको अवसर मिलना चाहिये आप ही अपनी ठेकेदारी बनाकर नहीं बैठ जांय।

जैसे पहले के जमाने में होता था और आप उसके उदाहरण बार बार दिया करते हो। सरकार से कहूंगा जितनी भी बातें बेरी आयोग की रिपोर्ट में हैं उनको लागू करें और जितनी भी कमेंट्स दी हैं, अधिकारियों के खिलाफ़ बातें लिखी है. उनको लागू करें और जिन लोगों की क्षति हुई है उनको मुआवजा मिले। इसका जल्दी से जल्दी निर्णय करें। आप इन बातों पर भलीभांति विचार करें।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर): बेरी आयोग रिपोर्ट में पढ़ तो नहीं सको क्योंकि अंग्रेजी में है। अंग्रेज गया पर अंग्रेज ने अंग्रेजी जाने के बाद भी राखी महात्मा गांधी सुबह प्रार्थना करे तो उनको पहलो पहलो काम रघुपति राघवराजा राम पतित पावन सीताराम। उपाध्यक्षजी बेरी आयोग की रिपोर्ट सुनने के बाद मुझे एक बात याद आ गई। भागवद् में है। सीताजी का बाप और रामचन्द्रजी का ससुरा राजा जनक था। राजा जनक ने रात को सपना आयो। कोई मारन को आयो और वह भागिया काफी देर तक राजा जनक कहतो रहियो कोई छुड़ाओ। सपन में कौन मारे और कौन छुड़ाए। वह दूर दूसर तक भागो। भागते भागते भूख लगी। खाने वास्ते नजर नहीं आयो तो बाजरे के दाने को घूघरी रांधी। घूघरी रंधर तैयार हुई तो दूसरो ले भागो राजा जनक को नहीं मिली। राजा सपने से जागियो। विचार करियो क्या तेरे में क्या हुई ? पंडितों ने बुलायो। पंडित यह सोचकर आयो कि आज राजा पैसा देंसी। राजा कहियां मेरी दो बात है। राजा पंडितों ने कहियो कि मेरी दो बात है इनको जवाब दो और नहीं जवाब दोगा तो करड़ी से करड़ी सजा दे दुंगा, ब्राह्मण का लड़का १८ साल को हो जावेगो बिने भी जेल में देदुंगा। ब्राह्मण घबरायो और पूछो कि आपकी बात के है। कि आपकी बात के है। राजा कहियो अठे के और बैठे के ईमें के बीमें के। ब्राह्मण जवाब

(श्री आलम अली)

को न दे सका टाइम मांगियो । राजा ७ दिन को टाइम दियो । उसके बाद राजा बाजार में घूमने गयो जैसे सुखाड़ियाजी बाजार में आजकल जाए और सिपाही गरीबों के धक्का दे सड़के खाली करो । राजा की सवारी आ गई है । एक गलियारे में अष्टावकरजी महात्मा तप रहिया । सिपाही बाने भी उठाया वाने उठाने के वास्ते आया कि उठो । अष्टाबकरजी कहियो क्यों उठूं ? कहा कि राजा की सवारी आ रही है । अष्टाबकरजी सिपाही से कहियो कि राजा को गलियारे में क्या काम ? राजा तो गद्दी का राजा है । गद्दी छोड़ने के बाद कोई राजा नहीं । राजा तो मैं राजा, मेरी गद्दी पर हूँ । विदेश में भी थारो राजा जावे तो भी राजा कोन मानें मैं विदेश में जाऊं तो भी मैं राजा ।

उपाध्यक्षजी, सिपाही ने जाकर राजा से कहा कि अन्नदाता, एक बांको चूंको पड़ो है, कहे कि राजा तो मैं हूँ । राजा खुद गया जाके हाथ जोड़ा महाराज । अष्टाबकर ने कहा ओही है क्या थांरो राजा ? तो वे हां भरी । अष्टाबकरजी कहिया कि राजा नहीं हो सके जिनके बंदूक को पहरो है, राजा तो जनता को मां बाप होवे बिने जनता से के खतरो । बंदूक के पहरो तो × × × × लागे राजा के नहीं । जैसे अष्टाबकरजी राजा को डाकू कहियो तो मिनिस्टर के हैं ? प्रजातन्त्र में बन्दूक के पहरे की जरूरत क्यों पड़ी ? आलम अली नहीं कहता भागवद् कह रही है । राजा जनक को अष्टाबकरजी ने यह बाद कही है । तो मैं कहता हूँ कि राजा जनक अगर × × × है तो ये महा × × × हैं । आगे पीछे दोनों तरफ बन्दूकों को पहरो रे ।

श्री उपाध्यक्ष : × × × शब्द कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री आलिम अली खां : भागवद की बात है । भागवद को भी कार्यवाही से काटा जाय ।

श्री मोहनलाल मोदी : आगे और पीछे दोनों तरफ से आपका मतलब है ?

श्री आलिम अली खां : आप लोग रावण को राक्षस कहते हो । भागवद की बात नहीं मानते हो तो राक्षस थें हो । अष्टाबकर ने बाद में कहा राजा इन बातों को छोड़ ५००–६०० किनको बिठा रखा है ? कहा कि ब्राह्मणों को बिठा रखा है । क्यों ? ज्ञान लेनो है । अष्टाबकरजी बोले कल मैं आऊंगा तेरी बात पूरी कर आऊंगा । दूसरे दिन अष्टाबकर जवाब देने के वास्ते गया । तो राजा भी ब्राह्मणों के बीच में आसन लगाकर बैठा । अष्टाबकरजी नजदीक गया तो राजा ब्राह्मणों से कहियो कि वह आदमी आ रहियो वो मेरी बात को जवाब देगो । उनके शरीर को देखकर पंडित हंसना शुरु कर दिया । तो अष्टाबकर ने भी हंसनो शुरु कर दियो । उनको हंसते देखकर पंडित और राजा भी हंसा । हंसने के बाद थमिया तो राजा पूछो अष्टाबकरजी से महाराज आप क्यों हंसा ? मैं थानो देखकर हंसो और थे हंसो मने देखकर । राजा थारा ब्राह्मण कठे तो राजा कहियो सामने बैठा हंसे ब्राह्मण हैं । अष्टाबकर जी कहियो

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

(श्री आलम अली खां)

इनमें एक भी ब्राह्मण नहीं । सब चमार हैं । तो राजा कहियो सब चमार,? बोला हां । कि चमड़े की परीक्षा करे वह चमार और ब्राह्मण को परीक्षा करे वह ब्राह्मण। क्योंकि मेरे बाकेंचूं के शरीर को देखकर हंसिया, मेरे में गुण हैं ताकी परीक्षा तो कर ही कोन सकिया । अष्टावकरजी कहियो छोड़ राजा आ बातां ने। तू किस बात का जवाब लेना चाहता है, वह बता। राजा ने सपने वाली बात पूछी । अठे की और बठे की ईमें के बमे के । अष्टाबकरजी ने कहिया थारे वास्ते न कोई अठे और न बठे न ईमें न बीमें । तने सपनो आयो रात में मारले कोई डर भागियो वह डर दूर होइयो और तने लागी भूख तू राघी घूघरी बे गई कठे जको तू वता राजा । ते बांके बाद में राजा अष्टाबकरजी से पूछो महाराज ज्ञान। अष्टाबकरजी कहियो राजा ज्ञान की भी जरूरत है ? राजा कहियो हां । तो १० मिनट तेरो राज लिखदे । राजा ने दस मिनट को राज लिख दियो अष्टाबकरजी ने । अष्टाबकरजी ने जनता से पूछे कि राजा कौन, जनता जवाब दियो राजा आप । अष्टाबकरजी ने कहियो राजा जनक ने खंभा रे बांधो । बड़ा पंडित ने भी खंभा रे बांधियो । अष्टावक्रजी खम्भा के बांधवा के बाद कहयो पंडित दुख पावे राजा जनक, खोल व्हीं ने । राजा जवाब दियो कि मैं खुद बंध्यो हूँ, कैसे खोलूं । बाद में पडितजी से अष्टाबकरजी कहयो कि पंडितजी नगरो को राजा दुख पावे, खोलो, पंडितजी जवाब दियो कि मैं खुद बंध्यो, खोलूं कियां । अतरी देर में दस मिनट हुई, दस मिनट के बाद खुलवा दिया दोनूं ने । अष्टावकजी कहयो न तो थारे ज्ञान में लेण्यो और न देवण्यो। ज्ञान लेवण्यो बंध्यो राज के और ज्ञान देवण्यों बंधे सुख सेज के। थां में भी न कोई ज्ञान लेवण्यो है और कोई ज्ञान देवण्यो है । थे तो राज में अमचूर हो रहया हो । महात्मा गांधी ज्ञान देवण्या हा, वां को विधान बणाओडो थे खा गया । गांधीजी नहीं कहयो के गोलो से राज लियो जाय या प्रजातन्त्र में गोली चाले । गांधीजी या कदई नीं कही कि प्रजातन्त्र में बन्दूक को पहरो रेवे । बंदूक को पहरो तो डाकू के रहवे । गांधीजी और दूसरा लोग आत्मशक्ति और आत्मबल के साथ हिन्दुस्तान ने आजाद करायो । गोली से नहीं करायो । आज वांको दुहाई देवा वाला आप ने आयोग नियुक्त कियो और आप ही व्हींकी रिपोर्ट नहीं मानो मारी समझ में नहीं आवे और कोई समझदार व्यक्ति आ बात मानवा ने तैयार नहीं । वा ही मां घर में रोटी बनावा वाली और वा ही नहीं खावा देवे । थे ही आयोग बणायो और थे ही नहीं मानो ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : थारो फेंटो सम्हालो ।

श्री आलम अली : फेंटो रो फिकर मत करो थें थारी धोती सम्हालो । भागवत ने थानें माननो पड़सी । नहीं मानो तो साफ कह दो ।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम हो गया है माननीय सदस्य । आज के लिए काफी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आलम अलीजी भागवत कोट कर रहे हैं । आपने पढ़ी भी नहीं होगी ।

Page No 150

श्री आलम अली : राजा जनक ने अष्टावक्रजी से कही के मोह । अष्टावक्रजी कहे के राजा मोह है । अष्टावक्रजी कह्यो के राजा थारे बगीचो है ? राजा कह्यो है । अष्ट-वक्रजी कह्यो के राजा चाल घूमां । बगीचा में गया तो एक दरखत अष्टावक्रजी गप्पी गाली और कहन लाग्या राजा पकड़ लियो छुड़ा, राजा पकड़ लियो छुड़ा । राजा आयो, चारूं मेर फिरके देख्यो के आप ही पकड़ राख्यो है । अष्टावक्रजी कह्यो में ही पकड़ राख्यो है ? राजा कह्यो हां । तो राजा मोह के बांध थूं गाल रखी है या मोह तेरे है ? अष्टावक्रजी पूछ्यो थे कुर्सी के मोह ने छोड़ो तो कुर्सी थारे पीछे भागेगी । और कुर्सी के चिपकोगा तो लोग जोर्‌यांमरती थाने उठान फेंकेगा । में या नहीं कह रह्यो हूँ भागवत कह रही है और अष्टावकरजी राजा ने कह रहया है ।

उपाध्यक्षजी, बार बार दुहाई देते हैं प्रजातन्त्र को । खतरो तो इण कुर्सियां सूं हैं प्रजातन्त्र ने । छोड़ कर मैदान में आ जाओ । प्रजातन्त्र को सही काम करणो चाहो तो कुर्सियां के क्यूं चिपक्या हो ? गर्व करयो कंस । बहिन और बेहनोई ने जेल में गेर्‌यो कि कृष्ण ने जन्म नहीं लेण दूंगा । सात ही बच्चा ने मरवा पायो आठवां नम्बर को जन्म लियो कृष्णजी । कंस ने पतो नहीं पड़यो कि कठे जान पल्या । पलण बाद कंस को अंस खत्म कर्‌यो । थारे में तो कोई देर ही नहीं लागेगी । थारे में तो धृणा आवा लाग गयी है, गांधोजी को भूंठो नाम लेवो । होम मिनिस्टर एक ओर्डर दे और फाइल नहीं आवे । यो क्यांको रांज है ? खुराफात भेली हो रही है । एस. पी. थानेदार मजाक उड़ावे है । या तो गोली चला दी या मुसलमान ने जेल भेज दियो । हादी देशद्रोही बोल के जेल में दियो, जनता चुन्यो तो कांग्रेस में मिला लिया, अब देशद्रोही नहीं ? हादी की कॉन्स्टिक्यु-एन्सी को प्रधान है वीं ने देशद्रोही बोल जेल में दो राख्यो है । यो राज नहीं डराओ है । बफ दार को ठेको थांके ही है, मुसलमानी नहीं ? सगलो ठेको तो थे ले लियो है । लोगां के साथ अन्याय व्हे रह्यो है । कानून ने नहीं माने, कानून बणावा वाला असेम्बलो में बैठ कानून ने नहो मानें । कानून बनावा वाला कानून पालन नहीं करे । बेरी आयोग सरकार बणायो वा ही सरकार वीं की रिपोर्ट माने नहीं । बहस शुरू होवा पहले इस पर अमल करके फिर मिनिस्टर जवाब देता कि या बात करी और या बात नहीं करी । कोई शादी होवे, शादी में सात सुहागण्या को हाथ लगाने के बाद शुरु हुए, अठे तो छतीस सुहा-गण्यां है । आयोग को रिपोर्ट पर यां में से एक भी हाथ नहीं लगायो । चोखी तो या होती कि मुख्य मंत्री रिपोर्ट को पालन कर असेम्बली में लाता । बंगाल में कृष्णजी को जन्म हो गयो है जल्दी ही सुदर्शन चक्र चलावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर सदन में दो दिन से बहस हो रही है । इस रिपोर्ट के ऊपर सदन में डिस्कशन से एक वाद-विवाद होता है इसके लिए मैंने

Page No 151

(श्री दामोदर लाल व्यास)

विरोधी दल के माननीय सदस्यों से बिजनिस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में और सदन में भी यह कहा था कि वाद विवाद इस स्टेज पर करना उचित नहीं होगा। परन्तु विरोधी दल के माननीय सदस्य इस बात पर तुले हुए थे कि वाद विवाद होना चाहिये और उसमें देर लगने के लिए वे तैयार नहीं थे। चुनाचे हमने भी उनकी इच्छा को मानते हुए उनकी भावनाओं का आदर करते हुए बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर इस सदन में बहस के लिये रजा मन्दी दी।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है सदन में किसी रिपोर्ट पर विचार होता है तो उसके सब ही पहलुओं पर विचार करने का माननीय सदस्यों का हक होता है। बेरी कमीशन के जो जज हैं उनकी फाइन्डिग्स पर जिस तरह सदन में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं वे मेरे ख्याल से विधान सभा की परम्परा के खिलाफ हैं और यही सोचकर मैंने कहा था कि इस पर बहस नहीं की जाय और बहस की जाती है तो किसी माननीय सदस्य को रोका नहीं जा सकता वह भी अपने विचार बेरी आयोग या और कोई आयोग हो उसकी फाइण्डिग्स को सदन के सामने रखें। इसलिये यह तकलीफ जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं, को हो रही है कि बेरी आयोग पर इस तरह से छीटाकशी हो रही है। इसकी जिम्मेवारी उनको खुद को लेनी चाहिये। वे सबसे ज्यादा इन्सिस्ट कर रहे थे कि इस सदन में इस आयोग की रिपोर्ट पर जरूर बहस होनी चाहिये। वे इसके लिए बहुत उत्सुक थे तो उनको इस बात के लिए तैयार होना चाहिये कि सदन के माननीय सदस्यों को स्वतन्त्र रूप से अपने विचार उनकी फाइन्डिग पर रखने का अधिकार है। मैं यह महसूस करता हूँ कि यह सदन की परम्परा के विपरीत था। इस प्रकार से किसी कमीशन की रिपोर्ट पर बहस नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार की बहस होने के लिए विरोधी दल के माननीय सदस्य ने यह स्वीकार नहीं किया कि इस पर बहस नहीं की जाय। मजबूरन हमें बहस करनी पड़ी। बेरी कमीशन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां अपने भाषण में कहा था कि आप इस पर बहस करना चाहें तो करें उससे हमें भी फैसला करने के अन्दर कुछ मदद मिलेगी। मैं यह समझता था कि जो बहस होगी, विरोधी दल के सदस्य जो विचार रखेंगे इस बहस के अन्दर उससे सरकार को निर्णय करने के अन्दर मदद मिलेगी। मैं यह देखता हूं कि इस मसले के ऊपर जो बहस चल रही है, बेरी आयोग की रिपोर्ट के ऊपर जो बहस चल रही है. उसमें एवीडेन्स के ऊपर बहस है, उसमें क्या कमी रही है, सरकार को गाइडेन्स देने के जिए उन्होंने यहां कोई सुझाव नहीं दिये हैं। इस बेरी आयोग की रिपोर्ट को लेकर वही कहा जा रहा है जो सन् ६७ की मई में विधान सभा के अधिवेशन में और उसके बाद यहाँ, इस सदन में बराबर कहा गया है। वे ही बातें फिर दोहराई गई है कि सत्ता हथियाने के लिए यह सरकार का एक षडयन्त्र था। इसके ऊपर गवर्नमेंट को दोषी ठहराया जाता है। इस बात को लेकर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री दामोदर लाल व्यास)

जैसी कि उनकी भाषा है, तेजी के साथ अपनी बात यहां रखी है। उन्होंने एक बात यहाँ रखी। इस रिपोर्ट में जो ओमीशन्स हैं, उसके ऊपर किसी ने नहीं कहा। उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं। इसके ऊपर फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री पी. के. चौधरी ने तीन बातें कही हैं। उन्होंने इस आयोग की फाइंडिंग के ऊपर इवीडेंस को लेकर ठोस प्रमाण देने की कोशिश की है और सदन को यह बताने की कोशिश की है कि इस रिपोर्ट में ऐसे इम्पॉरटेंट ओमीशंस हैं। इस रिपोर्ट को जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसे नहीं मानना चाहिये। एक नहीं बल्कि तीन, चार ऐसे पाइन्ट बताये हैं, जिसमें मेटिरियल एवीडेन्स ओमिट की गई है। एक गवाह के बयान का एक पोरशन मानकर दूसरे पोरशन पर आपने कमेन्ट्स नहीं दिये है। इसके ऊपर श्री रामानन्दजी और विरोधी दल के दूसरे माननीय सदस्य अपनी सलाह देते, कमेन्ट्स देते तो सरकार को उससे मदद मिलती, उसको अन्तिम निर्णय लेने में। इसके अन्दर इस प्रकार के कोई सुझाव देने के विपरीत यह कहा गया, क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दो। क्यों नहीं सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर २३ फरवरी के बाद, चुनावों के बाद जो घटनायें हुई हैं वे सदस्यों को मालूम ही है। इस मोके पर विरोधी दलों ने जो रवैया अख्तियार किया शक्ति परीक्षण का, वह इस सदन में न कर सड़कों, गलियों में पत्थरों के जरिये और लूटपाट करके वे अपना फैसला वहां कराना चाहते थे। इसके कारण ही ये कई घटनाएं घटीं।

एक संघर्ष समिति बनाई और कई प्रकार के उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये। जो धारा १४४ लागू की गई और जैसा कि बेरी कमीशन ने स्वीकार किया है कि धारा १४४ जस्टीफाइड थी, वह इस बात को मानता है कि धारा १४४ को तोड़ने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति विरोधी दल के थे। उन्होने जनता में उत्तेजनात्मक भाषण दिये, जनता को इन्स्टीगेट किया। महारानी गायत्री देवी के ये शब्द हैं कि चलो कल १४४ को तोड़ने। १४४ धारा को तोड़ने के लिये तैयार हो। पुलिस का डर तो नहीं लगता है। लोग कहते हैं हम अभी चलें तो कल सुबह चलेंगे, यह महारानी गायत्री देवी कहती हैं। फिर यहां वह कहते हैं, बेरी आयोग के सामने कहते हैं, हमने तो नहीं कहा यह। सतीशचन्द्रजी का बयान है, जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री पी० के० चौधरी ने पढ़कर सुनाया था, जिसके अन्दर उन्होंने यह कहा है। एक जिम्मेदार व्यक्ति, जनसंघ के प्रेसीडेन्ट ने, अपने जवाब में जो बयान गवाह के रूप में दिये हैं, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं और बहस करने वालों में आगे हैं, और वहां बेरी आयोग के सामने जिरह करने वाले भी है और उनकी इस रिपोर्ट में इतनी दिलचस्पी है, मैं उनकी इस भावना को समझता हूँ कि जहां गोलीकांड हुआ, वहां उनका चुनाव क्षेत्र है, इस सवाल के जवाब में कि धारा १४४ को तोड़ने के लिये आपने कोई ऐलान किया था तो कहा कि हरगिज नहीं। फिर उन्होंने माना है क्योंकि वे क्रास एग्जामीनेशन के अन्दर इस बुरी तरह फंस गये थे कि उनको यह मानना पड़ा कि 'हां' कहा था। यह कहा था कि

(श्री दामोदर लाल व्यास)

शान्तिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला जायेगा। वे यह भी वहां नहीं कहना चाहते थे। यह सारी परिस्थिति पैदा क्यों हुई ? सुखाड़िया जी ने पैदा की ? या उधर बैठने वालों ने पैदा की। आप लोगों ने पहले संघर्ष समिति बनाई। २३ तारीख के बाद जितनी घटनाएं घटी हैं, उसमें आपने देखा, संघर्ष समिति अच्छा नहीं लगता है। उसके स्थान पर लोकतन्त्र बचाओ समिति बनाई। फिर कुंभारामजी के भाषण हुए, सतीशचन्द्रजी के भाषण हुए, महारानी के भाषण हुए। एक एक के भाषण को लेकर इस रिपोर्ट के अन्दर रिप्रोड्यूज किये हैं। रिपोर्ट के अन्दर यह माना है कि ऐसे भाषण विरोधी दल के नेताओं के हुए हैं उसकी वजह से पब्लिक के अन्दर उत्तेजना पैदा हुई है। लीडर तो सब बन गये, रिपोर्ट में जो कहा है, बेरी साहब ने कहा है कि इन लीडरों का कोई कन्ट्रोल मॉब पर नहीं था। यह जनता इन लीडरों के कन्ट्रोल में नहीं थी। ३, ४, ५, ६ तारीख को घटनाओं में जायें तो यह आपको मानना पड़ेगा। आयोग ने यह माना है। आगजनी की घटनाएं हुई है, लूट की घटनाएं हुई हैं और पुलिसमैनों को जख्मी कर दिया। ६ तारीख को यह हालत हो गई कि पुलिस के १५५-५६ आदमी जख्मी हो गये थे। इस फायरिंग के इन्सीडेंट को छोड़ दें तो जो ५ दिन की घटनाएं हैं, उसकी जिम्मेवारी केवल उन लोगों की हैं, जिसने कि जनता को गुमराह किया है। जयपुर की जनता ही राजस्थान की जनता नहीं है। राजस्थान की जनता दो करोड़ है। वह सारी की सारी जयपुर में नहीं रहती। सारी जनता यह नहीं चाहती है। जयपुर की पांच लाख की जनता में दस, पन्द्रह हजार आपके साथ होकर चल दी तो यह नहीं माना जा सकता कि यह सारी राजस्थान की जनता है। राजस्थान की जनता इसे नहीं माना जा सकता और फिर सड़क, गलियों में पत्थर के जरिये आप फैसला कराना चाहते हैं। जो कुछ कार्यवाही, २३ फरवरी से आप लोगों ने की है, संघर्ष समिति बनाकर, लोकतन्त्र बचाओ समिति बनाकर और जिस तरह से उत्तेजनात्मक भाषण देकर आप लोगों ने जनता को उकसाया है, उसी का कारण था कि जनता बेकाबू हो गई। और पुलिस के अफसरों को जख्मी कर दिया। इस बात के लिये आप अपनी जिम्मेदारी को मानें...

श्री भैरोंसिह : एक लाइन भी आप बता दीजिये, एक भी जगह आप कमीशन की रिपोर्ट में यह बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जो कह रहा हूँ, वह अभी बता सकता हूं। हकीकत यही है कि बेरी कमीशन ने इसको माना है।

श्री भैरोंसिह : नहीं माना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पढ़िये रिपोर्ट को।

श्री भैरोंसिह : मैं चैलेन्ज करता हूँ। एक लाइन भी आप रिपोर्ट में से पढ़कर बता दें कि ७ तारीख के पीछे ४, ५, ६

(श्री भैरोंसिंह)

तारीख की घटनाएं हैं। आप यहां गलत बात कह रहे हैं। एक लाइन भी रिपोर्ट की बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आज बताऊंगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। ७ तारीख की घटना, तीन, चार, पांच, छः तारीख की घटना के क्रम में है। इसको बेरी कमीशन ने माना है! यह माना है कि इन तारीखों में आगजनी की घटना हुई है, लूट की घटनाएं हुई हैं। यह तो कहा है। सही है।

श्री भैरोंसिंह ! आप तो यह बतावें कि ७ तारीख की घटना तीन, चार, पांच ६ तारीख की घटना है। यह कहां लिखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका लॉजिकल कान्सीक्वेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो खेतसिंह जी उस समय काबू में नहीं थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी नाराजी से क्या हो रहा है। आप मेरी बात सुनिये। अब इस बात की, इस सदन के अन्दर बहस हुई हैं और इस बात के ऊपर गवर्नमेन्ट की स्थिति को साफ किया गया है। बेरी आयोग पर बहस का मौका कोई नहीं था। पर पोलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन करना था। मैं नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि बेरी आयोग ने सबक दिया है उसको आप महरबानी करके याद रखें। सब याद रखें जो जनता के लीडर बनने का दावा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार भी याद रखे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार भी याद रखे। पर यह कार्यवाही चूंकि आपकी तरफ से होती है, सरकार अपनी तरफ से अपने खिलाफ आन्दोलन नहीं करती है इसलिये आन्दोलन का रास्ता महरबानी करके आप मत अपनाइये। वैधानिक तरीके अपनाइये। आप जनता को भड़का कर बात करेंगे तो जनता आपके काबू की नहीं है। कुछ समाज विरोधी तत्व जनता में मिलकर गड़बड़ी करेंगे। इसलिये करता हूं कि बेरी आयोग की रिपोर्ट को लेकर आन्दोलनात्मक कार्यवाही न करें। स्थिति देख रहे हैं बराबर। इसकी रिपोर्ट जब से सदन में पेश हुई है पब्लिक मीटिंगों में विधानसभा में बाहर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि जनता भड़क जावे। पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अब तो आपको भी इसका अनुभव हो गया होगा। जनता ने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वे समझते हैं कि पहले आप लोगों ने गुमराह किया। आज वह स्थिति नहीं आने वाली है इसलिये कि सही रास्ते पर कौन है यह जनता अच्छी तरह जानती है।

श्री विजयसिंह मकराना : ××× यह कैसी बात।

श्री दामोदरलाल व्यास : जोर शोर

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से कहा जाता है कि सरकार को रिपोर्ट को मन्जूर करना चाहिये और कई प्रकार की भाषा बोली जाती है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य तो बहुत ही गम्भीर परिणाम बताते हैं रिपोर्ट को नहीं माना तो। एक भरतपुर से आने वाले कहते हैं माननीय सदस्य कि घेराव करेंगे, इसको नहीं माना तो और अनेकों प्रकार की कठोर बातें और जो शब्द नहीं कहने के हैं, बेईमान, चोर, झूठे सब तरह के कहे जाते हैं, पर यह आपकी भाषा है, मुझे कुछ नहीं कहना। पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बेरी कमीशन का गठन कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट के तहत हुआ है। कानून के तहत हुआ है। धांधली के तहत नहीं हुआ है। वह एक्ट आप महरबानी करके पढ़ लें। अगर कहीं लिखा हुआ है कि जो आयोग की रिपोर्ट होगी वह वैसी की वैसी मान लेगी सरकार तो मैं समझता हूँ सरकार के पास रिपोर्ट आई ही क्यों? वही जज और वही सजा देते। जरूरत नहीं थी इस रिपोर्ट की ही। अब अगर वह सरकार के पास आती है तो सरकार को अपना दिमाग उस पर लगाना होगा। इसकी उसको कानून के तहत खुली छूट है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। दूसरे हाईकोर्टों ने होल्ड किया है आयोग की रिपोर्ट सरकार की इन्फार्मेशन के लिये है। it will be a guide for the Government to take a final decision.

और यह सुप्रिम कोर्ट ने लेटेस्ट होल्ड किया है कि आयोग की रिपोर्ट किसी सरकार के लिए यों की यों मानना जरूरी नहीं है। It is for their information.

उनको इस पर एक्शन लेना है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सदन में बहस हुई पर होती नहीं है। आप बताइये कि सरकार का कर्त्तव्य क्या उस पर विचार करने का नहीं है। जिन्होंने फायरिंग किया उनके मामलों को गम्भीरता से विचार करे कि वाकई आयोग ने जो फाइंडिंग दी है वे इवीडेन्सेज के बेसिस पर हैं कि नहीं।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि जूडिशियल कमीशन पर आप अपना कमीशन रखकर चलना चाहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जी हां, मेरा अधिकार है और मेरा जो अधिकार है इसको मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। आप इसको याद रखिये चाहे जूडीशियल कमीशन हो। आप गलती करते हैं कि वह जूडीशियल अफसर की हैसीयत से फैसला है, जूडीशियल अफसर भले ही हो, पर उसकी यह एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट है फौर दी इन्फोर्मेशन आफ गवर्नमेंट।

श्री भैरोंसिंह : उस जुडीशियल ऑफिसर की जांच आप होम सेक्रेटरी से कराना चाहते हैं जो खुद कल्प्रिट है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : वह कामाख्यानारायणसिंह के लिए खुद कांग्रेस ने बनाया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है और मैं इस अधिकार को कभी छोड़ने वाला नहीं। मैं यह नहीं कहता कि बेरी आयोग की रिपोर्ट किसी पाइन्ट पर गलत है। मैं यह भी नहीं कहता कि उस में कोई खामी है। मै यह भी नहीं कहता कि मैं उसका फाइंडिंग मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ और मैं यह भी नहीं कहता कि पूरे मान लूंगा। परन्तु यह जरुर मेरा अधिकार है कि मैं उस फाइंडिंग को स्टेडी करुं और स्टडी करके गवर्नमेंट लेवल पर इस बात का फैसला करुं कि क्या इस फाइन्डिंग पर हमें कार्यवाही करनी है। मैं इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि अगर वाकई इन्साफ इसको चाहेगा कि किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिये तो निश्चय कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं है।

दूसरा पहलू इसका यह भी है। आप खुद जानते हैं कि जौहरी बाजार में फायरिंग हुआ इसमें दो प्लाटून यू० पी० आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की थी और एक आर. ए. सी. राजस्थान की थी। आज बेरी आयोग का फैसला है उसने जौहरी बाजार के फायरिंग को अनजस्टिफाइड माना है। तो मुख्यमन्त्री-जी ने जैसा कहा है सदन में कि यू० पी० सरकार को भी इसमें कन्सल्ट करना जरुरी है जिनकी प्लाटून हैं। चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। उनके स्वयं अफसर यहां आये हुए हैं वे सारे मामले को स्टडी कर रहे हैं तो फिर अपनी सरकार को एडवाइज करेंगे। यह नहीं हो सकता कि उनके आदमियों के बारे में हम ही कोई निर्णय कर लें और उनको कहने का अवसर भी न दें, उनको कन्सल्ट भी न करें। जान बूझकर देरी हम नहीं लगा रहे हैं यह रिपोर्ट पर फैसला करने में यह आप यकीन रखें।

परन्तु हमारी बहुत सी दिक्कतें भी हैं इनको आपको भी महसूस करना चाहिये। एक तो यू० पी० गवर्नमेंट का डिसीजन, उनकी एडवाइस उनका कमिटमेंट हमारे पास आ जावे। दूसरा, ९ जनवरी को हमें यह रिपोर्ट मिली है। बेरी साहब को बहस सुनने के बाद चार महिने लगे फैसला लिखने में। तो चार महिने रिपोर्ट लिखने में लगा दिए और हमसे आप इतनी जल्दी चाहें कि निर्णय कर दो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपके पास तो इतनी बड़ी फौज है। अफसरों की और दफतरों की। आपको क्या दिक्कत है जिसमें लंगड़े आधार ढूंढते हैं देरी करने के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बोलते हैं तब में बीच में दखल नहीं देता। यह दखल देने की परम्परा आप डालते हैं तो अच्छा नहीं। आप भी स्वयं विचार करिये आपने फौज बताई पर वह तो प्रोपोज ही कर सकती है, आखिर फैसला तो मुझे ही करना होता है।

एक माननीय सदस्य : यह तानाशाही ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके हुक्म से नहीं करता हूं। फैसला मुझे ही

(श्री दामोदर लाल व्यास)

करना होता है। मेरे सलाहकार कई हो सकते हैं। और इसके बाद मेरे केबिनेट के क्लीग करेंगे। मैं अपनी राय उनको दूंगा। एक कमीशन चार महीने ले ले और दो महीने हुए हैं अभी तो हमारे पास आये और अभी से कहने भी लग गये कि लेकर बैठ गये हैं। इससे चिपक रहे हैं और हम आपको अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह सच है। आपको भी थोड़ा समय लगना वाजिब है। रहा सवाल इस बात का कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें कही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमिटमेंट का क्लेरिफिकेशन तो कर दीजिये। उस समय के गवर्नमेंट ने राजस्थान के चीफ जस्टिस को ऐसा एश्योरेन्स दिया था कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सदन में मैं दो दफे कह चुका हूं और वही जवाब अब है कि यह कमीशन मुकर्रर हुआ था राष्ट्रपति शासन काल में। कमीशन को मुकर्रर करने की फाइल है उसको पूरा ए से जेड तक मैंने पढ़ा है। इसमें कहीं गवर्नमेंट का कोई कमिटमेंट नहीं है। दूसरी बात और सुनिये। माननीय सतीशचन्द्र जी बहुत उतावले हो रहे हैं, और जल्दी मत करिये। दूसरी बात और है। मान भी लिया जावे कोई सरकार इस प्रकार का कमिटमेंट कर दे तो सक्सेसर गवर्नमेंट उससे बाउण्ड नहीं है। गवर्नमेंट खुद बाउन्ड नहीं है। क्योंकि लॉ में स्पष्ट उल्लेख है। Any agreement contrary to provisions of law is void ab initio इसको आप मत भूलिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो फेक्चुअल पोजीशन जानना चाहते हैं केवल।

श्री दामोदरलाल व्यास : फेक्चुअल और लीगल दोनों समझ लीजिये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई कमिटमेंट हो नहीं सकता और अगर है भी तो वह बिल्कुल वायड है। कोई गवर्नमेंट उस पर अंगूठा नहीं लगा सकती। गवर्नमेंट का अपना इण्डिपेण्डेन्ट जुडीशन्स डिसीजन होगा जो फेक्ट्स आफ लॉ पर बेस होगा। इसलिए वह राइट अपना हम जरूर एक्सरसाइज करेंगे।

दूसरी बात, कुछ मुद्दे ऐसे इस रिपोर्ट में आये हैं उन पर मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है आप कोई अविश्वास की भावना नहीं बनाइये। हम भी गवर्नमेंट चलाते हैं, हमें भी अपनी प्रेस्टीज कायम रखनी है। सर्विसेज को ठीक रखना है। जनता को भी नाराज नहीं करना है। जितना वाजिब है उतना हम करेंगे। रिपोर्ट की फाइन्डिग में जितनी बातें लिखी हैं अगर वे एवीडेन्सेज से जस्टिफाइड होती होंगी तो जरूर मानेंगे यह विश्वास दिलाते हैं।

बार-बार कहा जाता है कि हालांकि कहने की जरुरत नहीं क्योंकि माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने पिछले दिनों में सदन में साफ कर दिया था कि जहां तक जो लोग

(श्री दामोदर लाल व्यास)

गोलीकाण्ड में मारे गये हैं उनके लिए हमको भी बहुत दुख हैं। उनके आश्रितों के प्रति पूरी सहानुभूति है। जो लोग जख्मी हुये हैं उनके लिए दुख है। मुख्य मन्त्री जी ने इस बात के लिये कहा था कि उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया है उसको ज्यादा लिबर किया जाय, उसके पक्ष में है फिर कोई प्रश्न नहीं होता है बार बार आप उसको लाये। बहुत लिबरली जितना देना चाहिये, हम देंगे फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि जनता के अन्दर आन्दोलन का रूप लिया जाय। जनता जिनके चोटे लगी है उनको विधान सभा के बाहर लाकर प्रदर्शन कराया जाय, आन्दोलन कराकर जनता को गुमराह करें यह जनतन्त्र में अच्छी चीज नहीं है।

यह सरकार को और चाहे कोई सरकार हो उसको शान्ति और व्यवस्था म काय रखनी पड़ती है। लॉ एन्ड आर्डर हर हालत में मेन्टेन किया जाय। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा यह कहा जाता हैं कि सरकार यह भाषा नहीं समझती है, सरकार को इनकी भाषा में समझाओ, समझाइयें, हमारी भाषा को आप समझते है यह अच्छी बात है। आप यह कहें कि हम घेराव डालकर प्रदर्शन करेंगे। जो सरकार के वैधानिक अधिकार है उसको आप अवैधानिक तरीकें से मनवाने की कोशिश न करें। आप जिम्मेदार सदस्य हैं। आपकी सारी बात वैधानिक समझदारी लिये हुये होगी और किसी प्रकार राजस्थान में बड़बड़ी पैदा करने की बात नहीं होगी। हमने इस बात की बराबर·······

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पर भी लागू होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिलकुल। हर वक्त हमने कोशिश की है, बार बार सदन में कहा जाता है रिपोर्ट को विद-होल्ड करना चाहते हैं और इस रिपोर्ट को सदन में पेश कराया गया। इस रिपोर्ट को पेश करने की हमारी कोई वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। परन्तु ज्योंहि रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को पढ़ने के बाद फैसला कर लिया कि विधान सभा में पेश करेंगे और हमारे मुख्य मंत्री जी ने पत्रकारों को भी कह दिया था कि इसको विधान सभा में पेश कर देंगे। हमने सोचा हिन्दी ट्रान्सलेशन नहीं हुआ है तो न सही अंग्रेजी में ही इसकी प्रतियां आप लोगों को दे दी है। इसको बहस सदन में की जाय तो हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। मतलब इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट को छिपा कर नहीं रखना चाहते हैं। सदन में माननीय सदस्यों के सम्मुख हर पहलू आ जाय ताकि सरकार को इन्साफ करने में मदद मिले। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य जिम्मेदारी से इस सदन में बात कहेंगे और मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूँ बिजनिस ऐडवाईजरी कमेटी में यह बात आई, आपने उसका प्रस्ताव पास किया है, हमने मानने से इन्कार कर दिया, आपने कहा इसको शहीद दिवस के रूप में छुट्टी घोषित की जाय। हमने आपसे पूछा आप कल शरीक होना

Page No 159

(श्री दामोदर लाल व्यास)

चाहते हैं या नहीं आपने कहा हमारी मजबूरी है तो हमने छुट्टी घोषित कर दी.......

श्री भैरोंसिंह : आपके अधिकारी बेरी कमीशन के सामने कुछ भी भूंठ बहें लेकिन बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में क्या तय हुआ उस सम्बन्ध में गलत बात आप हाउस में न कहें।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या छुट्टी की बात ?

श्री भैरोंसिंह : हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : भैरोंसिंह जी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप कल आना चाहते हैं, आपने कहा था नहीं आना चाहते ......

श्री भैरोंसिंह : हमने तो यह कहा था कि ७ तारीख को शहीद दिवस मनाया जाय, सरकारी छुट्टी मनाई जाय, शहीदों का स्मारक बनाया जाय। आपने कहा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाय इसके लिये तो हम केबीनेट मीटिंग करेंगे, विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करने के लिये कहा था कि आप नहीं आ रहे हैं इसलिये छुट्टी.........

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कुछ भी समझें जो मीटिंग में कार्यवाही हुई मैंने खुद ने आपसे पूछा था कि कल आप आना चाहते हैं, आपने कहा नहीं आना चाहते, कल का बिजनिस नहीं हो और आगे का ऐजेन्डा बना दीजिए, मैं आपको अर्ज करता हूं कि हमने वैसा ही किया ....हमारा सिम्पेथीज उनके दुख से पूर्ण दुखी है लेकिन गवर्नमेंट के फैसले को आप अपने मुंह लेकर कहे, यह ठीक नहीं है।

अन्त में, माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बेरी आयोग की रिपोर्ट पर हमें यू० पी० गवर्नमेंट की सलाह मिल जायगी और जो कुछ हमारे ऑफिसर इस पर कमिटमेंट देते हैं, इसके बाद जो सही निर्णय होगा वह लिया जायगा और सही सूचना दी जायगी। आपको अधिकार होगा कि आप इस पर बहस करें, क्रिटिसाइज करें लेकिन अभी जरूर यह प्रार्थना है कि आन्दोलन का तरीका न अपनायें। हमारे फैसले का इन्तजार करें। फैसला सही रूप में दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

श्री मदनसिंह : आपने एक सवाल का उत्तर नहीं फरमाया। मैं होम मिनिस्टर साहब का एक वक्तव्य चाहता हूं। उस समय इन-चार्ज सिटी मजिस्ट्रेट थे उस समय धारा १४४ किसके हुक्म से मानी, यह बता दें। दूसरा आपने फरमाया यह सारे राजस्थान का आन्दोलन नहीं है ५ हजार जनता का है मैं पूछता हूँ ५ हजार जनता से दबकर क्या राष्ट्रपति शासन हो जाता है। यह दो बात मैं पूछना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, उस पर मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, कौन सरकारी अधिकारी गुनाहगार है, किसके खिलाफ

Page No 160

(श्री दामोदर लाल व्यास)

डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी करनी चाहिये, क्योंकि बहरहाल ३, ४, ५, ६ की जो घटनायें हुई हैं। वे सब मामले पुलिस में दर्ज हुये थे। उस पर फैसला करना पड़ता है किसके मुकदमें आगे बढ़ाये जायें और किसके मुकदमें दफना दिये जायें। किस अधिकारी की क्या गलती है, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

एक बात और अर्ज करना भूल गया माननीय सतीश चन्द्र जी की भावना है, उनकी भावना को मैं समझ सकता हूँ लेकिन जिस तेजी से उन्होंने बात कही वह तो ठीक था, क्योंकि यह उनके क्षेत्र की बात है लेकिन बाढ़दार जी जो कभी बेरी कमीशन के आगे गये ही नहीं उनकी ऐसी उत्तेजना कैसी ? इसलिये मैंने कहा यह सब पोलिटिकल मामला है और कुछ नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरे ख्याल से........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। आर्डर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ....उन बातों को छोड़ दीजिये आप यह बता दीजिये कानून को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे इन्टरप्रिटेशन किया जाता है इतना बता दीजिये। सरकार कितने दिन का वायदा करती है, सरकार कितने वर्ष तक विचार करेगी, कुछ आश्वासन दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी से जल्दी का मतलब है यू० पी० गवर्नमेंट की एडवाइस आने के बाद हम ज्यादा टाइम लगाने वाले नहीं है।

श्री मदनसिंह : मैं तो यह कहता हूँ कि राजस्थान के अधिकारियों के कहने से या सुखाड़िया साहब के कहने से सिटी मजिस्ट्रेट धारा १४४ हटायेगा क्या ? मैं गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए सलाह लेना चाहता हूं। आप ठाकुर मदनसिंह को यह सलाह दे दो नहीं तो यह राजपूत तो ऐसे ही बोलता रहेगा। सिटी मजिस्ट्रेट को अगर यह मालूम है कि स्थिति बहुत गड़बड़ है तो यह किस सरकारी अधिकारी के कहने से धारा १४४ हटा लेगा—एक बात और दूसरी चार हजार की आन्दोलन से राष्ट्रपति शासन हो जाय ? इन दो बातों का मुझे जवाब दे दें नहीं तो मैं कहता हूं मेरे भाषण ऐसे ही होंगे। कानून को हम माने नहीं, कानून को हम समझावे नहीं तो....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आधे घन्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री मदनसिंह : फिर राजस्थान के अन्दर इस तरह।

(६ म० प०)

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए जो दांता से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा है मैं समझता हूँ कि वह बहुत समझदार हैं और उनके सोचने का जो तरीका है वह अच्छा है और मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिनके लिए कहते हैं उसमें हो सकता है कुछ अंशों में वह सत्य भी हो, लेकिन मेरी दिक्कत मैं बताऊं कि इस समय मैं उसके लिए नहीं कह सकता। आन्दोलन के लिए मैंने कहा कि बारबार यह कहते हैं कि जनता नहीं चाहती है तो सिवाय जयपुर के और किसी जगह की जनता ने आवाज नहीं उठाई थी।

श्री नत्थीसिंह : गलत है जगह जगह पुतले जले हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इतना ही नहीं मैं कहूँ कि जो मथुरादासजी के लिए कहा गया कि वह हवाई जहाज लेकर गये यह बात भी बिलकुल गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मथुरादास जी से कहलवाइये कि गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर मैंने जो प्रस्ताव कल सदन में प्रस्तुत किया उस पर इस सदन में विचार हुआ। मुझे खेद इस बात का है कि इस गम्भीर विचार के समय हमारे राज्य के माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस सदन में उपस्थित नहीं रहे और शायद उनकी उपस्थिति नहीं रहने के कारण ही है कि राज्य के गृह मन्त्री महोदय उनकी अनुपस्थिति के कारण उन्होंने उनको किसी प्रकार का भी एलान करने का अधिकार सरकार की ओर से नहीं दिया और इसीलिए शायद वह अपने आपको इतना असमर्थ और अक्षम समझते हैं कि वह किसी प्रकार से सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई घोषणा कर सकें। यह बात तो खुशी की है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब इस सम्बन्ध में एतराज किया और माननीय मुख्यमन्त्री जी को इसकी सूचना दी गयी तो वह इस सदन में उपस्थित हो गए। वह इस सारी बहस को सुनते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि अभी माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने इस बात का आग्रह किया था कि यहां पर बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाये और विरोधी दलों ने इस बात का बड़ा भारी आग्रह किया था कि उन्होंने मजबूर किया और सरकार ने इसको स्वीकार किया। मैंने सुबह भी आज इस सदन में कहा था कि अच्छा होता और हमने उनसे भी कहा कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले और निर्णय को सदन के सामने प्रस्तुत करें और उस निर्णय पर इस सदन में चर्चा हो, वह ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्होंने तर्क तो दिया लेकिन दो महीने के बाद भी आज तक भी राजस्थान की सरकार उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले पाई है, निर्णयों की कोई घोषणा भी नहीं कर सकी। दो दिन का वादविवाद सुनने के बाद भी आज सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आज सदन में यह भी कह सके कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

माननीय गृह मन्त्री जी इस सदन के अन्दर जो चर्चा हुई आपने इसके बारे में विरोधी दलों को उलाहना दिया, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से जिस भाषा में जिस प्रकार से एवीडेन्स की बात की है। बेरी आयोग की नियुक्ति की गयी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गयी और जो अतिरिक्त जिलाधीश महोदय की नियुक्ति की गयी थी उसके विरोध में विरोधी दल का प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति महोदय से मिला और उन्होंने इस प्रकार की नियुक्ति अपने राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल महोदय ने जो नियुक्ति की। उस समय की सरकार ने जो नियुक्ति की वह राज्यपाल महोदय की नियुक्ति नहीं थी बल्कि वह सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति थी, संविधान की धारा ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति का शासन में सीहित राज्य में शासन था और उनके द्वारा नियुक्त राजस्थान हाईकोर्ट के जज श्री भगवतीप्रसाद बेरी की नियुक्ति हुई, और उसकी रिपोर्ट आई और उसके लिए राजस्थान की सरकार कहे कि हम मानने के लिए बाध्य नहीं हैं इससे ज्यादा लज्जा और शर्म की बात सरकार के लिए नहीं हो सकती। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, हिन्दुस्तान के प्रेसीडेन्ट ने एपॉइन्टमेन्ट किया और आप इस सम्बन्ध में सदन में नहीं कह सकते कि हमारा एश्योरेन्स है या नहीं है। आपने तर्क दिया है: Successor Government is not bound to follow the decision of the previous Government.

आपको शायद मालुम होगा कि भरतपुर के महाराजा ने क्या कहा? जो रेडियो भरतपुर का केस सुप्रिम कोर्ट में गया और उसका फैसला १९६८ में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और यह कहा है कि सक्सेसर गवर्नमेन्ट जब बदलती हैं वह वायोलेशन से नहीं ले......

श्री भैरोंसिंह : इतना ही नहीं है माननीय गृह मन्त्री जी जानते हैं टोंक के नवाब ने वादा किया था आपने उनका कर्ज चुकाया है उसी सक्सैसर गवर्नमेन्ट के नाम से।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा हैं: Any commitment by a Government against the provisions of law is void ab initio and, therefore, successor Government is not bound to honour that agreement.

श्री मदनसिंह दांता : Put this whole case before the President of India and whatever he decides, let it be implemented.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह भी कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यही कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका भी जवाब दे दूंगा। और आप वकील हैं

Page No 163

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रपति ने जिस आयोग की नियुक्ति की और जो निर्णय लिया और जो आश्वासन राजस्थान के चीफ जस्टिस को उस समय दिया जिसका हवाला मैंने इस सदन में दिया....

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए—मैंने श्री सतीशचन्द्र जी आपसे यह नहीं कहा है कि इस तरह का कमिटमेन्ट दिया है उस गवर्नमेन्ट ने—मैंने तो आपसे कहा है कि अगर बहस और आरग्यूमेन्ट सेक यह मान भी लिया जाये कि जिसको आप कहते हैं और जिसको मैं टोटली डिनाई करता हूँ कि कोई कमिटमेन्ट गवर्नमेन्ट ने चीफ जस्टिस को या किसी को दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद का विषय है कि मैंने यह मसला कल उठाया था और मैंने प्रेस कटिंग भी सदन में पढ़कर सुनाया था कि ९०६ पेज की रिपोर्ट पर आप फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें समय लगेगा तो क्या आप राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को टेलीफोन पर ५ मिनट में नहीं पूछ सकते हैं कि विधान सभा में इस तरह की कन्ट्रोवर्सी है और क्या उस समय की सरकार ने कोई कमिटमेन्ट दिया था ? क्या एडवोकेट जनरल ने ऐसा कमिटमेन्ट दिया था ? क्या उस समय का तत्कालीन राज्य सरकार ने कमिटमेन्ट चीफ जस्टिस को दिया था ? और मुझे खेद है कि गृह मंत्री जी ४८ घन्टे के बाद आज इसकी जानकारी नहीं दे सकते कि हमने चीफ जस्टिस की बात की है और आपने जो कमिटमेन्ट की बात कही है वह झूठी है। ४८ घन्टे में बात नही करें और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि आप इस बात को छुपाना चाहते हैं। मैं चेलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के यहां आज भी फाइल पर कमिटमेन्ट मौजूद है। आपने कमिटमेन्ट दिया है। उस समय की गवर्नमेंट का कमिटमेन्ट है। चाहे वह एडवोकेट जनरल के हो, लेकिन वह आज हाइकोर्ट की फाइल पर मौजूद है। आज आप उसमे इन्कार नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि यह गलत है तो मैं इसी बात का चेलेन्ज स्वीकार करता हूँ। यह जो सबसे इम्पॉर्टेन्ट मसला है कि राज्य सरकार कमिटेड है कि हम बेरी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेंगे। आपकी सरकार कमिटमेन्ट देने के बाद मुकर सकती है। आप कह सकते हैं कि हमने आश्वासन दिया है हम नहीं निभाते हैं, इसलिए यह सारा मसला श्रीमती लक्ष्मीकुमारी जी चूण्डावत के सुपुर्द कर दो जो कि समिति की अध्यक्ष हैं वह अलग चीज है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको साफ कहना पड़ेगा कि हमने आश्वासन दिया....

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेन्ट का डिस्क्रिशन जुडीशियली एक्सरसाइज किया जायेगा, आन मैरिट्स किया जायेगा। आप चुनौती दें या नहीं मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस फैक्ट पर तो मै चेलेन्ज करता हूँ कि यदि आपने स्वीकार नहीं किया हो और वह हाईकोर्ट की फाइल में नहीं हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपका कमिटमेन्ट है और फिर हाउस में खड़े होकर बातें करते हैं। आप उसको ऑनर करें या नहीं प्रेसीडेन्ट आफ इन्डिया की इनसल्ट है, उसका कमिटमेंट है उनका राज्य था हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कमिटमेंट श्री मोहनलालजी सुखाड़िया नहीं निभायें इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात क्या हो सकती है? आप कहते हैं कि contrary to contract hai. यह कानून के प्रावधानों के खिलाफ है वह प्रावधानों के खिलाफ चीज नहीं होगी लेकिन कान्ट्रेरी टू दी कान्ट्रेक्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : 'कान्ट्रेक्ट' शब्द नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह गोली चली। हम को बचाओ, हम तुमको बचायेंगे, यह कान्ट्रेक्ट किया है वह कान्ट्रेरी है। कान्ट्रेरी टू दी कान्ट्रेक्ट, श्री दामोदरलालजी को २० साल हो गये वकालात छोड़े, और भूल गये होंगे, कि मन्शा आप कहते हैं तो कान्ट्रेरी तो तब होता है जब कि लॉ में प्रोवीजन होती उसके अगेन्स्ट कान्ट्रेक्ट होता है। रेवेन्यू एक्ट में प्रोवीजन है Tenant shall be lible to ejectment. when the contract is contrary to the provisions of law. कमीशन फार एन्क्वायरीज् एक्ट में कोई प्रोवीजन नहीं है। जब प्रोवीजन नहीं है तो That contract is contrary to the provisions of law यह आप मानें नहीं मानें तो दूसरी बात है। it is not contrary to the coatract or provisions of law. एक कर्जा तीन साल की मयाद के बाहर हो जाता है, लेकिन यदि कोई आदमी इसको स्वीकार कर ले कि तेरा कर्जा चुकाऊंगा तो अदालत में उसका दावा हो सकता है। आपकी सरकार उसको तोड़ दे जो कमिटमेंट किया है और कानून की धाराओं के नीचे बचकर निकलना चाहे तो यह सभ्य सरकार जो लोकतन्त्र में है उसको शोभा नहीं देता है, लेकिन आपकी सरकार तो लोकतन्त्र के लिए कलंक है और जैसा दो साल पहले किया वही तरीका अब अख्त्यार करना चाहते हैं। एक बात में कहना चाहता हूं इस सरकार से कि हिन्दुस्तान के अन्दर राष्ट्रपति के वचन को तोड़े, राष्ट्रपति के वचनों को नहीं निभायें तो यह लोकतन्त्र की परम्परा के विरुद्ध है, राष्ट्रपति महोदय का अपमान है वह इस सरकार के लिए हर प्रकार से लज्जा और कलंक की बात है। इस सम्बन्ध में इतनी ही बात कहना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि राज्य सरकार और राज्य के मुख्य मंत्री महोदय, जिस समय २५ तारीख और २६ तारीख को इस मसले पर विचार किया गया और २५ तारीख को सबसे पहला प्रदर्शन हुआ और इस सदन में विचार हुआ उस समय से सरकार पिछले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

१०–१५ दिनों में जाँच करा सकती थीं। आपने जांच नहीं की। आप पूछ सकते थे। आपने कहा कि मैंने जो मिसल देखी है, मैंने जो गोलीकाण्ड की फाइल देखी है उसमें ऐसा कागज नहीं देखा है। आपकी अगर–मगर को हम जानते हैं। आपकी अगर–मगर को हमने सन् ५७ से देखा है इन १२ सालों के बीच में ५ साल आप छुट्टी पर चले गये। सात साल से हम बराबर देख रहे हैं आपको। मैं पूछना चाहता हूँ कि २५ तारीख और २६ तारीख के आसपास अगर यह सरकार कह देती कि हाईकोर्ट को जो कमिटमेंट दिया है सरकार उससे इनकार करती है तो न तो इतना प्रदर्शन होते, न सदन का समय जाया होता, न ७ मार्च की शहीद दिवस की छुट्टी करने पर मजबूर होते और न इस तरह का वाद-विवाद होता, और न बेरी साहब पर, जस्टिस बेरी पर जिस तरीके का कीचड़ कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने उछाला है, जुडिशियरी को कन्डेम किया है, जज के कन्डक्ट को डिसकस किया है और उसके सम्बन्ध में अन्याय किया है, पक्षपात किया है, बेरी साहब मिल गये एक तारीफ कर दी तो दबाव में आ गये, महारानी की सम्पत्ति के दबाव में आ गये, लोभ-लालच में आ गये क्या जरूरत थी इस तरह से हाईकोर्ट को कन्डेम करने की ?

(६.०३ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभानेत्री पदासीन)

श्री गिरधारीलाल व्यास : ओन ए पॉइंट आफ एक्सपलेनेशन, सर...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बाद में भाषण के।

सभापति महोदया ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बेरी साहब के सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई पर्सनल एक्सपरशन उनके खिलाफ नहीं लगाये गये हैं और न उन्होंने जिस प्रकार का जो डिसीजन लिया है उसके बारे में। इसमें जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं उनके सम्बन्ध में मैंने यहां पर विवेचन दिया था। उनकी निष्पक्षता के सम्बन्ध में या उन्होंने जिस प्रकार से एक जज के नाते जो काम किया है उसके लिए मैंने यहां किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही। जो माननीय सतीशचन्द्र जी कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण कर दें और हमारा सारा भ्रम निकाल दें कि आप बेरी साहब को निष्पक्ष मानते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सतीशजी ने चान्दमलजी के एपाइंटमेंट के बारे में जो खुली आलोचना की थी....

श्री भैरोंसिंह : आप इस भ्रम को निकाल दें। एक शब्द में हां या ना कहकर कि बेरी साहब को निष्पक्ष मानते हैं या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने उनके न्याय के बारे में कोई बात नहीं कही है। जो कमियां थीं वे बताई हैं। बेरी कमीशन की रिपोर्ट को डिसकस किया गया था इस वजह से जो कमियां थीं वे मैंने बताई हैं। उनके न्याय के बारे में कोई बात नहीं कही है।

श्री भैरोंसिंह : यह आप मानकर चलते हैं कि बेरी साहब निष्पक्ष हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा उनके बोनाफाइड पर डाउट करने के सम्बन्ध में कोई आशय नहीं था। मेरा कोई उनके बोना फाइड में कोई डाउट नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, आज विशेषाधिकार के भंग का प्रस्ताव दिया और श्रीमान्‌जी रास्ते पर आ गये इस बात की तो खुशी है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके विशेषाधिकार से फर्क नहीं पड़ता है। जो सही बात है वही कही है और कहना चाहता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छी बात है जाने दो विशेषाधिकार समिति में। सभापति महोदया, पी० के० चौधरी बोले तो मैंने उनकी तारीफ की है। इन्होंने कन्सट्रक्टिव रेस्पान्सबिलिटी की बात कही है। कोई रेशनल एप्रोच तो हो। आपके प्रति जो मेरे मन में धारणा थी....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका तरीका यही रहा है कि यहां पर कोई आदमी सही तरीके से बोले तो आप उसको इस तरीके से दबाना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप निश्चिन्त रहिये और विश्वास रखिये कि मैं आपको दबाऊंगा नहीं। आप तो सुखाड़िया जी से पहले ही दबे हुए हैं मैं दबाकर क्या करूंगा?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं किसी से दबा हुआ नहीं हूँ और न आपसे दबने वाला हूँ। जनता से चुनकर जैसे आप आये हैं मैं भी यहां आया हूं। मुझे भी अधिकार है कि जो बात सही हो वही कहूँ।

(हियर, हियर)

श्री श्रवणलाल : इसका ठेका तो आपको ही दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदया, आपने खुद ने—सतीशजी ने—चांदमलजी के अपाइंटमेंट के बारे में क्या एक्शपरशन्स लगाये थे वे आपको मालूम होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस सम्बंध में एक मिनट में कह सकता हूँ। मैंने चांदमलजी जब हाईकोर्ट के जजमेंट और कण्डक्ट के सम्बंध में एक भी शब्द नहीं कहा। मैं इस बार के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैंने यह कहा था कि चांदमलजी का नाम तीन बार रिजेक्ट किया गया। यह जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है एपॉइंटमेंट का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसको कन्डेम किया था, लेकिन चान्दमलजी ने जो फैसले हाई कोर्ट में दिये हैं, कोई एन्क्वायरी की हो ।....

श्री रघुनाथ विश्नोई : चीफ जस्टिस के कन्डक्ट के बारे में नहीं कहा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाथद्वारा एन्क्वायरी कमीशन में सरजूप्रसादजी ने जो फैसला दिया उसको हम पचा गये और हमने उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सरजूप्रसादजी के बारे में क्या कहा था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस विधान सभा में एक शब्द भी सरजूप्रसादजी के खिलाफ नहीं कहा आप कार्यवाही मंगाकर देख लें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप चाहें जो कहें लेकिन दूसरे अगर सही बात भी कहें तो इस प्रकार की बात करते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन आपकी तरह से बेरी साहब की छिछालेदारी नहीं की है । आपने राजस्थान की जुडीशियरी को कन्डेम किया है और उसकी छिछालेदारी की है । यही बेरी साहब दो-तीन साल में राजस्थान के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या हो गया अगर बन जायेंगे तो ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चीफ जस्टिस बन जायं तो बड़ी खुशी है और वे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जायं तो क्या बात है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने गम्भीरता से इस बात पर विचार किया कि आखिर ठीक है कि एक्जीक्यूटिव एन्क्वायरी है तो मधोक साहब हैं जिनका सुखाड़ियाजी बराबर हवाला देते हैं कि मेरी जमीन के बारे में मधोक साहब ने जो कि हाई कोर्ट के जज नहीं थे उन्होंने आपके साले, बहनोई ने जमीन ले ली है और जिसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड में पेंडिंग है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट सदन में नहीं आई है, उसके बारे में आप खड़े होकर कहते हैं कि मेरे साले, बहनोई, बीबी और बेटी को जो जमीन मिली है सब की रिपोर्ट दी है । एक आई० ए० एस० ऑफीसर को लेकर इस प्रकार कहते हैं और आरोपों का जवाब देते हैं और यहां हाई कोर्ट के जज पर छींटाकशी करते हैं, उनके जजमेंट की कमियों को बताते हैं । चौधरी साहब बोले तो उन्होंने क्रिटिकल एप्रोच लिया । गोकुलप्रसादजी की भी गोली खाला गई दामोदरजी की । वे गुरु हैं, ब्राह्मण हैं और पंडित हैं ।

(श्री गोकुलप्रसादजी बोलते रहे लेकिन कोलाहल के कारण अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : गुरु सही बात कह गये कि सिरेड्योढ़ी बाजार में आपके सामने गोली चली ।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं यह मानकर चलता हूं गोकुलप्रसादजी जो भी बात कहते हैं वे झूठ नहीं कहेंगें। जिस व्यक्ति ने आंखों से गोली चलती देखी सिरे ड्योढी बाजार में गोली चलती उन्होंने देखी, क्योंकि वे भी यही रहते हैं। उनका यह कहना है कि वह गोली पुलिस ने नहीं चलाई बल्कि मिलिट्री ने चलायी उनका कहना सत्य हो सकता है पुलिस गोली नहीं चला सकती और सिरेड्योढ़ी बाजार में पुलिस ने गोली न चलाकर मिलिट्री ने चलायी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उनका कहा हुआ समझे नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं समझा या आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की। आप माननीय सदस्य को पूछलें, माननीय सदस्य ने सदन में खड़े होकर यह कहा है कि सिरे ड्योढ़ी बाजार में पुलिस ने गोली नहीं चलाई बल्कि ट्रकों में भरी हुई जो मिलिटरी थी उसने चलायी। इससे मैं समझता हूं कमीशन के सामने सिरेड्योढ़ी में गोली चलाने के बारे में एक तथ्य सामने आया है। एस० पी० सिन्हा ने कमीशन के सामने कहा था कि जयपुर में मिलिट्री ने गोली नहीं चलाई। जब यह आपके देखने का सवाल है कि एक माननीय सदस्य का कहना आप ज्यादा महत्व का मानते हैं या कलेक्टर की बात का भरोसा करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : गोकुल-प्रसादजी की भाषा को आप समझ नहीं पाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यासजी मैं तो जो उन्होंने कहा है उसको ठीक तरह से समझता हूं, लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन कर दूं आप सुखाड़ियाजी के खिलाफ कूच करने में इन माननीय सदस्य के भरोसे पर कूच मत कर बैठना इतना जरूर चेता देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में बेरी साहब ने जो सिफारिशें कीं उस सम्बन्ध में गृह मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा, सिरेड्योढ़ी बाजार में गोली चली या नहीं इस बारे में भी कुछ नहीं कहा। लेकिन सदन के सामने एक माननीय सदस्य की बहुत ही महत्वपूर्ण एवीडेन्स आ गई। सिरेड्योड़ी बाजार से गोली चली है। जो माननीय सदस्य ने कहा है उससे मैं समझता हूं बेरी कमीशन ने इस बारे में जो चेप्टर दिया है उस पर पानी नहीं फिर पायगा। यह बात यहां आगई कि सिरेड्योढी बाजार में गोली चली है और वह मिलिट्री ने चलाई। इस संबंध में समुचित जांच होनी चाहिये। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। गृह मन्त्रीजी ने जो भाषण दिया उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। यह मैं समझ नहीं पाया। सिरेड्योढ़ी में फायरिंग क्यों हुआ ?

श्री पी.के. चौधरी ने कहा कि इनकी रिकमन्डेशन में से आठ में से सात को सरकार स्वीकार करती है लेकिन सरकार ने यह नहीं कहा कि वे आठ में सात रिकमन्डेशन्स मंजूर करती है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के महा मंत्री एक तरफ कहते हैं कि सात सिफारिशें मंजूर करती है उसको सही माना जाय या

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होम मिनिस्टर को सही माना जाय। आखिर आप इस तरह से एक भ्रांति पैदा करना चाहते हैं, चौधरी साहब से कहलवा दिया, सात बातें स्वीकार करते हैं और आप उस बारे में मौन हैं। जिस समय पी.के. चौधरी ने कहा था कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के फैसले का ऐलान करने वाली है। हमने भी सोचा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जो बात कहता है वह जिम्मेदारी से कहता है। यदि होम मिनिस्टर साहब नहीं चाहते तो चौधरी साहब के लिए यही अच्छा होता कि वे इस तरह बातें यहां नहीं कहते। यह तो मैं मानता हूँ कि आपके और दामोदरजी के टर्म्स अच्छे नहीं है, आपने उनके खिलाफ बगावत का झण्डा खड़ा कर रखा है। आपके बयानात इनके खिलाफ अखबारों में छपे हैं।

श्री पी.के. चौधरी : मेरे कोई इस प्रकार के बयान नहीं है, अखबारों में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इससे इन्कार नहीं कर सकते मेरे पास वे अखबार आज नहीं है। मैं बताऊंगा आपकी देहात कांग्रेस कमिटी ने किस किस प्रकार के प्रस्ताव पास किये हैं। आपने उनमें कहा है कि दामोदरजी जिस प्रकार की बात कहते हैं वे सही नहीं है।

श्री पी.के. चौधरी : अखबारों में ऐसी रिपोर्ट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : देहात जिला कांग्रेस कमिटी का प्रस्ताव है। वे अखबार मेरे पास है कल लाकर पेश कर दूंगा। आपकी इच्छा होगी तो उस पर डिबेट भी इनीशियेट कर दूंगा।

सभापति महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि अन्य क्षेत्रों से यहां जो लोग उन दिनों आए उनको तंग किया गया। मैं इस बात पर घोर आपत्ति करता हूँ। यह जो क्षेत्रीयता की भावना उन्होंने उभारने की कोशिश की है वह मैं समझता हूँ, उचित नहीं है।

(६.१९ म.प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष) पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, उनका कहना था कि उन दिनों जो भी अन्य जिलों से लोग आये उनको परेशान किया गया, यह उनकी संकुचित विचार धारा का प्रतीक हो सकता है। जयपुर के लोगों ने कभी इस प्रकार का व्यवहार करना नहीं सीखा। आज राजस्थान के २३ जिलों में अकाल की स्थिति है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर इन जिलों में भयंकर अकाल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के निवासियों ने जिस प्रकार से हर तरह से जो सहायता दी है, कवि सम्मेलनों का आयोजन किया इस शहर के लोगों ने हमेशा सब जिलों से आगे कदम रखा है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने इन भयंकर अकाल के दिनों में आप के जिले को जो सहायता दी है वह भुलाई नहीं जा सकती। उसमें जयपुर सबसे आगे रहा है। आपको धन से राहत पहुंचाई, चारे का इन्तजाम किया। इतना होने के बावजूद जयपुर के लोगों पर आप लांछन लगावें यह शोभा नहीं देता।

Page No 170

श्री गोकुल प्रसाद : मुझे दुख हुआ है यह सुनकर कि जयपुर वालों ने सहायता भेजी है। यह तो सभी का सहयोग होता है अगर आपके यहां इस प्रकार की स्थिति हो जाय तो क्या बीकानेर के लोग सहायता नहीं देंगे अवश्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस प्रकार की बाते यहां की गई वह एक प्रकार से क्षेत्रीय भावना को उभाड़ने का प्रयत्न था मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा महरबानी करके राजस्थान में इस क्षेत्रीयता के जहर को मत फैलाओ, सारा राजस्थान एक है।

श्री नत्थीसिंह : यह हिम्मत भी जयपुर डिविजन कीथी जिसने सबसे अधिक अकाल में सहयोग और सहायता दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्षेत्रीयता का जहर कांग्रेस की तरफ से फैलाया जाता है उस समय यह कहा गया कि उदयपुर डिविजन का राज आ रहा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा फिर आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों को लेकर जनता के बीच मन-मुटाव करने की चेष्टा न करें। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि हाई कोर्ट की बैन्च को जयपुर लाने की बात होती है तो इसमें भी संकुचित दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। माथुर साहब उसका विरोध करते हैं वे कहते हैं कि यदि यह हुआ तो मुझे जोधपुर में कौन पूछेगा ? राजस्थान एक है। हाईकोर्ट का मसाल। जब केबीनेट के सामने आया तो सारी केबीनेट एक तरफ और मथुरादास जी एक तरफ। उन्होंने कहा कि यदि हाईकोर्ट की बेन्च को यहां ले आया गया तो माथुर साहब कैसे जीतेंगे ? वे जोधपुर के नेता नहीं रह सकेंगे। आज क्षेत्रीय भावना इस तरह से फैल रही है कि दामोदर जी को टोंक इन्चार्ज मुकर्रर किया हुआ है मुथरादास जी को जोधपुर और वृजसुन्दरजी को कोटा डिवीजन का इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने क्षेत्र बांट रखे हैं। आपको राजस्थान एक है इस दृष्टि से विचार करना चाहिये। सवा दो करोड़ जनता सारी राजस्थान की है। चाहे बेरी कमीशन का मामला हो चाहे और कोई समस्या हो सारे राज्य के हित को ध्यान में रखकर आपको सोचना चाहिये। आप राजस्थान के एक क्षेत्र के और दूसरे क्षेत्र के लोगों में दरार डालने की चेष्टा न करें। इस कोशिश को छोड़ दें तभी राजस्थान का भला हो पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की इस भावना से मुझे खेद है। वे जयपुर में रहते हैं, यहां का खाना खाते हैं, पानी पीते है कपड़ा यहां का पहनते हैं भले बुरे सब काम उनके जयपुर में ही होते हैं। मैं समझता हूँ यहां का नमक खाकर यहां के लिए कुछ कहना ठीक नहीं है।

अब मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ एक मसला जो यहां पर उठाया गया था उसका जवाब मन्त्री महोदय ने नहीं दिया। माननीय सदस्य ने कहा था कि शव शिव के समान होता है। शव की पूजा शिव की पूजा

Page No 171

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की तरह होती है। श्रीमान गोकुल प्रसादजी, यह कैसी पूजा ? उन शवों के साथ घर-वालों को, रिश्तेदारों तक को नहीं जाने दिया, दोस्त और मित्रों को जाने नहीं दिया उनके लिए अलग-अलग स्थान जलाने के लिए नहीं बनाये गये। बेरी कमीशन ने इस बारे में लिखा है सदन को सुनकर ताज्जुब होगा नत्थीसिंह जी ने बात उठाई थी। उसका मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। सात मार्च को जो शव जलाये गये उसमें न रिश्तेदार थे न उनके घर वाले ही थे। एक किशनलाल नाम का व्यक्ति था उसके घरवाले स्टेशन पर आये, लेकिन उनको शहर में नहीं आने दिया गया। उसकी विधवा ने वहीं चूड़ियां फोड़ दी उस विधवा को अपने पति के अन्तिम दर्शन तक नहीं करने दिये गये।........

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या गिरधारीलाल भार्गव सिटी मजिस्ट्रेट के साथ नहीं थे वे जितने भी मरने वाले लोग हैं उनको जलाते समय उनको भी साथ रखा गया था ?

श्री भैरोंसिंह : यह बात सही है कि श्री गिरधारीलाल भार्गव को यह कहा गया कि इनके रिश्तेदारों को आप लेकर आजावो तब तक आग नहीं लगायेंगे। लेकिन हुआ यह कि गिरधारीलाल जी को इधर भिजवा दिया गया वह बेचारा उनके रिश्तेदारों को इधर उधर ढूंढता रहा। व्यासजी आपको पता है जब गिरधारीलाल भार्गव रिश्तेदारों को श्मशान भूमि पर ले गया उस समय उनको डेड बोडीज के पास तक जाने नहीं दिया और रिश्तेदार वहां पहुँचते उससे पहले ही उनको आग लगा दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उनको जला आये आपने उसमें आठ व्यक्तियों को माना नवां जो ज्ञानचन्द गोधा था वह मर चुका था। दाह संस्कार आठ का किया गया जिस समय दाह संस्कार हुआ एक मंत्री मौजूद थे। उस लाश की ढेरी में एक मुर्दा सिसक रहा था, उसको बिना बाहर निकाले उस ढेर में आग लगा दी गई। इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात और क्या हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठक का समय १५ मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह घटनाएं, उनके सम्बंध में कोई जांच नहीं है। उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सबको अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार क्रियाकर्म और संस्कार करने का अधिकार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री कौनसा मौजूद था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री कौन सा मौजूद था ? जब उन लाशों को कफन तक नहीं दिया गया। एक मन्त्री मौजूद था, उसकी मौजूदगी में ऐसा किया गया। कौन मन्त्री था यह तो आना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नत्थीसिंह जी के कहने की बात थी, वह बिल्कुल गलत बात थी। नत्थीसिंह जी जो कह रहे हैं ऐसी कोई बात बेरी कमीशन में नहीं आयी है। एक नया शिगूफा उन्होंने कह दिया है ? और जो लाशें जलाई गई थीं उनमें कोई बच्चा नहीं था। यह उन्होंने गलत कहा था।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था, उस वक्त का एक मन्त्री था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन था उस वक्त का होममिनिस्टर ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सूक्ष्म में निवेदन कर रहा था, जैसा कि यहां पर बहस के सम्बन्ध में कहा गया। जिस प्रकार की बातें कही गईं हमारे चौधरी साहब ने ट्रेस आउट किया है कि फोटो लेने के लिए लाइफ मैगजीन के फोटोग्राफर को बुलाया गया कमीशन के जो फोटोग्राफर पेश हुए हैं उनकी संख्या ५०० है। वह लाइफ मैगजीन में नहीं छपे हैं। वह सारे जयपुर में लिये गये फोटोग्राफ हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आपने जो फोटो पेश किये थे उनको प्रूफ किया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह फोटोग्राफ हैं। जैसा कि आप कहते हैं, वह कमीशन की नियुक्ति के बाद नहीं लिये गये। कमीशन में होने वाली गवाहियों का यह हाल था कि सुबोधकुमार पाटनी एक कांग्रेसी बाप का पुत्र, जिन्होंने सारी जिन्दगी कांग्रेस में बिताई। उन सुबोधकुमार पाटनी का गवाही के बाद क्या हाल था ? क्या हाल किया गया था ? गवाहों पर झूठे मुकदमे बना दिये। मनोरंजन प्रेस के आदमी ने गवाही दी, उसे परेशान किया गया। नवज्योति के सम्पादक जिसने हाईकोर्ट में न्याय के खिलाफ झूठा मुकदमा किया था। उस नवज्योति के सम्पादक ने ८ मार्च को अनसूया प्रसाद ने समाचार दिया था उसे छापा था। नवज्योति उन दिनों काँग्रेसी सरकार बनाने में लगा हुआ था। अनुसूया प्रसाद को कमीशन ने गवाही में बुलाया तो नहीं आये। कमीशन ने सम्मन भेज दिया। अनुसूया प्रसाद ने वही बयान दिये जो ८ मार्च को नवज्योति में छपे थे। नतीजा क्या हुआ ? अनुसूया प्रसाद नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। लेबर कोर्ट में केस....

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पी० के० चौधरी का जवाब समझ नहीं पाये हैं। उन्होंने कहा अनुसूया प्रसाद का बयान जो रिलीज किया है, ३-४ का है। भीड़ जौहरी बाजार में जा रही थी। उसमें यह उड़ा गये हैं।

श्री भैरोंसिह : मैं गृहमंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि आप यह देखते हैं कि उस सरकारी एवीडेंस के आधार पर निर्णय लेंगे। एवीडेंस के आधार पर आप निर्णय लेंगे क्या ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं बराबर कह रहा हूं। ठीक कह रहा हूं।

Page No 173

श्री भैरोंसिंह : आप बार बार एवीडेंस की बात कर रहे हैं। एवीडेंस के आधार पर आप नये कन्क्लूजन निकाल सकेंगे या नहीं ?

(विराम)

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : आप ही अच्छी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो आप ही जवाब दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार को जो संकट हो रहा है।

श्री दामोदर लाल व्यास : क्यों संकट नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बात यह है कि इस आयोग के बेरी साहब चेयरमैन थे। मुकुटबिहारीलाल भार्गव उनके गुरु रहे हैं। आपने गुरु को लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक जज की चेयर है। आपको याद होगा, सन् १९५७ में मैं यहां चेयर पर था और भैरोंसिंह जी ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया। उस समय मैंने नियमानुसार व्यवस्था दी थी जिससे कि आपकी सरकार गिरने से बच गई थी। भैरोंसिंह जी ने बाद में मुझे कहा था कि आपने चेयर की इज्जत रख दी।

एक माननीय सदस्य : वाह, वाह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इस बात की खुशी होनी चाहिये कि कांग्रेस में रहा हुआ आदमी हाईकोर्ट का जज होता है तो भी वह कुर्सी के साथ न्याय करता है। लेकिन सुखाड़ियाजी उनके चक्कर में आ गए कि बड़ा वकील करना है। आप भूल गए और मुकुट बिहारील ल भार्गव को वकील बना लिया।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप भूल गए कि उनको प्रेसीडेंट रूल में एंगेज किया गया हैं। गवर्नमेंट ने एंगेज नहीं किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आप को यह कल बता दूंगा। राज्य में प्रेसीडेंट रूल जरूर था लेकिन फाइल लेकर वह आपके पास आते थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह जो कहा गया कि प्रेसी-डेंट रूल में वह फायल लेकर हमारे पास आते थे, वह नहीं आते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कण्ट्राडिक्टस कर सकते है। आपका आकाशवाणी से भाषण प्रसारित हुआ है। आपको कण्ट्राडिक्शन में क्या लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था। बेरी साहब आयोग के चेयरमैन थे। आदमी का केरेक्टर होता है। उसका बेकग्राउंड साफ और अच्छा है। अगर मान लीजिए जज को यह मालूम हो जाए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि उन्होंने इन्श्योरेंस पॉलिसी ली और जाली सार्टिफिकेट दिया है तो उस वकील की दलील कितना वजन देती है जिस जज को यह मालूम हो जाये कि उन्होंने तीन डी० वाई० एस० पीज० के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी कि ये बड़ा अत्याचार करते है। महिलाओं के साथ बलात्कार करते है। और जब उनका मुकदमा हाईकोर्ट में जाए खुद उनके वकील बन बैठे। तो क्या असर जज पर पड़ेगा जबकि जज को यह मालूम हो। ऐसी बातों का क्या असर पड़ेगा इस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन करना है कि जो आदमी अपने राजनैतिक जीवन में एडल्टरेशन करता हो, जो ब्लेक मेलिग करता हो और जो फोर्ज्ड सर्टीफिकेट देकर पालिसी लेता हो और इस प्रकार की कार्यवाहियां करने के बाद में रेजिग-नेशन की धमकी देता हो और रेजिगनेशन की धमकी देकर ब्लेक मेलिग करना चाहता है, एसी जिसकी टेक्टिवट्स हो, उसका क्या असर पड़ेगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने कांग्रेस से रेजिगनेशन पेश नहीं किया लेकिन हाईकोर्ट में कह दिया कि मैंने रेजिगनेशन दे दिया हैं। कहाँ है वह रेजिगनेशन। यह गलत टेक्टिवट्स है, यह ब्लेक मेलिग की टेक्टिक्स है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पर उस व्यक्ति का वहुत भारी अहसान है। उसने अजमेर के देवली को टोंक को सेरेन्डर कर दिया तो जो देवली को टोंक को सरेंडर कर दिया उसके मुआवजे के स्वरूप........

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है, मेरे ख्याल से बराबर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मै इस सम्बन्ध में अब ज्यादा नहीं कहना चाहता।

श्री दामोदर लाल व्यास : जो व्यक्ति इस विधान सभा का सदस्य नहीं है, जो विधान सभा में अपने को डिफेन्ड नहीं कर सकता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने नाम नहीं लिया है मुकुट बिहारीलाल भार्गव का।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए आप इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं सतीशचन्द्रजी, उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने यह कहा कि जज को यह मालूम हो कि ऐसा वकील है, फोर्ज्ड सर्टीफिकेट देकर पालीसी लेता है, राजनैतिक जीवन में ब्लेक मेलिंग करता है, जिसकी ऐसी टेक्टिक्स है उसका क्या असर होगा ? मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन आपको सब कुछ मालूम है इसलिए आपने यह कहा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कल एस० एन० शर्मा, हिन्दुस्तान टाइम्स के कारस्पोडेन्ट के लिए यहां पर कहा गया तो मैंने आपत्ति उठाई थी कि जो व्यक्ति विधान सभा में अपने को डिफेंन्ड नहीं कर सकता उसका नाम नहीं लेना चाहिये। लेकिन उस समय सारी ट्रेंजरी बेंचेज चुप बैठी रहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनके लिए गवाह की हैसियत से कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सुनिये। आप सप्तम स्वर में बोलेंगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एस० एन० शर्मा हिन्दुस्तान टाइम्स के कॉरसपोंडेंट के सम्बन्ध में कल प्रश्न उठाया तो उस समय ट्रेजरी बेंचेज ने आपत्ति नहीं की। हिन्दुस्तान टाइम्स के एक सम्माननीय पत्रकार के लिए यह कहा जाय कि वह बिड़ला का एजेंट है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है भले ही वह एक कन्टेम्प्चुअस फीलिंग से कहा। और उन शब्दों को प्रोसीडिंग से निकालने की बात नहीं की गई। लेकिन जिस समय आज मैंने कुछ कह दिया तो एकदम आपत्ति करते हैं कि प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय। क्या आपने कल उस समय मांग की थी जब एस. एन. शर्मा के बारे में कहा गया था? आज जब मुकुट बिहारीलाल भार्गव का नाम आया तो दामोदरलाल जो उठकर कहते हैं। दामोदरलाल जी कल आपने क्यों नहीं कहा जब एस. एन. शर्मा को गाली निकाली जा रही थी और एक पत्रकार की प्रतिष्ठा पर आघात किया जा रहा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : एस. एन. शर्मा को कोई गाली नहीं दी। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का एस. एन. शर्मा से कोई मुकाबला नहीं। एस. एन. शर्मा एक पत्रकार के साथसाथ कमीशन के सामने गवाह भी थे। उसके साथ साथ बेरी कमीशन में अपोजीशन पार्टियों को ब्रीफ करते हुए उनको पकड़ा गया। बेरी आयोग में, जैसा मैंने कहा, एस. एन. शर्मा का रिकार्ड पर है कि वह स्लिप लिख लिख कर अपोजीशन पार्टी के लोग थे उनको ब्रीफ करते थे। बेरी आयोग ने इसको नोट किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां है?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिकार्ड हमारे पास है। हम दिखायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कहना आप भूल गए, जिस समय गिरधारी लाल जी व्यास आप दुनियां में आये नहीं थे उस समय एस. एन. शर्मा की क्या हिस्ट्री रही है? श्रीमान् जो, आप एस. एन. शर्मा की हिस्ट्री नहीं जानते हैं। सुखाड़िया जी एस. एन. शर्मा की हिस्ट्री जानते हैं, भीलवाड़ा के रमेशचन्द्र व्यास जानते हैं। वह प्रजामण्डल के जमाने के एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और हिन्दुस्तान के प्रबन्ध सम्पादक देवदास, गांधीजी के पुत्र उनको लेकर आये। वह सिंगापुर टाइम्स के बड़े माने हुये कॉरसपोंडेंट रह चुके हैं। उनकी २० साल की सर्विस है फॉरेन पेपर्स और सिंगापुर टाइम्स के कॉरसपोंडेंट की। इस तरह के जो माने हुए कॉरसपोंडेंट रहे हैं उसके लिए आप इस तरह की हल्की बात कहें, यह शोभा की बात नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कोई हल्की बात नहीं कही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपसे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नहीं कहा, मैं छोटे व्यास जी से कह रहा हूँ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उन्होंने कमीशन के सामने जो एवीडेंस दी थी उसके बारे में मैंने कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; सुनिये, श्रीमानजी, जब से एस०एन० शर्मा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह पत्रकार का काम नहीं है कि वह एक साइड में जाकर काम करे। पत्रकार को तो अपने काम में इन्डिपेंडेंस दिखानी चाहिए। यह कोई पत्रकारिता नहीं है कि एक पार्टी का पक्ष करें, एक पार्टी की तरफ से पैरवी करे। उसको एक पक्ष की साइड नहीं लेनी चाहिये। यह मैंने कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अब मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

यहां पर कांस्टेबल्स के सिलसिले में श्री चौधरी साहब ने एक बात कही। उनका शायद इन्डिकेशन यह था, एक प्रकार से उनकी जितनी सहानुभूति छोटे कर्मचारियों के साथ है, उससे कम सहानुभूति हमारी उनके साथ नहीं। हम भी बेरी कमीशन के सामने यही रोते रहे हैं, यही कहते रहे हैं कि बड़े भारी हाई लेवल पर कांसप्रेसी है। लेकिन वह यही कहते रहे कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है वह यह हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसमें बड़े हाई लेवल की कांसप्रेसी है। जिस समय जौहरी बाजार में गोली चली उस समय डी. पी. जोशी मजिस्ट्रेट को छोड़कर एक भी मजिस्ट्रेट, एक भी गजेटेड आफीसर, मौजूद नहीं था, एस.एच.ओ. नहीं था, डी.एस.पी. नहीं था, एस.पी. नहीं था, डी.आई.जी. नहीं था, ए.आई.जी. नहीं था। कोई भी मजिस्ट्रेट या एडीशनल मजिस्ट्रेट नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक का समय, सदन की अनुमति से, पन्द्रह मिनिट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जब तक खत्म हों तब तक के लिए कर दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऑफीसर इन्जर होकर चले गए थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारा कहना भी यही है। हर आफीसर वहां से गायब हो गया था। एस.पी. से जब यह पूछा कि आपको इत्तला मिल गई थी, फिर भी आप उस समय वहां कहां थे? तो कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो गया था इसलिए कोतवाली में जाकर लेट गया था। तो उस समय कोई भी एक आफीसर मौजूद नहीं था जौहरी बाजार में। इसलिए हमने कहा कि इस मामले में हाई लेवल कांसप्रेसी है। जो सिपाही वहां पर मौजूद थे, उन्होंने किस स्थिति में फायरिंग किया होगा वह अकेले अपनी ओर से नहीं किया होगा। हम कहते हैं कि शुरू से ही इस मामले में कांसप्रेसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शुरू हुई। सुखाड़ियाजी को हमेशा से ही माइनोरिटी में रहते हुए भी गवर्नमेंट बनाने की आदत है। १९६२ में माइनोरिटी में होते हुए भी गवर्नमेंट बनाई, और १९६७ में भी माइनोरिटि में आये लेकिन राज्य सरकार बनाने के लिए जयपुर में गोली चलवा दी। गोली के बल पर सरकार बनाने की एक हाई लेवल की यह साजिश थी। मैंने कल सदन में दा साहब का लेख पढ़कर सुनाया था। यह बेरी आयोग के बाद में कांसप्रेसी के सम्बन्ध में एक एवीडेंस क्रियेट हुई है। उन्होंने उसमें बताया है कि सम्पूर्णानन्दजी ने गुप्त रूप से यह रहस्य मुझसे प्रकट किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ऐसे बनी है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन यह तो दो वर्ष के अन्दर ही यह भूल गए उनको। आज भी यह नहीं कहते हैं कि सम्पूर्णानन्दजी ने ही यह सरकार बनाई है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप जो कह रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कह रहे हैं कि उन्होंने बनाई है।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : यह तो अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। उनको अपना काम निकालने से मतलब है। चौधरी पी.के. और शंकरलालजी इनके पक्ष में बोल गए लेकिन उनको भी भूल जायेंगे। लेकिन यह नहीं जानते हैं कि कल सीलिंग के मामले में उन्होंने विरोध कर दिया और लीडर किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया, और इनके साथ सेबोटेज कर दिया तो क्या होगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि फोटो के बारे में कहा गिरधारी लालजी ने और आपने कि डाक्यूमेंट्स के इन्सपेक्शन करा दिये और इनको डाक्यूमेंट्स नहीं दिखाए। आप डाक्यूमेंट्स देख सकते थे जो हमने पेश किए, यदि आपने एप्लीकेशन दी होती। डिफेंडेंट होने के नाते आपके डाक्यूमेंट्स बेरी कमीशन के सामने आने चाहिये थे, एप्लीकेशन हमने पेश की थी। यह हमें और आपको मालूम है।

श्री पी.के. चौधरी : आपको स्टेटमेंट ऑफ केस आने के पहले डाकूमेंट्स का इन्सपेक्शन कराया था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाकूमेंट्स का इन्सपेक्शन....

श्री भैरोंसिंह : करा दिया तो क्या आपत्ति है आपको ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे क्या दिक्कत हो गई ?

श्री भैरोंसिंह : आपको आपत्ति है क्यों ?

श्री पी.के. चौधरी : आप उस कन्टेक्स्ट में मत लीजिये। मैंने कहा कि इसका डेफीनेट प्रोसीजर था, जो क्रिमिनल और जुडिशियल केस होता है उसमें रिटिन स्टेटमेंट ऑफ केस सबमिट करने के बाद फिर दोनों पार्टी को

(श्री पी. के. चौधरी)

डाकूमेंट देखने का अधिकार रहता है । जब तक एक पार्टी स्टेटमेंट आफ केस सबमिट नहीं करे, तब तक दूसरी पार्टी डाकूमेंट देख कर तो अपना केस बना सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो बता रहे हैं....

श्री दामोदर लाल व्यास : आप कानून की बात बता रहे हैं। जब तक रिटिन स्टेटमेंट ऑफ केस सबमिट नहीं हो तब तक आपको उनके डाकूमेंट्स देखने का अधिकार नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप लॉ और प्रोसीजर की बात भूल गये हैं। एप्लीकेशन होने के बाद डिफेन्डेड के डाकूमेंट्स देख सकते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : रिटिन स्टेटमेंट ऑफ केस सबमिट हो जाने के बाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी पर फैसला हो जाय। अगर आपका कहना सही नहीं हो तो आप विधान सभा छोड़ कर चले जायं और मेरा कहना सही नहीं होगा तो मैं विधान सभा से त्याग पत्र दे दूंगा ! आप त्याग पत्र भी मत देना, माफी मांग लेना ।

श्री नत्थी सिंह : आप कानून बिल्कुल भूल गये हैं। यह भी कह रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : देख सकते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको बीस वर्ष हो गये है वकालत छोड़े हुए और उस समय भी आपने सिविल केस किये होंगे । जागीरदारों के सिविल केस किये होंगे । आपको मालूम नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सिविल केस की बात नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने किसानों को मारने के केस किये होंगे।

श्री जगन्नाथ : किसानों को मारने के नहीं, किसानों को जिलाने के काम किये हैं तभी होम मिनिस्टर के पद तक पहुँचे है ।

(कुछ क्षण विराम)

(श्री दामोदरलाल व्यास को श्री वृद्धिचन्द्र जैन से कुछ कहते हुए सुन कर)

श्री नत्थीसिंह : सही बात कह दी इसलिये इनको धमका रहे हो आप ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बराबर के साथी हैं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था पर सदन के रेकार्ड पर आ जाय इस लिये पढ़ देना चाहता हूं। १५ तारीख का समाचार-पत्र है, उसमें राज्यपाल महोदय को लिखा गया एक पत्र अविकल रूप से प्रकाशित किया गया है। इसमें लिखा है :

श्रीमान् राज्यपाल महोदय राजस्थान, जयपुर।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्रीमान् मैं जगन्नाथ टोडा रायसिंह से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि·······

श्री उपाध्यक्ष : इसका जिक्र बेरी कमिशन की रिपोर्ट में आया हुआ है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कांग्रेस दल से इस्तीफा देता हूँ और राजस्थान विधान सभा के संयुक्त दल में सम्मिलित होता हूं मेरा सम्बन्ध कांग्रेस से नहीं रहेगा, मेरा वोट संयुक्त दल के साथ गिना जाय।

भवदीय,

जगन्नाथ

श्री जगन्नाथ : आप लोग उस वक्त कहीं नहीं थे, जैसी मेरे साथ बीती, जो मेरे साथ जुल्म हुए आपको पता नहीं है···

(अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दल बदलुओं में सबसे होशियार रहे, इधर से भी खा गये और उधर से भी खा गये।

श्री जगन्नाथ : कोई भी यह साबित कर दे कि मैंने किसी से एक पैसा भी लिया है तो मैं एक की जगह ५ का भुगतान करदूं।

१७ फरवरी को महारानी साहिबा जब कि पादरी स्कूल से गुजर रही थीं तो मैं और पृथ्वीराजजी उनको दीख गये, उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि हमारी पार्टी को क्यों छोड़ दिया·······

(शोरगुल, अश्रव्य)

अभी ५ मिनिट चाहिये, तो मेरे को कहा कि हमको छोड़ कर क्यों चले गये, तूं मेरे टिकट से क्यूं नहीं लड्या, मेरे से २५ मिनिट १९ फरवरी को मेरे से बात की

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय जाया नहीं हो····

(शोरगुल श्री जगन्नाथ बोलते रहे, अश्रव्य)

आपका कोई जवाब नहीं है, ला जवाब हैं, बिल्कुल ला जवाब हैं।

श्री जगन्नाथ : आप सुनिये, उनके पी० ए० ने कहा कि इसमें एक भी पाई नहीं है, फिर कैसे कहते हैं कि मैंने लिया। महारानीजी ने अपने मुंह से इन्कार किया कि इसमें एक पैसा नहीं है। सदस्यों में से कोई भी यह कह दे कि मेरे में किसी का बाकी है तो मैं एक के बजाय ५ देने को तैयार हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जगन्नाथजी, यह तो भूल में कह गये हैं, क्योंकि उस समय आम तौर से खर्च कर रहे थे इसलिये आपका भी ख्याल रह गया कि आपको भी दिया।

श्री विजयसिंह : जगन्नाथजी के खिलाफ यह सावित कर दिया जाय तो क्या वे राजस्थान असेम्बली से इस्तीफा दे देंगे ? मैं तो जा फंसा था, उन्होंने फंसा रखा था, उस समय यह कैसे कह रहे थे ?

एक माननीय सदस्य : जगन्नाथजी कह रहे थे कि मुझे ये लोग फंसा कर ले गये....

श्री विजयसिंह : उनको शर्म नहीं आती, जनता पर गोलियां चलवाईं और अब इस तरह बोलते हैं।

श्री जगन्नाथ : एक मिनिट और चाहूंगा......

(अश्रव्य, शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अरे बाबा हाथ जोड़ता हूँ.......

श्री जगन्नाथ : (अश्रव्य शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल में श्री जगन्नाथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अरे बाबा ढोक देता हूं, मुझे बोलने दो। इस हाउस की रौनक है।

अभी गृह मन्त्री महोदय ने कहा कि सतीशचन्द्रजी ने बड़ा उत्तेजनात्मक भाषण दिया मैंने उस समय एक दफा भी भाषण नहीं दिया। कहां दिया आप बता दीजिये ? ४ मार्च की शाम को मैंने भाषण नहीं दिया, ५ मार्च की सुबह मैंने भाषण नहीं दिया, ५ मार्च को सुबह आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद १२ तारीख को छूट कर आया। गृह आपने बेरी कमिशन की रिपोर्ट पढ़ी है और आप इस तरह की गलत बात कहते हैं ..

श्री नत्थीसिंह : ये डिबेट में सीरियस से सीरियस बात को किस तरह कहते हैं, यह नमूना है।

श्री दामोरलाल व्यास : मैंने महारानीजी का और कुंआरामजी का नाम लिया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मेरा नाम लिया है, आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, मैं यह नहीं कहता कि माफी मांगिये।

श्री नत्थीसिंह : कुंआरामजी के भाषण में भी कोई प्रोवोकेशन नहीं था, उन्होंने कहा कि किसी के बाप का राज नहीं है, और बेरी आयोग ने कहा है कि प्रजातन्त्र में किसी का इन्हेरिटेन्स नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मन्त्री महोदय ने उस बात को मान लिया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, गृह मन्त्रीजी; आपने कमीशन आॅफ एन्क्वायरी जज के लिए रूल्स आॅफ प्रोसीजर क्यों नहीं बनाये ? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी जज कमीशन आॅफ एन्क्वायरी के लिए अपने रूल्स आॅफ प्रोसीजर बना सकता

Page No 181

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है । अफसोस तो इस बात का है कि फायरिंग के बारे में कोई रूल्स नहीं । आपने इस कमीशन की एन्क्वायरी में कदम कदम पर रोड़े अटकाये । आपने सत्य को छिपाने की कोशिश की । रेकार्ड पेश नहीं किया । पेश करने के आर्डर दे दिये तो कह दिया कि रिट में जायेंगे, आपने सी० आई० डी० की एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की ।

श्री पी० के० चौधरी : कमीशन की रिपोर्ट देखिए He is grateful to the Chief Secretary and other officers.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो बेरी साहब का शिष्टाचार था । We are also grateful मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी यह लिख गये तो शिष्टाचार की बात है । पर यह रिपोर्ट पढ़िये । इसके फाइंडिंग्स को पढ़िये । यह प्रारम्भ में लिखा पर इसके सारे कलेवर को देखिये । आपने कहा एट कन्क्लूजन्स को मानते हैं हैं । मैं कहना चाहता हूँ इस आन्दोलन के सिलसिले में यहां तक कई कांग्रेसी सदस्य कह गए कि अपोजीशन वालों ने गोली चलाई । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दया आती है, इनकी बातों पर, ७ तारीख को महारानी साहिबा दिल्ली में बैठी थीं, हम लोग जेलों में बैठे थे, और हमारा हुक्म चले, सी० बी० गुप्ता की उत्तर प्रदेश की पुलिस आपने यहां फंसा रखी, डी० पी० मिश्रा की मध्यप्रदेश की सारी पुलिस आपने यहां लगा रखी और वह पुलिस हुक्म हमारा मानें, × × ×कमाल कर दिया कि इन अपोजीशन वालों ने गोली चलवा दी कोई बात कहें तो जराथोड़ी बहुत तो अक्लमन्दी की बात कहें । प्रोवोकेटेड भाषण नहीं देना चाहिए । विरोधी दल के नाते हमने नसीहत ली है । कि आन्दोलनों में किस तरह काम करना चाहिए । इस बारे में हमने नसीहत ली है । बेरी साहब ने कहा है यह बात हमारे ध्यान में है । इस बात के बारे में हम जागरुक हैं । राजस्थान में जहां एक ओर आन्दोलन करने का हमारा अधिकार होगा, वहां हमें इस बात को देखना होगा । हमने मिनिट मिनिट देखने की कोशिश की है । ४ मार्च को दोपहर को १० बजे राज्यपाल ने निर्णय सुनाया पर जनता में उत्तेजना नहीं होती, १२ एक बजे तक कोई घटना नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आपका भाषण समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

जल्दी समाप्त करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धन्यवाद ।

मैं निवेदन करूंगा सरकार से और माननीय सदस्यों से कि घटनाक्रम को सूक्ष्मता से ले लीजिये ।

(७ म. प.)

४ मार्च को निर्णय होने के बाद सबसे

× × ×अध्यक्ष जी के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पहले उत्तेजना कहां हुई ? राज्यपाल महोदय ने निर्णय लिया, हम लोग राजमहल में अपनी मीटिंग कर रहे थे। अखबार वाले हमारी प्रतिक्रिया जानने के लिए आए। घन्टों तक मीटिंग होती रही। दिल्ली में हमने तार भेजे। राष्ट्रपति को तार दिया। श्री चव्हाण को तार दिया। प्रधान मंत्री को तार दिया। अखबार वालों को प्रतिक्रिया दी, अपना रोष प्रकट किया और समाचार पत्रों के माध्यम से हमने निर्णय लिया शाम को मीटिंग बुलाई। पत्रकार सम्मेलन में विचार व्यक्त किए और इस सम्बन्ध में अपना विरोध प्रकट किया जो हमारा संवैधानिक अधिकार था। लेकिन इस बीच में गड़बड़ हो गई। आप कुंभाराम के भाषण के लिए कह सकते हैं उन्होंने कह दिया कि सुखाड़िया का बाप भी राज नहीं कर सकता बेरी साहब ने भी कहा है कि स्टेंडर्ड तो एज्युकेशन पर निर्भर करता है। लेकिन वह भी तो आपके ही थे नाथूराम मिर्धा, एम० ए०, एल० एल० बी० खाद्य मंत्री थे जिसने १९५७ व १९६२ के बीच विधान सभा में सबको दिखा दिया था और माफी मांग ली। आपसे कुंभाराम की बात कह दी। बेल तो वही है उसी बेल के तुमड़े हैं।

श्री मदन सिंह : अगर आपको ऐसा भाषण उनका लगा तो अरेस्ट करना चाहिए था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना आपत्तिजनक समझते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे गिरफ्तार कर लेते। अगर सुखाड़ियाजी को मारने की धमकी दी तो उसको बंद कर लेते।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एडमिनिस्ट्रेशन की सहनशीलता थी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एडमिनिस्ट्रेशन में सहनशीलता थी लेकिनसहन शीलता आपकी नहीं थी। ४ मार्च को एम० एल० ए० क्वार्टर्स के पास राज्यपाल के निर्णय के बाद शाम को पत्रकार सम्मेलन हुआ और पेशावारी रेस्टोरेंट के पास आपकी कांग्रेस पार्टी के एम० एल० ए० ने ३८ बोर का प्रोहिबिटेड रिवाल्वर निकालकर जनता पर तान दिया। क्या हुआ उस केस का ? बेरी साहब ने कहा कि इसकी जाँच की जाय अफसोस की बात है कि धारा १४४ लगी हुई है पांच बत्ती के आगे। हम जुलूस लेकर गए तो यह हमने हिंसा का वातारण बना दिया ? और ४ मार्च को पिस्तोल लेकर आपका आदमी तान ले और उसकी गिरफ्तारी न हो, चालान न हो ? हिंसा फैलाई कांग्रेस के एम० एल० ए० ने, खून खराबियां जयपुर में पैदा की कांग्रेस पार्टी के एम०एल० एज० ने, उसकी जिम्मेदारी आप पर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पुलिस वालों ने जो शाट किये थे, डाक्टर ने कहा इस केस के अंदर चोट नहीं आ सकती, उसको रेफर नहीं करते और एम० एल०ए० का रिवाल्वर प्रूव नहीं हुआ

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उम्मेदसिंह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भंवरसिंह और महिपालसिंह पर १२ बोर की बंदूक जनता में से नहीं चलाई गई। एवीडेंस रेकार्ड करने के बाद, अस्पताल के डाक्टर एकजामिनेशन करने के बाद रेडियोग्राम की फोटोग्राफ देखने के बाद, इतना ही नहीं तो अलीपोर टेस्ट लेबोरेटोरी पार्सल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट आने के बाद कमीशन ने फाईडिंग दी है कि यह बात सरकार की भूठ है, जनता की तरफ से बंदूक भंवरसिंह, उम्मेदसिंह व महिपालसिंह पर चलाई गई, यह भूठ है.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाजिटिव एवीडेंस के आधार पर एक्सपर्ट का बयान मानते हैं कि उसकी वेल्यु क्या होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इस बात का हामी नही हूं कि २१ महीने खराब करने के बाद २१ लाख खर्चा करने के बाद, ९०६ पेजेज की रिपोर्ट के बाद, हम एवीडेंस के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, हमारे खिलाफ कोई फाईडिंग है तो वह है...

श्री दामोदर लाल व्यास आपबार बा २१ लाख रुपये और २२ लाख रुपये खर्चा करने की बात करते हैं, ये फिगर्स आप कहां से ला रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गिरधारी लालजी आप के चीफ व्हिप बोलते है, हमें क्या मालुम।

श्री गीरधारी लाल व्यास : आप बोलते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; आपने कहा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सारी बातें आपने कही थी।

श्री दामोदर लाल व्यास । टोटल खर्चा ५ लाख, नहीं पौने ६ लाख का हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : डिटेल्स बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास डिटेल्स नहीं हैं। विधान सभा में सवाल आया है, उसका जवाब दे देगें उस रोज डिटेल्स भी दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें, डिटेल्स हमारे पास हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके पास तो २१ लाख के डिटेल्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : श्री गिरधारीलालजी ने कहा तब हम भी कह रहे हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : Girdharilal is not the Government, I am the Government.

श्री गिरधारीलाल व्यास : गिरधारीलाल ने नहीं कहा, सतीशजी ने कहा।

श्री नत्थीसिंह : चीफ व्हिप के पद से स्तीफा दे दो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गिरधा-र

Page No 184

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रीलालजी, क्यों बोल रहे हैं, कुछ नसीहत ले लो, यहीं डंडे पड़ रहे हैं, व्यासजी ने कहा गवर्नमेंट में हूँ आप नहीं। आप कोड़ा हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने स्वयं ने कहा, दूसरों का नाम लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपकी इज्जत को बट्टे खाते लिख दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कार्यवाही उठाकर देख लें, आपने कहा २१ लाख रुपए, आपको होश नहीं था कि क्या बोल रहे हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सवाल दिया हुआ है, जवाब आएगा तो मालूम पड़ जायगा कि कितना खर्चा हुआ है, कौनसा खर्चा शामिल किया गया, कौनसा नहीं, तब देखा जायगा। गृहमंत्री ने अब कहा है ६ लाख यहां छोटे छोटे सिपाहियों की बातें कही गई, हम उनको मारना नहीं चाहते। सिपाहियों को क्यों पकड़ते हो, कान्सटेबल को क्यों पकड़ते हो, थानेदार को क्यों पकड़ते हो, पकड़ो इन मोटों को, बूंदी के बृजसुन्दरजी को, भीलवाड़ा के शिवचरण को पकड़ो......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विषयांतर हो रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखाड़िया जी को पकड़ो छोटी सादड़ी के केस में। हमारी सिपाहियों के साथ सहानुभूति है। हम बेरी आयोग के सामने भी यही मांग करते रहे हैं इन्होंने अपना वकील खड़ा किया, हमने कहा कि राजस्थान सरकार इनको मरवाएगी। हमने दरखास्तें पेश कीं कि उत्तरप्रदेश की पुलिस की पैरवी राजस्थान सरकार का वकील करेगा, इनसे झूठ बुलवाएगा, ये उत्तरप्रदेश चले गए, फिर गवाह नहीं आयेंगे फिर हम बोलेंगे, झूठ बुलवाया और मरवाया आपकी सरकार ने, आपके वकीलों ने, हम उसकी निंदा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह खर्चा शामिल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम नहीं चाहते कि उन पर मुकदमा करें। ४ मार्च को कॉन्स्पिरेंसी हुई, सरकार बनाने के लिए ७ मार्च को गोली चलवाई, १३ मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू करवाया, १२ मार्च तक सुखाड़ियाजी कहते रहे कल शपथ ग्रहण करूंगा दिल्ली जाकर आया हूं, लिस्ट पेश हुई है, समाचार छपे हैं। कल में मंत्रिमंडल बनाने वाला हूं। १२ मार्च तक राष्ट्रपतिशासन का मसला नहीं था। माथुर साहब का भरतपुर का मिशन फैल हो गया संसोपा वालों ने झंडी बता दी शामिल नहीं हो सकते। हरिहरप्रसादसिंह स्वतंत्र पार्टी से बात करने क्यों जांय इसलिए कि सामन्तवादी है। हम सामन्तवादियों के पास कैसे जावेंगे लेकिन भरतपुर के महाराजा के पास कैसे भेज दिये? आपकी सरकार बनानी थी भरतपुर के राजा के पास भी गये

Page No 185

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

३ मार्च को बी एम. बिडला से मिले माथुर साहब सुखाड़ियाजी के दूत बन कर गये। (श्री मथुरादास के बोलने के लिए उठने पर) बोलना मत। मेरे पास कटिंग हैं अखबारों का।

श्री मथुरादास माथुर : आप जितना कहे, कहों। बी.एम, बिड़ला से सुखाड़ियाजी का दूत बन कर मिला यह तो आपने अपनी तरफ में कह दिया। बी, एम, बिड़ला से मिलना तो दूर-मैंने बिड़ला भवन में भी पैर नहीं रखा।

श्री मदन सिह दांता : बिड़ला भवन में नहीं गये आप यह आप शपथ खाकर कहते है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल - सुनिये, आप ४ मार्च का अखबार है। यह कोई छोटा अखबार नहीं है। यह हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार है। स्टेन्डर्ड का अखबार है। इसमें लिखा है कल श्री मथुरादासजी माथुर बी. एम, बिडला से मिलने के लिए गये।

श्री मथुरादास माथुर : इसका कान्ट्राडिक्शन तीसरे दिन मालुम पड़ा तो निकाल दिया। अखबार वाले लिख देते है। कन्ट्राडिक्शन निकाल देते है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : पुरानी बातों को आप भुल जाय। सुखाडियाजी के के लिए सदस्य लेने के लिए भरतपुर तो गये थे। कहते है ऐसे ही चलता है कन्ट्राडिक्शन दे देते हैं।

यह सारी बहस यहाँ खड़ी हुई। सरकार इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करे। अखबार वालों के प्रति जिस प्रकार का कन्टैम्प्चुअस एटीट्यूड सरकार का है पक्ष का है और रणजीत सिहजी जैसा मुंह बनाते हैं यह पत्रकारों के प्रति शोभाजनक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषय से हट रहे है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं विषय से इसलिये हट रहा हूं कि कांग्रेसी मुंह बनाते हैं तो.......... ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका उधर ही मुंह रहता है। चैयर को एड्रेस करके भाषण दें सदस्यों की तरफ मुंह क्यों करते है..............

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय दामोदरजी आपने कहां था कि २. २० से २. ४५ तक गोली चलायी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने एक शब्द भी मेरिट और डिमेरिट पर नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल:— आपको सरकार और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कैस यही था।

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्षजी, देयर विल भी नो एन्ड। पहले ही निवेदन किया था कि कोई भी डिबेट में फिर से नये पाइन्ट रेज नहीं करेंगें। आप नये नये पांइन्ट रेज कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एवीडेन्स की बात करते हो। आप कहते है कि २.२० से २.४५ तक गोली चली। तीन बजे बाद गोली नहीं चलायी। ३ बजे एफ.आई.आर. माणकचौक 'थाने में दर्ज है ३ बजे से पहले गोली काण्ड हुआ था और ३ बजे बाद भी हुआ यह सिन्हा साहब कह गये। ९ मई १९६७ का आपका विधान सभा में भाषण है। उसमें आपने कहा है अनेक स्थानों पर भीड़ द्वारा घेर लिया गया और उन पर पथराव किया गया ऐसे ही एक दल को जिस में लगभग १० पुलिस के सिपाही थे एक ५००० व्यक्तियों की बहुत बड़ी उपद्रवी भीड़ द्वारा जौहरी बाजार में सायं ३ व ४ बजे के बीच घेर लिया गया तथा मार पीट की गयी। भीड़ में से किसी के द्वारा बारह बोर की बन्दूक चलायी गयी। उसके बाद गोली चलने की बात आयी। इसमें ये शब्द आये हैं ३ व ४ बजे के बीच पुलिस टुकड़ी को घेरा। आप कहते हैं तीन घन्टे तक गोली चल सकती है।

डाक्युमेन्ट्स हैं एस ३० और एस ३० 'ए' निकालिये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जयपुर ने जारी किया हैं। यह कमीशन की फाइल पर है जिसका नम्बर एस ३० और एस ३० 'ए' है। उसमें लिखा हुआ है कि जौहरी बाजार मे पुलिस पार्टी ३ व४ बजे घिर गयी। भीड़ में से किसी के द्वारा बारह बोर की बन्दूक चलायी गयी। जब हथियार छीनने का नारा लगाया भीड़ ने तो लाचारी में आत्म रक्षा में पुलिस ने गोली चलायी। तीन बजे के पहले चली या बाद में चली ? आपको कमीशन के सामने झूठा केस रखने की क्या आवश्यकता थी ? इस सिलसिले में मीटिंग हुई सेक्रेटेरियेट में होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और आई. जी. पी की। इस बात के लिए मीटिंग हुई टाईम क्या रखा जाय। तीन बजे के बाद गोली चली तो क्या होगा ? यही विचार हुआ कि फायरिंग का टाइम नजदीक लाया जाय। १.४० पर दूसरा रेडियो बोला। १.५० पर समाप्त हो गया। १५ मिनिट मिनिट मेंटेन्शन बढ़ गया और पुलिस ने गोली चला दी। तीन बजे पुलिस टुकड़ी थाने पर आ गयी !

श्री दामोदरलाल व्यास:— कौन से पज पर पढ़ा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विधान सभा की कार्यवाही ९ मई १९६७। पेज १५४।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां लिख रहा हैं कि ३ व ४ बजे के बीच गोली चली ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १५३ पढ़िये। ऊपर क्या लिखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १५४ पढ़ रहा हूँ आपने जैसा कहा पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भूल हो गयी आपसे। १५४ पढ़ गये। १५४ पर तो एन्ड है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका जवाब भुगता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो बेरी कमीशन ने दे दिया। ३।। का २।। बजे का किया गया। ३।। और २।। में इन्ट्रेस्ट नहीं है। हम तो कहते थे कि ५ बजे बाद भी गोली चली है। जब कि आप कहते हैं कि ३ बजे एफ. आई.आर. दर्ज हो गयी। ३ बजे गोलीकाण्ड खत्म हो गया। आर. ए. सी. का रोजनामचा है प्लाटून ने कहा कि ३ व ४ बजे गोली चली। एक नहीं अनेक फेक्ट्स हैं, डाक्युमेन्ट् हैं। जौहरी बाजार में गोली चली, कलेक्टर, थाने का इन्चार्ज, एस. पी., डी. वाइ एस. पी., एक एक अफसर मजिस्ट्रेट सब गायब हो गये। भूखे भेड़ियों के भरोसे जनता को ये लोग छोड़कर चले गये। मजिस्ट्रेट महोदय यह कहते हैं कि गोली ऐसी चल रही थी कि मैं चांपावतजी के मन्दिर में घुस गया। लड्ढा जी गर्दन हिलाने से काम नहीं चलता। निकालूं क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आपके सामने यह बात तो आप स्वीकार करेंगे।

यह बात आपको मानना होगा, आपको स्वीकार करनी होगी कि जो कुछ भी हुआ, उस सिलसिले में जनता ने कहा कि मजिस्ट्रेट जा रहा है, जनता यह कहना चाहती थी मजिस्ट्रेट से धारा १४४ तुमने हटायी है तो क्यों नहीं साथ में पुलिस को हटा रहे हो उसने कहा जनता से मेरा दिमाग नहीं चलता। मेरे को डर लगता है कहीं मेरे भी गोली न लग जाये। इसलिये मजिस्ट्रेट साहब चांपावतजी के मन्दिर में जाकर छिप गये। ये मजिस्ट्रेट साहब हैं ताराकान्त जी दामोदरजी आपके दामाद हैं तो मेरे भी मित्र हैं। इसलिये उनके लिये मैं झूठ नहीं बोलूंगा। साढ़े तीन, चार बजे तक पत्थर चले और गोलियां चली और गोलियों के डर से मजिस्ट्रेट साहब बाहर नहीं आये। उनको स्वयं को डर था इसलिये नहीं आये। यह एक मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने यह बयान दिया है जिनको कि आपने यहां के लिये डेपूट किया था। साढ़े तीन बजे कोई अफसर तैनात नहीं था सिवाय त्रिपाठी साहब के। उन त्रिपाठी साहब को आप कमीशन के सामने पेश करते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके साथ में एडीशनल कलेक्टर भी थे, एडीशनल कलेक्टर के साथ पेश हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडीशनल कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर की हैसियत से था, इसलिये बयान नहीं हुए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने क्या किया है। मैं तो बहुत ही साइलेंट पॉइन्ट्स की ओर आपको कह रहा हूं। आपने अखबारों में पढ़ा ही है कि यहां पर कितनी बजे गोली चली है। कितने बजे तक के बीच में गोली चली है। उस सिलसिले में सारी एवीडेन्स हो गई और उसमें आपके सारे एफ. आई. आर. फर्जी पाये गये हैं।

श्री पी. के. चौधरी ; यह ठीक है। आप जो टाइम मानते हैं, उसमें क्या यह कमीशन की फाईन्डिग नहीं थी कि जब गोली चलायी गयी थी तो वहां क्राउड थी—क्या यह सही है ? इसका सतीशचन्द्रजी जवाब दीजिये कि जब पुलिस ने गोली चलाई क्राउड नहीं थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमीशन के सामने जो स्टेटमेंट पेश किया है, उसमें यह कहा है, उसमें यह लिखा है कि पत्थर फेंके गये हैं। जनता ने पत्थर फेंके हैं। हमने स्टेटमेंट आफ दी केस में लिखा है और अपने बयानों में कहा है। जयपुर में जो भी आन्दोलन होते हैं उसमें पत्थर फेंके जाते हैं। पुलिस भी पत्थर जनता पर फेंकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने यह कहा है। यह सब तालीम आपकी ही होगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम बाहर होते तो यह नहीं होता। चाहिए तो यह था कि जब सरकार इस बात को जानती थी तो हमें रिहा कर देगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमको जेल में आकर कहा कि धारा १४४ हटा रहे हैं। मैंने, भैरोंसिहजी ने कहा कि धारा १४४ हटा लीजिए तो शहर में शान्ति हो जायेगी। यह हमारा बयान है। परन्तु आपने हमको जेलों में बन्द रखा। यदि आप हमें जौहरी बाजार में खड़ा कर देते और फिर लोग मर जाते, या गोली चल जाती तो हमको कहते। गोली चलती तो हम पहले मरते, परन्तु हमको आपने जेलों में बन्द रखा। गृह मन्त्रीजी ने कहा कि नेताओं को रिहा करदो। फिर आपने क्यों नहीं रिहा किया ? आप हम पर इस तरह जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। जयपुर में आज तक कोई ऐसा आन्दोलन नहीं हुआ जिसमें ऐसी नौबत आयी हो। पत्थर चलाना, लाठी चलाना, पोस्ट आफिस लूटना, यह कांग्रेस के आन्दोलनों में भी होता था। आप कहिए कांग्रेस आन्दोलनों में पोस्ट आफिसेज नहीं लूटे गये ? एन्टी-सोशल एलीमेंट्स को आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया ? ७ मार्च के लिये बेरी साहब ने लिखा है कि इस सरकार को जब यह पता था किन्तु एन्टी-सोशल एलीमेंट में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। आप लोगों को गिरफ्तार नहीं करें और हमको उलाहना देवें कि जिम्मेदारी हमारी हैं। अंग्रेज भी आन्दोलनों के लिये गांधीजी को उलाहना देते थे। तब भी गांधीजी ने कहा था कि ४२ के आन्दोलनों में हिंसा को बढ़ावा देने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम पत्थर फेंकने वालों. लाठी चलाने वालों, हिंसात्मक कार्यवाही करने वालों के सख्त खिलाफ हैं। हमने, कुम्भाराम जी ने काले झण्डों का प्रदर्शन किया था। मशाल जुलूस निकाला है। उसमें एक आदमी के भी पत्थर की चोट नहीं आयी है। काले झण्डे लेकर गये थे। कोई आग नहीं लगी। झगड़ा नहीं हुआ। हम अपनी भावना को प्रकट करने के लिए गए थे और जनता को अपने साथ लेकर गए थे, और वापिस जनता को अपने साथ लेकर आ गए। हम यह चाहते थे कि हम राज्यपाल से मिलें। राज्यपाल से हम मिलना चाहते थे। हमने महाराजा हरिश्चन्द्रजी को भेजा। कलेक्टर से हमने कहा कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों के नाते हम लोग यहां आये थे, रेजीन्डेस पर मिलने को आए थे हम राज्यपाल महोदय से मिलना चाहते है, राजा हरिश्चन्द्र को राज्यपाल कहते हैं कि जनता से मिलने की राज्यपाल की परम्परा नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि जनता की भावना उन तक, राज्पाल महोदय तक हम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पहुंचाना चाहते हैं। यह हमारा वैधानिक अधिकार है। हरिश्चन्द्रजी को हम भेजना चाहते थे। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं राज्यपाल महोदय से पूछकर आता हूं। वे चले गये और आज तक वापिस लौटकर नहीं आये है। क्या इसका हम पर दोष है? हमको जेलों में बन्द रखा और जनता को भूनने के लिये सड़कों पर भेड़ियों को छोड़ दिया और उनकी देखरेख के लिये पुलिस का कोई अफसर वहां नहीं? कलेक्टर, एस. पी., आई. जी., डी. आई. जी. कोई वहां नहीं। और ये भेड़िये जनता को भूनते रहे। पुलिस जनता को पीटती रही। इसकी जिम्मेदारी किस की है? हमारी है? इसकी जिम्मेदारी आपकी वैसी है जैसी कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था रेल का एक्सीडेन्ट हो जाने पर। वे कोई स्टेशन मास्टर, सिगनलमैन नहीं थे। उन्होंने कहा मैं मन्त्री हूँ, मेरे विभाग में ऐसा हुआ है इसलिये मैं जिम्मेवार हूं, मुझे इस्तीफा देना चाहिये। इसलिये पुलिस ने जो कुछ किया है, वह उसकी गलती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, पुलिस की गलती है, वह तुम्हारी गलती है, सुखाड़िया जी की गलती है और इस गलती के लिये तुम इस्तीफा दो। सरकार को बर्खास्त करो। यह हम मांग करते हैं।

सदन में आप क्या कहते हैं—अफसरों के बारे में मत कहो। उसके लिये हम जिम्मेवार हैं। कहते हैं सरकार हमारी है। अफसर हमारे हैं। कई बार प्रश्नों में यह आता है। उन अफसरों के लिये मत कहो, हम यहां बैठे हैं, हम जवाब देंगे उनकी तरफ से। डेमोक्रेसी का भी यही कायदा है। यह कायदा नहीं होता तो मुख्यमन्त्री जी हर जगह कहते फिरते, हर जगह कह सकते थे कि यह हमने थोड़े ही किया है। यह गोली हमने नहीं चलवाई है। परन्तु डेमोक्रेसी में आप यह नहीं कह सकते। आप यह नहीं कह सकते कि डीडबाना में गोली चलने से एक व्यक्ति मर गया, उसके लिये आप दोषी नहीं है। श्रीराम फर्टीलाइजर की जो छत गिर गई, उसके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं, हम जांच नहीं करवायेंगे। यह प्रशासन की गलती के कारण है। तो आप इसकी जांच क्यों करवाते हैं? यह गोली चलना प्रशासन की गलती है, और यह आपकी उसके साथ सबसे बड़ी साजिश है कि एस. पी. ने पुलिस को उस वक्त कान्फीडेंस में नहीं लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा १४४ हटा दे, यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन नहीं था। आपको देखना चाहिये था। सुखाड़ियाजी को राय देनी चाहिये थी। कह देते कि हम अभी धारा १४४ नहीं हटायेंगे। जैसा पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा था। केरल की गवर्नमेंट ने सेन्ट्रल को कहा था यह आॅर्डिनेन्स वापिस ले लो। आपको यह कहने की हिम्मत होनी चाहिये थी। हमारे यहां लॉ एण्ड आॅर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। आपको कहना चाहिये था कि स्थिति खराब है। आपने धारा १४४ हटा ली और उसके साथ फॉलो अप एक्शन नहीं लिया और फॉलो अप एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपका दोष नहीं है तो किसका है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की···

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गलती है। बेरी ग्रायोग की रिपोर्ट से दूध का दूध ग्रौर पानी का पानी हो गया है। ग्राप जनता को कोसते हैं कहते हैं कि जनता ने पत्थर फेंके हैं तो ग्राप उन पर मुक़दमा चलाग्रो। कोई मुलजिम है? सूचना केन्द्र पर ग्राग लगाई ग्रौर कई जगह ग्राग लगी, हिंसा, वाइलेंस होती है तो ग्राप इसके लिये मुकद्दमे चलाग्रो; उनके खिलाफ मुकद्दमे चलाग्रो ग्राग लगाने वाले, पत्थर फेंकने वालों पर मुकद्दमा चलाये जांय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस सिलसिले में कई बड़े–बड़े ग्रफसर ग्रायेंगे, कई गुल खिलेंगे। इस कॉन्स्प्रेसी के एक एवीडेंस के रूप में दा साहब का लिख निकला है। ज्यों ज्यों मन्त्रीमण्डल से ग्राप निकलते जायेंगे, हट्टंडी के विद्यालयों में बैठेंगे, खादी बोर्ड से हटेंगे तो ग्रापकी ग्रन्तरात्मा बोलेगी कि सुखाड़िया ग्रौर सम्पूर्णानन्द की यह साजिश थी, उन्होंने मुझे भी इसका भीतरी रहस्य बता दिया था। तब इस पर कमीशन बैठेगा। ग्राज बीस साल बाद गांधी मरडर केस पर कमीशन बैठ सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसकी चुनौती देता हूँ कि इस पर बीस साल बाद कमीशन बैठ सकता है। ग्राप लोगों ने बीस सालों तक हम पर बहुत जुल्म ढाये हैं। जमीन ग्रासमान एक कर लिया परन्तु ग्रापको उस कमीशन के सामने जवाब देना होगा। पांडीचेरी में क्या हुग्रा? ग्रापका सफाया हो गया, बंगाल, बिहार, पंजाब ग्रौर मध्यप्रदेश में ग्रापका सफाया होगया ग्रौर भी जगह सफाया ग्रापका हो रहा है।

श्री माननीय सदस्य : जनसंघ का भी सफाया हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा विषय नहीं है। मैं इस पोलिटिकल सब्जेक्ट पर बोलना नहीं चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा यह विषय नहीं है। कांग्रेस की हालत ग्राज यह हो गई है कि प्रधानमन्त्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधान मंत्री से कांग्रेस के कार्यकर्त्ता ग्राज इस्तीफा मांग रहे हैं। कामराज ग्राज चुप हैं। कांग्रेस का घर ग्राज ताश के पत्ते की तरह गिर रहा है। ताश के पत्ते की तरह कांग्रेस ग्राज हिन्दुस्तान में गिर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बेरी ग्रायोग पर ग्रा जावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बपौती किसी की नहीं है। न ग्रापकी है न ग्रौर किसी की है। पर यह मानकर चलें ग्राप कि ग्रगर हम जेलों में रहे हैं तो हमने ग्रापकी तरह बीस बीस सेर दही नहीं पिया है। राजाग्रों के राज में ही ग्राप बीस सेर दही नहीं पी सकते थे। जो छेड़ेगा वह मार खावेगा। इसीलिये सुखाड़ियाजी चुपचाप हैं। सुखाड़ियाजी चुप बैठे हैं। उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिये निवेदन कर रहा हूँ ग्रापके सामने कि हमने भी नसीहतें ली हैं, नसीहतें लेंगे, पर इस कारण से ग्राप यह न समझ बैठें कि ग्रापने कोई बपौती ले रखी है।

दामोदरजी, धारा १४४ लगेगी तो ग्राप

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मीटिंगें नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे। यह तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मिला है, संविधान प्रदत्त अधिकार है। भाषण देने की विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता है। शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये १४४ का जहां तक सवाल है वह राज्य लगाता है और राज्य टूटते हैं पर संविधान प्रदत्त अधिकार बराबर रहते हैं। उसका सम्बन्ध है राज्य उसे लागू करे। हिंसा पर फिर भी उतारु नहीं होना चाहिये।

कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। सबको मारने का भूनने का आपका इरादा था। तो वहां गोली चला देते तो सही नहीं होता। पर तुमने क्या किया धारा १४४ हटा दी। नेताओं को जेलों में रखा और आप के लोगों ने नारा दिया कि जनता आगे आवे, धारा १४४ उठा दी है। जनता जुलूस निकाले। एस. एच. ओ. जनता को बुला रहा है जुलूस निकालने की बात कह रहा है। १४४ धारा हट गई पर १४०० पुलिस के जवान राइफल लेकर खड़े हैं। ३०३ की राइफलें लिये खड़े हैं। वह आर. ए. सी. जो डाकुओं के लिये होती है वहां ३०३ लेकर खड़ी है। वह सिविल राइट्स के लिये नहीं होती। ३०३ फड़ती चली जाती है। आपने आर. एस. सी. और पी. ए. सी. को वहां लगाया। डाकुओं का मुकाबला करने के लिये मानो लगाया हो। राजस्थान की लोकल पुलिस होती तो शायद गोली चलाने की नौबत नहीं आती। पर आपने इसका भी ध्यान नहीं रक्खा। इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आप लोगों की पूरी साजिश थी।

आपके सभी अधिकारियों ने झूठे रिकार्ड पेश किये। फाल्थ एवीडेन्सेज दी गई। १९ के मुकदमे फोर्जरी और फ्रेगमेंन्टशन के हुए वे नहीं होते।

श्री दामोरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूँ कि १९३ के मुकद्दमें कैसे चलते हैं। कमीशन में १०६ में स्टेटमेंट दिया जाता है वह एवीडेन्स में काम आ सकता है क्या ? आप बहुत जोर जोर से कह रहे हैं। कानूनी पॉइन्ट पर बात करें तो कानून घर पर पढ़ कर आवें,

श्री मदनसिंह दांता : यह वकीलों की बहस चलती है तो में कहता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जनता से बदला लेते हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ठाकुर साहब, आप विराजें।

श्री भैरोंसिंह : अपनी झेंप उतार रहें हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दामोदरजी, मैं एक बात पूछना चाहता हुँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : घर पर लड़कर आये हो क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो जवान हैं वे ही लड़कर आ सकते हैं, जिनकी जवानी खत्म हो गई, जो बूढ़े हो गये हैं वे क्या लड़कर आवेंगे, और बोलो।

श्री दामोदरलाल व्यास : अच्छा खत्म करो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था। एक सवाल यह है कि अगर आपने उनके खिलाफ ३०२ का मर्डर का केस नहीं चलाया तो क्या डैड परसन्स के वारिसों की तरफ से नहीं चल सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह हाई-पोथेटिकल प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कानून नहीं जानते। शंकरलालजी बता सकते हैं। प्राइवेट कैपेसिटी में ऐसे मामलों में स्यूट-सिविल स्यूट दायर नहीं हो सकता, पर क्रिमिनल केस में दायर किया जा सकता है। आप करें तो करें। पर मुझे तो मालूम है आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह साजिश तो आपही की थी। आप उनको अब क्या कह सकते हैं, जो कुछ फोर्जरी, रिकार्ड में हेराफेरी, रजिस्टरों में काटां-छाटाँ वे नहीं कर सकते थे, आपकी शह होने से और आपका दबाव होने से उन्होंने यह सब किया है। आप तो उनको बचाने की पेरवी कर सकते हैं। जनता आपको भी और उनको भी देखेगी। जनता आपको भी अदालतों में देखेगी। हम भी आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन करेंगे। आपका कोई अहसान नहीं है। इसकी नौबत आई तो हम वह भी करेंगे। इस मोर्चे पर भी आपसे लड़ेंगे। पर मैंने मांग की है मानवीय दृष्टिकोण से हजार पन्द्रह सौ से नहीं होने वाला है कुछ। आपने अपने चहेतों को अपने स्वार्थ के लिए तो लाखों रु० राज्य की काफी धन दौलत लुटा दी। पोलिटिकल सफर के नाम पर, आपने अपने लोगों को बख्शीशें दे दी। इसलिए मैंने मांग की है कि इनको भी आप पोलिटिकल सफरर मानिए। विधान सभा में आप उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब तो मानें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती हो गई, हो गई। और आप उनको बचाने की कोशिश करते हैं तो साफ है कि आपकी वह साजिश थी, और उस साजिश में आपका हाथ था। लेकिन आपको इनसे लेना देना नहीं है। गलती का दण्ड भी नहीं दे पायेंगे उनकी गलतियों का। यह कह कर आप जले पर नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं।

तो मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान की हालत खराब है। विधान सभा में और बाहर सब अवस्थाओं में प्रदेश की प्रगति के मार्ग पर ले जाने में हम आपके साथ हैं। विरोधी दल जागरुक रहा है। अच्छे कामों में सहयोग दिया है सरकार को देंगे आगे भी राजस्थान के विकास और प्रगति के नाम पर देंगे, पर जनता के साथ में अन्याय करेंगे, उनका खून पीयेंगे, उन पर लाठी और गोली चलावेंगे तो उस हालत में हमारा भी यह नारा है कि राजस्थान में यह लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जवाब समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ७.३५ बजे दिनांक १२ मार्च, ६९ के म.पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या २३८ की सूची)

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के अनुसार गाड़ी के जयपुर आने के विवरण की सूची:—

जयपुर आने का दिनांक	खर्चा
(१) १६-३-६२	केवल पेट्रोल एवं ड्राईवर का यात्रा भत्ता
(२) ७-५-६२	१५० रुपये एवं ७४ पैसे ।
(३) १२-३-६३	केवल पेट्रोल एवं ड्राईवर का यात्रा भत्ता
(४) २१-६-६३	९१६ रुपये एवं ३३ पैसे ।
(५) २८-७-६७	पेट्रोल एवं ड्राईवर के यात्रा भत्ता के अलावा
(६) २६-१०-६७	१५) रुपया ।

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या २४० की सूची)

देशी मदिरा के कन्जम्पशन का मानचित्र
अप्रेल, १९६७ से दिसम्बर, १९६७ एवं
अप्रेल, १९६८ से दिसम्बर, १९६८ तक
(एल० पी० लिटर्स में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	अप्रेल १९६७ से दिसम्बर १९६७ तक	अप्रेल १९६८ से दिसम्बर १९६८ तक	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१.	अजमेर	२,६४,९७८	३,५५,३१४	
	सवाई माधोपुर	५९,४३०	७२,७९७	नवम्बर ६८ तक
	टोंक	५०,६२१	६३,९७५	,,
२.	अलवर	५८,२००	७४,४६९	
	भरतपुर	७७,०६५	७७,०६५	
३.	जयपुर	३,५५,८८६	६,५९,४४४	
	झुंझुनूं	७३,२८४	५०,१७४	
	सीकर	५८,२२०	७२,८०६	
४.	बीकानेर	१,०२,५०२	७८,६८७	
	चूरू	८४,४२६	८१,४५७	
	नागौर	९५,८५३	६८,३०५	
५.	श्रीगंगानगर	५,६८,५४०	६,५४,०७५	
६.	जालौर	८०,८३१	६३,९५०	
	सिरोही	७४,३३९	—	
	बाड़मेर	५४,०३६	४५,२१२	

१	२	३	४	५
७.	जोधपुर	२,१०,७४७	१,७५,०६३	
	जैसलमेर	१९,५२८	१७,८९०	
	पाली	१,९३,१००	१,८६,५३३	
८.	चित्तौड़गढ़	१,८१,८५९	१,७३,०८५	
	बांसवाड़ा	७३,८३२	—	
	भीलवाड़ा	१,२३,०८६	१,३८,९८०	
९.	कोटा	१,९४,६११	२,२३,८०२	
	बून्दी	५४,३९४	४८,९१०	अक्टूबर
	झालावाड़	१,१६,४१४	९९,६५०	६८ तक
१०.	उदयपुर	२५,९,६५२	१,८४,७१६	
	डूंगरपुर	४८,८५९	—	
	योग	३५,१४,३८१	३४,२६,४६९	

———

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या २५० की सूची)

१. सांभर के पिंजरे के बाहरी भाग की मरम्मत पर	३३८६-६६ रु०
२. सांभर के पिंजरे की दीवार का निर्माण तथा मरम्मत	३२०३-३८ रु०
३. सांभर के पिंजरे के सामने पिचिंग तथा अन्य कार्य	६४२४-४४ रु०
४. बबर शेर के पिंजरे के पास नाली का निर्माण	४७०४-४४ रु०
५. लुहार, खाती, पेंटर बबर शेर के ताल (टैंक) की सफाई आदि के कार्य	८७५२-७५ रु०
योग	२६४७५-०० रु०

परिशिष्ट (४)

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

मेडिकल कालेजों में प्रवेश व रिजर्व सीटें

२५१. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये क्वालीफाइड पैरामेडिकल स्टाफ के लिये रिजर्व सीटें नहीं रखी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो कितनी रखी गई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जैसे शिक्षा सेना, रेल्वे और इन्जिनियरिंग आदि में सरकारी कर्मचारियों को आगे के प्रशिक्षण के लिये प्राथमिकता दी जाती है वैसे मेडिकल कालेजेज में पैरा मेडिकल स्टाफ को प्राथमिकता नहीं दी जाती ? यदि हां तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि एलोपैथिक डाक्टरों, वैद्यों और हकीमों के बच्चों के लिये अलग अलग रिजर्व सीटें नहीं रखी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों, और यदि नहीं, तो कितनी कितनी रखी गई है ?

उत्तर

(१) यह सही है कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिये क्वालीफाइड पैरामेडिकल के लिये रिजर्व सीटें नहीं रखी गई हैं । यह इसलिये किया गया कि प्रवेश हेतु सीमति संख्या में वृद्धि नहीं करनी पड़े। यदि इनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जाते तो अन्य वर्गों (other categaries) से भी ऐसी मांग आ जाती, अस्तु पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निर्धारित आयु सीमा में शैथिल्य (Relaxation in the pres critod age limt) २२ वर्ष के स्थान पर ३५ वर्ष कर दिया गया है।

(२) प्रवेश हेतु सीमित स्थान होने से ऐसा करना संभव नहीं था ।

(३) इस प्रकार की समस्त सीटों पर रिजर्वेशन को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है। अतः आगामी प्रवेशों में भी ऐसे रिजर्वेशन रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम साहवा व बाप तहसील तारानगर में बिजली के कनेक्शन

२५२. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम साहवा व बाप तहसील तारानगर को सरकार कब तक बिजली के कनेक्शन देने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां बिजली की लाइन को आये दो साल का अरसा हो चुका है ?

उत्तर

(१) शीघ्र ही कनेक्शन देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(२) जी हां।

ग्राम गाडरिया के निवासियों को मुग्रावजा

२५३. श्री केशरीसिंह हाडा (हिंडोली) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बून्दी की तहसील नेनवां का ग्रांम गाडरिया सारा ही गंसोली के तालाब के भराव के कारण खाली करा दिया गया है ?

(२) ग्राम गाडरिया को खाली करने के नोटिस किस तारीख को जारी किये गये थे ?

(३) क्या इन ग्रामवासियों को इनकी भुमि का मुग्रावजा दिया जा चुका है ?

(४) क्या मुग्रावजें की शरह सरकार द्वारा तय की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या है ? जमीन का किस दर से ग्रौर मकानों का किस दर से दिया जावेगा ?

(५) ग्रब तक किस-किस को कितना-कितना किस-किस का मुग्रावजा दे दिया गया है ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें,

(६) क्या यह सत्य है कि काश्तकारान को जमीन बोंने से रोक दिया गया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) ग्रभी प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

(४) मकान व कुए की शरह का प्रश्न व भुमि ग्रावाप्ति ग्रधिकारी, नेनवां के विचारधीन है व भुमि की दर ग्रवाप्ति की शरह भू-राजस्व की दर से ८० गुना रखा गया है।

(५) प्रश्न ३ व ४ के उत्तर के ग्राधार पर ऐसा प्रश्न नहीं उठता।

(६) जी नहीं।

धौलपुर ग्रस्पताल की एम्बूलेंस गाड़ी

२५४. श्री बनवारीलाल (धोलपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि धौलपुर सदर ग्रस्पताल के लिये सरकार द्वारा एक एम्बुलेन्स गाड़ी के ग्रादेश हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस ग्रस्पताल के लिये एम्बुलेन्स गाड़ी का रखना उपयुक्त नहीं समझती है ? यदि नहीं समझती है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(२) जी हां। बजट में प्रावधान होने पर व्यवस्था की जा सकेगी।

स्थगित प्रश्न

(२५-२-६९)

मनोहरथाना पंचायत समिति में अध्यापकों के स्थानान्तरण

२५५- **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) मनोहरथाना पंचायत समिति में अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, १९६८ में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त व्यापक स्थानान्तरणों का आधार क्या था ?

(३) उक्त स्थानान्तरणों में कितनी राशि टी. ए, डी. ए. के रूप में भुगतान की गई अथवा की जायेगी और उक्त धन राशि किस फंड से दिलाई जायेगी ?

(४) क्या उक्त स्थानांन्तरणों में कुछ स्थानान्तरण भी हैं जो २ वर्ष पूर्व ही कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) इस समिति में कितनी अध्यापिकाएं सेवारत हैं और इनमें से किन किन का स्थानान्तरण किया गया है ?

(६) क्या यह सही है कि श्रीमती बापूबाई अध्यापिका को २ माह में ४ स्थानों पर बदला गया है ? यदि हां, तो कब से कब तक कहां कहां और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापिका ने स्थानान्तरण के सम्बंध में गम्भीर आरोपों के साथ जिलाधीश झालावाड़, सचिव जिला परिषद्, विकास आयुक्त एवं माननीय पंचायत मन्त्री को शिकायती पत्र जांच हेतु लिखे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जो कार्यवाही की गई है उसका लिखित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(८) क्या यह सही है कि दिनांक ८ नवम्बर ६८ को पंचायत समिति की जनरल मीटिंग ने उक्त समस्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त करते हुए उक्त अध्यापिका को सड़क वाले किसी स्कूल में लगाये जाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया था ? यदि हां, तो विकास अधिकारी ने उक्त निर्णय की पालना कब की, और यदि नहीं की, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

Page No 200

(२) अध्यापकों को जिला कर्मचारी वर्ग समिति की अपने निवास स्थान से २० मील के अन्दर नियुक्ति नहीं रखने की नीति।

(३) लगभग २५००) रु० की धनराशि के खर्च का अनुमान है। शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान से यह राशि व्यय होगी।

(४) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(५) सात अध्यापिकायें सेवारत हैं उनमें से केवल एक का स्थानान्तरण हुआ है।

(६) दो मास में दो बार स्थानान्तरण हुआ है। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(७) शिकायत प्राप्त होने पर उप-जिला विकास अधिकारी से जाँच कराई गई

(८) ऐसा निर्णय नहीं किया गया।

परिशिष्ट–५

(अतारांकित प्रश्न सं. १३० की सूची)

भाग अ

दिनांक १ अप्रेल, ६८ से ३१ जनवरी, ६९ तक के स्टेरेलाईजेशन किये गये आपरेशन के आंकड़ों संबंधी जिले वार विवरण

क्रम सख्या	नाम जिला	किये गये स्टेरेलाईजेशन आपरेशनों की संख्या
१.	अजमेर	२२६४
२.	अलवर	१५२०
३.	भरतपुर	२१३०
४.	बीकानेर	१०२८
५.	बूंदी	३२४
६.	बाड़मेर	२९०
७.	बांसवाड़ा	५१६
८.	भीलवाड़ा	२१९३
९.	चूरू	११३६
१०.	चित्तौड़गढ़	६८९
११.	डूंगरपुर	३७०
१२.	गंगानगर	१७६६
१३.	झुंझुनूं	१५८२

१	२	३
१४.	जयपुर	३५२८
१५.	जोधपुर	६४२
१६.	जैसलमेर	५४
१७	जालौर	१८७
१८.	झालावाड़	७१६
१६.	कोटा	१२६५
२०.	नागौर	६६४
२१.	पाली	७०७
२२.	सवाई माधोपुर	५१०
२३.	सीकर	६८६
२४.	सिरोही	३८५
२५.	टोंक	५७७
२६.	उदयपुर	१६४७
	राजस्थान	२८०३८

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या १३० की सूची)

STATEMENT SHOWING INCENTIVE MONEY PAID TO DOCTORS, COMPOUNDERS, MOTIVATORS & TO THE CASES.

Name of District	Incentive money paid to cases.	Incentive money paid to motivators,	Incentive money paid to Doctors.	Incentive money paid to Compounders.	Total.
1. Ajmer	20228	8650	224	1755	37892
			6550		
2. Alwar.	26417	10770	5435	2084	44716
3. Bharatpur.	31876	19602	2538	3772	57733
4. Bikaner.	7738	3287	348	131	11504
5. Bundi.	4803	2411	1737	249	9000
6. Barmer.	4704	2051	1465	440	8360
7. Banswara.	6808	2464	370	384	10476
8. Bhilwara.	32099	13223	8506	2883	56646
9. Churu.	15946	6860	879.50	324.50	24010
10. Chittorgarh.	13419	6048	3610 (Drs. & Comps.)	—	23077
11. Dungarpur.	3666	2583	1850	583.50	10832.50
12. Ganganagar.	23051	10062	306	22.50	36431.50
13. Jhunjhunu.	20512	9568	5173	1760	37033
14. Jaipur.	32944	14393	6177	2589	56103
15. Jodhpur.	12336	4460	3280	1050	21115

Page No 204

1	2	3	4	5	6	7
16.	Jaisalmer.	364	387	270	81	1508
17.	Jalore.	2728	1183	863	271.50	5045.50
18.	Jhalawar.	7758	3395	1627.50	679.50	13460
19.	Kota.	21825	8865	6990	1725	39405
20.	Nagaur.	15315	5300	3717.50	1101	22232.50
21.	Pali.	15000	6110	3618	1015	26743
22.	S. Madho-pur.	9088.00	3322.00	2191	509 50	15110.50
23.	Sikar.	9356	3720	1845	644	15568
24.	Sirohi.	7142	2931	2282	341	13196
25.	Tonk.	8340	3501	2567	791.60	15300.50
26.	Udaipur.	11566	4509	906	—	16380
	Total	346284	144338	81304.50	94847.50	596874.00

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न सं० १३२ की सूची)

साहित्य अकादमी, रविन्द्र भवन, नई दिल्ली
सं०अ०2/११६०८ ४ दिसम्बर १६७६.

श्री मेघराज वर्मा 'मुकुल'
निदेशक, शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।
प्रिय महोदय,

आपका तार मिला। साहित्य अकादमी का अद्यावधि का संशोधित संविधान हमारे १६६६ के वार्षिक विवरण में छपा है, जिसकी एक प्रति आपको अलग डाक से भेजी जा रही है।

जहां तक साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक भाषाओं को मान्यता देने का प्रश्न है, निवेदन है कि सामान्यतः साहित्य अकादमी का कार्यक्रम उन्हीं भारतीय भाषाओं तक सीमित है जो भारतीय संविधान में परिगणित की गई है। उनके अतिरिक्त केवल मैथिली को ही अकादमी ने मान्यता प्रदान की है। मैथिली को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न अकादमी के प्ररिषद के समक्ष ३० मार्च, १६६३ को उपस्थित हुआ था। तब परिषद ने भाषा-विशेषज्ञों की एक उप-समिति नियुक्त की थी जिसे मान्यता सम्बन्धी सिद्धांत निर्धारण करने का प्रश्न सौंपा गया था। उप समिति के अध्यक्ष थे डा० सुनिति कुमार चटर्जी। इस उप-समिति ने मान्यता के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए उनकी भी एक प्रति संलग्न है।

इन सिद्धांतों के आलोक में उप-समिति का मत था कि मैथिली उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है अतः उसे मान्यता दी जानी चाहिये। उप-समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए परिषद् ने फरवरी १६६५ में मैथिली में भी अपने कार्यक्रम को शुरूआत करने का संकल्प किया।

मैथिली को मान्यता प्रदान कर चुकने के उपरांत अकादमी के समक्ष डिंगल, राजस्थानी और भोजपुरी को मान्यता प्रदान करने के लिए भी आवेदन पत्र उपस्थित हुए। ये आवेदन पत्र उप समिति के अध्यक्ष डा० सुनीति कुमार चटर्जी को विचारार्थ भेज दिये गए। डा० चटर्जी ने जो मत दिया वह इस प्रकार है।

(१) डिंगल भाषा की मान्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह राजस्थानी का ही अप्रचलित साहित्यिक रूप है।

(२) राजस्थानी और भोजपुरी दोनों ही अपने विन्यास में हिन्दी से पृथक स्वतन्त्र भाषाएं है—भोजपुरी का पार्थक्य राजस्थानी से भी बढ़कर है।

(३) तथापि ये भाषाएं विशेषज्ञों की उप-समिति द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों की

आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। विशेष रूप से, न तो उनको राज्य सरकारों ने उन्हें मान्यता प्रदान की है, न वे विद्यालयों में माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है. न उन्हें विश्वविद्यालयों में उच्चतर अध्ययन का विषय ही बनाया गया है।

(४) ऐसी परिस्थितियों में, ये भाषाएं साहित्य अकादेमी द्वारा आधुनिक भारत की स्वतन्त्र भाषाओं के रूप में मान्यता पाने की अधिकारिणी नहीं है।

डा० चटर्जी का यह मत उप-समिति के अन्य सदस्यों को भेज दिया गया था। उनमें से डॉ० एस. एम. कत्रे, डॉ० सुकुमार सेन और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी तीनों ने डॉ० चटर्जी से सहमति व्यक्त की थी। तदन्नतर यह स्थिति २ फरवरी, १९६६ को अकादमी के कार्यकारी मण्डल के समक्ष उपस्थितकी गई। मण्डल ने इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकृति किया उसका अनुवाद इस प्रकार है :—

कार्यकारी मण्डल ने राजस्थानी, भोजपुरी और डिंगल भाषा की ओर से प्राप्त मान्यता के आवेदनों पर विचार किया और निश्चय किया कि क्योंकि ये भाषाएं भाषा-विशेषज्ञों की उप-समिति द्वारा निर्धारित कसौटी पर पूरी नहीं उतरती, अतः साहित्य अकादेमी उन्हें अपने कार्यक्रमों के संदर्भ में आधुनिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत करने में असमर्थ हैं।

आशा है, इस जानकारी से आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सकेगा।

भवदीय,

ह०

(भारतभूषण अग्रवाल)

सहायक मन्त्री

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्र० सं० १३९ की सूची)

परिशिष्ट (अ)

सवाई माधोपुर सब डिविजन की वन श्रमिक सहकारी समितियों की सूची

क्र० सं०	नाम समिति मय तहसील	पंजीयन का नम्बर व दिनांक
१–	खिलचीपुर श्री गणेश वन श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि० गांव शेरपुर खिलचीपुर, तह० सवाई माधोपुर	१११६ व ३०-१०-६४
२–	वन श्रमिक सहकारी समिति, जैतपुरा, गांव जैतपुरा तहसील खण्डार	१०६९ १३-८-६३

परिशिष्ट (ब)

सहकारी समितियों को जो कूप दिये गये उसकी सूची

क्र० सं०	नाम सहकारी समिति जिसको कूप दिये गये हैं।	वर्ष	वर्ष जिसमें कूप दिया गया है उसका नाम व कीमत				
			कूप का नाम	कीमत	वर्ष	कूप का नाम	कीमत
१—	खिलचीपुर श्री गणेश वन श्रमिक सहकारी समिति।	६५-६६	जामोदा नं. १	३३००१-००	—	—	—
२—	वन श्रमिक सहकारी समिति जैतपुरा।	६४-६५	खुशालीपुरा नं. ३	२००००-००	६७-६८	कूप खुशालीपुरा नं० ५	४५०००-००

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न सं० १४३ की सूची)

१९५० से १९६८ तक सिंचित क्षेत्रफल : बीघा : तहसीलदार सिंचाई के आंकड़े

सन्	योग सिंचित क्षेत्रफल	फुलेरा तहसील सिंचित रकम	फुलेरा तहसील प्रतिशत	दूदू तहसील सिंचित रकबा	दूदू तहसील प्रतिशत	फागी तहसील सिंचित रकबा	फागी तहसील प्रतिशत	मालपुरा तहसील सिंचित रकबा	मालपुरा तहसील प्रतिशत
१९५०–५१	१७३९३	३२८२	१९	—	—	१२७११	७२	१४००	९
१९५१–५२	३२८	३२८	१००	—	—	—	—	—	—
१९५२–५३	३५५०	१९९६	५६	—	—	१५५४	४४	—	—
१९५३–५४	१०३५५	३४३०	३३	—	—	५८९७	५७	१०२८	१०
१९५४–५५	१०२३०	—	—	९७९०	९५.७	४४०	४३	—	—
१९५५–५६	११५८२	—	—	६५६१	५६	३७३१	३३	१२९०	११
१९५६–५७	११७६९	—	—	७६५९	६२	३०८८	२६.५	१०२२	८.५
१९५७–५८	१३९६०	—	—	८५१०	६०.५	३९९२	२९	१४५८	१०.५
१९५८–५९	६१२५	—	—	६१२५	१००	—	—	—	—
१९५९–६०	१४८२७	—	—	९३७२	६३.२	४०५३	२७	१४४२	९.४
१९६०–६१	—	—	—	—	—	—	—	—	—
१९६१–६२	१००९१	—	—	८६०२	८५.११	७०७	७.०७	७८२	७.८२
१९६२–६३	२३६५५	—	—	१३०७३	५५	८४३०	३७	३१५२	९
१९६३–६४	२४६९	—	—	२४६९	१००	—	—	—	—
१९६४–६५	२४६३४	—	—	१३७८६	५६	८४९२	३४.४	२३५६	९.९
१९६५–६६	२६७५	—	—	२६७५	१००	—	—	—	—
१९६६–६७	२९५२	—	—	२९५२	१००	—	—	—	—
१९६७–६८	१९३५३	—	—	१२७९२	६५	४९७४	२५	१५८६	१०

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ की सूची)

Name of work:—ESTIMATE FOR THE INAUGURATION OF THE LOONKARANSAR BIKANER LIFT SCHEME NEAR BIRDHWAL.

S. No.	Item.	Amount in Rupees.
1.	Hire & carriage charges for tents, durries, chairs, flags, buntings etc. for three days (including period of transportation).	3,500/-
2.	Invitation cards for function, Alpahar and Lunch.	700/-
3.	puja samagri and fees to pandit for Puja (Pandit Dakshana).	100/-
4.	Distributaion of sweets, 500 kg. @ Rs. 5/- per kg.	2,500/-
5.	Hire charges for mikes, loudspeakers Amplifiers, distribution lines.	500/-
6.	Alpahar 500 Nos. @ Rs. 4/-	2,000/-
7.	Expenses on exhibition of photographs, models, including transportation of model from Jaipur.	2,500/-
8.	Printing of Brochure.	5,00/-
9.	Transportation of guests and visitors to ceremony site and special buses.	1,600/-

Page No 211

1	2	3
10	Expenditure on lunch at suratgarh for 300 guests @ Rs. 8/- each.	2,400/-
11.	Hire charges for Padestal fans (40 Nos) for three days (including period for transportation)	000/-
12.	Cooling arrangements.	1,000/-
13.	Expenses on Tablet to be fixed at site.	200/-
	Total:--	18,100/-
	Contingencies @ 3%	550/-
	Grand Total	18,650/-

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न सं. १५१ की सूची)

ग्राम पंचायत चन्द्राई के अधीनस्थ परिवारों में जो ग्राम पंचायत चन्द्राई से राशन कार्ड नहीं मिले है उनकी सूची:—

१. प्रेम सिंह । पन्ने सिंह राजपूत सा० मणू
२. किस्तु राम । जवाना राम जाट साकिन मणू
३. मालूराम । घीसा राम कुम्हार सा० मणू
४. मालूराम । घीसा राम कुम्हार सा० मणू
५. केशा राम । नाथु राम । नाई सा० मणू
६. चूना राम । लाला राम नथू राम नाई सा० मणू
७, चूना राम । लाला राम जाट सा० मणू
८, पूसा राम । आसा राम जाट सा० मणू
९. घीसा राम । लादू राम मांबी सा० मणू
१०. आवू राम संवता राम जाट सा० मणू
११. उदा राम । अन्दा राम जाट सा मणू
१२. किसना राम सांवता राम सा० मणू

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न सं० १५६ की सूची)

जिलेवार जल प्रदाय व्यवस्था की सूचि

क्रमांक	नाम जिला	कुए खोदने के अनुदान कुओं की संख्या	स्थान जहां रेल्वे टंकियों से पानी पहुंचाया जाता है।	स्थान जहां ट्रक टंकियों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है।	नल कूप द्वारा	कुए गहरे करवाकर
१	बीकानेर	३०२	२	२	४३	—
२.	जैसलमेर	१४३	—	४८	२५	४५
३.	बाड़मेर	१४१	६	४१	१२	—
४.	जोधपुर	१०७	३	३१	१३	५६ जवाई देवावास से ३ गांवों में
५.	जालौर	१४	—	३		
६.	गंगानगर	८७	—	—	—	— जवाई नहर से
७,	चूरु	१४४	—	—	—	— ५ गांवों में

भाग अ

जिलेवार स्वीकृत प्रावधान की सूची: —(लाखों में)

	नाम जिला	राशि
१.	अजमेर	०-२०
२.	अलवर	—
३.	चूरू	३-३५
४.	चितौडगढ़	०-१०
५.	बाड़मेर	१४-५०
६.	बीकानेर	८-३५
७.	बूंदी	०-३५
८.	बांसवाडा	०-११
८-	भरतपुर	—
१०.	भीलवाडा	०-५०
११.	डूंगरपुर	—
१२.	गंगानगर	१-८५
१३.	जयपुर	—
१४.	झालावाड	—
१५.	जालौर	१-९०
१६.	जेसलमेर	११-२२
१७.	झून्झुनू	०-६५
१८.	जोधपुर	४-७३
१९.	नागौर	०-२५
२०.	कोटा	—
२१.	पाली	०-१०
२२.	टोंक	—
२३.	सवाईमाधोपुर	०-१०
२४	सीकर	—
२५.	सिरोही	—
२६.	उदयपुर	०-३०
		४८.५६

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ११ मार्च, १९६९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४	अन्तिम से १२	खर	खैर
७	११	कमचारी	कर्मचारी
८	५	कुख	कुल
,,	६	पेन्सनर्स	पेन्शनर्स
,,	११	इन्हें	उन्हें
९	११	श्री जयप्रकाश शर्मा	श्री जयकृष्ण शर्मा
१८	१२	जा ी	जानी
,,	११	चवाप्त	अवाप्त
२३	शीर्ष	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)
,,	६	गरन्टी	गारन्टी
३२	८	अ ाल	अकाल
३७	१०	औ ।	और पैसा
,,	११	लत	बात गलत
४४	७	बतने	बताने
४५	१०	बोलमें	बोलने

१	२	३	४
५१	१०	भूगतान	भुगतान
५३	अन्तिम से १२	वग	वर्ग
५४	१२	कमचारी	कर्मचारी
५६	३	जिलाधश	जिलाधिश
,,	५	मन्झी	मन्त्री
,,	१०	ता इस पर	तो इस पर
,,	६	टांसफर	ट्रान्सफर
६०	अन्तिम	महादय	महोदय
६२	३	प्रयोजनों	प्रभोजनों
६७	२	पहूँचने	पहुंचने
६७	अन्तिम	श्री बृजबल्लभ	श्री बृजबल्लभ बोहरा
६८	६	जिन-लिन	जिन-जिन
,,	१४	चम्बख	चम्बल
६६	३	३६६८	१६६६
,,	४	वसते	वास्ते
७०	अन्तिम से ६	मेहूँ	गेहूँ
७४	३	विघान	विधान
,,	८	बतने	बताने
,,	अन्तिम से ११	उपलब्घ	उपलब्ध
७५	१३	।खोट ।	चरनोट
७५	८	बोल्डेज	बोल्टेज

१	२	३	४
९१	अन्तिम से १२	वाटर पईजिंग	वाटर पाईजिंग
,,	१०	म्बन्धित	सम्बन्धित
९२	३	धवै	अवैध
१००	१	योजना	योजना
१०६	अन्तिम	के न	के नाम
११५	शीर्ष	————	(दौलतराम सारण)
११७	अन्तिम से ८	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
१२७	६	निन	दिन
१३२	१२	को	के
,,	१५	करतो	करते
,,	१२	वह भी वह	वह भी
१३४	१०	मीटिंग	मीटिंग
१३६	१६	अबततो	अब तो
१३७	११	जाये	जाये
,,	१५	चला।ई	चल।ई
१३९	७	मुअपिक	मुआफिक
,,	७	आबमी	आदमी
१४२	१	रेकाडं	रेकार्ड
१४३	१३	हस	इस
१४४	१२	बहीं	नहीं
१४५	११	इन्होंने	उन्होंने

१	२	३	४
१४७	अन्तिमसे४व५	मालविया	मालवीया
१४८	१२	सूखाड़िया	सुखाडिया
,,	६	चाह्ये	चाहिये
१५०	७	झगढ़ा	झगड़ा
,,	८	उ ा	उन
,,	१३	घान	धान
१५२	अन्तिम से ६	gtting	gatting
१५७	शीर्ष	श्री विजयसिंह	(श्री विजयसिंह)
१५६	अन्तिम से ११	लगी	लगी
१६०	६	लाइंस	लाइन्स
,,	३	कौर	और
१६१	१४	द्सकी	इसकी
,,	७	कुर्सी	कुर्सी
१६२	अन्तिम से १३	सला	सजा
१६३	१७	अती	आती
१६६	७	सरकमस्टान्सेज	सरकमस्ट्रान्सेज
१७१	अन्तिम से ८	बरी	बैरी
१७२	६	यूपी	यू. पी.
१७४	१७	लगू	लागू
,,	२०	दुर्गन्ध	दुर्गन्ध
१७६	६ व १२	इन्डिपेन्डन्ट	इन्डिपेन्डेन्ट

१	२	३	४
१७७	अन्तिम से ११	प्रे जीडन्ट	प्रेसीडेन्ट
१७८	२	अन्याय र्ण	अन्यायपूर्ण
१७९	शीर्ष	(श्रो बद्रीप्रसाद गुप्ता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
१८१	,,	(श्र बद्रीप्रसाद ग़ुप्ता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
१८५	५	मर्ज र्जं की	मर्ज की
,,	१०	क्त्रा	क्या
१८८	८	हसारे	सारे
१९०	८	बतास कता	बता सकता
१९४	१५	किमन्डेशन	रिकमन्डेशन
१९५	शीर्ष	श्री पी, के. चौधरी	(श्री पी. के. चौधरी)
१९७	२	फाइन्डिग	फाइन्डिग
२०४	१	गारा	धारा
२०६	शीर्षक	अग्रतरवाद	अग्रेतरवाद
,,	अन्तिम से ९	श्री वेदारनाथ	श्री केदारनाथ
२०७	९	रेबार्ड	रेकार्ड
,,	१०	कैंन्सल	कैन्सिल
२१४	अन्तिम से १२	क्या कि	क्योंकि
,,	अन्तिम से ७	वेठ	बैठ
२१६	४	अप	आप
,,	६	गह	गृह
,,	८	श्री पी के चेघरी	श्री पी के चौधरी
२२१	२	झक मर	झक मार

१	२	३	४
२२३	अन्तिम से ५	फयरिंग	फायरिंग
२२४	३	दटे इज द	देट इज दी
,,	अन्तिम से २	आनके	आपके
२३५	१६	पाटियो	पार्टियों
२३८	१ व ७	वर्डिक्ट	वर्डिक्ट
२४०	अन्तिम से ११	प्रोसडेन्ट	प्रसिडेन्ट
२४१	१०	पुनविचार	पुनर्विचार
२४२	अन्तिम से १०	डिस्ट्रिटक्ट	डिस्ट्रिक्ट
२४३	१६	ब पू	बापू
२४४	अन्तिम से ३	आचायो	अचार्यो
२५०	१३	तजुवां	तर्जुवा
२५१	शीर्षक	परिप्टि	बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वाद विवाद
,,	२	दैदा	पैदा
२५२	शीर्षक	परिप्टि	बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर अग्रेतर वाद विवाद
२५५	६	आश्चयं	आश्चर्य
२६४	१७	दरवजे	दरवाजे
२६५	४	वोर का वा	बोर का था
२७१	शीर्षक	तिवेदन	प्रतिवेदन
,,	६	बहेवियर	विहेवियर
२७४	५	बविंग	वर्किंग
२७६	२	यह कमीशन कमीशन	यह कमीशन

१	२	३	४
२७६	१०	इफ्टेग्रिटी	इन्टेगिटी
२८३	अन्तिम से ३	'e who	he who
२८४	६	Mayn	Man
२८५	८	ओर	और
२८६	५	तो मे	तो मैं
२८६	८	पथरो	पत्थरों
२६०	२०	ज्यदा	ज्यादा
२६१	८	हमाग	हमारा
२६४	अन्तिम से ६	करड़ी से करड़ी	कडी से कडी
२६८	अन्तिम से ५	ट इम	टाइम
,,	८	धो ी	धोती
३००	अन्तिम से ११	पलन	पालन
३०२	४	गखने	रखने
,,	१७	सदग्य	सदस्य
,,	२१	ग्ही	रही
३०३	८	इडिंग	फाइंडिंग
,,	१८	f ये	दिये
,,	२१	वो	को
३०७	अन्तिम से १०	क	की
३०६	७	सदस्य कि	सदस्य का
,,	८	अ ोको	अनेकों

१	२	३	४
३०६	अन्तिम से ३	कोटं	कोर्ट
३११	१२	गवनमेंट	गवर्नमेन्ट
३१५	१	हमक	हमको
३१७	अन्तिम से १०	अवकाश घोषत	अवकाश घोषित
३२०	अन्तिम से ८	फर	फिर
३२२	१६	सरकार	सरकार
३२३	२	विगेधी	विरोधी
,,	४	चहता	चाहता
३२६	४	चफ जस्टिस	चीफ जस्टिस
३२७	१७	कान्ट्रेटरी टू	कान्ट्रेरी टू
३२६	११	जुडिशिटरी	जुडिशियरी
३३०	अन्तिम से ६	सरा	सारा
३३१	६	श्री गिरधागीलाल	श्री गिरधारी लाल
३३५	१६	पछले	पिछले
३५२	अन्तिम से १४	ी सतीशचन्द अग्रवाल	श्री सतीशचन्द अग्रवाल
३६६	अन्तिम लाइन	गिरधार	गिरधारी
३७५	१६	भैरोंसिहजें	भैरोंसिहजी
३६३	४	अकडों	आकडों